दशम माला, खंड 40 अंक 21

मंगलवार, 30 मई 1995
9 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय–सूची

दशम माला, खंड 41, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 38, मंगलवार, 30 मई, 1995/9 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	761-763	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	764-780	19-38
अतारांकित प्रश्न संख्या	7731-7960	38-194
मंत्री द्वारा वक्तव्य		194-210
राम गंगा नदी में भारी प्रदूषण के कारण पेयजल की कमी श्री कमला नाथ		194-210
सभा पटल पर रखे गए पत्र		210-216
राज्य सभा सै संदेश		216
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		216
नियम 377 के अधीन मामले		216-219
(एक) बिलासपुर, मध्य प्रदेश में बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। श्री खेलन राम जागड़े		216
(दो) बेरोजगार युवाओं से नौकरी के लिए आवेदन करते समय लिए जाने वाले शुल्क को समाप्त किए जाने की आवश्यकता श्री पवन कुमार बंसल		217
(तीन) राजस्थान में कोलायत और गजनेर लिफ्ट परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। श्री मनफूल सिंह		217
(चार) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के जांजगीर अथवा चम्पा में एक कम शक्ति वाला दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता श्री भवानीलाल वर्मा		218
(पांच) दिल्ली और लखनऊ के बीच बरास्ता बुलन्दशहर नई रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता डा० छत्रपाल सिंह		218
(छह) 3307/3308 किसान एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में काठ रेलवे स्टेशन पर ठहराये जाने की आवश्यकता श्री चेतन पी०एस० चौहार		218

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

	विषय	कालम
(सात)	कोडरमा (बिहार) के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में सूखे की स्थिति को रोकने के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	डा० मुमताज अंसारी	219
(आठ)	तमिलनाडु के पेरियार जिले के इरोड़ में उद्योगपतियों को मिट्टी का तेल और मोम आबंटित करने के लिए कोटा प्रणाली को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
	डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम	219
बैकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक — जारी		220-233
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री चिन्त बसु	220
	श्री सैयद शहाबुद्दीन	221
	श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	225
	श्री गिरधारीलाल भार्गव	226
	श्री पी०सी० थामस	229
	श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	230-233
खण्ड 2, 3, और 1		
पारित करने हेतु प्रस्ताव		
	श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति	
	प्रो० रासा सिंह रावत	
राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक		233-235
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री जगदीश टाइटलर	234
	श्री दाऊदयाल जोशी	235
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों पर अत्याचार रोकने के उपयों के बारे में संकल्प — जारी		235
	श्री राजवीर सिंह	236
	श्री गोपी नाथ गजपति	237
	श्री हन्नान मोल्लाह	239
	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	242
	श्री जी०एम०सी० बालयोगी	245
	श्री कमला मिश्रा मधुकर	255
	डा० सत्यानारयण जटिया	258
	श्री कृष्णा दत्त सुल्तानपुरी	262
	श्री चित्त बसु	265
	श्री बलराज पासी	267
	डा० असीम बाला	269
कार्य — मंत्रणा समिति		
इक्यावनवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत		270

लोकसभा

मंगलवार, 30 मई, 1995/9, ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे आपको हमारे भूतपूर्व साथी श्री आर. आर. मोरारका के निधन का समाचार देते हुए बड़ा दुःख हो रहा है ।

श्री आर.आर. मोरारका पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा में 1952 से 1967 तक राजस्थान के गंगानगर और झुंझुनु संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा के सदस्य रहे ।

वे 1978 से 1984 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे ।

वे एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे । उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में बड़ा सक्रिय भाग लिया था ।

व्यवसाय से व्यापारी श्री मोरारका अनेक औद्योगिक और वित्तीय संगठनों से सम्बद्ध रहे ।

अर्थशास्त्र श्री मोरारका का विषय था तथा वे बम्बई के सिडेनहम कालेज आफ कॉमर्स एण्ड इकोनामिक्स के फैलो थे ।

इस सदन की सदस्यता के दौरान वे अनेक परामर्शदाता और प्रवर समितियों के सदस्य रहे । वे लोक-लेखा समिति के सभापति भी रहे थे ।

श्री मोरारका ने देश-विदेश की अनेक यात्राएं की । उनको खेल-कूद से विशेष लगाव था तथा वे अनेक खेल-क्लबों के सदस्य थे ।

श्री मोरारका का निधन बम्बई में 72 वर्ष की आयु में 28 मई, 1995 को हुआ ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और दिवंगत के दुःखी परिवार को अपना संवेदना संदेश भेजते हैं ।

अब सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ समय के लिए मौन खड़े हों ।

11.02 म.पू.

तत्पश्चात सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे ।

11.04 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं पर अंकित मूल्य

***761. श्री रामपाल सिंह :**
श्री बलराज पासी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में बेची जा रही वस्तुओं पर अंकित मूल्य उनके वास्तविक बाजार मूल्यों से काफी अधिक होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा - पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मंत्रालय का ध्यान समाचार पत्रों में छपे इस आशय के कुछ लेखों की ओर आकर्षित किया गया है । पैकेज पर छपा मूल्य केवल अधिकतम खुदरा मूल्य होता है और वास्तविक विक्रय मूल्य छपे हुए मूल्य से कम हो सकता है ।

(ख) से (घ) मंत्रालय ने पहले से पैक की गई वस्तुओं पर खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा की समीक्षा करने तथा उसके लिए सर्वोत्तम पद्धति का सुझाव देने के लिए फरवरी, 1994 में सरकारी विभागों , व्यापार और उद्योग एसोसिएशनों तथा उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की है । समिति को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि पैकेट पर जो मूल्य छपा रहता है, वह वास्तविक बिक्री मूल्य से ज्यादा रहता है । मैं बताना चाहता हूं कि पेंट पर 896 छपा रहता है, जबकि उसका मूल्य 635 रुपए होता है । प्रेशर कुकर पर 800 छपा रहता है, जबकि उसका वास्तविक मूल्य 500 रुपए होता है । नमक का मूल्य 2.60 रुपए होता है, जबकि 3.50 रूपए छपा रहता है । इस तरह से छपे हुए मूल्य में अधिक मुनाफा शामिल होता है, यह सर्वविदित है। इस ज्यादती से उपभोक्ता को बचाने के लिए आप क्या करने जा रहे है ।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, पैकेट पर मूल्य सरकारी नीति के तहत छापे जाते है और यह डिक्लेअर्ड मेक्सिमम प्राइस होती है । कुछ फैक्टर मार्केट में कंपीट करते हैं, इसलिए मूल्य अधिक छपा रहता है और जो एक्चुअल प्राइस होता है उसमे रीटेलर कंज्यूमर के साथ नेगोशिएट करता है और मार्केट फोर्सेस प्राइस तय करती हैं ।

[अनुवाद]

इसलिए यह मूल्य बाजार मूल्य से हमेशा ज्यादा होना है । इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती । अधिनियम के अन्तर्गत सरकार निर्माता से पैकेट पर अधिकतम मूल्य छापने के लिए कह सकती हैं ।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी भी वस्तु पर जो मूल्य छपा रहता है, बेचने वाले समझते हैं कि यह सरकार द्वारा घोषित मूल्य है और इसी कीमत पर इस चीज को बेचना है । मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इस कार्य के लिए फरवरी 1994 में एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है ।

मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति की रिपोर्ट कब तक आनी है और जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इन चीजों की रोकथाम के लिए सरकार के पास क्या कोई उपाय है ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, उसकी 3-4 मीटिंग्स ट्रेड और इंडस्ट्रीज के साथ हो चुकी है, जिसमें कंज्यूमर्स रेप्रजेंटेटिव्स भी शामिल हुए हैं तथा इसमें बड़े विस्तार से विचार-विमर्श हो रहा हैं अनुमान है कि 2-3 महीने तक इस समिति की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तब हम सदन को सूचित कर सकेंगे ।

श्री रामपाल सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है कि जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इन अनियमितताओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्पष्ट कहा गया है -

[अनुवाद]

1. हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए देश-भर में लागू किए जाने योग्य, पैक किए गए पदार्थों पर समान खुदरा मूल्य छापने का सर्वोत्तम तरीका क्या है;

2. किस एजेन्सी को खुदरा मूल्य छापने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए; और

3. सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपरोक्त बातों से सम्बंधित सुझावों को कैसे लागू किया जाए ;

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर सवाल है । यदि वस्तु पर 800 रूपया मूल्य छपा है तो उसकी वास्तविक कीमत 500 रूपए होती है । इस तरह से कई बार तो दुगने दाम वस्तु पर छपे रहते हैं । नगरीय उपभोक्ता तो फिर भी जागृत होते हैं और वस्तु खरीदते समय मोलभाव कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं में जागरूकता का अभाव होता है और यदि दुकानदार 800 रुपए का प्रेशर कुकर बताता है तो वह डरते-डरते उसको 750 रुपए में देने को कहता है और 750 रुपए में उसको प्रेशर कुकर मिल जाता है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि प्रेशर कुकर की कीमत 500 रुपए होती है और 250 रुपए उस उपभोक्ता की जेब से अधिक ले लिए जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आजादी के 45 वर्ष पश्चात् भी अभी तक हम कोई निश्चित लाभ नीति नहीं बना जाए हैं कि किसी वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित होगा ।

उस पर कितना लाभ फैक्टरी का मालिक कमाएगा । मंत्री जी ने अभी कहा है कि वे उस पर एक समिति बना रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई लाभ नीति बनाना चाहती है और जब तक यह नीति नहीं आती है तब तक उपभोक्ताओं में जागृति लाने के लिए कोई अभियान चलाने जा रही है ? मैंने मंत्री जी से हिंदी में प्रश्न पूछा है मैं आग्रह करूंगा कि वे हिंदी में इसका जवाब दें तो अच्छा रहेगा।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय स्तर पर एक परिषद् है जो उपभोक्ताओं की परिषद है । उसकी आखिरी मीटिंग में मूल्य परिवीक्षा आयोग बनाने के लिए एक सुझाव आया है जोकि विचाराधीन है । इसमें कोई शक नहीं है कि लाभ नीति सरकार तय नहीं कर सकती है क्योंकि यह तो मार्केट के कम्पटीशन का प्रश्न है । जो अधिकतम मूल्य निर्धारित होता है उसमें उत्पादन की कीमत, बिक्री कर, स्थानीय कर, भाड़ा, पैकिंग, विज्ञापन आदि बहुत सारी चीजें मिलकर मूल्य निर्धारित होता है । इसलिए सरकार के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे कि लाभ का मार्जिन भी उसमें एडजस्ट कर सके । लाभ तो सीजन टू सीजन, मार्किट टू मार्किट अलग होता है । उसमें लाभ का अंश जो है वह सरकार की तरफ से नहीं दिया जा सकता है ।

श्री बलराज पासी : इसका मतलब है कि आप जितना मर्जी चाहे किसी को कमाने की छूट दे सकते हैं चाहे दुगना-तिगुना वह ले ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ।

श्री बूटा सिंह : पैकेट के ऊपर जितना लिखा है उससे ज्यादा लेने पर सजा हो सकती है । जिस जगह पर इस तरह से देखने को आया है अगर आप बताएं तो उसे सजा हो सकती हैं ।

श्री बलराज पासी : पैकेट पर ही दुगुनी कीमत लिखी होती है ।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि पैकेट पर छपा मूल्य वास्तविक मूल्य से भिन्न होता है । मंत्री महोदय ने ऐसा किए जाने का समर्थन किया है । ऐसा करने से जनसाधारण को वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता । इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनसाधारण के आम इस्तेमाल की वस्तुओं का मूल्य तय करेगी तथा देश-भर में इन्हें उसी मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगी ?

श्री बूटा सिंह : जैसा मैंने पहले ही माननीय सदस्यों के उत्तर में बताया था कि मूल्य निश्चित करना सरकार की नीति नहीं है । मैंने बताया था कि बहुत सी बातें हैं जिनके आधार पर निर्माता पैकटों अथवा वस्तुओं के मूल्य छापते हैं । देश-भर के लिए कीमते निश्चित करने की सरकार की नीति नहीं हैं । इसलिए मैंने न तो इसका समर्थन किया है और न ही इस पर आपत्ति की है । हम पैकटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य छापने सम्बन्धी नियमों को लागू करते हैं । यदि उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए नियम हैं तथा राज्य सरकारें इस बारे में कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं । हमने छपे हुए मूल्य से अधिक मूल्य मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं ।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि यह जो विक्रय मूल्य है उसमें बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं । जिस प्रकार अधिकतम विक्रय मूल्य उस वस्तु का लिखा होता है उसके साथ-साथ उत्पादन मूल्य भी लिखा जाए ऐसा कुछ आप प्रावधान करेंगे ?

फिर भी जो एक्सपर्ट कमेटी है वह इसके ऊपर विचार कर रही है, यह भी फैक्टर उनके सामने है ।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का जवाब समझ नहीं पाया हूं । उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतू सरकार की राय से पता चलता है कि जैसे हम मूक दर्शक हैं, हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । इसका जो आर्थिक पहलू है, कास्ट आफ प्रोडक्शन कितनी होती है, उसके ऊपर नफे के बारे में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यह सरकार कैसे कह सकती है, क्योंकि करोड़ों उपभोक्ताओं का सवाल है । नफे के सिलसिले में इनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते और कमेटी बिठाई है । सरकार को देखना चाहिए कि कास्ट आफ प्रोडक्शन के ऊपर कितना नफा दिया जाये जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके ।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्षजी, जैसा मैंने कहा कि आज का जो कानून हमारे पास है, उसके तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं । वह नीति के बारे में पूछ रहे हैं । जो आगे बनाई जा सकती है ।

श्री बूटा सिंह : इसीलिए हमने एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है उसमें ट्रेड के भी प्रतिनिधि हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि भी हैं, उपभोक्ताओं के भी प्रतिनिधि हैं, विधि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के भी प्रतिनिधि हैं । यह मुद्दा उनके सामने पेश कर सकते हैं । लेकिन वर्तमान कानून के अंदर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । आप गरीबों के रहनुमा माने जाते हैं, इसमें टर्म्स आफ रेफरेंस में लाभांश का जिक्र नहीं है । इसका मतलब व्यापारियों को खुली छूट है कि जितनी चाहे मनमानी कर सके ।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : मैंने बहुत स्पष्ट रूप में बताया है कि वर्तमान अधिनियम और कानून मूल्य घोषणा करने वाला कानून है मूल्य नियंत्रित करने वाला कानून नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें वर्तमान कानून को लेकर कोई चिन्ता नहीं है । हमें तो चिन्ता है उसकी जो इस समय देश में हो रहा है । क्या आप उपभोक्ता को राहत पहुंचाएंगे या नहीं ?

श्री बूटा सिंह : महोदय कानून अधिकतम मूल्य की घोषणा के बारे में है । खुदरा बेचने वाले उससे अधिक नहीं मांग सकते । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें ।

श्री बूटा सिंह : महोदय, जैसा कि मैंने कहा, विचारणीय विषय.....

अध्यक्ष महोदय : यदि वे आपसे राहत नहीं मांगें तो फिर किससे मांगे ?

श्री बूटा सिंह: अध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहें तो वे विशेषज्ञ समिति से इस पर भी विचार करने को कह सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष की इच्छा नहीं है । यह सभा की इच्छा है ।

श्री बूटा सिंह : मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि विशेषज्ञ समिति की पिछली बैठक में उसके निदेश पदों में सुधार किया गया था तथा संशोधन किया गया था । यह भी आवश्यक । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले उनकी बात सुनिये ।

श्री बूटा सिंह : विशेषज्ञ समिति के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह निर्धारित मूल्य अंकित करने के मामले पर सुझाव दें, तथा इस पर विचार करें । यह उसमें हाल ही में जोड़ा गया है । इस बारे में मैं सदन की भावनाओं उन्हें से सदा अवगत करा सकता हूं कि वह इस पर भी ध्यान दे ।

अध्यक्ष महोदय : सदन आपकी सहानुभूति पर निर्भर है ।

श्री बूटा सिंह : यह भरपूर है ।

अध्यक्ष महोदय : न्याय और सहानुभूति दोनों ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मुझे भय है मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे वह बहुत भ्रान्ति पैदा कर रहे हैं । उन्होंने प्रारंभ में कहा कि मूल्य निर्धारित करना सरकार का काम नहीं है ।

श्री बूटा सिंह : वर्तमान कानून में ऐसा ही है ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्योंकि उनके अनुसार मुक्त बाजार में मूल्य मांग और पूर्ति नियम के आधार पर तय होते हैं । तब फिर पैकेट पर लिखा अधिकतम मूल्य कौन निश्चित करता है ? यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो कौन करता है ? कभी-कभी यह लिखा होता है "कि अधिकतम मूल्य में स्थानीय कर शामिल है ।" हम जानना चाहते हैं कि उस अधिकतम मूल्य को कौन तय करता है मूल्यों का निर्धारित सरकार नहीं करती। उनका कहना है कि मूल्य निर्धारित करना सरकार का कार्य नहीं है । इसका अर्थ है कि मूल्य निर्माता या स्टाकिस्ट या थोक व्यापारी तय करता है या मांगता है और सरकार बिना कोई आपत्ति किए इसे स्वीकार करती है । अब उनका कहना है यदि कोई अधिकतम मूल्य से अधिक मांगता है तो आप हमारे पास आएं और हम उस विक्रेता के खिलाफ, कार्रवाई करेंगे । फिर मूल्य कौन तय करता है ?

निर्माता जो मूल्य तय करता है, सरकार उसे स्वीकृति दे देती है और वही मूल्य पैकेट पर 'अधिकतम खुदरा मूल्य' के रूप में छाप दिया जाता है । ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, हम नहीं समझ पाए, अतः इसे विस्तार में बताइए । इससे उपभोक्ता को क्या मदद मिलती है ।

श्री बूटा सिंह : जैसा मैंने शुरू में ही बताया अधिकतम मूल्य निर्माता तय करता है । कुछ देशों, जैसे ब्रिटेन में यह खुदरा व्यापारी तय करता है परन्तु हमारे देश में यह निर्माता तय करता है । कानून में जो कहा गया है वह मैं माननीय सदस्य को पढ़ कर सुना सकता हूं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : कौन सा कानून ?

श्री बूटा सिंह : मानक तोल तथा माप (पैक वस्तु) नियम, 1977 तथा मानक तोल तथा माप अधिनियम, 1976।

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, आप संसद और संघ सरकार कानून बदल सकते हैं । राज्य सरकारें या कोई अन्य संगठन इसे नहीं बदल सकता । परन्तु यदि कोई कानून उपभोक्ता, उत्पादक के हित में नहीं हैं तो क्या हमें उस पर विचार नहीं करना चाहिए ?

श्री बूटा सिंह : यह सही है, हमें विचार करना चाहिए । जैसा मैंने कहा, सदन के विचारों को ध्यान में रखते हुए हम इस पर अवश्य ही विचार करेंगे । परन्तु इस समय मैं कानून के बाहर नहीं जा सकता । मुझे उसकी हद में ही काम करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप उससे बंधे हैं ।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, उचित दन दुकानों से दी जाने वाली चीनी की मात्रा एक सामान्य परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एकदम भिन्न है ।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, मैं उसी प्रश्न पर ही आ रहा हूं । प्रश्न यह है, कि क्या खुले बाजार में उपभोक्ता को कोई राहत दी जा सकती है । चीनी की उत्पादन लागत आपको पता है और **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : यह एक अलग प्रश्न है ।

श्री ए. चार्ल्स : मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आप चीनी के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि अगला प्रश्न है ।

श्री ए. चार्ल्स : जी नहीं, मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं । जिस आधार पर मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा, क्या सरकार आयातित और फैक्टरियों में निर्मित चीनी पर अधिकतम मुनाफा तय करने के लिए कोई नीति निश्चित करने का विचार कर रही है ताकि मूल्य वास्तविक लागत और वास्तविक आयात मूल्य के आधार पर तय किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री बूटा सिंह : इस प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री बूटा सिंह : आप चाहें, तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ।

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं प्रश्न की पूरी पृष्ठ भूमि बताना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप को कुछ बताना नहीं है । आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री नाथू राम मिर्धा : महोदय, आपके और सदन के दिमाग में एक भ्रान्ति है इसलिए मैं पूरे मामले को समझाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं । वह मंत्री महोदय देंगे । मेरे दिमाग में कोई भ्रान्ति है तो कोई बात नहीं, पर आपके और उनके में नहीं होनी चाहिए ।

श्री नाथू राम मिर्धा : महोदय, मैं सत्ता पक्ष का एक सदस्य हूं । मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया प्रश्न पूछिए । आपको स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल प्रश्न पूछें ।

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं सब बातों से परिचित हूं, क्योंकि यह कानून मैंने ही बनाया था । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें कानून निर्माता के प्रति सहानुभूति है । आप चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं ।..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कर रहा हूं जो सदस्य चाहते है

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे मंत्री महोदय से पूरी सहानुभूति है । यह सही है कि निर्माता यह ध्यान में रख कर मूल्य तय करता है कि व्यापारी निर्माता द्वारा निर्धारित मुनाफे से अधिक मुनाफा न कमाएं । इस प्रकार खुदरा मूल्य तय किया जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या आपने उससे मूल्य तय करने को कहा है? आप मूल्य तय नहीं करते, वह करता है । और आप चाहते हैं कि वह मूल्य पैकट पर छापा जाए । ऐसा क्यों ? आप चाहते हैं कि उपभोक्ता को व्यापारी न ठगें जबकि निर्माता उन्हें ठग रहे हैं और व्यापारी उन्हें नहीं ठग रहे हैं । आप उपभोक्ता का हित चाहते हैं । इस समय एक तो अधिकतम मूल्य ज्यादातर बहुत अधिक तय किया जाता है, दूसरे बाजार में इस अधिकतम मूल्य से भी अधिक वसूला जाता है ।

समूचा सदन यह पूछना चाहता है कि क्या उपभोक्ता की हितों के हनन को रोकने में आप लोगों की कोई भूमिका है या नहीं । यदि हों, तो वह क्या भूमिका है ?

श्री बूटा सिंह : मेरी भूमिका तब शुरू होती है जब कोई अधिकतम मूल्य से अधिक वसूली करता है । तब तक का काम निर्माता का है, जो मूल्य तय करता है । यदि व्यापारी मूल्य से अधिक पर बेचता है तो उस पर कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है । यह स्थिति है **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह स्पष्टतः अपनी जिम्मेदारी से बचना है । वे डा० सिंह के तर्क के आधार पर कह सकते हैं कि हम किसी नियंत्रण में विश्वास नहीं करते। सब बातें बाजार में तय होने दी जाए । वे यह तर्क दे सकते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ कदम उठाए गए हैं । यदि और उपाय करने की आवश्यकता पड़ी, सम्भवता वे ऐसा करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वे उससे सहमत नहीं हैं । वे अपनी जिम्मेदारी से बच रहे **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा, माननीय सदस्यों और अध्यक्ष महोदय के सुझावों को देखते हुए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों के विचारों को स्पष्ट कर रहा हूं और उन्हें आपके सामने रख रहा हूं और मेरे विचारों को मानना आपके लिए अनिवार्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : ये बड़े ही महत्वपूर्ण सुझाव है और हम माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करेंगे ।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : महोदय, जबकि व्यापारियों पर कुछ अंकुश लगाया गया है किन्तु निर्माताओं पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है । और अन्ततः हानि उपभोक्ता को होती है । फिर मूल्य छापने से क्या होगा ? उपभोक्ता को इससे क्या, कि अतिरिक्त मुनाफा निर्माता को हो रहा है या व्यापारी को ? उसे तो ठगा ही जा रहा है ।

श्री बूटा सिंह : यदि यह भारतीय जनता पार्टी का विचार है, मैं इसे स्वीकार करता हूं **(व्यवधान)**

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : इसमें भाजपा क्या कर सकती है ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्ट करे **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मंत्री महोदय ने जो कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपके पास व्यापारियों और निर्माताओं से उपभोक्ता की रक्षा का उपाय है । आपको इस पर प्रसन्न होना चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये । अच्छे सवाल को ऐसा करके खराब मत करिए ।

श्री अन्ना जोशी : इन्होंने बोल दिया कि बी.जे.पी. का व्यू है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह भाजपा का विचार है तो आपको और अधिक प्रसन्न होना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं । कृपया अनावश्यक रूप से भ्रांति न पैदा करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दाउ दयाल जोशी । यह गलत बात है ।

(व्यवधान)

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मेरा एक निवेदन है मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने कहा था उपभोक्ता को इससे क्या लेना-देना कि उसे व्यापारी ठगता है या निर्माता । हर तरह से उसे ही ठगा जा रहा है । इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा, कि यह तो भा.ज.पा. की नीति है । इससे उनका क्या अभिप्राय है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही बताया था कि यहीं कानून है । यदि कुछ और किया जा सकता है तो वह उस पर विचार करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि यही विचार एक पार्टी का है, तो यह और भी स्वीकार्य है ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, जिस सरकार के माननीय बूटा सिहं जी मंत्री है उसी सरकार के वित्त मंत्री ने इसी सदन में बजट के दरम्यान इस बात का बार-बार आश्वासन दिया है कि जो सुविधाएं इस देश के उद्योगपतियों को दी जा रही हैं अगर वे सुविधाएं उपभोक्ताओं तक नहीं पहूंचे तो सरकार सख्त कदम उठायेगी और वे सुविधाएं तक छीन लेगी क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं तक सुविधाएं पहुंचे और वे लाभान्वित हो । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह सदन की ही भावना नहीं है, देश की आम जनता के हित को ध्यान में रखना है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह कानून उसमें हस्तक्षेप करने, कीमतों को कम कराने व उपभोक्ताओं को लाभ दिलाने में बाधक बन रहा है तो क्या आप यह आश्वासन वित्त मंत्री जी की तरह देंगे कि आप हरसंभव कदम उठायेंगे, कानून में संशोधन भी कर देंगे, ताकि इस देश का आम आदमी उससे लाभान्वित हो सके तथा उसका नुकसान नहीं हो सके ।

श्री नाथू राम मिर्धा : आप किसी को भाषण दिलवा देते है और किसी को सवाल भी नहीं पूछने देते हैं । दो मिनट के लिए कभी-कभी खड़े होते हैं तो भी आप नहीं बोलने देते हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सलाह मानूँगा ।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : यह आपका जो रवैया है उस पर मुझे बहुत दुःख है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्वश्यन भी पूछिए, उस पर भाषण भी दीजिए ।

श्री नाथू राम मिर्धा : अभी यह इनका कैसा भाषण था ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । यह निर्णय करना आपका काम नहीं । यह मेरा काम है । मैं समझता हूं वे अपने अधिकार क्षेत्र में ही प्रश्न कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा : यह ठीक नहीं है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सीमा पार कर रहे है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, अभी माननीय श्री चन्द्रजीत यादव जी ने कहा है कि जो कन्सेशन बजट में दिए गए हैं उनका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने आज तक क्या अमल किया है, क्या चर्चा की है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो एक्साइज ड्यूटी कम की गयी उसके बारे में बाकायदा तमाम राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में सरकार की ओर से ज्ञापन दिए गए । उसके बाद देश के तमाम मुख्य मंत्रियों को मैंने स्वयं पत्र लिखे । यह लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए हमारे विभाग की ओर से भी सभी राज्य सरकारों को लिखा गया है और इसके लिए हम बाध्य है कि **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उनको बोलने दीजिए । अगर आपने प्रश्न पूछा है, आप कुछ नहीं सुनना चाहते हैं तो बैठ जाएंगे ।

श्री बूटा सिंह : इसके लिए वित्त मंत्रालय को दुबारा हमने लिखा है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठायें जिनको कन्सेशन मिलने के बाद भी उन्होंने लाभ उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाया है । सरकार उसमें सतर्क है, वचनबद्ध है । हम उसको फॉलो कर रहे हैं । अगर उसके रास्ते में कोई कानूनी अड़चन हुई, उसके लिए कानून का संशोधन करना पड़े तो हम इसके लिए प्रयास करने के लिए तैयार हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा ।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय देश के उपभोक्ताओं की रक्षा की जानी चाहिए । इसलिए, प्रत्येक वस्तु की लागत पर उचित मुनाफा लेकर ही कीमत तय की जानी चाहिए । यदि कोई इससे अधिक मूल्य पर उसे बेचता है तो उसे दण्ड संहिता के अर्न्तगत सजा दी जानी चाहिए। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार उचित मुनाफे से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचने वाले व्यापारियों या निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दण्ड की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है । मुनाफा कितना हो इसका प्रतिशत सरकार को तय करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : सभी विवरण आप न दें ।

श्री बूटा सिंह : पैकेट पर छपे अधिकतम मूल्य से अधिक वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था कानून में पहले ही से है । इसके लिए दंड भी दिया जा सकता है पर कार्रवाई राज्य सरकारों को करनी होगी । इस सम्बन्ध में उचित शिकायत होनी चाहिए उसी पर कार्रवाई की जा सकती है । ऐसा प्रावधान है कि पैकेट पर अंकित मूल्य से अधिक लेने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कुछ दिन पहले राजधानी एक्सप्रेस में जाते हुए मैंने बिस्किट का एक पैकेट खरीदा । पैकेट के अन्दर अधिकतम मूल्य 12.30 रुपए था पर पैकेट के बाहर ऑयल पेपर उसकी कीमत 30.00 रुपए लिखी थी । विक्रेता ने मुझसे 30 रूपऐ लिए । ऐसी परिस्थितियों में आम उपभोक्ता क्या करे ?

श्री बूटा सिंह : मूल्यों की घोषणा एक विशेष समय पर की जाती हैं उसे वस्तु के अनेक बेच होते हैं । यह सम्भव है कोई भिन्न बैच माननीय सदस्य को मिला हो । मेरे सत्य भी ऐसा हुआ था । अतः एक वस्तु के भिन्न-भिन्न समय के भिन्न-भिन्न बैच हो सकते हैं । यदि एक ही बैच हो और छपी कीमत अलग-अलग हो तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

श्री सैयद शहबुद्दीन : हम मुनाफे और मुनाफखोरी में अंतर करते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार निर्माता, थोक व्यापारी किसी के भी मुनाफाखोरी करने के खिलाफ है ।

श्री राम नाईक : क्या आपको विश्वास है ?

***श्री सैयद शहबुद्दीन :** उन्हें जनता ने चुना है, इसलिए मैं समझता हूं कि वे इसी

दिशा में सोचते होंगें । मैं महसूस करता हूं कि जिस समिति का जिक्र मंत्री महोदय ने किया उसके विचाराधीन विषय व्यापक होने चाहिए । समिति को चाहिए कि वह निर्माताओं, थोक व्यापारियों और दुकानदारों से उचित मुनाफा तय करने को कहें । पैकेट पर मूल्य छपने के बाद उससे अधिक मूल्य लेने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कानून को और कड़ा करने के लिए तैयार हों ?

श्री बूटा सिंह : जैसा मैंने पहले बताया कि मानक भार और भाप (पैक वस्तु) नियम 1977 में दण्ड की व्यवस्था है । माननीय सदस्य ने बड़ा उचित सुझाव दिया है, जिसे मैं पहले भी स्वीकार कर चुका हूं । ये सुझाव विशेषज्ञ समिति को भेजे जाएंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि माननीय सदस्यों के विचारों की ओर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले उचित ध्यान देगी ।

[हिन्दी]

श्री फूलचंद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह है कि उपभोक्ता सामग्री के पैकेट पर जो कीमत छपी रहती है, उससे अधिक दाम उपभोक्ता से वसूल किये जाते हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बिल्कुल स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ऐसी एजेंसी बनाई है जो इन सारी बातों को देखे कि उपभोक्ता की कहां लूट हो रही है, यदि लूट हो रही है तो लूट को रोकने के लिए उस एजेंसी द्वारा क्या कदम उठाये गये? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में क्या दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाही की गयी है ? यदि कार्यवाही की गई तो उसका सम्पूर्ण विवरण कया है ?

श्री बूटा सिंह : जैसा मैंने अभी कहा, इस काम के लिये हमने एक नेशनल कन्ज्यूमर कौंसिल बनाई है, एक राष्ट्रीय आयोग बनाया है जिसके शीर्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है जो कन्ज्यूमर्स की शिकायतों और उनकी ग्रीवैंस पर बाकायदा हियरिंग करते हैं और जहां कहीं कन्ज्यूमर एक्ट की कंट्रावैन्शन पाई जाती है वहां दोषी लोगों को दंड दिया जाता है। ऐसे कंज्यूमर फोरम और ज्यूडीशियल फोरम हर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बने हुये हैं । जहां तक माननीय सदस्य ऐसा विवरण जानना चाहते हैं कि देश भर में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाही की गयी या सजा दी गयी, मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार की तरफ से कंज्यूमर्स को प्रौटैक्शन देने के लिए जितने भी कांस्टीट्यूशनल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैप्स हो सकते हैं, उन्हें सरकार उठाने के लिए तैयार है और हम उन्हें उठा रहे हैं ।

इसलिए उपभोक्ता में जागृति आई है । यह एक बहुत ही अच्छा कदम है । इसके लिए हम सदन और कंजूमर कौंसिल दोनों का स्वागत करते हैं ।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में दोहरी मूल्य नीति चल रही है इसका क्या कारण है ? किसान जो अपना उत्पादन करता है उसका मूल्य सरकार तय करती है । गन्ने का उत्पादन मूल्य सरकार तय करती है । गेहूं का उत्पादन मूल्य सरकार तय करती है । औद्योगिक संस्थानों में जो उत्पादन होता है उसका मूल्य फैक्ट्री का मालिक स्वयं तय करता है ।

अध्यक्ष महोदय : राजवीर सिंह जी, देखिए, गलती हो जाएगी । गन्ने का मूल्य न्यूनतम होता है और मैन्यूफैक्चरर का मूल्य अधिकतम होता है । इसलिए कृपया ऐसी गलतफहमी नहीं फैलनी चाहिए ।

श्री राजवीर सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, गलतफहमी नहीं फैलेगी । मेरा कहना यह है कि क्या औद्योगिक घरानों में जो उत्पादन हो रहा है, जैसे कार बन रही है, ट्रैक्टर बन रहा है, क्या कभी सरकार ने उसके उत्पादन मूल्य का पता लगाया है और क्या कभी यह मालूम किया है कि उसके ऊपर औद्योगिक घराने को कितने प्रतिशत मुनाफा लेने का अधिकार है ? हमारे ऊपर तो आपने मिनीमम और मैक्सीमम प्राइस फिक्स कर दी और औद्योगिक निर्माता मनमाने ढंग से, मर्जी से मूल्य लेता चला जा रहा है। उस पर कोई रोक नहीं है । क्या उनके साथ आपकी ज्यादा सांठगांठ है ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि जो किसानों के लिए प्राइस फिक्स की जाती है वह किसान की रक्षा के लिए की जाती है ताकि उससे कम मूल्य पर गन्ना न खरीदा जाए और औद्योगिक निर्माता की जो प्राइस रखी जाती है वह मैक्सीमम होती है, वह उपभोक्ता के संरक्षण के लिए होती है ताकि उससे अधिक प्राइस न ली जाए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही है ।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : इसलिए दोनों नीतियां शुद्ध हैं। दोनों नीतियों का ध्येय देश और नागरिक की सेवा करना है ।

बाकी जो आपने फरमाया है कि जो मैंयूफैक्चरर है, उसके लाभ मार्जिन का मूल्यांकन किया जाए । अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बात को सजैस्ट किया है । मैंने कहा है कि हम इस फैक्टर को उस कमेटी के सामने रखेंगे । यदि वह एक्सपर्ट कमेटी इसके ऊपर अपनी राय बनाकर हमारे सामने आएगी, तो मैं उससे इस सदन को अवगत करवाऊंगा ।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, जो कमेटी फरवरी 1994 में बनाई है । इसकी रिपोर्ट 7-8 महीने के बाद आएगी । अभी मंत्री महोदय ने ऐसा ही कुछ बताया है । समस्या निर्माण होने के बाद कमेटी अपाइंट करो और समस्या को लटकाते रहो । शायद यह कांग्रेस का कल्चर हो सकता है । कांग्रेस का कल्चर यही है । अब इसमें से मेरा प्रश्न यह निकलता है कि क्या आपको लगाता है कि अपनी इस दसवीं लोक सभा के रहते हुए इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उस पर शासन निर्णय करेगा ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा अंदाजा करते हैं कि सितम्बर के महीने में यह कमेटी फाइनल मीटिंग कर के अपनी रिपोर्ट दे देगी और जैसे ही रिपोर्ट उपलब्ध होगी, सरकार उस पर विचार करेगी और सदन को अवगत करवाएगी ।

[अनुवाद]

चीनी का उत्पादन

762. **श्री हरिसिंह चाचड़ा :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान चीनी उत्पादक राज्यों में से प्रत्येक ने केन्द्रीय पूल में कितनी-कितनी चीनी दी, और

(ख) गत वर्ष की तुलना में चीनी के उत्पादन में राज्यवार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सरकार का चीनी का कोई केंद्रीय पूल नहीं हैं ।

(ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

1994-95 चीनी मौसम के दौरान 30 अप्रेल तक पिछले चीनी मौसम अर्थात 1993-94 के दौरान उसी तारीख को उत्पादन की तुलना में चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी/कमी की प्रतिशतता का ब्यौरा :-

क्रम सं.	राज्य	1993-94 मौसम (लाख टन) के दौरान 30 अप्रैल तक चीनी उत्पादन (अंतिम)	1994-95 मौसम (लाख टन)	1993-94 मौसम की तुलना में 1994-95 मौसम के दौरान प्रतिशत बढ़ोतरी (+) या कमी (-)
1.	पंजाब	3.22	3.14	(-) 2.48%
2.	हरियाणा	3.09	3.42	(+) 10.68%
3.	राजस्थान	0.15	0.18	(+) 20.00%
4.	उत्तर प्रदेश	26.68	34.35	(+) 28.75%
5.	मध्य प्रदेश	0.37	0.68	(+) 83.78%
6.	गुजरात	8.03	7.68	(-) 4.36%
7.	महाराष्ट्र	27.08	46.49	(+) 71.68%
8.	बिहार	2.14	3.57	(+) 66.82%
9.	असम	0.04	0.06	(+) 50.00%
10.	उड़ीसा	0.25	0.44	(+) 76.00%
11.	पश्चिम बंगाल	0.03	0.06	(+) 100%
12.	नागालैंड	0.03	0.01	(-) 66.67%
13.	आंध्र प्रदेश	6.11	8.04	(+) 31.59%
14.	कर्नाटक	6.81	10.60	(+) 55.65%
15.	तमिलनाडु	8.29	11.75	(+) 41.74%
16.	पांडिचेरी	0.36	0.48	(+) 33.33%
17.	केरल	0.02	0.07	(+) 250%
18.	गोवा	0.07	0.15	(+) 114.29%
	अखिल भारत	92.77	131.17	(+) 41.38%

(अ) अंतिम

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, मैंनं जो प्रश्न पूछा है, उसके पहले भाग का जवाब मंत्रालय ने नहीं दिया है और यदि दिया है, तो गलत दिया है, ऐसा मुझे लगता है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में जो फेयर प्राइस शापस हैं उनके माध्यम से जो चीनी उपभोक्ताओं को दी जाती है, वह कहां से आती है, तो आपने जवाब दिया है कि सरकार का चीनी का कोई केंद्रीय पूल नहीं है । तो ये फेयरप्राइस शाप्स जो हैं, इनमें मेरी जानकारी के अनुसार सेंट्रल पूल से शूगर आती है और मंत्रालय यहां यह जवाब दे रहा है कि हम उसका कोई रजिस्टर इत्यादि मैनटेन नहीं करते हैं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में चीनी का कितना उत्पादन होता है और कितनी कमी है ? यदि कमी है, तो चीनी के उत्पादन के लिए गवर्नमैंट क्या-क्या कदम उठाती है? किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित करती है और क्या उसकी कोई मांग है कि नहीं और उसके लिए गवर्नमैंट ने क्या कदम उठाए है ?

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, चीनी का डुअल प्राइसिंग सिस्टम है । एक लेवी प्राइस है जो पी.डी.एस. को दी जाती है और बाकी फ्री-सेल की शुगर है और वह गवर्नमैंट तय करती है कि फैक्ट्री का जितना प्रोडक्शन है उसका कुछ परसेंटेज सरकार लेवी प्राइस पर ले लेती है और बाकी की चीनी फ्री-सेल के लिए होती है ।

शुगर का कोई सैंट्रल पूल नहीं है । हर फैक्टरी अपना प्रोडक्शन रखती है । सरकार तय करती है कि कितना लेवी प्रोडक्शन लेना है । पिछले साल 40-60 का प्रपोर्शन था और उस हिसाब से उस लैवी को हम प्रदेश सरकारों को देते हैं । कोई सैंट्रल पूल हम मेंटेन नहीं करते हैं ।

दूसरा उनका कहना है कि शुगर फैक्टरी के लिए हम किसानों को क्या प्रोत्साहन देते हैं? शुगर फैक्टरी के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम उनको लाइसेंस देते हैं । यह तो फैक्टरीज के ऊपर है कि वे कितना गन्ना बोयें, कितना प्राइस उनको मिलता है, उस हिसाब से वे गन्ना बोयेंगें । इस साल जैसे हम ऐस्टीमेट कर रहे हैं कि 143 लाख टन प्रोडक्शन होना है तो इसके लिए हम उनको तरह-तरह से प्रोत्साहन देते रहते हैं । शुगर प्रोडक्शन की कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है ।

श्री हरिसिंह चावड़ा : इन दो सालों के दरम्यान कितनी शुगर आयात की गयी है और जो शुगर आयात की गई है, उसकी कीमत क्या थी ? तथा देश मे उपलब्ध शुगर की कीमत क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय : शुगर के प्राइस के ऊपर दूसरा प्रश्न है, उसके ऊपर पूछा भी जा सकता है । आप प्रोडक्शन के ऊपर बोल रहे है । यहां एक के बाद एक प्रश्न हैं । प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना है या कितना प्रोडक्शन है, आप उस पर बोलिये ।

श्री हरिसिंह चावड़ा : जो आंकड़े दिखाई दे रहा हैं, उसके हिसाब से 4-5 स्टेटों में शुगर का प्रोडक्शन कम होने की वजह से उसकी आमदनी कम हो गयी है । वह प्रोडक्शन जो कम हुआ है, उसके लिए इन स्टेटों में क्या किया जाता है तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जाता है ?

श्री अजित सिंह : पिछले साल की अपेक्षा इस साल केवल पंजाब और गुजरात में ही थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ है और वह भी दो या चार परसेंट तक ही है । हो सकता है कि वैदर के हिसाब से उतना गन्ना पैदा न हुआ हो या खंडसारी में चला गया हो तो कोई सिगनीफिकेंस कमी इस बारे में नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय इस वर्ष चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है, हमें आशा है यह 96 लाख टन से बढ़कर 145 लाख टन हो जाएगा । गत वर्ष की स्थिति फिर से न हो, इस कारण सरकार ने 10 या 15 लाख टन का अतिरिक्त भण्डार रखने का निर्णय किया है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने चीनी का अतिरिक्त भंडार रखने और चीनी मिलों से चीनी लेने का ठोस निर्णय लिया है ताकि चीन मिलें गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान किसानों को कर सके ?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : अभी इसके बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि शुगर प्रोडक्शन के फाइनल फिगर अभी तक नहीं आये हैं । लेकिन किसानों

को पूरा मूल्य मिल सके, इसके लिए हम जागरूक हैं और अगर जरूरत होगी तो हम यह वफर स्टॉक बनायेंगे ।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : बफर स्टॉक की तो प्राब्लम है ।

श्री अजित सिंह : नहीं है ।

चीनी का मूल्य

★ 763. श्री इंद्रजीत गुप्तः
श्री प्रमथेश मुखर्जीः

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान चीनी के निर्धारित मूल्यों का ब्यौरा क्या है तथा ये मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जा रही चीनी के वर्तमान मूल्यों की तुलना में किस वर्ष कितने प्रतिशत कम या अधिक रहे;

(ख) क्या देश में चीनी का निश्चित मूल्य निर्धारण न होने के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या चीनी के आयात के बावजूद उपभोक्ताओं की परेशानी बिलकुल कम नहीं हुई है और उन्हें खुले बाजार में चीनी अधिक मूल्य पर खरीदनी पड़ती है तथा बाजार में इसकी कमी भी बनी रहती है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय चीनी मूल्य निर्धारण बोर्ड गठित करने का है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (च) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 17.2.1993 से 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम और 1.2.1994 से 9.05 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की गई लेवी चीनी देश भर में उपर्युक्त एक समान खुदरा निर्गम मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेची जानी होती है ।

(ख) दोहरी मूल्य प्रणाली सहित आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन, प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के उत्पादन की 40 प्रतिशत मात्रा (विभिन्न प्रोत्साहन स्कीमों के कारण प्रभा औसत लगभग 33 प्रतिशत) देश भर में एक समान खुदरा निर्गम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतू लेवी चीनी के पूर्व निर्धारित निकासी मूल्यों पर वसूल की जाती है । शेष मात्रा बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर खुले बाजार में बिक्री करने के लिए मुक्त बिक्री की चीनी के रूप में विनियमित ढंग से रिलीज की जाती है ।

(ग) मार्च, 1994 से चीनी को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है । इस सुविधा के अधीन, सरकारी एजेन्सियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमी को पूरा करने के लिए 9.77 लाख मीटरी टन चीनी का आयात किया था । इसके अलावा लगभग 9.84 लाख मीटरी टन (अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार) चीनी विभिन्न प्राइवेट पार्टियों द्वारा आयात की गई थी । इस आयात ने खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को कम करने में वांछित प्रभाव डाला था । चीनी का थोक मूल्य सूचकांक जो जून, 1994 में 247.1 पर था, अक्तूबर, 1994 में गिरकर 228.0 और मार्च, 1995 में और गिरकर 218.4 पर आ गया ।

(घ) से (च) 6.5.1995 को आयोजित चीनी मंत्रियों के पिछले सम्मेलन के दौरान अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गन्ने के लिए राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण बोर्ड के गठन करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था लेकिन इस संबंध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद ही किया जाएगा ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : विवरण को देखने के बाद, मुझे ऐसा भय लग रहा है कि हाल के चीनी घोटाले के समान एक और चीनी घोटाला होने वाला है, भले ही यह चीनी घोटाला दूसरे ही प्रकार का हो। हम सभी जानते है पिछली बार चीनी की भारी कमी थी और उत्पादन में गिरावट आई थी । अनेक ओर से सरकार को चेतावनी दी गई थी । कि यदि समय पर आयात नहीं किया गया तो भारी कमी होने और मूल्यों के बढ़ने की आशंका है । सरकार ने, जैसा कि हम सब जानते है, निर्यात का निर्णय लेने में काफी विलम्ब किया और चीनी का मूल्य एक समय बढ़ कर 18 या 20 रुपए तक पहुंच गया । चीनी मिल मालिकों और थोक व्यापारियों ने भारी मुनाफा कमाया ।

महोदय में जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस वर्ष भी जबकि रिकार्ड उत्पादन 145 लाख टन तक होने वाला है, चीनी का आयात करने का ठेका कर रही हैं समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार छपा है तथा उसे अभी तक गलत नहीं बताया गया है मुझे यह निश्चित रूप से नहीं मालूम कि कितनी मात्रा का आयात किया जा रहा है, यह मंत्री महोदय बता सकते हैं । जब देश में भरपूर फसल होने वाली है तथा वे अतिरिक्त भंडार रखने की बात भी कर रहे है तब वे चीनी का आयात क्यों कर रहे हैं ? इस आधार पर इस पर इतना बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है? जबकि इसकी आवश्यकता थी उस वर्ष आयात करने में इतना विलम्ब किया कि संकट पैदा हो गया । इस बार उसका उत्तर है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है ?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, पिछले साल चीनी की कमी थी और हमने बाहर से इम्पोर्ट की । पिछले साल दिसम्बर में यह निर्णय लिया गया क्योंकि उस समय इस साल के प्रोडक्शन का ऐस्टीमेट, जो जनवरी में था, 118 लाख टन था और दिसम्बर में तो और भी कम था । जब यह निर्णय लिया गया था, उस समय बम्पर प्रोडक्शन का ऐस्टीमेट नही था । उस समय 5 लाख टन इम्पोर्ट करने का निर्णय लिया गया था और मार्च-अप्रैल में जब प्रोडक्शन का ऐस्टीमेट बढ़ा तब तक 4 लाख टन का कौन्ट्रैक्ट किया जा चुका था, बाकी के एक लाख टन को कैन्सल कर दिया क्यों कि इस बार प्रोडक्शन ज्यादा है ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या 4 लाख टन खरीदना ही पड़ेगा ?

श्री अजित सिंह : 4 लाख टन का कौन्ट्रैक्ट हो चुका था । पहले उसे जुलाई-अगस्त में ला रहे थे लेकिन फिर उसे सितम्बर के लिए रोल कर दिया । बाकी बफर स्टॉक बनाना है, एक्सपोर्ट करना है या क्या करना है, इसके बारे में सरकार तब निर्णय लेगी जब फाइनल फर्म प्रोडक्शन फिगर आ जाएंगी ।

[अनुवाद]

श्री इंद्रजीत गुप्त : इसी कारण मुझे भय कि एक बड़ा घोटाला होने जा रहा है । यह बड़े ही अचरज की बात है कि वास्तविक उत्पादन का अनुमान लगाने वाली सरकार की एजेन्सी उदाहरण के लिए प्रत्येक मौसम में होने वाली कुल उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी और आयात-निर्यात करने वाली एजेंसी के बीच तालमेल

नहीं है उनका कहना है कि उन्हें पता नहीं कि इस बार भरपूर फसल होगी या नही। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कौन से सरकारी विभाग हैं जो पूरी तरह बिना तालमेल के काम करते हैं। एक को पता नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है।

दूसरे विवरण कहा गया है कि चीनी को मार्च, 1994 से आयात के लिए खुली सामान्य लाइसेंस सूची में रखा गया है। अब हम 1995 के आधे में पहुंच चुके है। विवरण में बताया गया है कि खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सरकारी एजेंसियों ने 9.77 लाख टन चीनी का आयात किया जबकि निजी एजेंसियों ने 9.84 लाख टन का। दोनों को मिलाकर 19.61 लाख टन होता है। यह आयात खुली सामान्य लाईसेंस सुविधा के अन्तर्गत किया गया। इस सारी चीनी का आयात किया गया और अब उन्होंने फिर 5 लाख टन का आयात करने का ठेका किया है, जिसमें से एक लाख टन का ठेका वे रद्द कर चुके हैं वे शेष 4 लाख टन का ठेका रद्द नहीं कर सकते। इस प्रकार यह 4 लाख टन चीनी भी देश में आएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बार उन्हें फालतू चीनी होने और कीमतों के गिरने का सामान्य करना पड़ेगा। क्या लेवी चीनी के मूल्य में और खुले बाजार में भी चीनी का मूल्य गिरेगा? उन किसानों का क्या होगा जिनके गन्ने का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है ? क्या उनकी समस्या का कोई समाधान किया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा कि कौन-सी एजेंसी इम्पोर्ट करती है, कौऔर्डिनेशन नहीं है। ऐसी बात नही है। हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ऐस्टीमेट लेते हैं, ऐस्मा, जो शुगर मैनुफैक्चर की और्गनाईजेशन है, वह भी ऐस्टीमेट देती है, कौपरेटिव्ज भी ऐस्टीमेट देती हैं, सैक्रेटरीज की एक कमेटी भी है। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि यह इम्पोर्ट करना है।...**(व्यवधान)** जनवरी के ऐस्टीमेट की फिगर मेरे पास हैं जो 118 लाख टन है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एम.एम.टी.सी. या एस.टी.सी. अपने आप शुगर इम्पोर्ट कर रहे हैं। उस समय यह तय हुआ था कि 5 लाख टन इम्पोर्ट करना है। चीनी कितनी पैदा होगी, यह बहुत सी चीजों पर डिपैंड करता है। दिसम्बर में पूरी तरह से यह ऐस्टीमेट करना मुश्किल होता कि शुगरकेन क्रॉप कितना होगा। वह गुड और खंडसारी में डायवर्ट होगी।

पिछले साल चीनी कम बनी, उसका एक कारण यह भी था कि बहुत सा शुगरकेन गुड़ और खांडसारी में गया था। हर महीने हम अपने एस्टीमेट को अपडेट करते रहते हैं जिस समय यह निर्णय लिया गया था, वह इसलिए लिया गया था कि जो डर माननीय सदस्य को है, जिस तरह से चीनी की कमी पिछले साल हुई थी, इस साल न हो, इसलिए प्रीकाशनरी मैजर में, ठीक है कि चीनी ज्यादा हो जाती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह निर्णय उस समय लिया गया था।

जहां तक आपका कहना है कि चीनी के दाम लेवी प्राइस में कम या ज्यादा है, तो लेवी प्राइस फरवरी, 1994 में बढ़ाया गया था। उसके बाद आप जानते है कि केन प्राइस भी बढ़े हैं, कास्ट आफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ी है, कास्ट आफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है, उसके बावजूद उपभोक्ताओं के लिए चीनी कम दाम पर मिले, इसलिए हमने उसका दाम नहीं बढ़ाया है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या कम दाम है, नौ रुपये से ऊपर है।

श्री अजित सिंह : आपने अभी चिन्ता जाहिर की थी कि किसानों को उचित दाम मिलने चाहिए। चीनी उद्योग में आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा। शुगर प्राइस भी स्टेबल रहे, जो प्रोडयूसर है, उसको रैम्यूनरेटिव प्राइस भी मिले। अगर इण्डस्ट्री वायबल नहीं रहेगी तो आप किसानों की जो एरियर्स की बात उठा रहे हैं, वह सवाल भी उठेगा। इसलिए जैसा में कह रहा हूं कि फरवरी, 1994 से लेवी शुगर के प्राइस नहीं बढ़ाये गये हैं। जो ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्रोडक्शन है, अभी जो सदस्यगण बूटा सिंह जी से सवाल कर रहे थे कि आप कोई एस्टीमेट करते हैं कि नहीं कि मैन्यूफैक्चरर्स की कास्ट क्या है, इसमें बीआईसीपी कास्ट बताती है कि क्या कास्ट है। आज हम कंज्यूमर से लेवी शुगर का जो चार्ज कर रहे हैं, वह उस कास्ट से कम है।

जहां तक दाम बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास पिछले तीन चार महीने के चीनी के दाम हैं। दिल्ली में मई में चीनी का दाम 13 रुपये था, अप्रैल में 13 रुपये था, मार्च में 13 रुपये था। जनवरी से चीनी के दाम 13 और 13.25 रुपये प्रति किलो के बीच में दिल्ली में हैं। यही बंबई में हैं, वहां 13 और 14 रुपये प्रति किलो के बीच में रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं, कभी एक रुपये कम हुआ है, कभी एक रूपया ज्यादा हुआ है। पिछले साल जून में चीनी के दाम जो बढ़े थे, उसके पीछे इम्पोर्ट की चीनी एक कारण हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा कारण यह था कि जून में चीनी बहुत कम रिलीज की गई थी। मेरे ख्याल से शायद 5.75 लाख टन, मेरा अंदाज है, इसके आसपास रिलीज की गई थी लेकिन इस साल जून में सात लाख टन चीनी हमने फ्री सेल में रिलीज की है।

जहां एक एरियर्स का सवाल आपने उठाया था, 600 करोड़ रुपये अभी किसानों के बाकी थे। यह मार्च के आखिर की खबर है। यह नम्बर बहुत ज्यादा है और हमें इसकी चिन्ता है। हमने हर एक प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा है कि कानून के अनुसार 15 दिन के बाद शुगर मिल को फार्मर्स को इण्टरैस्ट देना चाहिए और आप इसको एन्फोर्स कीजिए, लेकिन 600 करोड़ की फीगर बहुत ज्यादा है। फिर भी इस साल यह 13 परसेंट है, पिछले साल को छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले से पिछले साल 28 परसेंट और 30 परसेंट तक शुगरकेन के एरियर्स किसानों के हुए थे। इस साल गन्ना बहुत हुआ है, चीनी का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में पेमेंट है, लेकिन अभी यह 13 परसेंट है। हम कोशिश कर रहे है कि इसको कम किया जाय और किसानों को अपनी फसल का दाम जल्दी मिल सके।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेश मुखर्जी : महोदय, विवरण को देखने से मुझे लगा है कि वह संतोषजनक नहीं है। लगता है सरकार चीनी की वर्तमान स्थिति और उससे आम लोगों को होने वाली कठिनाईयों से अवगत नहीं है।

महोदय, मेरे दो प्रश्न है, पहला यह कि इस समय चीनी का कितना भंडार है तथा उचित दर दुकानों से इसे उपभोक्ताओं में वितरित करने की क्या व्यवस्था है? क्या चीनी का मूल्य बढ़ाने के लिए शीरे पर शुल्क कम करने की कोई योजना है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : इस समय तो मेरे पास इसके फीगर्स नहीं हैं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि सात मई तक 133 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन हो चुका है। चीनी के स्टाक में किसी कमी की आशंका आप न रखें।

साथ ही मोलैसिज की ड्यूटी के बारे में पूछा। मोलैसिज की ड्यूटी इम्पोर्ट के 40 परसेंट **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रमथेश मुखर्जी : मंत्री महोदय कृपया आंकड़े दीजिए।

श्री अजित सिंह : आंकड़े किसके ?

श्री प्रमथेश मुखर्जी : मैं वर्तमान स्टाक के आंकड़े जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : मैंने पहले ही कहा है कि 7 मई तक 133 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। अभी तक हम शायद लगभग 57 लाख टन फ्री सेल शुगर रिलीज कर चुके है।

अध्यक्ष महोदय : वह 40 परसेंट हो जाता है।

श्री अजित सिंह : इसमें प्लस लेवी शुगर लगा कर हर महीने 3.35 लाख टन का हिसाब लगा कर बता सकता हूं। इसके बारे में मैं पत्र लिख दूंगा। हमारे यहां शुगर की कोई कमी नहीं है। मोलैसिज पर 10 परसेंट ड्यूटी कर दी गई है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, समय अभाव के कारण मैं 2-3 प्वाइंट्स ही यहां उठाऊंगा। शूगर फैक्ट्रियां अपने मजदूरों को प्रति माह लेवी रेट पर चीनी देती हैं। जो किसान मिलों को गन्ना सप्लाई करते हैं, क्या वहां के मजदूरों को भी मिल रेट पर लेवी के भाव पर चीनी खाने को मिलेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दक्षिण भारत की मिलों का कॉस्ट आफ प्रोडक्शन उत्तर भारत की मिलों की तुलना में कम है। इनकी रिकवरी डाउन है और उनकी रिकवरी ऊंची है। इनकी उपज कम है, उनकी उपज ज्यादा है। लेवी की चीनी दोनों जगह एक रेट पर होती है। इससे यहां घाटा होता है। ऐसी दशा में क्या आप उत्तर भारत की चीनी मिलों के साथ कोई रियायत करेंगे ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि अभी आपने मोलैसिज के बारे में (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : टाइम हो गया है।

श्री राम नगीना मिश्र : आपने गन्ने के दाम के बारे में कहा। मैंने दस बार यहां कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान मर रहा है। वहां हाहाकार मचा हुआ है। बच्चों का विवाह करना उसके लिये मुश्किल हो गया है (**व्यवधान**) आप कब तक गन्ना किसानों को दाम दिलायेंगे ?

श्री अजित सिंह : पहले सवाल में पिछले साल का क्लोजिंग स्टाक पूछा था, उसका हिसाब लग गया है।

[अनुवाद]

7 मई को हमारे पास 91 लाख टन से अधिक भंडार था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को दाम मिल सकें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को लिखा। उसका इम्पलीमैंटेशन करना प्रदेश सरकार के हाथ में है। जिस तरह से वह रेवेन्यू रिकवरी कर सकता है, उसी तरह सरकार को भी अधिकार है कि वह किसानों को गन्ने के मूल्य दिला सके। मैंने पहले भी लिखा था और फिर लिखूंगा कि वह एरिअर्स का जल्दी पेमैंट कर दें। माननीय सदस्य ने लेवी शुगर का भी सवाल उठाया। लैवी प्राइस पी.डी.एस. के लिये एक है लेकिन हरेक जोन में फैक्ट्रियों को कितनी लेवी शूगर की कॉस्ट दी जाती है, वह अलग-अलग है। इसके लिये अलग-अलग जोन बने हुए हैं, रिकवरी के आधार पर और बहुत से दूसरे आधारों पर।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

केंद्रीय विद्यालयों पर व्यय

★764. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अत्यन्त कम है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों पर होने वाले व्यय को योजना-व्यय के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में छात्रों पर 1993-94 में व्यय की गई प्रति छात्र राशि क्रमशः 2710/- रुपए और 9889/- रुपए है।

(ग) और (घ) नवोदय विद्यालय योजना को प्रारंभ से पर्याप्त योजनागत निधि प्रदान की गई है और नवोदय विद्यालयों समिति के लिए 1995-96 के वास्ते 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए योजनागत निधियों की व्यवस्था 1995-96 में पहली बार की गई है और वह व्यवस्था 10.50 करोड़ रुपए की है।

ध्वनि प्रदूषण

★765. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार शहरी ध्वनि प्रदूषण का कितना स्तर स्वीकार्य है तथा भारत के प्रमुख कस्बों/शहरों में ध्वनि का स्तर कितना-कितना है;

(ख) इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न स्थानों/शहरों में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ड) सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत स्वीकार्य शहरी शोर स्तर निर्धारित किये गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1990-1994 के दौरान देश के प्रमुख शहरों में ध्वनि प्रदूषण का सर्वेक्षण किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शोर के स्तर औद्योगिक क्षेत्रों में आम तौर पर निर्धारित सीमाओं के भीतर पाये गए हैं परन्तु वाणिज्यिक, आवासीय तथा शान्त क्षेत्रों के संबंध में कतिपय समय के दौरान ये मानक निर्धारित सीमा को पार कर जाते हैं। इन शहरों में शोर बढ़ने की प्रवृति का कारण वाहन यातायात सहित मानवीय गतिविधियों में वृद्धि है।

(ड) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत ध्वनि सीमायें 1930 :

1	2
पर्यावरण	स्वीकृत अधिकतम स्तर
औद्योगिक/व्यावसायिक	75 डेसीबल

1	2
सामुदायिक/शहरी दिन के समय	55 डेसीबल
रात के समय	45 डेसीबल
घर के भीतर/घरेलू	
दिन के समय	45 डेसीबल
रात के समय	35 डेसीबल

भारत के उन बड़े शहरों की सूची जहां ध्वनि प्रदूषण का सर्वेक्षण किया गया है:

क्र.सं.	शहर	क्र.सं.	शहर
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	10.	हैदराबाद
2.	औरंगाबाद	11.	इंदौर
3.	बंगलौर	12.	जयपुर
4.	भोपाल	13.	कानपुर
5.	बंबई	14.	लखनऊ
6.	कलकत्ता	15.	मद्रास
7.	कोचीन	16.	मंगलौर
8.	कोयम्बटूर	17.	बड़ोदरा
9.	दिल्ली	18.	विशाखापत्तनम

(ड) सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

ध्वनि प्रदूषण को संशोधित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1987 में शामिल किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा शान्त क्षेत्र) के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु मानक अधिसूचित किए गए हैं।

वाहनों, घरेलू उपकरणों तथा निर्माण उपकरणों के लिए, उनके विनिर्माण के चरण में ही, ध्वनि सीमायें भी निर्धारित की गई हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों तथा वाहनों को छोड़कर स्रोत पर ध्वनि नियंत्रण के लिए प्रक्रिया संहिता विकसित की है। इनमें शामिल है. जन-संबोधन प्रणाली, वायुयान संचालन, रेल संचालन, निर्माण गतिविधियां तथा पटाखें छोड़ना। राज्य सरकारों से संबंद्ध स्थानीय नियमों के तहत इन प्रक्रिया संहिताओं को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है।

भारी वाहनों के यातायात को विनियंत्रित करना तथा आवासीय क्षेत्रों से उद्योगों को अलग करना।

पर्यावरणीय दायित्व के बारे में सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता अभियान आरम्भ किए गए हैं।

[हिन्दी]

बागवानी उत्पादों के लिये विपणन

★766. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पादों का विपणन बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयासों को तेज करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय विभिन्न राज्यों मे इस उत्पादों के विपणन हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या कुछ राज्यों में पैदा किए जा रहे फलों के बारे में प्रचार और इनके विपणन को कम महत्व दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं ;

(ड) क्या केंद्रीय सरकार का विचार बुनियादी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा कृषि-बागवानी क्षेत्र के लिए फसलोत्तर प्रौद्योगिकी के बारे में प्रचार करने का है।

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(छ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत को गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार शीत भंडारों और पूर्व शीतन सुविधाओं, ग्रेडिंग/पैकिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेफ्रीजिरेटेड परिवहन सुविधाओं आदि जैसी मंडी संबंधी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सहायता दे रही है तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंडी आसूचना सहायता, संवर्धन और सामान्य प्रचार सुलभ करा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ड) जी, हां।

(च) और (छ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने बागवानी उत्पादों के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिये निम्नालिखित योजनाएं आरम्भ की हैं :-

योजनाएं	परिव्यय (रूपये लाखों में) आठवीं योजना 1995-96
1. **कृषि और सहकारिता विभाग की योजनाएं**	
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं	
(क) फलों और सब्जियों के संबंध में फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के	

	प्रबन्ध पर समेकित परियोजना ।	4700	1500
(ख)	उदार ऋण सहभागिता के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास	5000	1650
(ग)	फलों के रस/फलों पर आधारित पेय पदार्थों के विपणन हेतु वैकल्पित ढांचा ।	135	30
(घ)	बागवानी फसलों के लिये मंडी सूचना सेवा	1150	150
	विभाग द्वारा संचालित योजनाएं		
(ड)	मसालों के विपणन् को बढ़ावा देना ।	90	10
(च)	मसालों के मूल्य वर्धित उत्पादों के विपणन हेतु किसानों की सहकारी संस्थाओं की स्थापना ।	100	---
(छ)	कोको का विपणन् और प्रसंस्करण ।	30	2.50
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं		
(ज)	फल और सब्जी विपणन् सोसायटियों को सहायता ।	1225	485
(झ)	प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए सहायता ।	125	10
(अं)	शीत भण्डारण सुविधाएं	1400	225
II	**अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी योजनाओं के अन्तर्गत किए गए आबंटन ।**		
(क)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	---	1550
(ख)	वाणिज्य मंत्रालयः		
1.	एपेडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य) उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	---	4630
2-	मसाला बोर्ड	---	194

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश

★767. **श्री के.जी. शिवप्पा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर छात्रों को विद्यालयों में और विशेष रूप से नवोदय विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले छात्रों के लाभार्थ सरकार की कोई विशेष योजना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना में परिवर्तन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नवोदय विद्यालय केवल कक्षा 6 में नए छात्रों को दाखिल करते हैं, उसके बाद नहीं । इस योजना में अन्य विद्यालयों से स्थानान्तरण पर आने वाले छात्रों के प्रवेश के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों को मूलतः केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था के लिए खोला गया है ।

(ग) और (घ.) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद

★768. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और चावल की खरीद राज्यों की वास्तविक मांग के बराबर की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्यवार इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) रबी/खरीफ विपणन मौसम 1994-95 के दौरान वसूल किए गए गेहूं और चावल की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1994-95 के दौरान राज्यों द्वारा उठाई गई मात्रा से अधिक थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान गेहूं और चावल की वसूली और उठान (अनंतिम) के राज्यवार ब्यौरे :-

(लाख मीटरी टन में)

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल वसूली (22.5.95 को स्थिति के अनुसार)	चावल उठान	गेहूं वसूली	गेहूं उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	33.00	21.88	--	1.10
2.	अरूणाचल प्रदेश	--	0.75	--	0.14
3.	असम	0.01	3.11	--	2.77
4.	बिहार	0.01	0.40	नग.	2.22
5.	गोवा	--	0.39	--	0.17
6.	गुजरात	0.05	1.88	--	3.79
7.	हरियाणा	14.06	0.06	30.47.	0.31
8.	हिमाचल प्रदेश	--	0.39	नग.	1.18
9.	जम्मू तथा कश्मीर	--	1.54	--	1.10
10.	कर्नाटक	0.43	6.49	--	2.69
11.	केरल	--	11.18	--	3.87

1 2	3	4	5	6
12. मध्य प्रदेश	7.50	1.62	0.66	1.43
13. महाराष्ट्र	0.62	2.85	--	4.64
14. मणिपुर	--	0.31	--	0.13
15. मेघालय	--	1.13	--	0.24
16. मिजोरम	--	0.80	--	0.17
17. नागालैंड	--	0.76	--	0.59
18. उड़ीसा	3.14	1.93	--	1.82
19. पंजाब	58.21	0.01	72.85	0.02
20. राजस्थान	0.24	0.15	0.65	5.28
21. सिक्किम	--	0 34	--	0.08
22. तमिलनाडु	2.90	12.24	--	1.55
23. त्रिपुरा	--	1.26	--	0.08
24. उत्तर प्रदेश	6.54	1.97	14.06	2.03
25. पश्चिम बंगाल	1.36	4.34	--	7.52
26. अंडमान और निकोवार द्वीपसमूह	--	0.00	--	0.00
27. चंडीगढ़	0.23	0 04	--	0.01
28. दादर और नगर हवेली	--	0.00	--	0.00
29. दमन और दीव	--	0.02	--	0.00
30. दिल्ली	0.04	0.54	--	2.05
31. लक्षद्वीप	--	0.07	--	0.00
32. पांडिचेरी	--	0.03	--	0.00
जोड़	128.34	78.48	118.69	46.98

नोट : उठान : अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 तक वसूं
वसूली : चावल-अक्तूबर, 1994 से 22 मई , 1995 तक
गेहूं : अप्रैल, 1994 से मार्च, 1995 तक
नग : 500 मीटरी टन से कम

गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर और तमिलनाडु केन्द्रीय पूल में चावल का अंशदान नहीं देते हैं ।

नेहरू युवा केन्द्र

★769. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवा केन्द्र जिला संगठन समितियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं,

(ख) क्या इन समितियों में कोई जन प्रतिनिधि विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं से शामिल किए जाते हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें इन समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) प्रत्येक नेहरू युवा केन्द्र का प्रधान युवा समन्वयक होता है । नेहरू युवा केन्द्रों (एन.वाई.के.) के कार्यक्रमों और कार्यकलापों का आयोजन युवा समन्वयक द्वारा किया जाता है । तथापि, नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु जिले में अन्य विभागों तथा एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यक्रम जिला सलाहकारी समिति (जिसे पहले जिला आयोजन समिति कहा जाता था) प्रत्येक ऐसे जिले में स्थापित की गई हैं जहां नेहरू युवा केन्द्र विद्यमान हैं । जिला सलाहकार समिति की अध्यक्षता जिलाधीश/जिलों के उपायुक्त द्वारा की जाती है और युवा समन्वयक इसके सदस्य सचिव होते हैं ।

अतः युवा कार्यक्रम जिला सलाहकार समिति युवा समन्वयकों को मार्गदर्शक प्रदान करती है तथा जिले में अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ उपयुक्त सांमजस्य स्थापित करने को सुनिश्चित करती है ।

(ख) युवा कार्यक्रम जिला सलाहकार समिति के 17 सदस्यों में से 6 गैर-सरकारी सदस्य हैं । तथापि, समिति की संरचना में इस का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या लोक प्रतिनिधि, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रतिनिधियों को भी सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है अथवा नहीं ।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

नया रेल जोन

★770. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेल यातायात को बेहतर और कारगर बनाने हेतु देश के दक्षिण पश्चिमी भाग के लिए एक नये रेल जोन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) एक आमान परियोजना और कोंकण रेलवे के निर्माण को देखते हुए जोनों और मंडलों के मौजूदा भौगोलिक विभाजन की जाँच करने के लिए गठित अध्ययन दल ने इसको युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया है । इस प्रक्रिया से कुछ नए जोनों और मंडलों का सृजन भी आवश्यक हो सकता है और इस संबंध में प्रस्ताव और अन्य संबंधित मामले तैयार करने हेतु आगे कार्रवाई की जा रही है ।

[हिन्दी]

चिड़ियाघर

★771. **श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न स्थानों पर अनधिकृत रूप से चिड़ियाघर खोले जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चिड़ियाघरों के लिए पशु और पक्षी अन्य चिड़ियाघरों अथवा संरक्षित स्थानों/क्षेत्रों से लाए जा रहे हैं ;

(घ) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ड) इस प्रकार के चिड़ियाघरों पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि उससे मान्यता लिए बिना कुछ चिड़ियाघरों की स्थापना की गई है ।

(ख) नारायणपुर डियर पार्क, पश्चिम बंगाल, थंजावल डियर पार्क, मिजोरम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट डियर पार्क, डोनी मलाई, कर्नाटक, सूर्यवन चिड़ियाघर, महाराष्ट्र, भद्रा चिड़ियाघर, मध्यप्रदेश, तथा परासिनिक्काडानू सर्प उद्यान, केरल ऐसे चिड़ियाघर हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ड) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इन चिड़ियाघरों पर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें और भविष्य में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी लिए बिना किसी चिड़ियाघर की स्थापना की अनुमति न दें ।

कृषि उत्पादन

★772. **श्री राजेश कुमार :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष मृदा और मौसम आदि के आधार पर ऐसे विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया है जिससे देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सार्वजनिक जानकारी हेतु इन क्षेत्रों के नक्शे प्रकाशित किए गए थे जिससे सामान्यतया किसान लाभान्वित होते;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन क्षेत्रों में अधिक पैदावार देने वाली फसलों के बारे में प्रचार करने हेतु कोई व्यवस्था की है ;

(ड) यदि हां, तो इस प्रकार की गई व्यवस्था की रूपरेखा क्या है; और

(च) वर्ष 1994 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त योजना के प्रबंधन और पता लगाए गए क्षेत्रों से संबंधित नक्शों के प्रकाशन पर कुल कितना व्यय किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर ने 1990 में मृदा-दृश्य, जैव-जलवायु और सस्य उत्पादन अवधि पर आधारित भारत के कृषि पारिस्थितिकीय-क्षेत्रों का ब्यौरा प्रकाशित किया है ।

(ख) और (ग) देश को 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में चित्रित किया गया है और फिर उसे 60 उप-परिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । कृषि परिस्थितिकीय क्षेत्रों का विभाज्य राज्य की सीमाओं पर निर्भर नहीं है । फसल उगाने के समय जिस मिट्टी में नमी की कमी होती है, उसका भी पता लगाया गया है ताकि असामान्य मौसम की स्थितियों में उपयुक्त फसलों और किस्मों की व्यवस्था में मदद की जा सके । इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों के मृदा संसाधन मानचित्र 1:250000 स्केल के अनुपात में तैयार किए जा रहे हैं । अभी तक 11 राज्यों तथा 2 केन्द्र शासित राज्यों के मानचित्र जारी किए जा चुके हैं । इसी तरह हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी के मानचित्र शुरू में ही मुद्रित किए गए हैं । अन्य राज्यों के मृदा मानचित्रों के मुद्रण के कार्य में प्रगति जारी है । ये मानचित्र फसल नियोजन एवं कृषि प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण कार्यों के लिए भी उपयोगी है ।

(घ) और (ड) जी, हां । भा.कृ.अ.प. के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर विभिन्न कृषि परिस्थितिकीय क्षेत्रों में उगाने के लिए फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की सिफारिश की जाती है । कृषि मंत्रालय द्वारा इन किस्मों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

(च) वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय मुदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर के लिए रु. 520 लाख (योजना और गैर योजना) का बजट प्रावधान किया गया था । यह प्रावधान राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के मुदा संसाधन मानचित्र तैयार करने के लिए अपेक्षित मुदा सर्वेक्षण हेतु किया गया था । भारत के कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों का मानचित्र पहले ही (वर्ष 1990 में) प्रकाशित किया जा चुका है जिसे बाद में (1992 में) नया रूप दिया गया ।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादकता

★773. **श्री पी.पी. कालियापेरूमल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यानों की उत्पादकता के संबंध में विभिन्न राज्यों और जिलों में असंतुलन रहा है और अब भी बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस असंतुलन के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(घ) इस असंतुलन को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ड) क्या इस असंतुलन के लिए असमान जल आपूर्ति एक प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं ; और

(च) जल आपूर्ति के मामले में असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में अन्तर राज्यीय और अन्तर-जिला के लिहाज से फर्क होता है ।

(ख) वर्ष 1993-94 में खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर पैदावार राजस्थान में 607 कि.ग्रा. के निम्न स्तर से पंजाब में 3683 कि.ग्रा. के उच्चतम स्तर के बीच थी ।

खाद्यान्नों को प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में जिला स्तर पर भी अन्तर होता है ।

(ग) विभिन्न खाद्यान्नों को प्रति हैक्टेयर पैदावार एक राज्य के दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में भिन्न-भिन्न होती है, जो मृदा उर्वरता, वर्षा और मौसम की स्थितियों, सिंचाई के सुविधाओं, रासायनिक उर्वरकों, अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों, कृषि नाशी दवाओं जैसे पैदावार बढ़ाने वाले आदानों के उपयोग और अन्य कृषि और सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है ।

(घ) सरकार समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल, गेहूं और मोटे अनाज और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न फसल उत्पादन प्रधान कार्यक्रम चला रही है । ताकि कम पैदावार वाले जिलों में विभिन्न खाद्यान्नों को प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाई जा सके । इसके अलावा, उर्वरकों के कम खपत वाले जिलों/क्षेत्रों में उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सिंचाई की सुविधाएं सुलभ कराई जा रही है, ताकि कम पैदावार वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और असमानताएं कम की जा सकें ।

(ड) विभिन्न राज्यों/जिलों में वर्षा तथा सिंचाई सुविधाओं का असमान होना पैदावार की असमानताओं का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है ।

(च) अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं सुलभ कराना तथा वर्षा के पानी को इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जल की उपलब्धता में असमानता को दूर करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल है ।

[हिन्दी]

जैव उर्वरक

★774. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन-किन क्षेत्रों और कृषि विश्वविद्यालयों में जैव-उर्वरकों के संबंध में प्रयोग किए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण फसलों की रक्षा के लिए टीके तैयार किए जा रहे हैं ;

(ख) देश में जैव-उर्वरकों का कुल वार्षिक उत्पादन/उपभोग कितना-कितना है ;

(ग) क्या जैव-उर्वरक भूमि की पैदावार क्षमता बढ़ाने और प्रदुषण रोकने में कारगर सिद्ध हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड) जैव-उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने और इसके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना तथा दलहनों, मूंगफली और सोयाबीन की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत जैव उर्वरक संबंधी परीक्षण किये जाते हैं । ये परीक्षण विभिन्न राज्यकृत विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में स्थित विभिन्न केन्द्रों में किए जाते हैं । फसलों के संरक्षण के लिए टीके उपयुक्त नहीं है ।

(ख) जैव उर्वरकों का कुल आकलित वार्षिक उत्पादन और वितरण लगभग 3,200 टन (राइजोबियम का लगभग 2,800 टन और नीली हरी काई बी0जी0ए0 का लगभग 400 टन है ।

(ग) और (घ) : जी हां, जैव उर्वरकों के प्रयोग से मिटटी में जो नाइट्रोजन स्थिर होती है वह प्रति फसल मौसम 30-100 कि0 ग्रा0 हे० है । जैव उर्वरक पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक है और ये पर्यावरण को प्रदुषित नहीं करते हैं ।

(ड) जैव-उर्वरकों का उत्पादन सरकारी एजेन्सियों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सहकारी संघों और कृषि-उद्योगों के तहत किया जाता है । जैव-उर्वरकों का उत्पादन बढ़ानें और इनके प्रसार के लिए कृषि मंत्रालय निम्न प्रायोजनाएं चला रहा है ।

1) जैव उर्वरकों के विकास व उपयोग पर राष्ट्रीय प्रायोजना,

2) कम खपत वाले बारानी क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग संबंधी विधियों का विकास,

3) उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग ।

4) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और

5) राष्ट्रीय दलहन विकास प्रायोजना ।

इन योजनाओं के माध्यम से किसानों में जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है । इन योजनाओं के अंतर्गत जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शिक्षित करने के साधन उपलब्ध हैं ।

खाद्य तेलों का आंवटन

★775. **श्री सूरजभान सोलंकी :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में खाद्य तेलों की कुल मांग कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार वास्तव में इन तेलों का कितना कोटा दिया गया ;

(ग) क्या खाद्य तेलों के कोटे में वृद्धि करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ड) क्या इस कोटे में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या लाभ है ;

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्राप्त आयातित खाद्य तेल की मांग के बारे में सूचना दी गई है ।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल का राज्यवार आवंटन तथा उसकी उठाई गई मात्रा की जानकारी संलग्न विवरण-।। में दी गई है ।

(ग) किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मासिक कोटे में विवरण-। पर दर्शाए गए खाद्य तेल के अलावा वृद्धि करने को कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ड) से (छ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण -I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1995-96 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए प्राप्त मांग।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांग (मात्रा मी. टन में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,400
2.	असम	300 (प्रतिमाह अप्रैल-जुलाई, 95)
3.	गोवा	300 (प्रतिमाह मार्च, 95 से)
4.	गुजरात	3,000 (जून, 95 से प्रतिमाह 6000)
5.	हिमाचल प्रदेश	200
6.	कर्नाटक	3,500
7.	महाराष्ट्र	3,000
8.	मिजोरम	150
9.	नागालैण्ड	400
10.	उड़ीसा	2,000
11.	सिक्किम	100
12.	तमिलनाडु	3,000
13.	त्रिपुरा	100 (प्रतिमाह सितम्बर, 95 तक)
14.	पश्चिम बंगाल	2,000
15.	दादरा व नगर हवेली	80
16.	दमण	75 (प्रतिमाह फरवरी, 95 से)
17.	लक्षद्वीप	120 (मई-अगस्त, 95 से 30 मी० टन की दर से)

टिप्पणी : शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों के आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा का वित्तीय वर्षवार ब्यौरा।

(आंकड़े मी0टन में)

राज्य का नाम	1992-93 आवंटन	1992-93 उठाई गई मात्रा	1993-94 आवंटन	1993-94 उठाई गई मात्रा	1994-95 आवंटन	1994-95 उठाई गई मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
आंध्रप्रदेश	10094	9037	7000	4600	33500	33115
अरूणाचल प्रदेश	25379	150	10	150	32	
असम	400	50	200	30	900	490
बिहार	1500	230	364	50	0	431
गोवा	1520	819	1050	758	2800	3456
गुजरात	6150	4999	6000	4500	22695	20992
हरियाणा	700	546	400	22	500	154
हिमाचल प्रदेश	1400	1786	800	667	900	821
जम्मू व कश्मीर	1100	285	500	0	0	451
कर्नाटक	9000	7611	2700	893	8500	10259
केरल	9800	8851	9077	4994	6000	5922
मध्य प्रदेश	2200	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	6500	6815	2600	2445	12500	7814
मणिपुर	761	466	200	200	1000	0
मेघालय	600	214	200	53	1400	237
मिजोरम	700	679	200	120	1100	268
नागालैण्ड	600	841	652	416	3600	2360
उड़ीसा	1000	2499	1000	0	8800	5226
पंजाब	700	95	0	0	0	0
राजस्थान	700	81	1400	130	0	0
सिक्किम	685	285	300	250	600	347
तमिलनाडू	7863	5999	1580	149	12000	10495
त्रिपुरा	250	0	200	0	150	40
उत्तर प्रदेश	1500	0	1200	0	0	0
पश्चिम बंगाल	2000	573	2167	1586	12500	7784
अंडमान व निको०	600	404	100	100	230	50

1	2	3	4	5	6	7
चंडीगढ	100	12	100	0	0	0
दादरा व नगर हवेली	150	150	100	90	490	369
दमण व दीव	250	251	250	168	845	635
दिल्ली	3329	3525	4000	1218	2095	2453
लक्षद्वीप	250	255	275	237	150	160
पांडिचेरी	1200	1037	225	208	4524	3995
अखिल भारत	73855	58474	44910	23894	137929	118364

[अनुवाद]

गेंहू की खरीद

★776 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गेहूं के रिकार्ड उत्पादन और अधिक खरीद की आशा के बावजूद इस माह के प्रथम सप्ताह तक गेहूं की खरीद कम हो पाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या दो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों अर्थात पंजाब और हरियाणा को भंडार (स्टाक) प्रबन्धन की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन राज्यों से अधिक खपत वाले क्षेत्रों की दूरी बहुत अधिक है और साथ ही ढुलाई संबंधी बाधांए भी बीच में आती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन समस्याओं से निपटने के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने हेतु क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम की पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) 8.5.1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए 68.33 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली हुई जबकि रबी विपणन मौसम 1994-95 के दौरान तदनुरूपी तारीख को स्थिति के अनुसार 79.37 लाख मीटरी टन की वसूली हुई थी। अप्रैल, 1995 के शुरू में पंजाब और हरियाणा में बे-मौसमी वर्षा होने और विलम्ब से फसल कटाई होने के कारण मंडियों में गेहूं की आमद पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक रूप से कम हुई थी। तदुपरान्त, मंडियों में गेहूं की आमद और वसूली में वृद्धि हुई और 26.5.1995 के स्थिति के अनुसार 111.8 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी तारीख को स्थिति के अनुसार 113.2 लाख मीटरी टन की वसूली हुई थी। वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि गेहूं की वसूली आशानुरूप हो रही है।

(ग) और (घ) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं की बल्क वसूली होती है। केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पूरे वर्ष निर्मुक्तियां की जाती हैं। रेलवे की सहायता से उत्तर भारत से खाद्यान्नों का संचलन किया जाता है भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचलन, उतरान और वैगनों के रिलीज संबंधी परिचालन समस्याओं की निरन्तर आधार पर मानीटरिंग की जाती है।

सुचारू वसूली तथा संचलन संबंधी परिचालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) प्राइवेट पार्टियों के भण्डारण स्थान किराए पर लेना;

(2) गोदामों के निर्माण कार्य को पूरा करने में तेजी लाना;

(3) कैप (कवर और प्लिथ) क्षमता में वृद्धि करना;

(4) वसूली क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए अनाजों का समन्वित संचलन करना;

(5) गेहूं और चावल की खुली बिक्री करना।

भण्डारण समस्या के कारण गेहूं की वसूली को प्रभावित नहीं होने दिया गया।

उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग

★777. **प्रो0 उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग पर चर्चा करने के लिए राज्यों के कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ) नियंत्रण रहित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत देने की योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों पर विचार विमर्श करने के लिए कृषि मंत्री ने 31.8.1994 को राज्य कृषि मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में उर्वरकों के असंतुलित उपयोग पर कोई विशेष विचार विमर्श नहीं हुआ। फिर भी केन्द्र सरकार की निम्नलिखित योजनाओं के जरिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जाता रहा है :-

(1) 1992-93 के दौरान फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लेने के बाद बिक्री पर रियायत देने के लिए शुरू की गई योजना को वर्तमान वर्ष में भी जारी रखा गया है।

(2) 1991-92 से उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन पोषक तत्वो के एकीकृत उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

(3) 1994-95 से कम खपत वाले क्षेत्रों तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में उर्वरक के उपयोग की वृद्धि पर एक योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध पर हरी खाद के बीज के लिए और प्रदर्शन के जरिए किसानों को सहायता दी जाती है।

(4) जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग को राष्ट्रीय परियोजना, जो 1983-84 से चल रही है, जैव उर्वरको के उत्पादन, वितरण और उपयोग को बढ़ावा देती है।

खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि योजना

★778. **श्री एस-एम- लालजान बाशा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों में खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन-राशि योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कालेजों/विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों को छात्रवृति प्रदान करने की योजना पहले ही विद्यमान है ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत खेलों में प्रवीण विश्वविद्यालय/कालेज के छात्रों को प्रतिवर्ष 300 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है । छात्रवत्ति की राशि 6,000/- रूपये प्रतिवर्ष है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सूखे की स्थिति

★779. **श्री मोहन रावले :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 के दौरान देश के कुछ भाग भीषण सूखे की चपेट में आऐ थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के कौन-कौन से जिले इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे ;

(ग) सूखे की स्थिति से राज्य-वार कितना नुकसान हुआ ;

(घ) वर्ष 1994 के दौरान सरकार द्वारा सूखा प्रभावित राज्यों विशेषरूप से महाराष्ट्र को दी गई वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जहां प्रायः बाढ़ और सूखे की स्थिति पैदा होती है ;

(च) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के अलग-अलग नाम क्या हैं; और

(छ) ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजिक वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (छ) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार कृषि वर्ष 1994-95 के दौरान देश के 44 जिले के कुछ भाग सूखा से प्रभावित हुए हैं । सूखे से आन्ध्र प्रदेश के 14 जिले, मध्य प्रदेश के छह जिलों की 12 तहसीलें और महाराष्ट्र के 21 जिलों के 8184 ग्रामों में 21.24 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा त्रिपुरा के तीन जिलों में 82.86 करोड़ रुपये मूल्य की फसल को क्षति पहुंची । प्रभावित जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । सीमित क्षेत्र/सीमित फसलों के प्रभावित होने से सूखे को गंभीर नहीं कहा जा सकता ।

2. राहत व्यय के वित्त वोषण की वर्तमान योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत कोष की निधि का उपयोग करते हुए राहत और पुर्वास उपाय शुरू करें । 1994-95 के दौरान भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को 49.21 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 27.75 करोड़ रुपये तथा त्रिपुरा को 1.69 करोड़ रुपये की धनराशि आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय अंश के रूप में दी है । महाराष्ट्र के मामले में, वर्ष 1994-95 के लिए आपदा राहत कोष का समग्र केन्द्रीय अंश, जो 33.00 करोड़ रुपये है, अग्रिम रूप में दे दिया गया था ।

3. 13 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 96 जिलों के 627 प्रखंडों को देश का सूखा प्रवण क्षेत्र माना गया है । राज्यों, नामतः गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और राजस्थान के 21 जिलों के 131 प्रखडों को रेगिस्तानी क्षेत्र माना गया है ।

4. राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, 1980 की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाढ़ के संभाव्य क्षेत्र लगभग 40.00 मिलियन हैक्टेयर हैं जिसमें से आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पांडिचरी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के 34 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का बचाव किये जाने की आशा है ।

5. भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण, विकास और उपयोग के लिए पनधारा के आधार पर योजना बनाकर सूखा/रेगिस्तान प्रवण क्षेत्रों के समेकित विकास के उद्देश्यों से सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम, क्रियान्वित किए जा रहे हैं । जलाशयों, बांधों, नहरों के सुधार शहर की सुरक्षा तथा नदी के बहाव में सुधार जैसे विशिष्ट संरचनात्मक उपायों के जरिए बाढ़ के सीमित करने के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ।

विवरण

1994-95 के दौरान सूखा से प्रभावित जिलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1.	अनन्तपुर	8.	नेल्लोर
2.	कुडप्पा	9.	गुन्टुर
3.	कुरनूल	10.	विजियानगरम
4.	महबुबनगर	11.	मेडक
5.	रंगारेड्डी	12.	निजामाबाद
6.	नालगोण्डा	13.	करिमनगर
7.	प्रकासम	14.	हैदराबाद (शहरी)

मध्य प्रदेश

1.	राजगढ़	4.	खन्डवा
2.	टिकमगढ़	5.	दुर्ग
3.	बाला घाट	6.	रायपुर

महाराष्ट्र

1.	ठाणे	11.	उस्मानाबाद
2.	पुणे	12.	लातुर
3.	सांगली	13.	नागपुर
4.	सातारा	14.	वर्धा
5.	नाशिक	15.	भण्डारा
6.	धुले	16.	चन्द्रपुर
7.	अहमदनगर	17.	गडचिरोली
8.	औरंगाबाद	18.	अमरावती
9.	नान्देड	19.	अकोला
10.	बीड	20.	यवतमाल

21. बुलठाणा

त्रिपुरा

1. पश्चिम त्रिपुरा
2. उत्तर त्रिपुरा
3. दक्षिण त्रिपुरा

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति

★780. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को घटिया किस्म की खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से इस संबंध में शिकायतें मिली हैं ;

(ग) क्या देश में उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए त्रि-स्तरीय प्रणाली शुरू की गई है ;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान की गई इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) उसके क्या परिणाम निकले ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ड-) भारतीय खाद्य निगम को कीड़ों से मुक्त एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है । राज्य सरकारों अथवा उनके नामितियों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी लेने से पहले भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उनके निरीक्षण का अवसर दिया जाता है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्टॉक के निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने पर उसे अस्वीकार करने का अधिकार है । सुपुर्दगी के समय नमूने ले लिए जाते हैं तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अभिकरणों को खाद्यान्नों के वितरण के स्थान पर प्रदर्शित किए जाने हेतु दे दिए जाते हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी, जिसमें अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उचित दर दुकानों के जरिए गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों का वितरण करना शामिल है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बनाए गए नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु, शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तुओं की घटिया किस्म के बारे में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल कार्य में, जिसमें देश भर में फैले 4 लाख से अधिक उचित दर दुकानों के तंत्र के जरिए लगभग 130 लाख मी0टन खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं, यंत्र-तंत्र कुछ कमियों से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है । उपभोक्ताओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की घटिया किस्म के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कारगर एवं शीघ्र प्रतितोष प्रदान करने के लिए इन शिकायतों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला प्राधिकारियों द्वारा जांच करना आवश्यक है । उचित दर दुकान स्तर की शिकायतों के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करने की सलाह दी थी, जिनमें महिलाओं, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के व्यक्ति तथा स्थानीय उपभोक्ता शामिल किए जाएं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके । अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा उनके यहां ऐसी सतर्कता समितियां गठित कर लिए जाने की सूचना है । अनेक राज्य सरकारों ने जिला और राज्य स्तरों पर भी ऐसी सतर्कता समितियां गठित की हैं ।

[अनुवाद]

धार्मिक स्थल

7731. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा स्थित शाही ईदगाह तथा वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनकी देखभाल तथा रख-रखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कुछ संगठनों द्वारा इन धार्मिक स्थलों को नष्ट किए जाने का खतरा महसूस किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन्हें भीड़ द्वारा हिंसा से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं ;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या इस समय इन दो धार्मिक स्थानों पर सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चूंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्मारकों का सरंक्षण नहीं किया जाता है, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती है ।

(घ) और (ड.) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जी हां ।

सड़क ऊपरि पुल

7732. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद और सिंकदराबाद दोनों शहरों के चारो ओर इंटरमीडिएट रिंग रोड पर सड़क ऊपरि पुलों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़क ऊपरि पुलों का निर्माण गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कराने हेतु सिकंदराबाद में रेल प्राधिकारियों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कार्यवाही लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) रामाकृष्णपुरम गेट के निकट समपार सं. 252 के बदले आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रोयोजित ऊपरि सड़क पुल के निर्माण कार्य को रेलों का निर्माण कार्यक्रम 1995-96 में शामिल किया गया है ।

मध्य रिंग रोड पर ऊपरि सड़क पुल के निर्माण का कोई अन्य प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार का, "बनाइए चलाइए और हस्तान्तरित कीजिए" (बी0ओ0टी) संकल्पना के अंन्तर्गत हफीजपेट तथा बोलारम में ऊपरि सड़क पुल के निर्माण कार्य को शुरू करने का प्रस्ताव है । बी0ओ0टी0 के अंतर्गत ऊपरि सड़क पुलों के निर्माण की संकल्पना को रेलवे द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है ।

नेशनल कंज्यूमर कॉपरेटिव फेडरेशन

7733. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई ने हाल ही में अत्यंत रियायती हथकरघा उत्पादों की कालाबाजारी के लिए एन.सी.सी.एफ., कानपुर के कई अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1988-90 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की कानपुर स्थित शाखा में जनता हथकरघा कपड़े के निपटान में आरोपित अनियमितताओं के संबंध में एक नियमित मामले के रूप में जांच हेतु 24.12.93 को 18 व्यक्तियों के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के सतर्कता सेल द्वारा मामले की जांच की गई थी तथा सतर्कता सेल की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में सक्षम प्राधिकारी ने इसमें संघ के संबंधित कर्मचारियों का कोई दुर्भावपूर्ण आशय नहीं पाया और उसने मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया। परन्तु मंत्रालय ने सभी संबंधित दस्तावेजों को मंगाया और जांच रिपोर्ट के परीक्षण के उपरांत मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया ।

आन्ध्र नाट्यम नृत्य

7734. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र नृत्य में प्रसिद्ध "आन्ध्र नाट्यम" को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ कदम उठाए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) संगीत नाटक अकादेमी ने आंध्र की शास्त्रीय नृत्य की परम्पराओं, जिनमें आंध्र नृत्य भी शामिल हैं, को प्रोत्साहन देने हेतु कई कदम उठाए हैं । अकादेमी के समारोहों में अनेक कलाकारों के प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए हैं तथा अकादेमी के अभिलेखागार के लिए रिकार्ड भी किए गए हैं । सेमिनारों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है ।

उत्सर्जित तरल पदार्थों संबंधी मानक

7735. श्री अमल दत्त : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने उन विभिन्न झीलों और नदियों, जिनमें नगर पालिकाओं और उद्योगों के उत्सर्जित तरल पदार्थ अन्ततः समाहित होते हैं, की स्वशोधन क्षमता के आधार पर नगरपालिका और औद्योगिक उत्सर्जित तरल पदार्थों के संबंध में कोई मानक निर्धारित किए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो गर्मियों, के महीनों में, जब नदियों का प्राकृतिक जलप्रवाह काफी कम हो जाता है, इन नदियों के जल की गुणवत्ता कैसे बनाई रखी जाती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड तकनीमी-आर्थिक उपलब्धता के आधार पर शहरी एवं औद्योगिक बहिस्रावों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है । संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ये शक्तियां दी गई हैं कि वे अभिग्राही जल निकायो में जल की गुणवता एवं मात्रा का मूल्यांकन करें और यदि आवश्यक हो तो अधिक कड़े मानक निर्धारित करें ।

[हिन्दी]

उपभोक्ता सहकारी समिति का अध्यक्ष

7736. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय उपभोक्ता सहकारी यूनियन लिमिटेड का सभापति/अध्यक्ष निकाय का सदस्य होता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह इस समय सभापति/अध्यक्ष के रूप में बना रह सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उपभोक्ता सहकारी समिति के अध्यक्ष का चुनाव/नामांकन संबंधित राज्यों के सहकारी सोसायटी अधिनियम और नियमों तथा संबंधित उपभोक्ता सहकारी समिति की उपविधियों के अनुसार किया जाता है ।

(ख) से (घ) भारतीय उपभोक्ता सहकारी यूनियन लि0 के नाम से कोई संगठन नही है ।

रेल लाइनें

7737. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन रेल लाइनों के लिए वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ख) क्या सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) और (ख) बिहार में निम्नलिखित नई लाइन परियोजनाओं के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है और उनके पूरा होने का लक्ष्य प्रत्येक के सामने दिया गया है :-

सर्वेक्षण का नाम	लक्ष्य
1. हजारीबाग के रास्ते रांची गया के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण	इन सभी सर्वेक्षणों के इसी वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।
2. राजगीर से हिसुआ के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण	
3. आरा से सासाराम तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण	

गिरीडीह और कोडरमा के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है और इसके 1997-98 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।

[अनुवाद]

ऊपरि पुल

7738. श्री कोडी कुन्नील सुरेश : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्विलोन-मद्रास मीटर लाइन पर माइलोम तथा नेदुमपईकुलम के अत्यंत पुराने रेल ऊपरि पुलों का पुनर्निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन

7739. श्री महेश कनोडिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय किन-किन रेलवे स्टेशनों का विस्तार और विकास किया जा रहा है ?

(ख) इस पर, स्टेशन-वार, कितनी लागत आने का अनुमान है ? और

(ग) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और प्रत्येक स्टेशन पर कार्य को पूरा करने के लिए पृथक-पृथक क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख रुपयों में)

स्टेशन	कार्य का विवरण	लागत	31.3.95 तक खर्च की गई राशि
1	2	3	4
अंकलेश्वर	द्वीप प्लेटफार्मों का विस्तार तथा उन्हें ऊंचा करना ।	8.42	5.42
	प्लेटफार्म सं0 2 और 3 पर सायबान की व्यवस्था ।	4.90	2.90
ध्रांगधरा	प्लेट-फार्म का विस्तार ।	8.30	3.30
हथुरन	मध्यम सतह के प्लेटफार्म की व्यवस्था	9.66	9.66
किम	प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था	14.00	4.00
मणि नगर	प्लेटफार्म सायबान का विस्तार	6.00	2.00
मेहमदाबाद	डाउन प्लेटफार्म का विस्तार	4.10	2.10
नबीपुर	अप और डाउन प्लेटफार्मों का विस्तार	9.80	3.56
राजकोट	प्लेटफार्म सायबान का विस्तार	10.66	5.66
उत्रान	ऊंची सतह वाले प्लेटफार्म की व्यवस्था	9.73	3.73
वडोदरा	ऊपरी पैदल पुल पर प्रवेश-निकास की व्यवस्था ।	4.31	2.31
	प्लेटफार्म सं0 4 और 5 पर सायबान की व्यवस्था ।	4.80	2.00
बलसाड	प्लेटफार्म सायबान का विस्तार	14.42	6.00
वापी	प्लेटफार्म का विस्तार	8.80	5.80
वीरमगाम	ऊपरी पैदल पुल का विस्तार	2.86	1.86
विश्वामित्री	प्लेटफार्म सं0 4 औ' 5 पर सायबान की व्यवस्था	4.80	4.80
गोथनगांव कोसाद कुदसद	पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म का विस्तार	8.61	3.00

हथुरन तथा विश्वामित्री रेलवे स्टेशनों पर कार्य पूरे हो गए हैं तथा अन्य स्टेशनों पर कार्यों का पूरा होना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

[अनुवाद]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

7740. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनेक राज्यों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों आदि सहित विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । ये रिपोर्टें अधिकतर केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना वनेतर

प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी की गई मंजूरियों में मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के बार में है ।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने पाए। इसके अलावा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन वाले मामलों पर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लें ।

फुट ओवर ब्रिज

7741. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मिरा-भायानदर नगर पालिका ने भायानदर पूर्वी तथा भायानदर पश्चिमी के बीच फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए पश्चिमी रेलवे को 75 लाख रुपये प्रदान किए हैं ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी रेलवे ने उक्त ब्रिज का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है ?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने उक्त कार्य को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) लगभग 45 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत में से नगरपालिका ने केवल 30.41 लाख रुपये जमा कराए हैं ।

(ग) से (ड) जी नहीं, नगरपालिका के परामर्श से कार्य के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं । नगरपालिका द्वारा पूरी लागत जमा कराने पर निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस कार्य को निष्पादन हेतु लिया जाएगा ।

(च) कार्य के दिसंबर 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा

7742. श्री द्वारकानाथ दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम (बराक घाटी) में विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) असम राज्य सरकार ने हाल ही में शारीरिक रूप से विकलांग आबादी की आवश्कताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया है ।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं

7743. श्री एन.जे. राठवा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई वानिकी परियोजना बनाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इसका अनुमोदन कर दिया है ;

(घ) इस परियोजना से जनजातीय और अन्य पिछड़े लोगों सहित कुल कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है ; और

(ड.) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ग) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा गया था जिसे उन्होंने अनुमोदित नहीं किया है ।

(ख), (घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

7744. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली-वास्कों लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना तत्संबधित निर्धारित अवधि में पूरी नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और परियोजना को पूरा करने तथा रेल यातायात फिर से चालू करने हेतु संशोधित समयावधि क्या है; और

(घ) परियोजना की लागत में वृद्धि से संबंधित ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1. हुबली-लोंडा खंड का आमान परिवर्तन 31.3.95 को पूरा हो गया है ;

2. लोंडा-कैसेल रॉक के आमान परिवर्तन का कार्य 30.6.95 तक पूरा करने का लक्ष्य है ;

3. कैसेल रॉक-वास्को खंड के आमान परिवर्तन का कार्य 31.12.95 तक पूरा करने का लक्ष्य है ;

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान जब कार्यान्वयन हेतु कार्य शुरू किया गया था तब समूची हासपेट-हुबली-गोवा परियोजना की प्रत्याशित लागत 312 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर लगभग 378 करोड़ रूपये हो गई है ।

लागत में वृद्धि मूल्यों में वृद्धि के कारण हैं ।

[हिन्दी]

वनस्पति और जीव जन्तु

7745. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति और जीव जन्तुओं के सबंध में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में इनकी कुल कितनी प्रजातियां हैं;

(ख) उन वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान विलुप्त होने की आशंका हो गई है;

(ग) उन वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के नाम क्या हैं जो विलुप्त होने वाले हैं; और

(घ) वनस्पतियों और जीव जन्तुओं को देश में विलुप्त न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण ने देश में वनस्पतिजात और प्राणिजात प्रजातियों की संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया है ;

वनस्पतिजात	45000	प्राणिजात	77450

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान किसी प्रजाति के विलुप्त होने के बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उन वनस्पतिजात और प्राणिजात के नाम निम्नलिखित प्रकाशनों में उपलब्ध हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के खतरे हैं :-

1. "रेड डाटा बुक ऑफ इंडियन प्लांट्स्" वाल्यूम 1 (1987), वाल्यूम 2 (1988) और वाल्यूम 3 (1990) - भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित ।

2. "दि रेड डाटा बुक आन इंडियन एनिमल्स" (1994) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित ।

(घ) वनस्पतिजात और प्राणिजात की प्रजातियों की स्वस्थाने और स्थान बाह्य संरक्षण राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों, जीवमंडल रिजर्वों, वनस्पति उद्यानों के नेटवर्क के जरिए किया जाता है ।

[अनुवाद]

राशन कार्ड

7746. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को राशन कार्डों को शीघ्र परिगमीत करने के निर्देश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों ने इस संबंध में आज तक क्या कदम उठायें हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने घर-घर जाकर राशन कार्ड सुपुर्द करने की पद्धति आरम्भ की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं को वस्तुओं के वितरण के सभी प्रचालानात्मक पहलू, जिसमें राशन कार्डों का सत्यापन तथा उपभोक्ताओं को उन्हे जारी करना शामिल है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासकों के प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र ये आते हैं केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देती रही है कि वे जाली कार्डों की छटाई के लिए पहले से जारी किए जा चुके राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य आरम्भ करें । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई कि वे यह सुनिश्चित करें कि संयुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाएं राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि 1.9.1991 से और 15.5.1995 तक संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में कुल 37.32 लाख के अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं । सपुंष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि इसी अवधि के दौरान 115.7 लाख से अधिक जाली राशन कार्डों की छंटाई की जा चुकी है ।

(ग) जी हां ।

(घ) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम के एक घटक के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वस्तुओं की उचित दर की दुकानों के दरवाजे तक सुपुर्दगी शुरू करने पर सहमत हो गए हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 15.5.1995 तक संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में लगभग 1.02 लाख उचित दर की दुकानों में से लगभग 54000 उचित दर की दुकानों के दरवाजे पर सुपुर्दगी की जा रही है ।

तमिलनाडु में पर्यावरणीय परियोजनाएं

7747. श्री पी.कुमारासामी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार और विदेशी संस्थाओं की सहायता से तमिलनाडु में शुरू की गई पर्यावरण और वन संरक्षण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

(ख) केन्द्रीय सरकार और विदेशी संस्थाओं ने ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक-पृथक कितनी सहायता उपलब्ध कराई है ? और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) तमिलनाडु में पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय और विदेशी सहायता से पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे उनकी वित्तीय और भैतिक उपलब्धियों सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण — **लाख रुपये में**

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	मुख्य उद्देश्य	निधिकरण की मात्रा	स्थिति	पिछले दो सालों के दौरान उपलब्धियां 1993-94 व 1994-95 वित्तीय	भौतिक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	केन्द्रीय सहायता प्राप्त					
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास करना	100%	चालू	70.76	14 राष्ट्रीय उद्यान शामिल
2.	सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास रहने वाले समुदायों को	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	8.62	2 राष्ट्रीय उद्यान

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		वैकल्पिक जीविका प्रदान करना				शामिल
3.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालीन उत्तरजीविता सुनिश्चित करना ।	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	43.92	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में नियत
4.	वानस्पतिक उद्यानों को सहायता	वानस्पतिक उद्यानों का दर्जा बढ़ाना	100%	चालू	18.55	3 वानस्पतिक उद्यान शामिल
5.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धति	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल नियंत्रण	100%	चालू	12.72	लक्ष्य वित्तीय बटंनों के रूप में नियत
6.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पादों की खेती करना	100%	चालू	53.30	713 हे0 क्षेत्र शामिल
7.	बीज विकास स्कीम	उन्नत किस्म के बीजों के लिए अवसरंचना का विकास करना	100%	चालू	8.00	लक्ष्य वित्तीय बटंनों के रूप में नियत
8.	समेकित वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण एवं पारि-विकास को बढ़ावा देना ।	100%	चालू	714.57	987 हे0 क्षेत्र
				शामिल		
9.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी और चारा स्कीम	ईंधन की कमी वाले अभि-निर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति का विस्तार करना ।	50%	चालू	152.72	5605 हे0 क्षेत्र शामिल
10.	जीव मंडल रिजर्व स्कीम	राज्य में स्थापित 2 जीवमंडल रिजर्वों की प्रबंध कार्य योजना का कार्यान्वयन	100%	चालू	98.43	2 जीवमंडल रिजर्व शामिल
11.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	68.77	1 बाघ रिजर्व शामिल
12.	बाघ रिजर्वों के आसपास पारि-विकास	बाघ रिजर्वों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चालू	4.76	1 बाघ रिजर्व शामिल
13.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100%	चालू	1.26	7 जिलों में पर्यावरण वाहिनियां गठित
14.	कच्छ वनस्पतियों का सरंक्षण	कच्छ वनस्पतियों का सरंक्षण और प्रबन्ध	100%	चालू	5.90	2 कच्छ वनस्पति शामिल

विदेशी सहायता प्राप्त

15.	तमिलनाडु सामाजिक वानिकी परियोजना	आदिवासी क्षेत्रों सहित मैदानों और तटीय क्षेत्रों में वनीकरण	यह परियोजना 1988-89 में स्विडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी की सहायता से शुरू की गई थी । सितम्बर, 1994 तक 134.39 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 1.27 लाख हे0 क्षेत्र कवर किया गया है ।
16.	डेनमार्क की सहायता प्राप्त परियोजना	मद्रास में पर्यावरणीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना	9.961 मिलियन डी एम की लागत पर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए परियोजना अनुमोदित की जा चुकी है ।
17.	विश्व बैंक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	औद्योगिक प्रचालनों के कारण हुए पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकना और उसका उन्मूलन करना	इस परियोजना में 155.5 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिरूप निधि शामिल है जो भारत सरकार, राज्य सरकारों वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण का लाभ उठाने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदान की जाएगी । इस परियोजना में तमिलनाडु सहित 4 राज्य शामिल हैं । प्रत्येक राज्य के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं है ।

रेल गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं

7748. श्री अमर रायप्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस सहित लम्बी दूरी की अधिकतर सुपरफास्ट रेल गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) लंबी दूरी वाली सुपरफास्ट गाड़ियों, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित सभी यात्री गाड़ियों में गार्ड के डिब्बे में प्राथमिक उपचार बक्सों की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्वास्थ इकाइयों/अस्पतालों वाले स्टेशनों पर संदेश प्राप्त होने पर रेलवे चिकित्सकों द्वारा बीमार यात्रियों की देख-रेख की जाती है । गंभीर रूप से बीमार यात्रियों को गाड़ी के अगले ठहराव पर स्टेशन कर्मचारियों द्वारा निकटतम अस्पताल में ले जाया जाता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

चीनी

7749. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पिराई मौसम के दौरान देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या इससे देश की कुल मांग पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या सरकार का चीनी का निर्यात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चालू चीनी मौसम 1994-95 (अक्तूबर, 1994 से सितम्बर, 1995 तक) के दौरान चीनी का उत्पादन 143.00 लाख टन होने का अनुमान है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) चीनी निर्यात के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

थोट्टापल्ली मत्स्य अवतरण केन्द्र

7750. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में थोट्टापल्ली मत्स्य अवतरण केन्द्र को दूसरे चरण की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जी हां ! राज्य सरकार से थोट्टापल्ली में मत्स्य अवतरण केन्द्र के चरण II के विकास के लिए एक परियोजना प्रस्ताव जून 1993 में प्राप्त हुआ था । 98.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले इस प्रस्ताव में दो जल-रोधों के निर्माण का प्रावधान है । परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी जांच करने पर राज्य सरकार को आदर्श अध्ययन कराने की सलाह दी गई है ताकि प्रस्तावित जल-रोधों को अनुकूलतम लम्बाई, सम्बद्धता तथा अनुप्रस्थ क्षेत्र की माप सुनिश्चित की जा सके तथा प्रस्ताव के तकनीकी पहलुओं को सुसंगति सुनिश्चित की जा सके ।

[हिन्दी]

अनुदानों का गबन

7751. श्री ललित उरांव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से बिहार में पशु पालन माफिया द्वारा सरकार द्वारा दिए गये अनुदानों का बड़े पैमाने पर गबन किए जाने संबंधी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस

7752. श्री तारा सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की सभी राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में दिल्ली-मुम्बई-दिल्ली और दिल्ली-कलकत्ता-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तरह किराए में ही भोजन-शुल्क शामिल करने के बहुत सारे अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां, हजरत निजामुद्दीन-बेंगलूर और हजरत निजामुद्दीन-मद्रास तिरूवनन्तरपुरम राजधानी एक्सप्रेस

गाड़ियों के किरायों में खानपान प्रभारों को शामिल किए जाने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं,

(ग) फिलहाल, कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

भीतेरकनिका अभयारण्य में झींगा मछली परियोजना

7753. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना का उल्लंघन करके भीतेरकनिका अभयारण्य में और भीतेरकनिका नेशनल पार्क में विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित दो झींगा मछली परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कहां-कहां स्थापित किया जा रहा है;

(ग) क्या उनके द्वारा पर्यावरणीय अपेक्षित अनुमति प्राप्त की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

ऊपरि पुल

7754. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजस्थान में अत्तरू में रेल ऊपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी अनुमानित लागत लगेगी;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान पुल के निर्माण कार्य को आरम्भ किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

विशेषज्ञ समिति

7755. श्री नवल किशोर राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में सुधार लाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें कब की गई थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन सिफारिशों के अतिरिक्त रेलवे के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु गठित अन्य समितियों की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन समितियों के नाम क्या हैं और इन समितियों की सिफारिशें कब-कब प्राप्त हुई थी ;

(ङ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर, 1994 तक रेलवे विभाग में कुछ सुधार किए हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) से (च) रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलों की संगठनात्मक अवसंरचना और प्रबंध प्रणाली का अध्ययन करने के लिए श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में टंडन समिति नामक एक समिति का गठन किया था ताकि भारतीय रेलें व्यापारोन्मुखी उद्यम की भांति कार्य कर सकें । समिति की रिपोर्ट जो मार्च 1994 में प्रस्तुत की गई थी वैचारिक प्रकृति की है, जिसमें विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न समितियों/कृतिक दलों के गठन का सुझाव किया गया था । इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्यों हेतु विभिन्न समितियों/कृतिक दलों का गठन किया है ।

1) लागत और लाभ केन्द्रों का पता लगाने हेतु 30.8.94 को गठित हसन इकबाल समिति ।

2) कंप्यूटर द्वारा सहायता प्राप्त दूरगामी निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास विश्व बैंक की सहायता से कृतिक दल का गठन किया गया । अवधि जनवरी, 1996 तक है ।

3) पूंजी की पुर्नसंरचना - 2.5.94 को गठित ए0बी0 पौलीस समिति ।

4) वित्त प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना - सलाहकार वित्त के समन्वयन से कृतिक बल निर्धारित अवधि 2 वर्ष है ।

5) प्रमान संवर्ग में विभिन्न रेल सेवाओं के एकीकरण की जांच - 15.4.94 को गठित गुप्ता-नारायण समिति ।

उपर्युक्त मुद्दों की जांच के लिए गठित समितियों/कृतिक दलों ने अपनी अंतिम रिपोर्टें अभी प्रस्तुत करनी हैं ।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण में अनियमितताएं

7756. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण की दोषपूर्ण वेतनमानों के लिए भर्त्सना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या 1990-91 के वित्तीय वर्ष में की गई आंतरिक लेखा परीक्षा से भारतीय खेल-कूद प्राधिकरण में कुप्रबंध के कई मामले प्रकाश में आए हैं,

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर आगे क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । वर्ष 90-91 के लिए आतंरिक लेखा परीक्षा से कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियों एवं चूकों का पता चला है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) आंतरिक लेखा परीक्षा से सामने आई प्रक्रियात्मक चूकों के संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण ने सुधारात्मक उपाय किए हैं ताकि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके ।

स्पोर्टस कम्पनियां

7757. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डुरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 से खेल-कूद में प्रतिभावान् लड़कों को प्रशिक्षित करने के लिए "बायस स्पोर्टस कम्पनियों" में वर्षवार कितने लड़कों का चयन किया गया है;

(ख) इन कम्पनियों में प्रशिक्षण ले रहे लड़कों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों में खेलकूद के क्षेत्र में प्रतिभाशाली लड़कियों का चयन और उन्हें प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) खेलों मे प्रतिभावान बालकों के प्रशिक्षण हेतु आर्मी बाल खेल कम्पनियों में वर्ष 1992-93 और उससे आगे के वर्षों में चयनित बालकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

	वर्ष	चयन
(1)	1992-93	213
(2)	1993-94	246
(3)	1994-95	165

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण आर्मी बाल खेल कम्पनियों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक उपलब्ध कराता है । इन स्कूलों में दाखिल किए गए चुनिंदा बच्चों को निःशुल्क आवास और भोजन, प्रशिक्षण, खेल किट, ट्यूशन फीस, चिकित्सा सुविधाएं, बीमा, खेल सुविधाएं, ग्रीष्मावकाश के दौरान एक मार्गरक्षी सहित घर आने-जाने का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, स्कूल यूनीफार्म, पुस्तकें और लेखन-सामग्री प्रदान की जाती है । प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बच्चों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ यात्रा खर्च दिया जाता है ।

(ग) और (घ) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

स्टालों का आवंटन

7758. प्रो० प्रेम धूमल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टाल अथवा ट्राली का आवंटन विक्रेता की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या ऐसे विक्रेताओं को शीर्ष प्राथमिकता देने के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली डिवीजन में विक्रेताओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) किसी खानपान/वेडिंग लाइसेंसधारी की मृत्यु के पश्चात केवल उसके कानूनी उत्तराधिकारी को करार की शेष अवधि तक संविदा हस्तान्तरित की जाती है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

शोध कार्य के लिए पुरस्कार

7759. श्री भगवान शंकर रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०सी०एच०आर की ओर से प्रशंसनीय शोध कार्य करने वाले लेखक अथवा लेखक के शोध कार्यों को प्रकाशित कर रही संस्थाओं को पुरस्कार देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो लेखकों अथवा संस्थाओं को पुरस्कार देने अथवा पुरस्कार पाने वाले का चयन करने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई०सी०एच०आर ने चार पुस्तकों के प्रकाशन के लिए "सहमत" नामक संस्था को कुछ अनुदान राशि दी थी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पुस्तकों का चयन किस आधार पर किया गया;

(ङ) क्या "सहमत" को इससे पहले भी ऐसे अनुदान दिए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये अनुदान किस आधार पर दिए गए थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की अनुसंधान वित्तपोषण नियमावली के अंतर्गत, एक आवधिक प्रकाशन, अर्थात वार्षिक रूप से अथवा लघु अंतरालों में प्रकाशित होने वाली पत्रिका अथवा वार्षिक रूप से अथवा दो वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले सम्मेलन के कार्यवृत्त, के संपादकों अथवा प्रकाशकों को कुछ शर्तों के अधीन उनके द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर प्रकाशन संबंधी वित्तीय सहायता देती है ।

(ग) और (घ) जी हां, "सहमत" का प्रस्ताव परिषद की अनुसंधान परियोजना समिति के समक्ष रखा गया था ।

"सहमत" द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों का मूल्यांकन, समिति के सदस्यों द्वारा नियमों के अनुसार और संघ ज्ञापन में दिए गए आयोग के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया था । समिति ने "सहमत" द्वारा प्रकाशित किए गए चार खण्डों में से प्रत्येक खण्ड के लिए 10,000/- रु0 प्रदान करने की सहमति दे दी है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कोंकण रेल परियोजना

7760. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकरिया :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना के मेहम और बाली के बीच 25 कि0मी0 के विवादित सैक्टर पर कार्य पुनः शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलपथ बिछाने और तटबंध बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार को राजी कर लिया है; और

(ग) क्या बंधपत्रों के द्वारा परियोजना हेतु धनराशि जुटाने के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लिंक निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाएगा और इसे चालू कर दिया जाएगा;

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी हां ।

ताड़ के पत्तों पर हस्तलिपि

7761. श्री गुरूदास कामत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताड़ के पत्तों पर लिखी गई दुर्लभ पाण्डुलिपियों की भुवनेश्वर के उड़ीसा संग्रहालय से तस्करी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है, और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जैसा कि उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि ताड़ के पत्तों पर लिखी गई किसी भी पाडुंलिपि की उड़ीसा के राजकीय संग्रहालय से तस्करी नहीं की गई है ।

(ख) से (ड) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

बाल कल्याण संगठन

7762. श्री छेदी पासवान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल कल्याण संगठनों में श्रमिकों की भर्ती और बच्चों को खाद्य वस्तुओं की पूर्ति के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वे संगठन कौन-कौन से हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

[अनुवाद]

हावड़ा गुड्स टर्मिनल

7763. प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा गुडस टर्मिनल को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार है;

(ख) क्या प्रस्तावित स्थानातंरण से रामकिस्तोपुर-शिवपुरचार-शालीमार-संतरागाची-भट्टनगर-बेलनगर-बली-बेलूर-लिलुधं से हावड़ा को जोड़ने वाली हावड़ा सर्कुलर रेलवे के निर्माण में तेजी आएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) जी हां, डानकुनी में ।

(ख) फिलहाल हावड़ा सर्कुलर रेलवे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल लाइन

7764. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोगीघोपा से सिल्चर तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण का प्रस्ताव व्यवहारिक है;

(ख) क्या मेघालय सरकार राज्य से होकर रेल लाइन बिछाने की अनुमति देने के लिए सहमत है;

(ग) क्या लंका से सिल्चर तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण जोगीघोपा से सिल्चर तक रेल लाइन बिछाने की तुलना में कम खर्चीली नहीं हैं और न ही कम आसान है;

(घ) क्या सरकार का विचार लंका से सिल्चर तक बड़ी लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने संबंधी अपने निर्णय की समीक्षा करने का है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) से (ड) लंका-सिल्चर रेल लाइन के सर्वेक्षण को अद्यतन करने का कार्य 1995-96 में 6.26 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है ।

सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार कर पाना संभव होगा ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी का आयात

7765. डा० पी. वल्लल पेरूमान : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के आयात के संबंध में उनके मंत्रालय के अन्य मंत्रालयों के साथ कोई मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों के भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं परन्तु सभी संबंद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार की ओर से सम्मिलित निर्णय लिया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम

7766. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति के बिना कम्पनियों की धनराशि का निवेश करने के लिए दोषी पाया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य-योजना

7767. श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :
श्री डी.वेंकटेश्वर राव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995-96 के दौरान देश में रेलवे के सुधार के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि सभी लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दे दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाए किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां, रेलों पर सेवा में सुधार लाना एक सतत प्रयास है ।

(ख) जी नहीं, स्वीकृति अर्थक्षमता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सहित कई कारकों पर निर्भर करती है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

चीनी मिलों संबंधी समिति

7768. डा० चिन्ता मोहन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की वर्तमान तकनीकियों में व्यापक सुधार करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक चीनी संस्थान स्थापित करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है और इससे किस मुददे पर रिपोर्ट देने को कहा गया है;

(घ) क्या देश में स्थित चीनी उद्योग की वर्तमान तकनीकियों में व्यापक सुधार करके चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने की पर्याप्त संभावना है; और

(ड) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित चीनी उद्योग अन्य राज्यों में स्थापित चीनी उद्योग की तुलना में कम विकसित हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) चीनी उद्योग के संबंध में प्रशिक्षण और परामर्श देने सहित प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित मामलों का विशिष्ट ध्यान देने वाली संस्थान की स्थापना करने की व्यावहार्यता की जांच करने के लिए दिनांक 4 अप्रैल, 1995 के आदेश द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है । इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :-

(क) प्रस्तावित संस्थान के क्षेत्र और कार्यों का सुझाव देना ।

(ख) संस्थागत ढांचें का सुझाव देना ।

(ग) संस्थान के संगठनात्मक ढांचें का सुझाव देना ।

(घ) संस्थान की मूलभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आवश्यकताओं का सुझाव देना ।

(ड) संस्थान के लिए उपयुक्त स्थान का सुझाव देना ।

इस समिति को इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

(घ) जी, हां ।

(ड) रूपान्तरण लागत किसी क्षेत्र विशेष में चीनी उद्योग के विकास के बार में प्राथमिक सूचक है । वर्तमान मौसम के लिए लेवी मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए औसत रूपान्तरण लागत (वृद्धि सहित) 237.81 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारत औसत की तुलना में पश्चिम उत्तर प्रदेश लेवी मूल्य जोन के लिए 240.85 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है ।

[अनुवाद]

भूमि लाइसेंस शुल्क

7769. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रत्येक जोनल रेलवे में भूमि लाइसेंस शुल्क के रूप में कितनी राशि बकाया हो गई है;

(ख) रेल भूमि लाइसेंस शुल्क की मद में इनकी अधिक बकाया राशि इकट्ठी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूरी बकाया राशि को वसूल करने हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों में लाइसेंस शुल्क

के संचलित वकाया की क्षेत्रीय रेलवार राशि निम्नलिखित प्रकार से है :

	(करोड़ रु. में)
रेलवे	1.4.91 से 31.3.95 की अवधि में प्रोदभूत वकाया की राशि
मध्य	1.13
पूर्व	-0.10
उत्तर	23.31
पूर्वोत्तर	0.16
पूर्वोत्तर सीमा	-1.05
दक्षिण	4.78
दक्षिण मध्य	0.30
दक्षिण पूर्व	0.03
पश्चिम	3.55
जोड़ :-	32.11

(ख) 1.4.1986 से लाइसेंस शुल्क की दर में वृद्धि होने तथा लाइसेंस शुल्क का आकलन करने के लिए भूमि का अद्यतन बाजार भाव अपनाए जाने के पश्चात कुछ लाइसेसधारियों द्वारा इस पर विवाद करने और ऐसे लाइसेंस धारियों द्वारा मुकदमे दायर करने के फलस्वरूप लाइसेंस शुल्क के बकाया चढ गए हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) लाइसेंसधारियों के साथ बकाया राशि के भुगतान के मामले का गहन अनुसरण किया गया है और उनके साथ निरंतर पारस्परिक क्रिया के जरिए विवादों को हल करने के सभी प्रयास किए गए हैं । रेलवे द्वारा अदालती मामलों पर कार्रवाई की जा रही है ।

(ड0) अनेक विवादित मामलों को आपस में सुलझा लिया गया है और लाइसेसंधारियों ने बकाया राशि का भुगतान करना आरंभ कर दिया है । कुछ मामलों में, विवादों के अंतिम हल को लंबित मानते हुए आंशिक भुगतान किए गए हैं ।

निर्यात मूल्य संबंधी समिति

7770. **श्री अनंतराव देशमुख :**
श्री राम नाईक :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए निर्यात की अवधि के दौरान गेंहू का घरेलू बाजार में क्या मूल्य था;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम गेंहू केन्द्रों से देश के अन्य भागों, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं पहुंचाने में असमर्थ रहा है;

(ग) क्या सरकार ने गेहूं की बिक्री सुगम बनाने के लिए खाद्यान्नों हेतु पृथक निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 1994-95 और 1995-96 (मई 95 तक) के दौरान 30,000 मीटरी टन की करार की गई मात्रा में से नेपाल को 2000 मीटरी टन चावल के अलावा खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का कोई सीधे निर्यात नहीं किया है ।

17.5.95 को देश में चावल के थोक मूल्य 585 रुपये से 920 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में थे । इसी प्रकार 17.5.95 को स्थिति के अनुसार देश में गेहूं के थोक मूल्य 350 रुपये से 662 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ साथ घरेलू/निर्यात के प्रयोजनों के लिए खुली बिक्री के खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में निर्णय करने के लिए अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । अप्रैल-मई, 95 में उक्त समिति द्वारा निर्णित गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य 4100 रुपये से 4550 रुपये प्रति मीटरी टन के बीच थे ।

चल टिकट परीक्षकों द्वारा उत्पीड़न

7771. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो महीनों के दौरान दिल्ली की ओर जाने वाली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में चल टिकट परीक्षकों (टी.टी.ई.) द्वारा किए गए उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) से (ग) पिछले दो महीनों के दौरान केवल एक शिकायत जो 19.4.95 को टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी, ध्यान में आई थी । शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि श्रीमती भानुमति, जिन्होंने 15.4.95 को पुरूषोत्तम एक्सप्रेस से पुष्ट आरक्षण पर यात्रा की थी, को चल टिकट परीक्षक ने आबंटित शायिका का अधिभोग करने की अनुमति नहीं दी थी और उसने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था । जब यह शिकायत रेलवे के ध्यान में लाई गई, उन कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी । बाद में की गई पूछताछ से पता चला कि श्रीमती भानुमति शयनयान आरक्षित डिब्बे मे दूसरे दर्जे की अनारक्षित मेल/एक्सप्रेस टिकट पर यात्रा कर रही थी जब उनसे दोनों दर्जों के किरायों के अन्तर का भुगतान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने भुगतान करने के लिए मना कर दिया । अतः उनके द्वारा अधिकृत शायिका को खाली कराया गया, परंतु महिला होने के कारण उन्हें उस डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति दी गई, आमने-सामने पूछताछ के दौरान बुर व्यवहार के आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकी थी ।

रेलवे कैपीटल रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी

7772. **डा. अशीम बाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कैपीटल रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के अनुसार रेलवे ऋण के शिकंजे में फंसने की स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे के पास इस स्थिति से उबरने के लिए कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस संबंध में रेलवे पूंजी पुनर्सरचना समिति की यह टिप्पणी सही नहीं है क्योंकि ऋण नए निवेश के प्रयोजन के लिए है, जिससे भारतीय रेलों के कार्य-निष्पादन के आधार पर आगामी वर्षों में आय के नए साधनों का सृजन होने की संभावना है। इसके अलावा, भारतीय रेलें अपनी लाभांश दायिता का पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से निर्वाह कर रही हैं और आज तक लाभांश की कोई राशि बकाया नहीं है ऋण पूंजी पर सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान आस्थगित लाभांश दायिता, सहित यदि कोई हो और भारतीय रेल वित्त निगम को वार्षिक पट्टा प्रभारों के भुगतान को सकल प्राप्तियों को अनुपात के अनुसार लेते हुए ऋण सवा अनुपात 1993-94 में 12.57 प्रतिशत और 1994-95 (सं.अ. के आधार पर) में 12.77 प्रतिशत बनता है जो बहुत औचित्यपूर्ण सीमाओं के भीतर है।

(ग) रेलवे पूंजी पुनर्सरचना समिति द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट में कुल मिलाकर 19 सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों से सामान्य वित्त और रेलवे वित्त के बीच संबंधों को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। रेलवे पूंजी पुनर्सरचना समिति ने भारतीय रेलवे और केन्द्र सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाले पत्र का भी प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) स्थिति पहले ही ऊपर (क) और (ख) में स्पष्ट कर दी गई है। इसके अलावा, रेलें पट्टा प्रभार्य अदा करने, विभिन्न निधियों में पुनर्विनियोजन करते हुए और अपने संसाधनों से लाभांश दायिता पूरी करने के बाद, भी अपने योजनागत निवेशों के लिए पूंजी निधि में अंतरण हेतु अधिशेष का सृजन कर रही हैं।

टेलीफोन नम्बर

7773. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे ने आरक्षण आदि की जानकारी चाहने वाली यात्रियों के लिए टेलीफोन नम्बर 3348686 और 3348787 पर उपलब्ध फायदों के संबंध में व्यापक प्रचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक टेलीफोन नम्बर पर उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन टेलीफोन नम्बरों पर उपलब्ध कराई गई सेवाएं व्यक्ति द्वारा दी जाती है अथवा कम्प्यूट्रीकृत हैं;

(घ) क्या उक्त टेलीफोन नम्बरों के लिए पंद्रह लाइनें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि अधिकांश समय ये नम्बर व्यस्त न रहें;

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था की है कि ये टेलीफोन नम्बर जान-बूझकर व्यस्त न रखे जाएं; और

(च) क्या सरकार ने इस टेलीफोन नम्बरों की समुचित रूप से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कतिपय कदम उठाए हैं ताकि इन नम्बरों पर मांगी जाने वाली जानकारी का ईमानदारीपूर्वक और सही-सही उत्तर दिया जाए ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) ऊंचे दर्जे और निचले दर्जे के आरक्षण के बारे में पूछताछ करने वालों की सुविधा के लिए टेलीफोन सं. 3348686 और 3348787 व्यवस्था किये जाने के संबंध में जनता की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था।

(ग) यह सेवा कर्मचारियों द्वारा परिचालित की जाती हैं।

(घ) कुल 12 टेलीफोन लाइने हैं अर्थात् ऊंचे तथा निचले दर्जे के लिए छः लाइनें।

(ङ) और (च) कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों को कड़े अनुदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये टेलीफोन जानबूझ कर व्यस्त न रखे जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा अचानक जांच भी की जा रही है।

स्टेडियमों के प्रबंधन का निजीकरण

7774. श्री भरत पटनायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत खेल प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले स्टेडियमों के प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का आयात

7775. श्री कोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों ने कहा है कि वे 450.60 डॉलर से सस्ती दर पर चीनी ला सकते थे ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है कि एम.एम.टी.सी. ने इतनी ऊंची दर पर चीनी का आयात क्यों किया; और

(ग) क्या सरकार ने एम.एम.टी.सी. और एफ.सी.आई. को 1995-96 के दौरान और चीनी न खरीदने का निर्देश दिया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ग) आयात के लिए पहले ही अनुबंधित चीनी को छोड़कर कोई और बढ़ोतरी अपेक्षित नहीं है।

गेहूं की खरीद

7776. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डीजल और बिजली की कमी के कारण देश के कुछ भागों में विशेषतः पंजाब में गेहूं की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो डीजल और बिजली उपलब्ध कराने हेतु उनके मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत मंत्रालय के साथ इस मामले पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान रबी विपणन मौसम के दौरान 26.5.95 तक 111.8 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 113.2 लाख मीटरी टन की वसूली की गई थी। वर्तमान रबी विपणन मौसम के दौरान 26.5.95 को स्थिति के अनुसार 69.5 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 70.4 लाख मीटरी टन की वसूली की गई थी।

पंजाब और हरियाणा में अप्रैल, 1995 के आरम्भ में बेमौसमी वर्षा होने और

कटाई में विलम्ब होने के कारण गेहूं की बाजार आभद अपेक्षाकृत कम हुई थी। पंजाब में डीजल की कुछ कमी के बारे में भी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके लिए अन्तर-विभागीय समन्वय के जरिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। बाद में मंडियों में आभद के स्तर में बढ़ोतरी हुई और वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि वसूली कुल मिलाकर पिछले वर्ष के स्तर पर हो रही है।

रेल सम्पर्क

7777. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "रेल इंडिया टेकीकल एण्ड इकॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स)" ने कुछ समय पहले नोएडा टाउनशिप को दिल्ली से जोड़ने के संबंध में कोई व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या "राइटस" ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य बातों के साथ-साथ इस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा;

(घ) क्या इस संबध में नोएडा प्राधिकरण ने केंद्रीय सरकार से दिल्ली और नोएडा के बीच आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर रेल संपर्क की आवश्यकता पर बल देने का अनुरोध किया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) राइट्स ने नोएडा प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट नवंबर 1991 में ही प्रस्तुत कर दी है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ड) जी हां। नोएडा प्राधिकारियों ने नोएडा टाउनशिप के लिए रेल संपर्कों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

विवरण

नोएडा के लिए पर्याप्त, आर्थिक तथा कार्यक्षम रेल संपर्क की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित आरंभ स्थानों पर विचार किया गया था:

(I) साहिबाबाद

(II) साहिबाबाद तथा गाजियाबाद के बीच का खंड

(III) मारीपत - (उत्तर रेलवे पर)

(IV) दादरी

(V) ओखला तथा तुगलकाबाद के बीच का खंड

(VI) बदरपुर ताप बिजली घर साइडिंग के रास्ते तुगलकाबाद

(VII) फरीदाबाद

(VIII) बल्लबगढ़ तथा असौटी के बीच का खंड (मध्य रेलवे पर)

मारीपत के पूर्वोत्तर तथा बल्लबगढ़ और असौटी के बीच मध्य खंड के अलावा अन्य सभी स्थानों को निम्नलिखित कारणों से छोड़ दिया गया है :-

(I) तकनीकी कारण।

(II) मार्गपत अथवा असौटी के अलावा अन्य स्थानों में या उनके आस पास वृहत औद्योगीकरण (भूमिका अधिग्रहण अति विलंब करने वाला मामला है)

(III) जहां कहीं आवश्यक है भूमिगत पारपथों अथवा फ्लाई ओवरों का निर्माण करना या तो व्यावहारिक नहीं है अथवा इस पर आने वाली लागत बहुत अधिक है।

प्रस्तावित रेल संपर्क जो मारीपत से शुरू होगा, कृषि भूमि से आड़ा तिरछा होकर गुजरेगा। नोएडा में 0/000 कि.मी. पर समाप्त होने से पहले, यह अपने प्रारंभिक स्थान मारीपत से 9.961 कि.मी. की दूरी पर हिंडन नदी को पार करता है। मारीपत प्रारंभिक स्थान से नोएडा तक इस संरेखण लम्बाई 15.061 कि.मी. होगी।

नोएडा में 9.430 कि.मी. की दूरी के औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने के बाद यह संरेखण पश्चिम में यमुना नदी को पार करती है। तब यह आगरा नहर के समानान्तर चलता है तथा नोएडा से 34.560 कि.मी. की दूरी तय करने के बाद यह इस नहर को पार करता है ताकि यह बल्लबगढ़ तथा असौटी के बीच की मौजूदा रेल लाइन से मिल सके। नोएडा और असौटी के बीच की लाइन की दूरी 42 कि.मी. है। इस प्रकार, प्रस्तावित रेल संपर्क की कुल लम्बाई 57.061 कि.मी. होगी। सामग्री तथा जनशक्ति की 1990 को लागतों के आधार पर नोएडा टाउनशिप से मध्य रेलवे के असौटी तथा उत्तर रेलवे के मारीपत स्टेशन तक व्यावहारिक रेल संपर्क की व्यवस्था करने पर आने वाली अनुमानित लागत 226.03 करोड़ रुपये निकलती है।

कोंकण रेलवे

7778. **श्री राम कापसे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी से लगभग 22 किलोमीटर दूर रेवांडा के समीप कोंकण रेलवे के रेल मार्ग का कुछ भाग धंस गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस घटना के कारण कोंकण रेलवे को चालू करने हेतु समय सारणी पुनः निर्धारित की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां। 17.3.95 को कि.मी. 391.524 और 391.604 के बीच आंशिक रूप से निर्मित तटबंध का 10 मी. चौड़ा और 8.5 मी. ऊंचा भाग पूर्वी दिशा में लगभग 2 मी. धंस गया। तटबंध के नीचे 1.8 मी. व्यास वाले 3 अदद आर.सी.सी. पाइपों वाली पाइप पुलिया भी मध्य भाग में लगभग 30 से.मी. धंस गई।

(ग) जी नहीं।

सुपर बाजार

7779. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार में राजस्व घाटा को रोकने और आय बढ़ाने हेतु विपणन की नई पद्धतियों को अपनाकर संचालन लागत और व्यय कम करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा अथवा किसी परामर्शदात्री संगठन के माध्यम से कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड) इस संबंध में हासिल किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दी कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी सोसाइटी है। इसके कार्यों का प्रबंधन सुपर बाजार की विधिवत गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। सुपर बाजार की प्रबंध समिति वस्तु सूची पर कड़ा नियंत्रण रखने, कुल बिक्री में वृद्धि सुनिश्चित करने, अलाभकर बिक्री केन्द्रों-कार्यों की आवधिक समीक्षा करने और प्रचालन लागत तथा व्यय में कमी लाने के लिए सीधे स्रोत से अधिप्राप्ति करने जैसे उपाय करती है। सुपर बाजार की कुल बिक्री जो 1991-92 में 9784.01 लाख रुपए की थी, 1993-94 में बढ़कर 11520.34 लाख रुपए हो गई है और इसका निवल लाभ 1991-92 के 9.33 लाख रुपये से बढ़कर 1993-94 में 41.65 लाख रुपये हो गया है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, परन्तु यह मंत्रालय समय-समय पर सुपर बाजार के कार्य की समीक्षा करता है और जहां कहीं अपेक्षित हो, सुपर बाजार की प्रबंध समिति को अपनी सलाह देता है। यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सुपर बाजार ने अपनी कुल बिक्री और वित्तीय स्थिति में सुधार किया है।

[हिन्दी]

कोयले की ढुलाई

7780. श्री नितीश कुमार :
श्री अनंतराव देशमुख :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के एककों के लिए कोयले की ढुलाई पर रेलवे द्वारा हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध के कारण उद्योगों के बंद हो जाने की संभावना है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध मे तथ्य क्या है ;

(ग) क्या कई औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे द्वारा निजी क्षेत्र की इकाइयों के लिए कोयले के संचालन हेतु कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और किसी उद्योग के बंद हो जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और किसी भी उद्योग द्वारा संकट की स्थिति की सूचना दिए जाने पर उससे निपटने हेतु कार्रवाई की गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 95 के दौरान सीमेंट, उर्वरक और अन्य गैर महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए प्रति दिन क्रमशः 3069, 3151 और 2361 माल डिब्बों की ढुलाई की गई जिसमें अधिकांश निजी क्षेत्र की इकाइयां शामिल की गई थीं। क्षेत्रीय रेलों को इसे आशय के अनुदेश दिए गए हैं कि वे उद्योगों के लिए कोयले की ढुलाई में तेजी लाएं।

कच्छ की खाड़ी

7781. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में सरकार द्वारा 'नेशनल मैरिन पार्क, के रूप में घोषित कच्छ की खाड़ी के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को किस प्रकार से और कब से लागू किया जा रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन पर वर्षवार कितना खर्च हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कच्छ की खाड़ी, राष्ट्रीय समुद्री पार्क (मेरीन नेशनल पार्क) के विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात् 'राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास' तथा 'बाघ रिजर्वों सहित संरक्षित क्षेत्रों के भीतर तथा उनके आसपास पारि-विकास' क्रियान्वित की जा रही है। फिलहाल इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार का कोई अन्य स्कीम आरम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर उल्लिखित स्कीमों के अंतर्गत वास-स्थलों का सुधार एंव सरंक्षण आधारभूत ढांचों का सृजन, पारि-विकास आदि जैसी विकास-गतिविधियों के लिए गुजरात राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयाहण्यों के विकास की स्कीम को सातवीं योजना अवधि से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा पारि-विकास की स्कीम को 1991-92 से आरम्भ किया गया था।

(ग) गुजरात राज्य सरकार मैरिन नेशनल पार्क के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दी गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	स्कीम	वर्ष		
		1992-93	1993-94	1994-95
			(लाख रूपयों में)	
1.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	6.00	3.334	5.00
2.	बाघ रिजर्वों सहित संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और उनके आसपास पारि-विकास	3.00	1.60	-

वर्ष 1994-95, जिसके दौरान उपयोग के बारे में रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है, को छोड़कर राज्य सरकार को बंटित निधियों का उपयोग हो चुका है।

[अनुवाद]

उर्वरकों में मिलावट

7782. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान उर्वरकों में मिलावट संबंधी उत्तर प्रदेश के किसानों को समस्याओं की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस मामले में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु आगे क्या कदम उठाए जाएंगे कि भविष्य में उर्वरकों में कोई मिलावट न की जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) जी, हां। उर्वरकों

में मिलावट के बारे में 1993-94 में पूर्वा उत्तर प्रदेश से एक और 1994-95 में बुलन्दशहर से दो शिकायतें मिली थी। उर्वरकों की क्वालिटी का विनियमन उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अधीन किया जाता है। उत्तर प्रदेश को राज्य सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं कि किसानों को मानक गुण स्तर के उर्वरक बेचे जाएं। विस्तृत छानबीन के बाद में शिकायतें उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई हैं। देश के विभिन्न भागों में क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशालाएं खोली गई हैं ताकि उर्वरकों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिये राज्स सरकार द्वारा अधिसूचित निरीक्षकों द्वारा उर्वरकों के नमूने लिए जा सकें। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सामयिक विवरणियां भेजी जा रही हैं जिनको नियमित रूप से समीक्षा और मानिटरिंग की जाती है। इसके अलावा, हर वर्ष खरीफ और रबी सम्मेलनों के दौरान उर्वरकों को सप्लाई की क्वालिटी की गहन समीक्षा की जा रही है ताकि उर्वरकों में मिलावट पर काबू पाया जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय युवा नीति

7783. श्री मंजय लाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय युवा नीति के संविधान के मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत शामिल करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युतीकरण

7784. श्री वीर सिंह मंहतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दक्षिण पूर्व रेलवे के आन्द्रा डिवीजन में मुनी चांडिल और पुरूलिया-क्रोट शिला सेक्शन में विद्युतीकरण हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, हां।

(ख) चांडिल-मुरी-बरकाकाना खंड के विद्युतीकरण का कार्य जिसका मुरी-चांडिल एक भाग है, प्रगति पर है। पुरूलिया-क्रोशिला, बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-किरिबुरू-बरसुआन खंड का एक भाग है, जिसके विद्युतीकरण का कार्य भी प्रगति पर है।

(ग) उपर्युक्त खंडों के विद्युतीकरण का कार्य मार्च, 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

गंगा कार्य योजना चरण-दो

7785. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर के निकट चर्मशाला अपशिष्ट जल के उपचार के लिए गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण हेतु नीदरलैंड से सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) गंगा कार्य योजना, चरण-दो के लिए अन्य देशों/एजेंसियों से मिल रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना चरण-II के अन्तर्गत कानपुर के निकट चर्मउद्योग अपशेष जल के उपचार के लिए नीदरलैंड सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। गंगा कार्य योजना चरण'I के लिए इन्डो-डच आर्थिक सहयोग कार्यक्रम में 50 मिलियन डी.एफ.एल. सहायता अनुदान की व्यवस्था है जिसमें कानपुर में जाजमऊ चर्मउद्योगों से चर्मउद्योग अपशेष जल के संग्रहण और उपचार सुविधाएं स्थापित करने के साथ ही 14.39 करोड़ रुपए के संघटकों की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। सुविधाएं स्थापित कर ली गई है और सीवेज उपचार संयंत्र के दिसम्बर, 1995 में चालू किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) यमुना कार्य योजना के लिए ओवरसीज इकोनामिक कोवापरेशन फंड (ओ.ई.सी.एफ.) जापान आंशिक वित्तीय सहायता के रूप में 17.773 बिलियन येन प्रदान कर रहा है तथा ओवरसीज डेवलमेंट एडमिलिस्ट्रेशन (ओ.डी.ए.) ने गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत लखनऊ में प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए धन देने में रूचि दिखाई है। यमुना कार्य योजना में शामिल तीनों राज्यों दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर तथा जौनपुर में गोमती कार्य योजना का कार्यन्वयन शुरू हो चुका है।

मुर्गी-पालन नियंत्रण प्रकोष्ठ

7786. श्री जे. चोक्का राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुर्गी-पालन नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकोष्ठ के लिए अपेक्षित धनराशि प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गेहूं का आबंटन

7787. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सिक्किम को गेहूं का कुछ मासिक आबंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति किलोग्राम आपूर्ति दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिक्किम में उन परिवारों की संख्या क्या है जिनको वर्ष 1994-95 के दौरान गेहूं वितरित किया गया है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों में रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए कुछ खण्डों का चयन किया गया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सिक्किम को इस समय 10000 मी. टन गेहूं और 4000 मी. टन चावल का मासिक आवंटन किया जा रहा है। सिक्किम में समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेंहू दोनों) की अनुमानित आवश्यकता 19464 मी. टन प्रति वर्ष है, जिसका मासिक औसत 1622 मी. टन निकलता है। राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों/जिलों को आवंटन का मामला राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। 1991 की जनगणना के आधार पर अनुमानों के अनुसार सिक्किम में समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों में 41000 परिवार रह रहे हैं। केन्द्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों जिसमें समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्र शामिल है के लिए अभिप्रेत गेहूं 352 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जारी करती है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है। कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में गेहूं के अंतिम खुदरा मूल्य 3.77 रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं हों। केन्द्रीय सरकार द्वारा जिला मुख्यालयवार आटा तथा गेंहू के खुदरा मूल्यों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ड) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 897 ब्लाकों में से 145 बलाक संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अभिज्ञात ब्लाकों जहां राज्य की गरीबी की रेखा से नीचे आबादी का एक बड़ा भाग रहता है। को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाया गया है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण के लिए अभिप्रेत खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष राज्य सहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किये जाते हैं। जो कि सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रुपये प्रति क्विंटल कम हैं।

समेकित बाल विकास योजना में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

7788. श्री अनादि चरण दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण नीति से बाहर रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस योजना से जुड़े हुए कर्मचारियों की संख्या क्या है। तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध व्यक्तियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को आरक्षण नीति के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) जी नहीं। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मदद से ग्राम स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। क्योंकि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाएं स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं। जिन्हें अपने स्वैच्छिक कार्यों के लिए मानदेय की एक निश्चित राशि मिलती है। इसलिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार की आरक्षण नीति इन पर लागू नहीं होती। तथापि समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत अन्य सभी कर्मचारी जो अलग अलग राज्य संवर्गों के कर्मचारी हैं जिनमें पर्यवेक्षक सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी शामिल हैं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) 31-3-95 की स्थिति के अनुसार देश में 2504 बाल विकास परियोजना अधिकारी/ सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा 11422 पर्यवेक्षक कर्यरत हैं। चूंकि ये कर्मचारी अलग-अलग राज्य संवर्गों के कर्मचारी हैं इसलिए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत इन कर्मचारियों पर आरक्षण नीति लागू करने का दायित्व राज्यों का है।

(घ) और (ड) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद पाठ्यक्रम

7789 श्री देवी बक्स सिंह :
डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद में युवकों की भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने तथा तकनीती दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पंचवर्षीय वित्तीय सहायता से डिग्री स्तर पर पूरे देश में विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद पाठ्यक्रम शुरू किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पूरे देश में कुल कितने विश्वविद्यालयों और कालेजों का चयन किया गया तथा उत्तर प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों और कालेजों में यह पाठयक्रम शुरू किया गया,

(ग) इन विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद विषयों के शैक्षिक सन्न के लिए कितने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की गई,

(घ) क्या सरकार ने 1989-90 के सत्र हां, में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की छटनी की है।

(ड) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(च) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को विश्वविद्यालयों और कालेजों में पुनः नियुक्त करने का है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल कूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम 29 संस्थाओं में शुरू किया गया है। उक्त पाठयक्रम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कालेजों में शुरू किया गया है :-

1. एम.एम.एच. कालेज गाजियाबाद

2. तिलक डिग्री कालेज औरय्या

3. स्नातकोत्तर कालेज गाजीपुर

4. सी.सी.आर. (स्नातकोत्तर) कालेज मुजफ्फरनगर

(ग) उक्त पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सत्र किसी भी दिए गए वर्ष में जून/जुलाई के महीनों में आरंभ होता है ।

उत्तर प्रदेश के संबंधित कालेजों द्वारा निम्नलिखित गैर शिक्षण कर्मचारी भर्ती किए गए हैं :-

क्र.सं.	कालेज का नाम	ग्राउंडमैन मार्कर	प्रयोगशाला परिचर	प्रयोगशाला तकनीशियन
1.	एम.एम.एच. कालेज गाजियाबाद	4	1	1
2.	तिलक डिग्री कालेज औरय्या	3	1	1
3.	स्नातकोत्तर कालेज गाजीपुर	4	1	1
4.	सी.सी.आर. (स्नात्कोत्तर) काजेल मुजफ्फरनगर	4	1	1

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं है ।

(ड) से (छ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात

7790. श्री बी. कृष्ण राव :
श्री सी. पी. मुडला गिरियप्पा :
श्री के. जी. शिवप्पा :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षक का क्या अनुपात है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने में असाधारण विलम्ब हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि 560 छात्रों के नामांकन वाले किसी पूर्ण नवोदय विद्यालय में छात्र और शिक्षक अनुपात 22:1 का होता है ।

(ख) से (घ) नवोदय विद्यालय समिति में पद रिक्त होने के कई कारण होते हैं । जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना, ग्रीमीण क्षेत्रों में कार्य के लिए शिक्षकों की ओर से इच्छुक न होना इत्यादि ।

भर्ती प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए समिति ने रिक्त पदों को अधिसूचित किया है और चयन प्रक्रिया में तेजी लाई है । सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के वास्ते भी अनुदेश जारी किए हैं ।

रेल लाइनें

7791 डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **रेलमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में मीटर गेज से बड़ी लाइनों में परिवर्तित रेल लाइनों को छोड़कर अब तक कितनी दूरी की नई रेल लाइनें बिछाई गयी हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राज्य हेतु व्यय की गयी/आवंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई रेल लाइन नहीं बिछाई गयी है, बहरहाल कपडवुज से प्रोडासा (60.50 कि.मी.) तक नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया है ।

(ख) नई रेल लाइनों के लिए आवंटिन की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	रुपए
1992-93	कार्य रोक दिया गया था । केवल
1993-94	टोकन परिव्यय की व्यवस्था की
1994-95	गयी थी ।
1995-96	कार्य चालू करने के बाद 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी ।

कैनोइंग और कयाकिंग दौड़

7792 श्री पी. सी. थामस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की पारम्परिक कैनोइंग और कयाकिंग नौका दौड को अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद और क्रीडा के क्षेत्र में मान्यता प्रदान की गई है ।

(ख) यदि हां तो क्या भारत ने नौका दौड़ की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त नौका दौड़ को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल मान्यता प्राप्त खेल विधाओं की ही प्रतियोगिता होती है । केरल की पारम्परिक नौका दौड़ जिसको पैडल करने के लिए 100 पैडलरों

की आवश्यकता होती है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त खेल विधा नही है । दौड़ का आयोजन एक स्थानीय समिति करती है जिसमें केन्द्रीय सरकार का कोई योगदान नहीं है ।

चीनी मिलें

7793. श्री दिलीप भाई संघाणी :

श्री पी. कुमारासामी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) आज की तिथि तक गुजरात और तमिलनाडु में कितनी चीनी मिलें लगायी गयी हैं ;

(ख) क्या सरकार का इन राज्यों में सहकारी चीनी मिलों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां तो आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान सहकारिता के आधार पर राज्यों में कितनी चीनी मिलें लगायी जाएंगी और राज्यवार तत्संबंधी बयौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 31.1.1995 तक गुजरात तथा तमिलनाडु राज्यों में क्रमशः 18 तथा 93 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं ।

(ख) और (ग) 31.1.1995 तक गुजरात तथा तमिलनाडु राज्यों में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव खाद्य मंत्रालय की विचाराधीन लम्बित नहीं है । इन दो राज्यों में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए जब भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन्हें लाइसेंसिंग नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रक्रिया में लाया जाएगा ।

[हिन्दी]

तीसरी और चौथी रेल लाइन

7794 श्री कांशीराम राणा :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार के पास बलसार के रास्ते से सूरत और मुम्बई के मध्य तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ; और

(ग) इस मार्ग पर यातायात की आवाजाही में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस तरीके अपनाये गये है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) विरार और अहमदाबाद के बीच तीसरी और चौथी लाइन की व्यवस्था करने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है, परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) यातायात में वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए लाइन क्षमता का विस्तार करने के लिए कार्यों की विभिन्न मदों के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सेवा योजना

7795 डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री अमरपाल सिंह :
श्री लाईता उम्ब्रे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है,

(ख) यदि हां, तो कब और मूल्यांकन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है, और

(ग) रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर क्या कार्यवाही की गई है किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के मूल्यांकन का कार्य भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली को नवम्बर 1992 में दिया गया था । मूल्यांकन का कार्य अभी चल रहा है । भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट जुलाई 1995 में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल गाडियों का रद्द किया जाना

7796 श्री के. प्रधानी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अनेक भागों में कुछ सवारी गाडियों को अस्थाई रूप से रद्द करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) इन गाडियों के क्या नाम हैं और ये कब रद्द की जाएंगी; और

(घ) सवारी गाड़ियों से कितने इंजन निकाल लिए जाएंगे ताकि उनका उपयोग माल गाडियों को चलाने में हो सके ;

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

कन्याकुमारी से एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू करना

7797 श्री एन. डेनिस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार के पास कन्याकुमारी से देश के विभिन्न भागों के लिए सीधी एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा पाठ्यक्रम

7798 श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा पाठ्यक्रम योजना का विस्तार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अंतिम रूप से तैयार विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विगत दो वर्षों के दौरान लक्ष्य प्राप्त किए गये थे ;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष और शेष योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) मे राज्यमंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान प्रदत्त 8 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान इस स्कीम के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 9 करोढ़ रुपए कर दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ड) वर्ष 1994-95 के दौरान कुल 517 संक्षिप्त पाठ्यक्रम और 697 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मंजूर किये गये थे । चालू वर्ष और शेष योजनावधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया के आधार पर और अधिक संख्या में पाठ्यक्रम मंजूर किए जा सकते हैं ।

इंजीनियरिंग कालेज में सीट

7799 श्री विजय एन. पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने केन्द्र, राज्य सरकारों और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित इंजीनियरिंग कालेजों में और अधिक सीटें स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने और अधिक सीटें स्वीकृत करते समय क्या मानदण्ड निर्धारित किए थे; और

(ग) और अधिक सीटें स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित करने हेतु कि इंजीनियरिंग शिक्षा का स्तर विकसित देशों के समान हो, क्या कदम उठाए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) इंजीनियरी कालेजों में अतिरिक्त स्थानों की स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों पर विचार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 23 नवम्बर 1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित उसके विनियमों में निर्धारित मानदण्डों के मुताबिक किया जाता है । ये विनियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अधीन बनाए गये हैं जो कि तकनीकी शिक्षा पद्धति में मानदण्डों और मानकों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करता है ।

केरल एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना

7800 श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या केरल एक्सप्रेस 29 जनवरी 1995 को आंध्र प्रदेश में काल हस्ती और रेनीगुंटा के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के कारणों की कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) इस दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए; और

(ड) रेलवे के मृत कर्मचारियों और मृत यात्रियों के निकट संबंधियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां 29 जनवरी 1995 को 5.25 बजे 2625 केरल एक्सप्रेस दक्षिण मध्य रेलवे के गुन्तकल मंडल के रचगुन्नेरी स्टेशन के निकट बिना चौकीदार वाले समपार सं. 32 पर एक ट्रक से टकरा गई ।

(ख) और (ग) विभागीय जांच की गयी थी जिससे पता चला कि ट्रक नं. ए. पी. 04-टी/1133 के चालक ने बिना चौकीदार वाले समपार पर प्रदर्शित चेतावनी पट्टा की उपेक्षा करते हुए निकट आती हुई गाड़ी के सामने से समपार को पार किया इस दुर्घटना के लिए ट्रक चालक को दोषी पाया गया था ।

(घ) इस दुर्घटना में गाड़ी ड्राइवर की मृत्यु हो गयी और ट्रक में बैठे तीन व्यक्ति घायल हो गये ।

(ड) गाड़ी ड्राइवर के निकट संबंधी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आवेदन पत्र रेल दावा अधिकरण सिकंदराबाद में दायर किया गया है ।

[हिन्दी]

स्टाल

7801 श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर दही, मक्खन, दुग्ध तथा दुग्ध से बने पदार्थों हेतु स्टाल आवंटित नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) क्या अनुमति दिए जाने के बावजूद बिहार में दानापुर पटना तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर ऐसे स्टाल आवंटित नहीं किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आमान परिवर्तन

7802 श्री मोहन लाल शिकराम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) शिवानी और परसिया के बीच गोंदिया से जबलपुर और मंडला से नैनपुर तक मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब शुरू हुआ था,

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, और

(ग) बदली हुई लाइनों को प्राथमिकता क्रम में रखने के लिए क्या मानदंड उपनाए गये है ;

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) गोंदिया जबलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद शुरू करने का प्रस्ताव है ।

नैनपुर मंडला और सियोनी छिंदवाडा छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन के बारे में यातायात परियोजनाओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना के अगले चरण में आमान परिवर्तन की शेष लाइनों के साथ-साथ विचार किया जायेगा छिंदवाडा परसिया खंड (28 कि.मी.) पर कार्य मार्च 96 पक पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ग) आमान परिवर्तन के लिए हाथ में ली जाने वाली लाइनों की प्राथमिकता रेलों तथा राष्ट्र की परिचालनिक/सामरिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात

7803 श्री पंकज चौधरी :
श्री अमरपाल सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री एस.एम. साल्जान बाशा :
श्री गोपीनाथ गजपति :
क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार खाद्यान्नों के निर्यात के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या रोलर फ्लोर मिल्स फेडरेशन आफ इंडिया ने निर्यात के क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के प्रवेश पर अपना असंतोष प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ड) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की सुगम स्टाक स्थिति को देखते हुए सरकार ने 1995-96 के दौरान सरकारी स्टाक से 2.5 मिलियन मीटरी टन की निर्यात सीमा के अंदर तक गैर डुरूम गेंहू और 2.0 मिलियम मी. टन तक बढ़िया और उत्तम चावल का उस मूल्य पर निर्यात/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को प्रधिकृत किया है जिसका निर्णारण इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष भारतीय खाद्य निगम की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यद्यपि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेंहू का कोई सीधे निर्यात नहीं किया गया है लेकिन इसने 30,000 मीटरी टन कच्चा चावल सप्लाई करने के लिए नेपाल खाद्य निगम के साथ एक करार किया है ।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय अथवा खाद्य मंत्रालय को अभी तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ड) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

दिल्ली का चिड़ियाघर

7804 श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्टैगनेट वाटर ब्रैट टू जू इनमेटस शीर्षक के अन्तर्गत 21 अप्रैल 1995 के "पाइनियर" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या दिल्ली चिड़ियाघर में जानवरों के बाड़ों में खड़े हुए पानी से जानवरों और पक्षियों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है ;

(ग) यदि हां तो जानवरों के बाड़ों में खड़ें हुए पानी/तालाबों के क्या कारण है ; और

(घ) सरकार द्वारा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहता हुआ पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) जी, हां। कम जल आपूर्ति और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से बाहर जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पशुबाड़ों के चारों और खाइयों में पानी बहुत धीमी गति से बहता है । यद्यपि पशुओं और पक्षियों को पीने के लिए पानी मुहैया किया जाता है फिर भी जानवर कभी कभी खाइयों का पानी पी लेते हैं इस मामले पर हाल ही में आयोजित अन्तः विभागीय बैठक में चर्चा की गई थी और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कदम उठाये गये हैं ।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

7805 श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के निर्देश देने की पृष्ठभूमि क्या है,

(ग) क्या इस प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी गई है और क्या इसने कार्य करना आरंभ कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

खाद्यान्न भंडार

7806 श्री जगमीत सिंह बराड़ :
डा० चिन्ता मोहन :
श्री नवल किशोर राय :
क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में देश की वास्तविक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों का भंडारण किया जायेगा ।

(ख) यदि हां तो खाद्यान्न वार प्रति वर्ष कितनी मात्रा में भंडारण किया गया;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की उक्त अतिरिक्त मात्रा में कमी लाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो कितने खाद्यान्न की बिक्री किन-किन स्रोतो से की जायेगी;

(ड) इन उपायों को लागू करने के पश्चात् खाद्यान्नों के अवशेष भंडार के कारण भारतीय खाद्य निगम को कितना वित्तीय घाटा होगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की वार्षिक वसूली देश में हुए कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच होती है । अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने पास देश की वार्षिक खाद्यान्न आवश्यकताओं से अधिक खाद्यान्न रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) 1.5.1994 और 1.5.1995 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में

निम्नानुसार स्टाक था :- (मिलियन मीटरी टन में)

	1.5.94 (अनन्तिम)	1.5.95 (अनन्तिम)
गेहूं	10.68	11.37
चावल	13.70	17.68
जोड़	24.38	29.05

(ग) और (घ) सरकार ने केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक में कमी लाने के लिए कई उपाए किये हैं । इसमें भारतीय खाद्य निगम को गेहूं और चावल की खुली बिक्री जारी रखने 1995-96 के दौरान 2.5 मिलियन मीटरी टन गेहूं और 2.00 मिलियन मीटरी टन बढ़िया तथा उत्तम चावल निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राइवेट निर्यातकों को बेचने के लिए प्राधिकृत करना तथा लक्ष्यित समूहों को खाद्यान्न देने के लिए विशेष योजना लागू करना शामिल है ।

(ड) घरेलू अथवा निर्यात के प्रयोजनों के लिए की जाने वाली खुली बिक्री में हुए खाद्यान्नों के उठान के बारे में अभी से अनुमान लगाना मुनासिब नहीं है ।

[अनुवाद]

पुरी-ओखा-द्वारका एक्सप्रेस

7807 श्री रवि राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरी-ओखा-द्वारका एक्सप्रेस को साप्ताहिक से प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ी में परिवर्तित करने हेतु कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सप्ताह में एक दिन चलने वाली पुरी-ओखा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है । बहरहाल, चालू वर्ष के दौरान विजयानगरम रायपुर नागपुर सूरत के रास्ते पुरी और अहमदाबाद के बीच सप्ताह में एक दिन पूर्णतः अनारक्षित एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय महिला कोष

7808 श्री हरिभाई पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में महिला विकास क्षेत्र में कार्यरत ऐसे गैर सरकारी संगठनों/निगमों की संख्या कितनी है । जिन्हें वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान वर्षवार तथा जिलेवार केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष के अन्तर्गत ऋण प्रदान किए गए हैं ;

(ख) उक्त संगठनों द्वारा इस धनराशि को खर्च करने का तरीका क्या है; और

(ग) राज्य में इस योजना से लाभान्वित हुई महिलाओं की संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) गुजरात में किसी भी गैर सरकारी संगठन/निगम को वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा ऋण नहीं दिया गया ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रेलवे प्रणाली

7809 श्री राज नारायण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन से रेलवे जोन घाटे में चल रहे हैं और गत दो वर्षों के दौरान उन्हें हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आस्तियों की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गयी है;

(ग) यदि हां तो गत दो वर्षों के दौराल तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे मंत्रालय और रेलवे के परिचालनों में किफायत लाने तथा अलाभप्रद खर्चों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान घाटे पर चल रहीं क्षेत्रीय रेलों के नाम इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपए में)

	1993-94	1994-95 (अन्तिम)
पूर्वो.	-380.00	-424.06
पू.सी.	-194.41	-156.33
दक्षिण	-205.97	-208.66

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता में सुधार करना एक निरंतर प्रयास है ।

पिछले दो वर्षों के लिए परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता में सुधार नीचे दर्शाया गया है ।

	1993-94	1994-95
पटरियों की खरावी (संख्या)	3536	2980
डीजल रेल इंजनों (ब.ला.) की खराबी (संख्या)	11822	10220
बिजली रेल इंजनों (ब.ला.) की खराबी (संख्या)	7045	6219
माल डिब्बों का अलग हो जाना (संख्या)	71549	58415
सवारी डिब्बों का अलग हो जाना (संख्या)	602	604
शिरोपरि उपस्कर की खरावी (संख्या)	685	382
सिगनल की खराबी (संख्या)	193445	161395

(घ) और (ड) रेलों ने परियोजनाओं की लागत कम करके, अधिक ईंधन कुशल रेल इंजनों का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण, विन्यास यार्ड और भाप बंद करके, आमान परिवर्तन करके, वैकल्पिक मार्गों पर संचलन का पुर्नगठन आदि करके संचलन व्यय में चहुमुखी किफायत करने का प्रयास किया है ।

पशुधन उत्पादन नीति

7810 श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुधन उत्पाद की वार्षिक खपत में वृद्धि के रूख के

संबंध में कोई अध्ययन कराया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोल्ट्री और डेरी उत्पादों सहित नई प्रौद्योगिकियों और अधिक श्रम वाली उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से संस्थागत ऋण परिष्कृत पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं विपणन सुविधाओं उपयुक्त मूल्यों और पशुधन उत्पादन के तेजी से विकास करने के मामले में किसानों की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एक पशुधन उत्पादन नीति तैयार करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न खाद्य (पशुधन उत्पादों सहित) तथा अखाद्य मदों की खपत का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता आ रहा है । 45वें 46वें तथा 47वें सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित पशुधन उत्पादों की खपत की प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है ।

30 दिन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति खपत का प्रतिशत मूल्य

क्र.सं.	वर्ष	दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन		मांस अंडे तथा मछली	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1.	1989-90	9.69	9.91	3.61	3.83
2.	1990-91	9.42	9.90	3.50	3.75
3.	1991-92	8.99	10.04	3.36	3.64

(ग) से (घ) पशुधन उत्पादन नीति, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की रिपोर्ट तथा योजना आयोग की अन्य रिपोर्टों पर आधारित है । नीतिगत दृष्टिकोण के संभावित निरूपण के लिए एक भूमिका के रूप में पशुधन नीति संदर्श अध्ययन का कार्य इस समय प्रगति पर है ।

[हिन्दी]

बिनौलों का वितरण

7811 श्री विलास राव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत दो वर्षों के दौरान किसानों को कितनी मात्रा में बिनौलों का वितरण किया गया ;

(ख) राज्य में उत्पादन की जा रही विभिन्न किस्म की कपास का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ और उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात किया गया ?

अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महाराष्ट्र राज्य में कपास के बीज के वितरण का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

1993-94 0.84 लाख क्विंटल

1994-95 0.91 लाख क्विंटल

(ख) कपास की जिन किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है वे हैं एच-4, एच-6, एच-8, एच-2, एन.एच.एस.-34, सी.ए.एच.एच.-468, डी.सी.एच.-32, एन.एच.वी.-12, जे.के.एच.वाई-1, एन.एच.एच.-302 आदि ।

(ग) कपास का उत्पादन 1993-94 में 26.25 लाख गांठ तथा 1994-95 में 23.66 लाचा गांठ था निर्यात किये गये कपास के प्रतिशत के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

7812 श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमान परिवर्तन का लक्ष्य नियत समय से एक वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है ।

(ख) यदि हां, तो आमान परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या नियत समय रखा गया है ; और

(घ) इस लक्ष्य के वास्तव में कब पक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) 8वीं योजना 1992-97 में आमान परिवर्तन के लिए निर्धारित लक्ष्य 6000 कि.मी. था 4755 कि.मी. 1994-95 में पूरा हो गया है। और शेष 1600 कि.मी. 1995-96 में पूरा हो जायेगा अतः योजना के पहले 4 वर्षों में लक्ष्य में तेजी लायी जा रही है ।

युवा क्लब

7813 श्री राम सिंह कस्वां :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युवा क्लबों को सहायता की योजना का पुनरीक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके पुनरीक्षण का ब्यौरा क्या है ,

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है,

(घ) यदि हां, तो कब और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी नहीं । युवा क्लबों को सहायती की योजना पिछली बार 1993-94 में संशोधित की गयी थी ।

(ख) से (ड) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति

7814 श्री राम टहल चौधरी :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, और

(ख) उक्त समिति को प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद इस समय कार्य नहीं कर रही है तथापि इस परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को अपने निवास स्थान से बैठक स्थल तथा वापसी तक की यात्रा करने के लिए निःशुल्क रेल पास देने की व्यवस्था है । रेल परिषद के सदस्यों को प्रत्येक मामले में नियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया जाता है । परिषद के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के हितों यथा केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिवों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों सांसदों आल इंडिया फेडरेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स के प्रतिनिधियों कृषि हितों तथा अन्य आवश्यक समझे जाने वाले हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है । जब परिषद का गठन होता है तो इसकी बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

7815 श्री राम पूजन पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजभाषा नीति लागू की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय परिसर के अंदर तथा भवन में नाम देवनागरी हिन्दी में लिखे हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में राजभाषा नीति कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के परिसर में तथा भवन के नाम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखे गये हैं ;

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

पान पत्ता

7816 श्री विजय कुमार यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के नालन्दा और अन्य जिलों में अच्छी किस्म का पान उगाया जाता है ;

(ख) क्या पान की फसल की कीटों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के कारण पिछले कई वर्षों से किसानों को भारी हानि हो रही है, और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने तथा ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार के किसी भी जिले से कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार पान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पादप संरक्षण उपकरणों के लिए 50 प्रतिशत की सब्सीडी प्रत्येक मामले में अधिकतम 500/- रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय सम्मेलन

7817 श्री आर. अन्चारासु : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली में दो दिवसीय मुक्त विश्वविद्यालय सम्मेलन हुआ था जिसमें चौदह देशों के शिक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे और इसमें क्या सहमति हुई ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड अपनाए गये है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचनानुसार एशियाई मुक्त विश्वविद्यालय संघ का 1/111वां वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में 20-22 फरवरी 1995 तक आयोजित किया गया था । इसमें 17 देशों के शिक्षा विशेषज्ञों ने भाग लिया ।

(ख) एशियाई मुक्त विश्वविद्यालय संघ, एशिया में सुदूर शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए मुक्त और सुदूर शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता रहा है । इस सम्मेलन का "विषय मुक्त" अध्ययन प्रणाली का ढांचा और "प्रबंध" था और इस सम्मेलन में लगभग 80 पेपर प्रस्तुत किए गए थे ।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार सम्मेलन आयोजित करने के लिए एशियाई मुक्त विश्वविद्यालय संघ के सदस्यों के लिए 130 अमेरिकी डालर और जो संघ के सदस्य नहीं है उनके लिए 150 अमेरिकी डालर का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है । एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को कार्यालय तथा एशियाई मुक्त विश्वविद्यालय संघ ने क्रमशः 3000 अमेरिकी डालर तथा 1000 अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी सम्मेलन के लिए 4.75 लाख रु. संस्वीकृत किए किन्तु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वास्तविक व्यय बहुत कम था ।

[हिन्दी]

बीमा योजना

7818 डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत 31 जनवरी 1995 तक शामिल किए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि दी गई ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 31.1.1995 को तथा विद्यमान स्थिति के अनुसार रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 तथा 124-क के अन्तर्गत तथा परिभाषित रेल दुर्घटनाओं अथवा अप्रिय घटनाओं में मृत अथवा घायल 631 यात्रियों को रेल यात्री बीमा आयोग जो कि 1.8.94 को आरंभ की गयी थी के अन्तर्गत शामिल किया गया था भारतीय रेलें राज्यवार आंकड़ों का ब्यौरा नहीं रखती हैं बहरहाल इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए यात्रियों का रेल बार ब्यौरा इस प्रकार है-

रेलवे का नाम	यात्रियों की संख्या
मध्य	83
पूर्व	5
उत्तर	29
पूर्वोत्तर	126
पूर्वोत्तर सीमा	43
दक्षिण	175
दक्षिण मध्य	69
दक्षिण पूर्व	51
पश्चिम	50
जोड़	631

(ख) दावाकर्ता को जो कि मृतक अथवा घायल व्यक्ति का निकट संबंधी या प्राधिकृत एजेन्ट हो सकता है भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 के अन्तर्गत दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष के भीतर क्षतिपूर्ति के दावे के लिए रेल दावा अधिकरण में दावा दायर करना अपेक्षित होता है । जब भी अधिकरण द्वारा साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मामलों में डिगरी की जाती है रेल प्रशासन द्वारा दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है ।

01.08.94 से 31.01.95 के बीच 631 मामलों में से 7 मामलों में 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 14,00,000 रुपये तथा दो घायलों के मामलों में 40,938 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है शेष मामले रेल दावा अधिकरण की विभिन्न खण्डपीठों में न्यायाधीन हैं जैसे ही रेल दावा अधिकरण द्वारा इन मामलों के पक्ष में डिगरी दी जायेगी रेल प्रशासन द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

बागवानी उत्पाद का विकास

7819 श्री अरविन्द त्रिवेदी :
डा लाल बहादुर रावल :
श्री एस. एम. लालजान बाशा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पाद के विकास हेतु एक विशेष विभाग बनाने का है;

(ख) क्या ऐसे बागवानी उत्पादों जिनके लिए निर्यात की भारी संभावनाएं हैं के विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार ने देश में कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहां निर्यात संभावनाओं वाला बागवानी फसलों का विकास किया जा सके ;

(ड) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में विकास की जा सकने वाली बागवानी फसलों के नाम बताते हुए तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(च) इन फसलों के खेतों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ड) फसलों के सतत विकास के लिए क्षेत्रों/अंचलों का पता लगाने का दायित्व संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया है । निर्यात की संभावना वाली फसलें हैं आम, लीची, अंगूर, स्ट्राबेरी, सपोटा, अनार आदि फल तथा काजू, प्याज, आलू, मसाले, खुम्बी, पुष्प आदि ।

(च) आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान बागवानी विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनमें अच्छी गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में सुधार ड्रिप सिंचाई ग्रीन हाउस तथा किसानों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है ।

[हिन्दी]

रूग्ण चीनी मिलें

7820 श्री लाल बाबू राम : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय देश में स्थित कुल चीनी मिलों में से रुग्ण चीनी मिलों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) इनकी रूग्णता के क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को इस कारण वर्ष वार कितनी हानि उठानी पड़ी है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस रूग्ण मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई उपाय किये हैं ;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत कम्पनी अधिनियम 1985 के अन्तर्गत पंजीकृत जो कंपनियां रूग्ण हो जाती हैं उन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनःस्थापन बोर्ड बी.आईएफ.आर को सौंप दिया जाता है । यह प्रावधान सरकारी कम्पनियों पर भी लागू है बी. आई.एफ.आर. ने सूचित किया है कि 23.5.95 तक उनके पास 15 रूग्ण. चीनी कम्पनियों के मामले पंजीकृत थे । बी.आई.एफ.आर. द्वारा प्रस्तुत ऐसी रूग्ण चीनी

कम्पनियों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) रूग्णता विभिन्नन कारणों से हो सकती है जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता आकार, प्लांट तथा मशीनरी की अवस्था तकनीकी तथा प्रबंधकीय योग्यता गन्ना मूल्य का गन्ने की बिक्री के अनुरूप न होना आदि ।

(ग) सरकार चीनी मिलों से संबंधित लाभ व हानि का लेखा नही रखती है ।

(घ) से (च) रूग्ण चीनी मिलों की पुनः स्थापना/आधुनिकीकरण योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए बी.आई.एफ.आर./सहयोगी एजेन्सियों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना होता है ।

चीनी विकास निधि (एस.डी.एफ.) से ऐसी पुनः स्थापना आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध है बशर्ते वे निहित शर्तों को पूरा करती हों ।

विवरण

23.5.1995 तक बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत रूग्ण चीनी कम्पनियों की राज्यवार सूची का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

क्र.सं.	राज्य/कम्पनी
	आंध्र प्रदेश
1.	चल्ला पल्ली शुगर
	बिहार
2.	चम्पारन शुगर
	कर्नाटक
3.	दावनगारे शुगर कम्पनी
4.	सलारजंग शुगर
5.	गंगावती शुगर
	मध्य प्रदेश
6.	जिवाजी राव शुगर
	पंजाब
7.	भगवानपुरा शुगर मिल्स
	राजस्थान
8.	मेवाड शुगर
	उत्तर प्रदेश
9.	लक्ष्मी शुगर मिल्स
10.	कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड
11.	शेरवानी शुगर सिंडीकेट लि.
12.	स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं. लि.
13.	नन्दगंज सिबोरी शुगर कम्पनी लि.
14.	छाता शुगर कम्पनी लि.
	पश्चिम बंगाल
15.	रामनूगेर केन (खितान एग्रो काम्पलैक्स)

बी.आई.एफ.आर. द्वारा जांचाधीन

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

7821 श्री शंकर सिंह वाघेला :
प्रो. उम्मारेडिउ वेंकटेस्वरलु :

क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले** और **सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेष रूप से गुजरात के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित नियमों में भिन्नता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए सरकार कदम उठायेगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस एक रूप व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व बढ़ जायेगा ;

(ड) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार और क्या परिवर्तन करेगी ;

(च) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समुचित रूप से निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों को कोई अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है । केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली छः प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की अधिक प्राप्ति भण्डारण ढुलाई और थोक में आवंटन के लिए जिम्मेदार है । सार्वजनित वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी जिसमें उचित दर की दुकानें खोलना पात्रता के मानदण्ड निर्धारित करना सार्वजनित वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आवंटन का मापदण्ड निर्धारित करना राशन कार्ड जारी करना इत्यादि शामिल हैं । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । स्थानीय परिस्थितियों में परिवर्तन के मुताबिक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिसमें गुजरात शामिल है । हलदारी के भिन्न भिन्न मापदण्ड अपना सकते हैं तथा राज्य के भीतर स्थित विभिन्न क्षेत्रों/हिस्सों के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद ने 21.3.93 को हुई अपनी बैठक में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने हेतु सिफारिशें करने के लिए राज्य सरकारों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की एक समिति गठित की थी । मंत्रियों की समिति ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें कहीं थीं ।

1. भारत जैसे विशाल और विभिन्नता वाले देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक बेलोच समरूप प्रणाली लागू नहीं की जा सकती है ।

2. जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की हकदारी से तुलनात्मक रूप से सम्पन्न वर्गों को हटाया नहीं जाता है तब तक गरीब परिवारों को अधिक खाद्यान्न मुहैया नहीं कराया जा सकता है ।

3. सभी राज्यों/संघ राज्स क्षेत्रों को तुलनात्मक रूप से सम्पन्न वर्गों को प्रणाली से बाहर करने के सिद्धान्त को लागू करना चाहिए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न केवल समाज के जरूरतमंद और पात्र वर्गों को ही उपलब्ध किया जा सके ।

(ड) सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु सुझावों और उपायों पर विभिन्न मंचों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है । संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश के 1775 पिछड़े ब्लाकों में पहले ही लागू किया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार ने ही हाल ही में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जिलावार नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है । जहां उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के उपलब्ध न होने तथा उचित दर दुकानदारों तथा बेईमान व्यापारियों द्वारा किए गए कदाचारों के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकते हैं ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है ।

[हिन्दी]

मोतीहारी और करड़िया झील

7822. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में मोतीहारी और करड़िया में झीलों के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा 37 लाख रूपये को राशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार को कितनी राशि दी गई है और इस शीर्ष के अन्तर्गत अब तक कितना कार्य पूरा किया गया है तथा उस पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न स्तरों पर दर्शायी जा रही लापरवाही का पता लगाने के लिए अब तक किये गये कार्य की कोई पुररीक्षा को है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विकासात्मक कार्य को कब तक पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में मोतीझील तथा करड़िया झील के विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा 25.63 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है ।

(ख) विश्व बैंक के साथ हुये समझौते की शर्तों के अनुसार काम शुरू करना, इस पर व्यय करना तथा इस राशि को प्रतिपूर्ति प्राप्त करना बिहार सरकार का काम है ।

ग) और (घ) सरकार राज्य में परियोजना की प्रगति को समीक्षा करने के लिये नियमित बैठकें बुलाती है । इन झीलों के विकास का काम 1999 में इस परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के पहले आरम्भ करना है तथा पूरा कर लिया जाना है ।

[अनुवाद]

ऊपरी पुल

7823. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मैसूर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं. चार और पांच पर ऊपरी पुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

7824. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जौनपुर जिले में शाहगंज से मऊ तक आमान परिवर्तन का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) अभी कितना निर्माण कार्य पूरा होना है; और

(ग) शेष निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) भूमि संबंधी कार्य और पुलों के लिए ठेके प्रदान कर दिए गए हैं और कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा ।

(ख) किनारों को चौड़ा करना, सुदृढ़ करना और पुलों का निर्माण, गिट्टी बिछाना तथा रेलपथ संबंधी कार्य पूरा किया जाना है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ।

बीजों और पौधों की गुणवत्ता

7825. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय किसानों को वृक्षारोपण के लिए दुनिया भर में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के बीज और आधुनिक उपस्कर उपलब्ध नहीं करा पाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए बीजों और पौधों के आयात के संबंध में नियमों के उदारोकरण पर बल दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई बीज योजना के अतंर्गत किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) तत्परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि को संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं । बीज नीति का उद्देश्य अपने कृषकों को विश्व के किसी भी कोने में उपलब्ध सर्वतम रोपण सामग्री प्रदान करना है । रियायती शुल्क पर रोपण के लिये उपयोग में लाये जाने वाले बहुत से अभिज्ञात उपस्करों तथा यान्त्रिकों के आयात को अनुमति दी गई है ।

(ख) बीज नीति तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

(ग) और (घ) बीज नीति का समग्र उद्देश्य घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देना, बाहय रोगों तथा कीटों के प्रवेश को रोकने के लिये सख्त संगरोध शर्तें लागू करना तथा सर्वोत्तम रोपण सामग्री प्रदान करके कृषकों को सहायता पहुंचाना है ।

उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य आने वाले समय में उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करना है ।

रेल लाइनें

7826. डा. साक्षीजी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए रेल लाइनों संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिले-वार ये प्रस्ताव कुल कितनी लम्बी रेल लाइनों के हैं;

(ग) कार्यान्वयन हेतु, कौन-कौन सी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) स्वीकृत प्रस्तावों को लागू करने हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से नई लाइनों के लिए कोइ प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

7827. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा जाने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस 8046 डाउन के बारह डिब्बे हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में हावड़ा से लगभग 140 किलोमीटर दूर नारायणगढ़ और बेनापुर स्टेशन क बीच पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में हताहतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में कोइ जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ड) इससे रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि हुई और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां, दक्षिण पूर्व रेलवे में नारायणगढ़ और बेनापुर के बीच 20.4.95 को 12.05 बजे 8046 डाउन ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की 12 बोगिया पटरी से उतर गई थीं,

(ख) इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी,

(ग) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों द्वारा जांच आयोजित की गई है ।

(घ) जांच समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है,

(ड) रेल संपत्ति को लगभग 10,000/- रूपए की क्षति हुई है ।

गाड़ियों से पटरी से उतरने की घटनाएं रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

1. रेलपथ नवीकरण के बकाया कार्य को पूरा किया जा रहा है ।

2. रेलपथ की कमियों को दूर करने पर बल दिया जा रहा है ।

रेलपथ संरचना का ग्रेडोन्नयन किया गया है ।

4. चलस्टाक के सवारी तथा माल डिब्बों की जांच सुदृढ़ तथा युक्तियुक्त कर दी गई है ।

5. 10 वर्ष से कम की सक्रिय सेवा वाले लगभग 17,000 ड्राइवरों की विशेष स्क्रीनिंग की गई है तथा कम कुशल ड्राइवरों को बिना बारी के त्वरित प्रशिक्षण दिया गया है ।

6. दो उच्चस्तरीय संरक्षा दल क्षेत्र संस्थापनाओं तथा प्रक्रियाओं की मौके पर गहन जांच तथा निरीक्षण कर रहे हैं ।

7. पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 60,000 कर्मचारियों ने संरक्षा शिविरों तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठयक्रमों में भाग लिया ।

खाद्य मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा आर्थिक उपाय

7828. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य मंत्रालय तथा इससे संबद्ध कार्यालयों और भारतीय खाद्य निगम में पदों में 10 प्रतिशत कटौती तथा आर्थिक खर्चों में कमी करने के अन्य उपायों के अंतर्गत वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान, पृथक-पृथक तथा श्रेणीवार कितने पद समाप्त किए गए ;

(ख) प्रत्येक संवर्ग में पिछले वर्ष के दौरान खाली पड़े पदों की संख्या कितनी है;

(ग) पदों में कटौती द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि की बचत की गई तथा 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि की बचत की जाएगी; और

(घ) क्या पदों में कटौती के बावजूद प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या उतनी ही रही, यदि नहीं, तो इससे कितने पद प्रभावित हुए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 1993-94 के दौरान खाद्य मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 10 प्रतिशत कटौती के अधीन 36 पद और 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारतीय खाद्य निगम में क्रमशः 80 और 117 पद समाप्त किए गए हैं ।

(ख)

समूह	खाद्य मंत्रालय	शर्करा निदेशालय	अन्य कार्यालय	भारतीय खाद्य निगम
1	2	3	4	5
क	-	6	18	200
ख	-	4	14	295
ग	20	10	69	3556
घ	-	2	12	5731

1	2	3	4	5
	---	---	----	------
	20	22	113	9782
	---	---	----	------

(ग)

वर्ष	बचत की गई धनराशि (लाख रूपयों में)
1993-94	56.38
1994-95	106.15
1995-96	111.46 (अनुमानित)

(घ) प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या उतनी ही रही ।

दामोदर नदी

7829. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर नदी देश की अत्यंत प्रदूषित नदी है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का इस नदी को गंगा कार्य योजना में शामिल करने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ड) इस नदी को प्रदूषण के मुक्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार और पश्चिम बंगाल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार संलग्न विवरण में उल्लिखित केवल चार क्षेत्रों को छोड़कर, जहां थर्मल पावन स्टेशनों की बारीक राख और म्युनिसिपल सीवेज निस्तारण के कारण नदी में प्रदूषण होता है, बिहार में दामोदर नदी जल गुणवत्ता काफी हद तक अपेक्षित मानदण्डो के अनुरूप है । पश्चिम बंगाल में नदी रानीगंज नगरीय सीमा में उस नगर के म्युनिसिपल सीवेज निस्तारण के कारण नाममात्र प्रदूषित पाई गई है ।

(ग) से (ड) बिहार और पश्चिम बंगाल में म्युनिसिपल सीवेज से दामोदर नदी में होने वाले प्रदूषण के निवारण के संबंध में संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों से परामर्श करके राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा संभव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है । ऊपर उल्लिखित संभाव्यता रिपोर्ट पर बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से टिप्पणी प्राप्त होने के बाद म्युनिसिपल सीवेज से दामोदर नदी में होने वाले प्रदूषण के निवारण के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी । बिहार में थर्मल पावर स्टेशन के कारण नदी प्रदूषण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और उसके निर्देशों के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी ।

विवरण

बिहार में दामोदर नदी के प्रदूषित क्षेत्र

1. राजरप्पा अधोप्रवाह से भैरवी नदी में सम्मिलन अधोप्रवाह तक ।
2. बोकारो नदी के सम्मिलन स्थल से कोणार्क नदी के दामोदर नदी अधोप्रवाह सम्मिलन स्थल तेलमुच्यु पुल तक दामोदर के क्षेत्र ।
3. कटारी नदी सम्मिलन स्थल से लगभग 2 किलोमीटर अधोप्रवाह ।
4. दामोदर वाटर वर्कस के निकट दामोदर नदी के मोड़ स्थल ।

सह-संयुक्त अनुसंधान कार्य

7830. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 28 अप्रैल, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सह-संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्य करने वालों की तुलना में स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य करने वाले पी.एच.डी. धारकों को चयन नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में वरीयता देने के संबंध में विशेष कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में रेल नेटवर्क

7831. श्री कृपा सिंधु भोई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में रेल नेटवर्क में विस्तार करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित नई रेल लाइनों का नाम क्या है ;

(ग) इस संबंध में अब तक किए गए उपाय क्या है ;

(घ) क्या सरकार के पास दक्षिण पूर्वी रेल को विभाजित करने और उड़ीसा में एक नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव है ;

(ड) क्या उक्त प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा में आठवीं योजना में निम्नलिखित लाइनें शुरू की गई हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई कि.मी.
1.	देतारी-वांसपानी	147
2.	लांजीगढ़-जूनागढ़	54
3.	खोरधा-रोड-बोलनगीर	289

योजना के अगले वर्ष यथा 1996-97 में शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों की अभी पहचान नहीं की गई है ।

(ग) उपरोक्त सभी कार्य प्रगति पर हैं ।

(घ) से (च) जहां तक दक्षिण पूर्व रेलवे के विभाजन का संबंध है, इसे हाल ही मंत्रालय द्वारा क्षेत्रों और मंडलों के पुर्नसंगठन सं संबंधित मामलों के अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है और प्रस्ताव तैयार करने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के संबंध में आगे की कार्यवाही शुरू की जा रही है ।

नई रेल लाइनें

7832. श्री सी. पी. मुडला गिरियप्पा :
श्री के. जी. शिवप्पा :
श्री वी. कृष्णाराव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनकपुर, साथानूर और मखली से होकर बंगलौर और मैसूर के बीच नई रेल लाइन विछाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गोदावरी नदी में प्रदूषण

7833. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स और अन्य स्रोतों द्वारा गोदावरी नदी में किए जा रहे प्रदूषण की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आंध्र प्रदेश पेपेर मिल्स राजामुन्दरी में बहिस्राव उपचार संयंत्र लगा हुआ है जो सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । बहिस्राव को पेपर मिल्स में उपचार के बाद यूनिट द्वारा बनाए गए अनेक लैगूनों में गोदावरी की मध्य धारा में अलग-थलग जगह में लगभग 5 किलोमीटर उध्वेप्रवाह में निस्तारित किया जाता है । ज्ञात हुआ है कि पेपर मिल्स का उपचारित बहिस्राव निर्धारित निस्तारण मानदण्डों के अनुरूप होता है । गोदावरी नदी में प्रदूषण के अन्य स्रोत राजमुन्दरी, भद्राचलम, रामगुन्डम और मंचरियाल के अनुपचारित म्युनिसिपल अपशेष जल का नदी में निस्तारण है ।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड पेपर मिल्स के बहिस्राव उपचार संयंत्रों की कड़ी निगरानी कर रहा है । इस यूनिट ने अपशेष जल का पुनर्चक्रण शुरू किया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30% बहिस्राव कम पैदा होता है । ऊपर उल्लिखित चार नगरों में म्युनिसिपल अपशेष जल के प्रदूषण निर्वारण की एक स्कीम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल कर ली गई है ।

खाद्य आवश्यकता

7834. श्री हरिन पाठक : क्या **कृषि मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व संसाधन संस्थान (वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट) और खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने सन् 2000 तक भारत को आवश्यकओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति पद्धति को दक्षता के बारे में शंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक नीति तैयार को जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) वर्ष 1980-81 से वर्ष 1993-94 की अवधि के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन में प्रति वर्ष 2.79 प्रतिशत की संयुक्त वृद्धि दर परिलक्षित हुई है जवकि इसी अवधि के दौरान आवादी में लगभग 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है । तदनुसार देश वढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करने में सक्षम है ।

खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित फसल उत्पादन कार्यक्रम को अवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा स्थायी रूप से उत्पादन को वढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार इनमें संशोधन किए जाते हैं ।

गन्ना मूल्य संबंधी बोर्ड

7835. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **खाद्य मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गन्ना उत्पादकों को आश्वासन दिया है कि प्रतिवर्ष मई और जून के महीनों के दौरान उत्पादित गन्ने के उचित मूल्यों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड का गठन कव तक कर लियया जाएगा और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलने लगेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने सभी चीनी उत्पादक राज्यों के चीनी मंत्रियों का एक सम्मेलन 5.2.1994 को आयोजित किया था । उस सम्मेलन में गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों के लिए मूल्य निर्धारण नीति की सिफारिश करने के लिए पांच राज्य सरकारों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पंजाव, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी । इस समिति ने 3.4.1995 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ।

इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सभी चीनी उत्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चीनी मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 6 मई, 1995 को आयोजित किया गया था । यद्यपि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गन्ने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण वोर्ड का गठन करने का समर्थन किया था लेकिन इसके विचारार्थ विषयों के बारे में मतभेद था । सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से विस्तृत सुझाव/प्रस्ताव मंगाने का निर्णय किया है ताकि इस संवंध में अन्तिम निर्णय लिया जा सके ।

पुरातत्व संबंधी सम्मेलन

7836. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में भारत में विश्व पुरातत्व सम्मेलन आयेजित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मात्र सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायतानुदान प्रदान किया था ;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(घ) क्या इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को कोई सामग्री वितरित की गई ; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्व पुरातत्व कांग्रेस के दक्षिण एशिया खंड तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में 4 से 11 दिसम्वर, 1994 तक विश्व पुरातत्व कांग्रेस

-3 का आयोजन हुआ था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) जी, हां ।

(ड) विश्व पुरातत्व कांग्रेस-3 की अकादमिक समिति द्वारा कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अधिकारिक तौर पर जारी विभिन्न शैक्षिक विषयों पर विषय-लेख तथा परिसंवाद के विषय वितरित किए गए थे ।

विवरण

प्रमुख अकादमिक विषयों में ये विषय शामिल किए गए थे- समय की अवधारणा, व्यापार और वाणिज्य के निर्देशक के रूप में पुरातत्व विज्ञान, भाषा, मानव-विज्ञान तथा पुरातत्व विज्ञान, नृ-पुरातत्व विज्ञान, राज्य, शहर और समाज, नवजात, भूमि-सुधार प्रणालियों में परिवर्तन, सांस्कृतिक सम्पत्ति, संरक्षण और जन-जागृति, पुरातत्वीय सिद्धांत एवं व्यवहार में संबंध, ऐतिहासिक पुरातत्व में परिवर्तनशील दृष्टि, भूदृश्य की सीमाएं, पुरातत्व तथा धार्मिक प्रथाओं और संस्थाओं का पुरातत्वीय आविर्भाव परिसंवाद के विषय थे-सिंधु-सभ्यता, पुरातत्वीय स्रोत सामग्री तथा इतिहास का पुनर्निर्माण, एशिया तथा प्रशान्त महासागरिय देशों की शैल-कला, नई पुरातत्वीय खोजें, पुरातत्वीय क्षेत्र और प्रयोगशाला तकनीकों में हाल की प्रगति, समुद्री पुरातत्व विज्ञान और फिल्म एवं वीडियो पर पुरातत्व ।

गिट्टी (बैलस्ट) के लिए निविदा

7837. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1993 के दौरान पूर्व रेलवे में गिट्टी (बैलस्ट) की खरीद के लिए किसी निविदा प्रक्रिया संबंधी जांच में कुछ अनियमितताएं बरती गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ड) जांच पड़ताल से प्रथम दृष्टया पूर्व रेलवे पर गिट्टी की खरीद के लिए निविदा देने की प्रक्रिया में कतिपय कार्य विधि संबंधी अनियमितताओं का पता चला है । दोषी पदाधिकारयों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है ।

उपभोक्ता संगठनों की बैठके

7838. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार वित्त मंत्रालय के साथ उपभोक्ता संगठनों की परामर्श बैठकें आयोजित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन बैठकों में उदारीकरण संबंधी उत्पाद-शुल्क के पूरे लाभ उपभोक्ताओं को मिलने का मुद्दा उठाए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

सद्भावना एक्सप्रेस को रोकना

7839. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए बरेली पर सदभावना एक्सप्रेस रोकने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं' और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) दिल्ली-मुज़फ़फरपुर/समस्तीपुर और दिल्ली-सुल्तानपुर सदभावना एक्सप्रेस गाड़ियां बरास्ता चनेठी चल रही हैं बरेली के रास्ते नहीं ।

पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का सुधार

7840. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के इतिहास में अपने पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का सुधार करने हेतु कभी कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों के पुस्तकालयों/प्रयोगशालाओं का कार्यकरण सरकार द्वारा 1987 में स्थापित डा. वी.डी. शर्मा समिति द्वारा विशेष पुनर्रीक्षा के लिए और उप मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति) की अध्यक्षता में हाल की पुनर्रीक्षा समिति द्वारा हाथ में ली नई मदों में से एक रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मुम्बई नगरीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत प्रभार

7841. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने मुम्बई नगरीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत वित्त पोषित उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं के लिए मुम्बई उपनगरीय रेल यात्रियों से अधिशुल्क एकत्र करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि व्यापार निधि :

7842. श्री एन. जे. राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग कृषि व्यापार निधि गठित करने का है जो प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पी.एस.डी. चेम्बर्स आफ कामर्स की कृषि व्यापार समिति ने भी इस संबंध में सरकार से कोई अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ड) जी , नहीं ।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज देना

7843. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) जांच की गई है परंतु व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

कपास का उत्पादन

7844. श्री पी. कुमारासामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में उगाई जा रही विभिन्न किस्मों की कपास का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 में राज्य में कपास का किस्म-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य के कपास उत्पादकों को वर्ष-वार कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किसानों में कितने कपास के बीज का वितरण किया गया; और

(ड) राज्य में कपास के उत्पादन की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तमिलनाडु में उपलाए जाने वाले कपास की विभिन्न किस्मों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. एल.आर.ए. 5166
2. एम.सी.यू.- 5
3. एम.सी.यू.- 7
4. सुविन
5. के-10
6. वारालक्ष्मी
7. डी.सी.एच.-32
8. एम.सी.यू.-5-वी.टी.
9. ए.डी.टी.-1
10. टी.सी.एच.वी.-213

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य में उत्पादित कपास की कुल मात्रा का किस्मवार ब्यौरा निम्नवत् है :-

किस्म	उत्पादन (प्रत्येक 170 कि.ग्रा को लाख गांठें)	
	1993-94	1994-95
एम.सी.यू.-5	1.70	2.10
एम.सी.यू.-7	0.15	0.20
एल.आर.ए. 5166	1.50	1.70
सुविन	0.40	0.45
संकर	0.30	0.40
अन्य	0.16	0.20
कुल	4.21	5.10

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान गहन कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के उत्पादकों को दी गई वित्तीय सहायता की कुल रकम नीचे दी गई है :-

रुपये लाख में

वर्ष	सरकार द्वारा निर्मुक्त रकम (केन्द्रीय अंश)
1993-94	200.06
1994-95	300.94

(घ) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य विभाग द्वारा वितरित कपास के बीज की मात्रा क्रमशः 3702 क्विंटल और 3445 क्विंटल थी ।

(ड) राज्य में कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75 : 25 प्रतिशत आधार पर राज्य में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना के अधीन बीज पादप रक्षण उपस्करों, प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण और आकस्मिक निधि आदि पर वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

[अनुवाद]

नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री

7845. श्री अमर रायप्रधान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री, दिल्ली में प्रत्येक वस्तु के संग्रह करने की तारीख सहित जंगली जानवरों की खालों के संग्रह का वर्तमान ब्यौरा क्या

है ;

(ख) प्रत्येक वस्तु के खरीदे जाने की तारीख सहित उक्त म्यूजियम के लिए 31 मार्च, 1995 तक इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर, फोटोकॉपीयर, रेफ्रीजरेटर तथा एयर कंडीशनिंग संयंत्रों के खरीदे जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) भाग (क) तथा (ख) मे दी गई वस्तुओं के संरक्षण/सुरक्षा/देखभाल के लिए वर्षवार कितनी राशि खर्च की जाती है;

(घ) क्या सभी तरह की व्यवस्थाओं के बावजूद भाग (क) मे दी गई वस्तुए खराब हो रही है या नष्ट कर दी गई तथा भाग (ख) में दी गई कई वस्तुएं संग्रहालय से गायब हो गई हैं; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनके मंत्रालय/संग्रहालय के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में इस समय वन्यजीवों की 173 खालें हैं। उनके संग्रहण की तारीख और अन्य ब्यौरों को संग्रहालय के चर्मप्रसाधन के अनुभागीय रजिस्टर में वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया जाता है ।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा निम्नलिखित है :-

	मदों का ब्यौरा	मद संख्या	खरीद की तारीख
1.	इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	एक	18.3.1983
		एक	6.10.1987
2.	फोटोकॉपियर	एक	10.11.1982
		एक	31.3.1989
		एक	30.3.1993
3.	रेफ्रिजरेटर	एक	24.3.1975
		तीन	5.5.1984
4.	एअर कंडीशनिंग प्लांटस		
(1)	विन्डो टाइप	एक	5.7.1977
		दस	7.7.1981
		चार	24.9.1983
		चार	11.6.1984
		चार	16.10.1989
		तीन	21.3.1990
		दो	21.9.1990
(2)	पांच-पांच टन की क्षमता की एअर कूल्ड पैकेज यूनिटें	पांच	25.9.1985

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संग्रहालय की सुरक्षा और ऊपर वर्णित मदों के रख-रखाव पर औसतन खर्च की गई राशि इस प्रकार है ।

राशि (रुपये) प्रतिवर्ष खर्च: (1) सुरक्षा: 61,999/-रुपए

(2) रख-रखाव 66,743/- रुपए

(घ) और (ड) तेन्दुआं और सफेद शेर शावक की दो खालें गुम हुई बताई गई थी और इस संबंध में दिनांक 11.3.1991 को तिलकमार्ग पुलिस स्टेशन में एफआई आर दर्ज की गई थी। अन्य मदों के संबंध में खराब होने/क्षति होने/नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

चामेला में रेलगाड़ी का ठहराव

7846. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चामेला, राजस्थान में इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 4005/4006 इंदौर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को चौमहला स्टेशन पर ठहराव देने की जांच की गई है परन्तु इसका औचित्व नहीं पाया गया ।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलकूद प्रतिभा चयन

7847. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनी एन.एस.टी.सी., एस.पी.डी. ए. और ए.वी.सी. योजनाओं में खेलकूद प्रतिभा चयन की गलत पद्धति अपनायी जा रही है जबकि उसे खेलकूद प्रतिभा चयन की संशोधित अद्यतन और सही पद्धति उपलब्ध कराई गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई परीक्षण श्रृंखला को अंतिम रूप एक विशेषज्ञ समिति द्वारा वैटिंग करने के बाद दिया गया जिसमें खेल वैज्ञानिक, प्रशिक्षक एवं प्रशासक शामिल थे । प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एंव खेल विज्ञान संस्थान द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों पर समिति द्वारा विचार करने के उपरांत उसे अंतिम रूप दिया गया ।

प्रोत्साहन योजनाएं

7848. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कुशलतापुर्वक कार्य सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए किसी प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने निगमित उद्देश्यों को पूर्ण रूपेण हासिल करने के लिए प्रबंधकों आर वरिष्ठ अधिकारियों हेतु किसी प्रोत्साहन योजना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण सलंग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) और (ख) अधिकांश उत्पादन इकाइयों और यात्रिक कार्यशालाओं में पहले से प्रोत्साहन योजना प्रचलन में है । योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

1. एक औसत श्रमिक का कार्य 60 रेटिंग पर माना जाता है और जब वह 80 रेटिंग पर पहुंच जाता है तब उसे 33/1/3 प्रतिशत का प्रोत्साहन बोनस मिलता है । बोनस की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है ।

2. अनुमत समय की गणना करते समय, मानक भत्ते यथा श्रांति भत्ता, आकस्मिक भत्ता, गेजिंग भत्ता और प्रोत्साहन बोनस दिये जाते हैं ।

3. अनिवार्य अप्रत्यक्ष श्रमिकों को प्रत्यक्ष श्रमिकों के 80 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है ।

4. चार्जमैन 'ए' तक पर्यवेक्षकों को प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है ।

रेल सवारी डिब्बा कारखाने की प्रोत्साहन योजना, जोकि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है, में संबंधित अनुभाग/शाम के निपज से ही नहीं बल्कि समग्र रूप से रेल सवारी डिब्बा कारखाने की कुल निपज से संबंधित एक ग्रुप प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित है । इसमें कोई ऊपरी अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है । इस योजना में एक अन्तर्निहित गुणवत्ता सुधार पहलू भी शामिल है क्योंकि ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत त्रुटियां/शिकायतें प्राप्त होने पर सभी संबंधित प्रोत्साहन ग्रुपों को दण्ड भी मिलता है ।

डीजल कलपुर्जा कारखाने की प्रोत्साहन योजना को मैसर्स राइटस के परामर्श से अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे रेलवे बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है ।

खतरनाक रासायनिक उद्योग

7849. श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस समय चल रही खतरनाक रासायनिक औद्योगिक इकाइयों के नाम क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन राज्यों में खतरनाक रासायनिक उद्योगों के विकास की निगरानी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान इन राज्यों में खतरनाक रासायनिक उद्योगों के विकास में तुलनात्मक रूप से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(घ) ऐसे उद्योगों में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्यप्रदेश में परिसंकटमय रसायनों के विनिमार्ण की 18 बड़ी और मझोली इकाइयां हैं और महाराष्ट्र में बड़ी दुर्घटना के खतरे वाली 256 इकाइयां हैं । इनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) से (घ) पिछले दो वर्षों में, इन राज्यों में, परिसंकटमय रासायनिक इकाइयों सहित उद्योगों में 20 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई है । 30.10.94 को यथासंशोधित/परिसंकटमय/ रासायनिक विनिर्माण, भंडारण और आयात विनियमावली, 1989 के अन्तर्गत "स्थलों की अधिसूचना" के उपबंधों को कार्यान्वित करके परिसंकटमय रसायन उद्योगो में वृद्धि की निगरानी की जाती है । इस तरह के उद्योगों की स्थापना को 4.5.1994 को यथा संशोधित दिनांक 27.1.1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना तथा अन्य लागू नियमों सहित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है ।

विवरण

मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र की एम.ए.एच. यूनिटों में परिसकंटमय रसायनों का विनिर्माण करने वाली बड़ी और मझौली यूनिटों की सूची ।

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	उद्योगों के नाम
1.	मैसर्स धर्मसी मोरारजी कैमिकल्स कं. लि. कुम्हारी दुर्ग ।
2.	मैसर्स रामा फास्फेट इन्दौर ।
3.	मैसर्स बी ई सी फर्टिलाइजर्स बिलासपुर ।
4.	मैसर्स हर्षवर्धन मिनरल्स एंड केमिकल्स झावुआ ।
5.	मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. विजयपुर गुना ।
6.	मैसर्स केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, खासगोन ।
7.	मैसर्स उनियालकेम फर्टिलाइजर्स लि. विजयपुर गुना ।
8.	मैसर्स ग्रास्मि इण्डस्ट्रीज लि. बिरलाग्राम, नागदा ।
9.	मैसर्स हुकमचन्द जूट एंड इण्डस्ट्रीज अपलाई शहडोल ।
10.	मैसर्स नेपा मिल्स लि. नेपानगर खंडवा ।
11.	मैसर्स भारत जिंक लि. मंडीदीप रायसेन ।
12.	मैसर्स रूक हार्ड पेट्रो कैमिकल्स मैक्सिम शाजपुर ।
13.	मैसर्स इण्डो जिंक लि. पितामपुर धार ।
14.	मैसर्स हिन्दुस्तान कापर प्रोजक्ट मलाजखंड ।
15.	मैसर्स ऋषि गैसेस तिफरा विलासपुर ।
16.	मैसर्स गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. विजयपुर गुना ।
17.	मैसर्स इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल गैसेस वलदान सिंधी ।
18.	मैसर्स एशियाटिक आक्सीजन एंड एसीक्टीलीन कं. लि. खुमरी दुर्ग ।

महाराष्ट्र

1. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. वम्बई ।
2. ओसवाल पेट्रोकेमिकल्स वंवई ।
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. बंबई ।
4. इंडियन आक्सीजन लिं. बंबई ।
5. पोलीकेम लि. बंबई ।
6. राष्ट्रीय कैमिकल एंड फटिलाइजर्स बंबई ।

7. स्पेशन आयल रिफाइनरी बंबई ।

8. टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी.1, बंबई ।

9. टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी.2, वंबई ।

10. टैक्नो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिं. वंबई ।

11. दि प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि. बंबई ।

12. बृहनमुम्बई महानगरपालिका, बंबई ।

13. इलैक्ट्रो पेण्टस प्राइवेट लिं. वंबई ।

14. एम्पायर इण्डस्ट्रीज लि. बंबई ।

15. बोरोसिल ग्लास वर्क्स लि.

16. पारले प्रोडक्टस वंबई ।

17. स्पेशल स्टील लिं. बंबई ।

18. भोर इण्डस्ट्रीज वंबई ।

19. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. वंबई ।

20. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. बंबई ।

21. मेटल बाक्स लि. वंबई ।

22. एजिस कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. बंबई ।

23. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. बंबई ।

24. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. बंबई ।

25. अमोनिया टर्मिनल बंबई ।

26. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. बंबई ।

27. कैमिकल टर्मिनल ट्राम्बे लि. बंबई ।

28. लार्सन एंड टुब्रो लि.-I बंबई ।

29. लार्सन एंड टुब्रो लि.-II बंबई ।

30. इंडियन आयल कारपोरेशन लि. बंबई ।

31. बजाज आटो लि. पुणे ।

32. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. पुणे ।

33. पदमजी पल्प एंड पेपर मिल्स लि. पुणे ।

34. राष्ट्र कृषि रसायन लि. पुणे ।

35. सुदर्शन कैमिकल इंडस्ट्रीज लि. पुणे ।

36. सहयाद्री डायस्टफ एंउ कैमिकल्स पुणे ।

37. टाटा इंजिनीयर लोकोमोटिव कं. लि. पुणे ।

38. दईलची काकरिया लि. पुणे ।

39. जय हिंद इण्डस्ट्रीज लि. पुणे ।

40. आरलैब्स लि. पुणे ।

41. वजाज टैम्प लि. पुणे ।

42. भारत फोर्ज लि. पुणे ।

43. बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि. पुणे ।

44. क्लोराइड इण्डस्ट्रीज लि. पुणे ।

45. डक्कन मैकनिकल एंड कैमिकल इंण्डस्ट्रीज लि. पुणे ।

46. ईगल फ्लास्क इण्डस्ट्रीज पुणे ।

47. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. पुणे ।

48. इंडियन कोर्ड क्लाथिंग कं. लि. पुणे ।

49. किर्लोस्कर कमिन्स लि. पुणे ।

50. मेलगांव साह सकर कारखाना लि. पुणे ।

51. मोरिस इलैक्ट्रोनिक्स लि. पुणे ।

52. महिन्द्रा सिन्टीयर्ड प्रोडक्ट्स लि. पुणे ।

53. एस एम जाचिमनर एंड सचलीर एंड इलैक्ट्रिकल्स लि. ।

54. टाटा इंजिनियरी लोकोमोटिव कं. लि. पुणे ।

55. थर्मक्स लि. ।

56. वालचन्दनगर इं. लि. पुणे ।

57. अजियसरा सहकारी शकर कारखाना लि. पुणे ।

58. कृष्णा सहकारी शकर कारखाना लि. सतारा ।

59. सहयाद्रि सहकारी शकर कारखाना लि. सतारा ।

60. नीरा वैली को. आ. डिस्टीलरी लि., सतारा ।

61. श्री प्रोकोटेड स्टील्स लि. पुणे ।

62. स्टरलाइट इंण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि. पुणे ।

63. सतारा सहकारी शकर कारखाना लि. सतारा ।

64. यशवन्त सहकारी शकर कारखाना लि. पुणे ।

65. स्टारलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि. पुणे ।

66. जेड एफ स्टीयरिंग गियर (इंडिया) लि. पुणे ।

67. इंडियन आयल कारपोरेशन लि. पुणे ।

68. कामधेनु पेस्टीसाइडस पुणे ।

69. पीको इलैक्ट्रोनिक्स एंड इलेक्ट्रीकल्स लि. पुणे ।

70. पोलीकैप पुणे ।

71. एस. के. ई बीयरिंग इंडिया लि. पुणे ।

72. एलब्राइट मोरारजी एंड पंडित लि, रायगढ़ ।

73. एसियन पेण्ट्स (इंडिया) लि. रायगढ़ ।

74. अमल रासायनी लि. रायगढ़ ।
75. दिल्ली कैमिकल्स प्रा. लि. रायगढ़ ।
76. दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रो कैमिकल्स कार्पो लि. रायगढ़ ।
77. धर्मषी मोरारजी एंड कं. लि. रायगढ़ ।
78. एक्सल इण्डस्ट्रीज लि. रायगढ़ ।
79. हिन्दुस्तान इलैक्टीसाइडस लि. रायगढ़ ।
80. हिन्दुस्तान लीवर लि:- रायगढ़ ।
81. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. रायगढ़ ।
82. हिको प्रोडक्टस लि. रायगढ़ ।
83. इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लि. रायगढ़ ।
84. आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन रायगढ़ ।
85. रूकमा कैमिकल्स प्रा. लि. रायगढ़ ।
86. राष्ट्रीय कैमिकंल्स फर्टिलाइजर्स लि. रायगढ़ ।
87. सुदर्शन कैमिकल इन्डस्ट्री लि. रायगढ़ ।
88. यूनिकैम लि. रायगढ़ ।
89. अंशुल कैमिकल्स प्रा. लि. बंबई ।
90. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. रायगढ़ ।
91. बसुधा कैमिकल्स प्रा. लि. रायगढ़ ।
92. अशोक सरफेम्टेंस प्रा. लि. रायगढ़ ।
93. अतसौम कैमिकल्स कारपोरेशन रायगढ़ ।
94. बंबई डाइंग और मैनुफैक्चरिंग कं. लि. रायगढ़ ।
95. ब्राइट क्लोरोकैम प्रा. लि. रायगढ़ ।
96. डायम आर्गेनिक कैमिक़ल्स रायगढ़ ।
97. इंडियन पैट्रो कैमिकल्स कार्पोरेशन लि. रायगढ़ ।
98. जया नान लोनिक्स प्रा. लि. रायगढ़ ।
99. कोंकण पेस्टिसाइडस रायगढ़ ।
100. मैटासल्फ रायगढ़ ।
101. पी. के. वेलू. एंड कम्पनी रायगढ़ ।
102. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. रायगढ़ ।
103. रामा पैट्रोकैमिकल्स लि. रायगढ़ ।
104. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. रायगढ़ ।
105. सिल्वो लाइकल कैमिकल्स महद ।
106. सनशील्ड कैमिकल्स रायगढ़ ।
107. यूनिटाप कैमिकल्स, रायगढ़ ।
108. यूनाइटेड पेस्टिकैम एंड नान-लोनिक्स प्रा. लि. रायगढ़ ।
109. विनाइल कैमिकल्स रायगढ़ ।
110. विशुद्ध रसायनी रायगढ़ ।
111. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (भंडारण) रायगढ़ ।
112. दिव्या कैमिकल्स लि. रायगढ़ ।
113. मार्क ओमेगा आर्गेनिक इन्डस्ट्रीज लि. रायगढ़ ।
114. बी. एम. कैमिकल्स प्रा. लि. रायगढ़ ।
115. गूज पैट्रोकैम प्रा. लि. रायगढ़ ।
116. सुदर्शन कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि. रायगढ़ ।
117. वैमोतीवाला कैमिकल इंडस्ट्रीज लि. रायगढ़ ।
118. आप्टे एमेलेमेशन लि. रायगढ़ ।
119. जलान ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. रायगढ़ ।
120. साधना नाइट्रोकैमिकल्स लि. रायगढ़ ।
121. जयासेंघ एंग्रोक्विजान लि. रायगढ़ ।
122. श्री सिद्देश्वरी सल्फर प्रोडक्टस रायगढ़ ।
123. अल्कायल एमिन्स कैमिकल्स लि. रायगढ़ ।
124. श्री हरि कैमिकल (इण्डस्ट्रीज) प्रा. लि. महद
125. विनाती आर्गेनिक लि. रायगढ़ ।
126. महाराष्ट्र सीमलैस लि. रायगढ़ ।
127. प्रिसियिन फास्टनर्स लि. रायगढ ।
128. अमृतलाल कैमौक्स लि. थाणे ।
129. अल्चेमी फार्मा कैमिकल प्रा. लि., थाणे ।
130. बेयर (इंडिया) लि. थाणे, ।
131. भारत पुलवर्शिंग मिल्स लि., थाणे ।
132. कैमि. इक्यूपि लि., थाणे ।
133. सैंचुरी कैमिकल्स, थाणे ।
134. धरमरसी मोरारजी कैमिकल कं. लि., थाणे ।
135. ग्लोब इन्डस्ट्रीज, थाणे ।
136. गोपालनन्द रसायनी, थाणे ।
137. हर्डिलिया कैमिकल्स लि., थाणे ।
138. इन्डोफिल कैमिकल्स कं., थाणे ।
139. इंडियन डाइस्टफ इन्डस्ट्रीज लि., थाणे ।
140. इंडस्ट्रीयल साल्वेंट एंड कैमिकल प्रा. लि., थाणे ।
141. जूपिटर कैमिकल इंडस्ट्रीज, थाणे ।

142. लुब्रिजोल इंडिया लि., थाणे ।
143. मुलुन्द क्लोरिनेशन प्लांट (बीएमसी), थाणे ।
144. मैट्रोनी ड्रग्स प्रा. लि., थाणे ।
145. प्रिमियर डाइज कार्पोरेशन, थाणे ।
146. नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंड लि., थाणे ।
147. नेशनल रेयन कार्पोरेशन, थाणे ।
148. पोलीलोफाइन्स इन्डस्ट्रीज लि., थाणे ।
149. पोलीफाइन्स प्रा. लि. (पोलीमर डिविजन), थाणे ।
150. राशेश कैमिकल्स एंड फार्मा प्रा. लि., थाणे ।
151. रजनी कैमिकल्स इंड. प्रा. लि., थाणे ।
152. राज प्रकाश कैमिकल्स लि., थाणे ।
153. सैन्डोज (इंडिया) लि., थाणे ।
154. श्रीनिवास कैमिकल इन्डस्ट्रीज लि., थाणे ।
155. श्राफ टेक्नीकल सर्विस प्रा. लि., थाणे ।
156. स्टैंडर्ड मिल्स कंपनी लि. थाणे।
157. हिको प्रोडक्टस लि., थाणे ।
158. एमीनस एंड प्लास्टिसरसर्स लि., थाणे ।
159. एफजीपी लि., थाणे ।
160. ब्रोचिन्मर मनहेम इंडिया लि., थाणे ।
161. जयसिन्थ डाइकैम लि., थाणे ।
162. केडिया रिसर्च सेन्टर, थाणे ।
163. रैलीज इंडिया लि., थाणे ।
164. सिग्मा साल्वेंटस, थाणे ।
165. घारडा कैमिकल्स लि., थाणे ।
166. हैकल कैमिकल इंड. लि., थाणे ।
167. गणेश कैमिकल्स, थाणे ।
168. जिन्दल डाई इंटरमीडिएट प्रा. लि., थाणे ।
169. पालीमर्स एंड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, थाणे ।
170. सविता कैमिकल्स लि., थाणे ।
171. पोयशा इंडस्ट्रीज लि., थाणे ।
172. हिंदुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन, थाणे ।
173. पीको इलैक्ट्रानिक्स एंड इलेक्ट्रीकल्स लि., थाणे ।
174. आई सी आई (इंडिया) लि., थाणे ।
175. गैलेक्सी आर्गेनिक्स प्रा. लि., थाणे ।
176. विशन डाई एंड प्रिंटिंग वीलिंग मिल्स, थाणे ।
177. भारत गीयर्स लि., थाणे ।
178. कलर कैकै लि., थाणे ।
179. एक्सपैंडिड इन कार्पोरेशन, थाणे ।
180. कृष्णा ग्लास लि., थाणे ।
181. जिन्दल स्ट्रिप्स लि., थाणे ।
182. कागजी ब्रादर्स प्रा. लि., थाणे ।
183. श्री महावीर डाई एंड प्रिंटिंग मिल्स प्रा. लि., थाणे ।
184. फिन-ओ-केम. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., थाणे ।
185. क्वालिटी इंडस्ट्रीज, थाणे ।
186. स्पेस ऐज कैमिकल्स, थाणे ।
187. खन्ना एंड खन्ना लि., थाणे ।
188. स्टर्लिंग ओक्सीलरीज प्रा. लि., थाणे ।
189. स्पेशल स्टील लि., थाणे ।
190. यूनीक कैमिकल्स, थाणे ।
191. बीएसएफ लि., थाणे ।
192. वोम्बे अल्युमिनियम प्रा. लि., थाणे ।
193. तुरूफ नॉन लोनिक प्रा. लि., थाणे ।
194. इम्डोजोल्स एंड इंटरमिडिएट प्रा. लि., थाणे ।
195. मुकुन्द लि., थाणें ।
196. साल्वागर लैबोरेट्रीज प्रा. लि., थाणे ।
197. हर्डीलिया पोलिमर्स लि., थाणे ।
198. सी सल्फोन्स लि., थाणे ।
199. के. आर. स्टील यूनियन्स लि., थाणें ।
200. हर्डीलिया यूनिमर्स लि., थाणें ।
201. ऐसव इंडिया लि., थाणें ।
202. सिलेक्टकेम, पवाणे ।
203. कवसमेनेक कैमिकल प्रा. लि., थाणे ।
204. श्री कैमिकल्स, अंबरनाथ ।
205. नेशनल स्टैंडड डुकन लि.
206. निर्लोन लि., थाणें ।
207. आई. वी. पी. लि., तारापुर ।
208. जेनिथ कैमिकल्स, थाणें ।
209. विशाल सिंथेटिक्स, थाणें ।

210. धूपचन्द (आई) पी. लि., थाणे ।

211. आरती ड्रग्स लि., तारापुर ।

212. स्पेक केमिकल्स (पी) लि., तारापुर ।

213. जीवराज केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., तारापुर ।

214. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., शोलापुर ।

215. श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि., कोल्हापुर ।

216. गाडो केमिकल्स लि., रत्नगिरी ।

217 नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लि., रत्नगिरी ।

218. श्री वानां सहकारी शक्कर कारखाना लि., सांगली ।

219. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., सांगली ।

220. समर्थ आर्कनिक्स प्रा. लि., शोलापुर ।

221. औरंगाबाद आयल एक्सट्रेक्सन प्रा. लि., औरंगाबाद ।

222. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., औरंगाबाद ।

223. ग्रीव्स मेरगेन्टस क्रूसीवल लि., औरंगाबाद ।

224. गोदावरी ड्रग्स प्रा. लि., नांदेड ।

225. तरना सहकारी शक्कर कारखाना लि., उस्मानाबाद ।

226. सिप्तार्सीटिड स्टील्स लि., नांदेड ।

227. बजाज आटो लि., औरंगाबाद ।

228. महाराष्ट्र डिस्टलरीज लि., औरंगाबाद ।

229. सिद्धेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना लि., औरंगाबाद ।

230. समर्थ सहकारी शक्कर कारखाना लि., जालौवर ।

231. किर्लोस्कर आयल इंजिन्स लि., अहमदनगर ।

232. मंगलम इनआर्गेनिक प्रा. लि., जलगांव ।

233. मोनसिंगका इंडस्ट्रीज लि., जलगांव ।

234. रूक्मा इंडस्ट्रीज, जलगांव ।

235. ऋषिरूप पोलिमर्स प्रा. लि., नासिक ।

236. सहनाय किरिवुड प्रा. लि., नासिक ।

237. सी. पी. इलेक्ट्रानिक्स लि., नासिक ।

238 ज्योती सिरेमिक्स प्रा. लि., नासिक ।

239. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि., नासिक ।

240. विंध्या पेपर मिल्स, जलगांव ।

241. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., जलगांव ।

242. डोवाइन इंटरप्राइजिज, जलगांव ।

243. हिन्दुस्तान फर्वाइट्स प्रा. लि., जलगांव ।

244. बालापुर इंडस्ट्रीज लि., चन्द्रपुर ।

245. क्लोरीन कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, भंडारा ।

246. गौरव पेपर मिल्स, चन्द्रपुर ।

247. नोबल एक्सलोकेम लि., वर्धा ।

248. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, नागपुर ।

249. निपों डोनगे इस्पात लि., नागपुर ।

250. सिम्पलक्स पेपर मिल्स, भंडारा ।

251. एलारा पेपर मिल्स, भंडारा ।

252. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चन्द्रपुर ।

253. महाराष्ट्र इनसैक्टीसाइट लि., अकोला ।

254. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि., नागपुर ।

255. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., नागपुर ।

256. सेंचुरी रेयॉन लि., थाणें ।

कार्यालय का स्थानान्तरण

7850. डा. पी. बल्लल पेरूमान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या नियंत्रण कार्यालय उत्तर रेलवे को बंद करने और रेवाड़ी से बीकानेर (राजस्थान) स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मिनी नियंत्रण कार्यालय, दिल्ली, रेवाड़ी के कार्यालय से अधिक उपयोगी है; और

(घ) यदि हां, तो मिनी नियंत्रण कार्यालय दिल्ली के कार्य और उपयोग क्या क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) बेहतर पर्यवेक्षण तथा केन्द्रीकृत गाड़ी नियंत्रण के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि रेवाड़ी नियंत्रण केन्द्र को बीकानेर स्थित मंडल नियंत्रण कार्यालय से जोड दिया जाए ।

(ग) और (घ) दिल्ली में कोई मिनी कंट्रोल केन्द्र नहीं है बीकानेर मंडल के लिए समन्वय प्रयोजनों हेतु दिल्ली क्षेत्र में एक क्षेत्र प्रवंधक तैनात किया गया है ।

आर्थिक सुधार

7851 श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि आर्थिक सुधारों को कृषि क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक सुधारों से निर्धनों को अब तक सहायता प्राप्त नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या विशेषज्ञों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि निर्धनता पर

काबू पाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कई ठोस कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां । विश्व बैंक ने प्राइवेट क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत के लिए कृषि संरचनात्मक समायोजन का सुझाव दिया है । संरचनात्मक समायोजन के उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) स्वदेशी कृषि मंडियों का उदारीकरण ।

(2) कृषि और तटकर सुधारों को व्यापक बनाना ।

(3) सार्वजनिक व्यय की समीक्षा और पुनर्चक्रण ।

(4) आदानों पर राजसहायता की समीक्षा और उन्हें चरणवार ढंग से समाप्त करना ।

(5) ग्रामीण ऋण तंत्र का पुनर्गठन और उन्हें युक्तियुक्त बनाना ।

(ख) और (ग) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के अनुरूप कृषि क्षेत्र को ढालने के लिए संरचनात्मक समायोजन सुझाए गए हैं यह गरीबी दूर करने के कार्यक्रम के किन्ही अध्ययनों पर आधारित नहीं है ।

(घ) और (ङ) गरीबी दूर करने के लिए मुख्य कार्य नीतियों में उच्चतर उत्पादन एक कार्य नीति है और इस संबंध में बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्य योजनाओं में निम्नलिखित शामिल है :-

(1) बीजों और उर्वरकों जैसे आदानों का अधिक उपयोग ।

(2) किसानों के लिए कृषि ऋण का और सुगमता से सुलभ होना ।

(3) मृदा संरक्षण और सिंचाई की योजनाओं पर बल देना ।

(4) समेकित कृषि प्रबंध पर बल देना ।

(5) कृषि विकास के साथ जुड़े अनुसंधान और शिक्षा पर बल देना ।

(6) कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी संरचना का विकास और अन्य व्यवस्थाएं ।

ऐतिहासिक भवन

7852 श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद में नोबल पुरस्कार विजेता श्री रोनाल्ड रॉस द्वारा प्रयुक्त भवन को रक्षा मंत्रालय में अपने अधिकार में लेने के लिए कोई कदम उठाए हैं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस भवन में संरक्षण तथा उचित रख रखाव के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास इस भवन को संरक्षित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य अधिनियम के अन्तर्गत 26.1.95 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें इस भवन को संरक्षित करने के इरादे की घोषणा की गई है ।

वन रक्षक/अधिकारी

7853 श्री बलराज पासी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाघ अभ्यारण्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी वन रक्षकों/अधिकारियों को समुचित सुरक्षा और पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अभ्यारण्य के आस-पास रहने वाले ग्रामीण भी सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ रक्षकों/अधिकारियों को हथियार भी दिए गए हैं और क्या वे उन हाथियारों का उपयोग केवल मैजिस्ट्रेट के आदेश पर ही कर सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वन रक्षकों/अधिकारियों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां । बाघ परियोजना क्षेत्रों के फारेस्ट गार्ड तथा अन्य कार्मिक संबंधित राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं । उनकी सुरक्षा और अन्य सुविधाएं संबंधित राज्य सरकार के सरोकार हैं और उनका ध्यान राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है ।

(ग) सुरक्षित क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति के मामले में उद्यान प्राधिकारियों और समीपवर्ती ग्रामीणों के बीच विवाद के कुछ मामले हुए हैं । तथापि, इस प्रकार के विवादों को कम करने और उद्यानों की सुरक्षा के लिए लोगों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बाघ रिजर्व के आस-पास पारि-विकास की स्कीमें चलाई गई हैं ।

(घ) और (ङ) कुछ वन कर्मचारियों को आग्नेयास्त्र प्रदान किए गए हैं जिनको वे केवल आत्म रक्षा के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना प्रयोग में ला सकते हैं । वनों तथा उनमें नियुक्त कार्मिकों की सुरक्षा के लिए कुछ नाजुक क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस कार्मिक भी नियुक्त किए गए हैं ।

सौन्दर्य प्रतियोगिताएं

7854. श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सौन्दर्य प्रतियोगिताओं और फैशन प्रदर्शनियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए महिला संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं : और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फालतू कल पुर्जे

7855 डा. आर मल्लू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में रेल के फालतू कलपुर्जों का

विनिर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की कितनी कपनियां रूग्ण हो गई हैं और :

(ख) इन विनिमार्ण एककों में कितने कर्मचारी और श्रमिक कार्यरत हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) रेलों के लिए कल पूर्जों का निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का ब्यौरा राज्य-वार नहीं रखा जाता है। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र की चार इकाइयां है जो चल स्टाक की संपूर्ण इकाइयों का निर्माण करती हैं ये सभी इकाइयां रूग्ण हो गई हैं और इन्हें ओद्योगिक वित्त और पुर्ननिर्माण ब्यूरों को भेजा गया है ;

(ख) 31.3.95 को इन इकाइयों में लगभग 20,500 कर्मचारी थे ।

सुपर बाजार

7856. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सुपर बाजार में विभिन्न श्रेणियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सुपर बाजार प्रबंधन द्वारा प्रस्ताव को लागू किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ; और

(घ) आज की तारीख में सुपर बाजार में प्रत्येक श्रेणी में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) सुपर बाजार में अपनी प्रबंध समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित अपने स्वयं के भर्ती तथा प्रोन्नति नियम हैं जिनमें महिला कर्मचारियों के लिए आरक्षण पर विचार नहीं किया गया है ।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं ।

विवरण

1.	लेखा एवं वित्त नियंत्रक	1
2.	प्रवर ग्रेड वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	1
3.	सहायक प्रबंधक	3
4.	वैज्ञानिक सहायक	3
5.	प्रवर ग्रेड रोकड़िया	2
6.	तकनीकी सहायक	1
7.	लेखाकार	9
8.	सहायक लेखाकार	8
9.	वरिष्ठ लेखाकार	1
10.	वनिष्ठ पर्यवेक्षक	4
11.	कनिष्ठ पर्यवेक्षक	45
12.	विक्री सहायक	92
13.	कनिष्ठ विक्री सहायक	15
14.	कम्प्यूटिस्ट	1
15.	लेखा सहायक	4
16.	सफाई कर्मचारी	10
17.	टाइपिस्ट	5
18.	कार्यालय सहायक/टाइपिस्ट	5
19.	हिंदी अनुवादक	1
20.	रोकड़िया	8
21.	कनिष्ठ स्टोर कीपर	1
22.	भंडार सहायक	5
23.	कनिष्ठ आशुलिपिक	7
24.	वरिष्ठ स्टोर कीपर	1
25.	पैकिंग क्लीनर	121
26.	हैल्पर	10
27.	पैकर	2
28.	फार्मासिस्ट	3
29.	वरिष्ट आशुलिपिक	1
30.	वैयक्तिक सहायक	6
31.	टेलीफोन आपरेटर	2
32.	स्टाक लिपिक	6
33.	चिकित्सा अधिकारी	1
34.	प्रवर ग्रेड सफाई कर्मचारी	1
	योग :	386

नवजात कन्या शिशुओं की हत्या

7857. श्री पी.पी. कालियापेरूयल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या जनजात कन्या शिशुओं की हत्या रोकने के मार्गोपाय सुझाने हेतु एक समिति के गठन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग ने देश के ऐसे भागों में एक अध्ययन शुरु किया है जहां महिला पुरूष अनुपात अनुकूल नहीं है बालिका शिशु हत्या को समाप्त करने के उपायों के संबंध में कोई राय तभी बनाई जा सकती है जब अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो जाएंगी ।

पशु उत्पादों पर आधारित व्यापार

7858. डा. असीम बाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पशु-उत्पादों पर आधारित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और ;

(ग) पशु के वध और उसकी सफाई के बाद बूचड़खाने के कचरे, गोश्त, सूअर के मांस और बछड़े के मांस से निर्मित टीके, रोग निदान सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, एंजाइम्स और हारमोन्स जैसे स्त्रोतों से कुल कितना सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) संबंधित संगठनों से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पोशीर बांध

7859. श्री राम कापसे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ढाणे जिले में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन और जल विज्ञान के संबंध में डब्ल्यू ए. पी. सी. ओ. एस. एस. की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) यदि हां, इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मंत्रालय को पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी प्रस्ताव भेजते समय परियोजना प्रस्तावक से यह अपेक्षित है कि वह इसके साथ पर्यावरणीय आंकड़े, पर्यावरणीय प्रबंध योजना में जल विज्ञान, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी सूचना तथा परियोजना का ब्यौरा भेजें । पोशीर बांध का प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए मंत्रालय को नहीं भेजा गया है ।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन और रेल लाइनों को दोहरा करना

7860. श्री राम पाल सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार आमान परिवर्तन और रेल लाइनों को दोहरा करने हेतु किन-किन जोनों में कार्य आरंभ किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान पूरे किए गए आमान परिवर्तन और दोहरीकरण से संबंधित निर्माण कार्य इस प्रकार हैं :-

आमान परिवर्तन

क्र.सं.	खंड/लाइन का नाम	क्षेत्र	लम्बाई
1992-93			(किलोमीटर)
1.	लखनऊ-कानपुर	उ.रे.	59
2.	दिल्ली-रेवाड़ी	उ.रे.	83
3.	कोटकपूरा-फजिल्का	उ.रे.	80
4.	लालगढ़-मेड़ता रोड	उ.रे.	177
5.	लालगढ़-कोलायत	उ.रे.	47
6.	नादियाड-कपडकपडदंज	प.रे0	45
7.	सवाईमाधोपुर-जयपुर	प.रे.	125
8.	वेंगलूर-तुमकूर	द.रे.	59
9.	मैसूर-वेंगलूर	द.रे.	138
10.	गुंटूर-नरसारावपेट	द.म.	46
11.	वेंगलूर-येलहंका	द.रे.	12
12.	दिंडीगुल-तूतीकोरीन	द.रे.	196
13.	बेल्लारी-रायदुर्ग	द.म.	54
14.	औरंगाबाद-जालना	द.म.	64
15.	परभनी-पर्ली बैजनाथ	द.म.	63
16.	बुढ़वल-महमूदाबाद	पूर्वो.	38
17.	मनकापुर-कटरा	पूर्वो.	30
18.	फुरूलिया-कोटशिला	द.पू.	35
		जोड़	1351
1993-94			
1	2	3	4
1.	घौड़-बारामती	म.रे.	42
2.	भटिंडा-हिसार	उ.रे.	157
3.	फूलेरा-जोधपुर-भगत की कोठी	उ.रे.	261
4.	पटेल नगर-सराय रोहिल्ला	उ.रे.	3
5.	मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी	उ.रे.	15
6.	महमूदाबाद-सीतापुर	पूर्वो.	60
7.	वाराणसी-इलाहाबाद	पूर्वो.	126
8.	लखनऊ-मानक नगर	पूर्वो.	5
9.	लालकुंआ-काठगोदाम	पूर्वो.	29
10.	गुवाहाटी-लामडिंग	पू.सी.	181
11.	तूमकूर-चिकजाजूर	द.रे.	215
12.	चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	द.रे.	16

1	2	3	4
13.	मैसूर-अशोक पुरम	द.रे.	5
14.	ताम्बरम् -एवम्बूर	द.रे.	27
15.	नरसारावपेट-दोनाकोंडा	द.म.	75
16.	जालना-परभनी	द.म.	116
17.	फलकनुमा-सिकंदराबाद	द.म.	28
18.	वोलारम-सिंकदराबाद	द.म.	14
19.	फलकनुमा-महबूबनगर	द.म.	99
20.	गोंदिया-अरजुनी	द.पू.	82
21.	जयपुर-फूलेरा	प.रे.	55
22.	जयपुर-दुर्गापुर	प.रे.	8
		जोड़	1619

1994-95

1.	परभनी-पूरना	द.म.	29
2.	पूरना-नांदेड़	द.म.	32
3.	अरजुनी-वाडसा	द.पू.	23
4.	विरूर-शिमोगा	द.रे.	63
5.	अमृतपूरा-चित्रदुर्ग	द.रे.	18
6.	हिसार-रेवाड़ी	उ.रे.	143
7.	रेवाड़ी-जयपुर	प.रे.	225
8.	फुलेरा-अजमेर	प.रे.	81
9.	खोडियार-मेहसाणा	प.रे.	52
10.	दिल्ली कैंट-दिल्ली/नई दिल्ली	उ.रे.	14
11.	दोनाकोंडा-गिददातूर	द.म.	84
12.	चिकजाजूर-हरिहर	द.रे.	60
13.	हरिहर-हुबली	द.रे.	129
14.	हुबली-लोंडा	द.म.	93
15.	मिरज-लोंडा	द.म.	188
16.	अलनावर-अम्बेवाडी	द.म.	26
17.	चापरमुख-हैबरगांव	पू.सी.	21
18.	जोधपुर-जैसलमेर	प.रे.	295
19.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल	पूर्वो.	129
20.	हुवली-गढ़ग-हरलापुर	द.म.	78
21.	लामडिंग-नीलालुंग	पू.सी.	22
		जोड़	1805

1992-93

दोहरीकरण

	खंड	क्षेत्र/रेलवे	लंबाई (कि.मी.)
1.	कोहली-कमलेश्वर	मध्य	12.68
2.	मझगांव-टिकरिया		13.18
3.	माताटीला-बसई		7.88
4.	टाकू-काला अखर		10.48
5.	बेतवा 'क' और 'ख' केबिन		2.71
6.	पकड़िया रोड-अमदारा		9.83
7.	नाथनगर-भागलपुर	पूर्व	3.83
8.	जमीर घटा-गौड़ मालदा		5.77
9.	हैदर नगर-कासीयारा		6.07
10.	जापला-हैदर नगर		7.02
11.	कोसीयारर-मोहम्मदगंज		5.84
12.	बारासात-दत्तापुकुर		7.67
13.	घमतान-साहिब-हिम्मतपुर	उत्तर	15.00
14.	रामपुर-मिलक		23.00
15.	मालदा टाउन से 'ख' केबिन	पूर्वोत्तर	2.70
16.	बारसोई-सुधानी	सीमा	11.91
17.	तांदूर-मनताटी	दक्षिण मध्य	8.49
18.	रायचूर-मारीचीतल		29.81
19.	माही पुल	पश्चिम	1.27
		जोड़	185.14

1993-94

1	2	3	4
1.	कीरतगढ़-काला अखर	मध्य	12.00
2.	मेटपंजारा-भरतवाड़ा		16.00
3.	नारखेड़-मेटपंजारा		34.00
4.	नर्मदा पुल		1.00
5.	जामिनघाटा-खल्तीपुर	पूर्व	6.00
6.	खल्तीपुर-चामग्राम		9.00

1	2	3	4
7.	बोनीडांगा लिंक केबिन		2.00
8.	किऊल जमालपुर-भागलपुर		5.00
9.	मुगलसराय-गणखरजा		4.00
10.	निजामुद्दीन-तिलक ब्रिज	उत्तर	5.00
11.	रामपुर-आजादपुर		8.00
12.	रोहतक-जाखल		11.00
13.	तेलता-डालकोला	पू.सी.	8.00
14.	कोल्लम-करूनागपल्ली	दक्षिण	14.00
15.	सेरम-मलखेड़	दक्षिण मध्य	12.00
16.	लिंगेरी-नारायनपेट	मध्य	13.00
17.	नारायनपेट-चेगुंटा		11.00
18.	यायुगीर-लिंगेरी		11.00
19.	थागुंडी-यादगीर		8.00
20.	जोरंडा रोड-धेनकेनाल	दक्षिण पूर्व	9.00
21.	रायपुर-विजयनगरम लाइन		83.00
22.	बोलाई-आकोदिया	पश्चिम	12.00
23.	माही पुल		1.00
		जोड़	295.00

1994-95

1.	नर्मदा पुल	मध्य	3.6
2.	मोहम्मद गंज-सतबाहिनी	पूर्व	6.92
3.	सेदराजा-चांदौली माजवाड़		8.4
4.	चांदौली माजवाड़-गंजख्वाजा		8.5
5.	गंजख्वाजा-मुगलसराय		7.00
6.	मिलक-नागरिया सादत धनेता	उत्तर	16.00
7.	मिटोरा-पारसखेड़ा		5.00
8.	न्यू जलपाईगुड़ी-आमबाड़ी पालाकाटा	पू. सीमा	9.00
9.	चित्रपुर मलखेड़ रोड	दक्षिण मध्य	9.67
10.	सुलेहल्ली चित्रपुर		6.01
11.	नवदंगी कुरकुंटा		7.55
12.	रूकमापुर तांदूर		11.00
13.	थिरूबली सिंगापुरम रोड	दक्षिण-पूर्व	11.00
14.	सिंगापुरम रोड रायगड़ा		9.00
15.	रायगड़ा लड्डा		5.00
16.	मुरीगुड़ा बिस्सामकटक		18.00
		जोड़	141.65

निम्नलिखित आमान परिवर्तन और दोहरीकरण कार्य प्रगति पर है :

आमान परिवर्तन

खंड का नाम	क्षेत्र/रेलवे
मिरज-लातूर	मध्य
जोधपुर-मारवाड़	पश्चिम
विरमगाम-मेहसाना	पश्चिम
दीमापुर-डिब्रूगढ़	पूर्वोत्तर सीमा
छपरा-औडिहार	पूर्वोत्तर
समस्तीपुर-दरभंगा	पूर्वोत्तर
सगौली-नरकटियागंग	पूर्वोत्तर
गदग-शोलापुर	दक्षिण मध्य
वाडसा-चांदाफोर्ट	दक्षिण पूर्व
त्रिची-दिण्डीगुल	दक्षिण
गिट्टदालूर-गुंतकल	दक्षिण मध्य
मेहबूबनगर-द्रोणाचलम	दक्षिण मध्य
पूणर्प-मुदखेड	दक्षिण मध्य
हासपेट-स्वामीहिली	दक्षिण मध्य
गुडा रोड-फोट्टूर	दक्षिण मध्य
लोंडा-वास्को	दक्षिण मध्य
हासपेट-गदग	दक्षिण मध्य
मऊ-शाहगंज	पूर्वो

दोहरीकरण

इकहरी लाइन

1	2
हेतमपुर-घेर/चम्बल पुल सहित	मध्य
नरखेड़-मेटपांजरा (चरण-6)	मध्य
कीरतगढ़-काला आखर और	
मेटपांजरा-भरतवाड़ा (चरण-5)	मध्य
चंदनपुर-गुडप श्रीसरी लाइन	पूर्व
साहिबगंज-न्यूफरक्का मालदा टाउन	पूर्व
गड़वां रोड-सोननगर	पूर्व
सिगसिगी-बगहा बिशनुपुर	पूर्व
दत्तापुकुर-हबरा	पूर्व
सोननगर-मुगलसरायम-दिशिकसंकेती	

1	2
सिगनल व्यवस्था और सोननगर में ऊपरी पुल सहित	पूर्व
खाना-सैंथिया (चरण-2)	पूर्व
भापटेरढाल-गुसकरा (चरण-2)	पूर्व
रामपुर-बरेली (चरण-2)	पूर्व
अलुआवाड़ा रोड-किशनगंज	पूर्वोत्तर सीमा
कुट्टीपुरम-कार्लाकट	दक्षिण
व्हाइटफील्ड-बंगारपेट-कुप्पम	दक्षिण
कायनकुलम-कोल्लम	दक्षिण
कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम सैन्ट्रल	दक्षिण
तांदूर-मलखेड रोड	दक्षिण मध्य
विकाराबाद-तांदूर	दक्षिण मध्य
मलखेड रोड वाडी	दक्षिण मध्य
अकलतारा-चम्पा तीसरी लाइन	दक्षिण पूर्व
विलासपुर-अकलतारा	दक्षिण पूर्व
जोरंड रोड-हिंडोल रोड	दक्षिण पूर्व
नालचेर-हिंडोल रोड	दक्षिण पूर्व
राजतगढ़-नरगुंडी	दक्षिण पूर्व
अम्बोदला-विस्सामकटक तथा	दक्षिण पूर्व
तिरूवलिगुमदा-गुमडा कहीं कहीं दोहरीकरण	दक्षिण पूर्व
गुमडा-बोब्बिली	दक्षिण पूर्व
बोब्बिली-गजपतिनगरम	दक्षिण पूर्व
गजपतिनगरम-विजयनगरम कहीं कहीं दोहरी	
लाइन बिछाना (चरण द्वितीय) (खंड तृतीय)	
विजयनगरम में जंक्शन प्रबंध सहित	दक्षिण पूर्व
बैरागट बर्फामियाभौंरी तथा	पश्चिम
बकनियन भौंरी-फांदी	
अनासपुल-पंचपिपलिया सरंग तथा	पश्चिम
माही पुल इकहरी लाइनों के	-
तीन टुकड़े	पश्चिम
पिरडमरोड-बेडचा तथा बोलद-अकोदिया	पश्चिम
कालापिपल-फांदा	पश्चिम
मकसी-बैरागढ़	पश्चिम

आमान परिवर्तन तथा दोहरीकरण के निम्नलिखित नए कार्यों की रेल बजट 1995-96 में शामिल किया गया है :-

आमान परिवर्तन

	खंड का नाम	क्षेत्र/रेलवे
1.	आगरा-बांदीकुई	पश्चिम
2.	गांधीधाम-भुज	पश्चिम
3.	बांकानेर-मलिया-मियाना	पश्चिम
4.	मथुरा-अछनेरा	पूर्वोत्तर
5.	नरकटियागंज-बगहा-बाल्मिकि नगर	पूर्वोत्तर
6.	खड्डा-गोरखपुर	पूवोत्तर
7.	मैसूर-हसन	दक्षिण
8.	यशवंतपुर-सेलम	दक्षिण
9.	त्रिची-नागौर-कराईकल	दक्षिण
10.	रूपसा-बांगरीपोसी	दक्षिण पूर्व
11.	लूनी-जोधपुर	उत्तर

दोहरीकरण

दिवा-बसई रोड	मध्य
दिवा-पनवेल	मध्य
दौड़-भिगवा	मध्य
निशातपुरा "क" और "घ" केबिन	मध्य
गुस्कारा-बोलपुर चरण-तृतीय	पूर्व
बजबल-अकरा चरण-प्रथम	पूर्व
टूंडला-यमुना ब्रिज	उत्तर
मुरादनगर-मेरठ	उत्तर
गाजियाबाद-मुरादनगर	उत्तर
कहीं कहीं दोहरीलाइन बिछना	उत्तर
कानपुर-पनकी तीसरी लाइन	उत्तर
कुट्टीपुरम-गुरूवायूर	दक्षिण
बेंगलूर-केंगरी	दक्षिण
रघुनाथपुर-गोरखनाथ रहामा	दक्षिण पूर्व
कहीं कहीं दोहरीकरण लाइन बिछाना	
उरकुरा-रायपुर-सरोना	
कोटा-गुरला-चंकल पुल का दोहरीकरण	पश्चिम
बंबई सैंट्रल-बोरीवली	पश्चिम

[अनुवाद]

गुजरात में कम्प्यूटर शिक्षा

7861. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के सभी डिग्री कालेजों में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुरू करने का है,

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार इस समय कालेजों को संगणक विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आयोग द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती । तथापि व्यक्तिगत संगणक तथा संबंधित साफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए आयोग प्रति कालेज 1.25 लाख रूपये का एक मुश्त अनुदान प्रदान कर रहा है । इस योजना का उद्देश्य विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि प्रशासन, वित्त, परीक्षा, शोध कार्य आदि में संगणकों के प्रयोग के संबंध में स्टाफ और छात्रों में जागरूकता पैदा करना है। अभी तक गुजरात के 85 कालेजों को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

[हिन्दी]

मुम्बई में उपनगरीय सेवाएं

7862. श्री दत्ता मेघे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली के लिए एक सदशासी निकाय गठित करने हेतु मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) बम्बई की उपनगरीय रेल प्रणाली के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपनगरीय तथा लंबी दूरी की गाड़ियों द्वारा समान अवसंरचनाओं यथा रेलपथ, सिगनल, शिरोपरि उपस्कर, स्टेशनों का उपयोग किया जाता है ।

इसके अलावा अंतर्नगरीय परिवहन आवश्यकताएं रेलों सहित परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा पूरी की जानी है । केवल समन्वित प्रयास से कुशलता और सुधार लाया जा सकता है । इस विषय में शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

7863. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में ग्रप "सी" और "डी" में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने मामले पत्र लम्बित पड़े हैं ।

(ख) इनमें से कितनी नियुक्तियां की गई तथा प्रत्येक मामले में नियुक्ति आदेश जारी करने में कितना समय लगा ; और

(ग) शेष मामलों में नियुक्ति पत्र न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए 447 आवेदन लंबित पड़े हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या 841 है ।

(ख) प्राप्त किए गए 841 आवेदनों में से नियुक्तियों के लिए 367 आवेदन अनुमोदित किए गए थे तथा संबंधित आवेदकों की नियुक्तियां कर दी गई है । इसमें लिया गया समय लगभग 9 से 12 महीने है ।

(ग) आश्रितों के अवयस्क होने, दस्तावेजों के न मिलने, उचित रिक्तियों की अनुपलब्धता, विशेषकर निरक्षर विधवाओं के मामले में, आदि जैसे विभिन्न कारणों से शेष मामलों में नियुक्तियां नहीं की गई हैं ।

समान गन्ना भुगतान प्रणाली

7864. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि. ने समान गन्ना भुगतान प्रणाली के संबंध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है/की जायेगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मत्स्यन नौकाएं

7865. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस समय प्रयोग की जा रही मत्स्यन नौकाएं काफी पुरानी हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आधुनिक मत्स्यन-नौकाएं प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) यह नहीं कहा जा सकता है कि देश में इस समय उपयोग में लाए जा रहे मत्स्यन ट्रॉलर्स बहुत पुराने हैं। इस समय 20 मीटर से कम लम्बाई वाली 35,000 यंत्रीकृत मत्स्य नौकाएं 40-50 फैथम की गहराई तक मत्स्यन में लगी हुई हैं और 20 मीटर से अधिक लम्बाई वाली 100 यंत्रीकृत नौकाएं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम में लगी हुई हैं ।

समुद्री क्षेत्र में मत्स्य बेड़ों का आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से सरकार ने संयुक्त उद्यम/अनुबंध तथा द्विपक्षीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत आधुनिक अपतटीय

मत्स्य नौकाओं को प्राप्त करने की एक योजना को मंजूरी दे दी है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की वर्तमान नीति के अनुसार 15 वर्ष से कम पुरानी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि उसे समुद्र में इस्तेमाल करने को उपयुक्तता का प्रमाण पत्र तथा इसको उपयुक्तता पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की 1991 की नई नीति के अन्तर्गत भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रचालन के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 187 आधुनिक नौकाओं का इस्तेमाल शुरू करने की अनुमति दे दी गई है । जिनमें से 29 नौकाओं की वास्तव में काम पर लगाया जा चुका है ।

नई रेल लाइन

7866. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सर्वेक्षणों से राज्य के लिए प्रस्तावित सभी परियोजनाओं को हानिकारक परियोजनाएं बताया गया है;

(घ) यदि हां, तो उस एजेंसी का नाम बतायें जिसे उक्त सर्वेक्षण कार्य सौंपा गया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पीछे क्या कारण है;

(ड) क्या राज्य में किसी प्रमुख रेल परियोजना न होने से लोगों में व्यापक रूप से असंतोष व्याप्त है; और

(च) क्या सरकार राज्य में व्याप्त व्यापक असंतोष को ध्यान में रखते हुए इन सर्वेक्षणों की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पलवल, रेवाड़ी के रास्ते खुर्जा से रोहतक तक क्षेत्रीय बाई पास लाइन का सर्वेक्षण किया गया है । इस सर्वेक्षण में पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, मूंह, सोहना और रोहतक आदि (245 कि.मी.) शामिल हैं और सर्वेक्षण की लागत 14-13 लाख रु. होने की आशा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उपर्युक्त सर्वेक्षण उत्तर रेलवे के सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जा रहा है ।

(ड) हरियाणा पर्याप्त रेल नेटवर्क द्वारा सेवित है 31-3-1994 को 19-06 के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में इसका प्रति 1000 वर्ग मीटर मार्ग किलोमीटर 33-89 है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

संस्कृत की शिक्षा

7867. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत को अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू करने की मांग चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) संस्कृत को सभी केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 5 से 9 तक एक अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है । छात्र संस्कृत की कक्षा 10 में एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में भी ले सकते हैं ।

केन्द्रीय विद्यालयों में उच्चतम माध्यमिक कक्षाओं में संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रदान किया जाता है ।

तमिलनाडु में मछली पकड़ने के पत्तन

7868. श्री एन. डेनिस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के पश्चिमी तट में, विशेषतः कन्याकुमारी जिले में जहां मछुआरे बहुतायत में रहते हैं मछली पकड़ने के लिए पत्तन खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर ने तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर कन्याकुमारी जिले में कोलाचल में मात्स्यिकी पत्तन की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है ।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक प्रयोजना के लिए उत्पादन

7969. श्री राजवीर सिंह :
श्री तेज नारायण सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उत्पादित प्रमुख कृषि बागवानी और चीनी फसलों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है :

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) इससे प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

चीनी मिलों का बेचा जाना

7870. श्री पंकज चौधरी :
श्री अमरपाल सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में आने वाली कुछ चीनी मिलों को निजी क्षेत्र को बेचने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव में क्या सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं ।

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) खाद्य मंत्रालय को सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र में आने वाली किसी भी चीनी मिल की निजी क्षेत्र को बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

चीनी मूल्य संबंधी समिति

7871. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के लिए चीनी मूल्य नीति की सिफारिश करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं । चीनी मूल्य नीति के संबंध में ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कुतुबमीनार के एक भाग को हड़पना

7872. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21.4.1995 के "दैनिक जागरण" के अनुसार विश्व प्रसिद्ध कुतुबमीनार का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमि माफिया द्वारा हड़प लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राज्य सरकार की 47.3 बीघा भूमि पर अनधिकार कब्जा कर लिया गया है जो कुतुबमीनार से लगी हुई है किन्तु संरक्षित सीमाओं के बाहर है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मामले को दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ उठाया है । ताकि सरकारी भूमि से अनधिकार कब्जे को हटाया जा सके । दर्ज प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पहले ही एक हिस्से पर से अनधिकार कब्जे को हटा दिया है । शेष कब्जे को जल्दी हटाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अब इस मामले को बड़ी तेजी से दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ चला रहा है ।

किसानों को राज सहायता

7873. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमांचल प्रदेश के किसानों को अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए पावर टिलर खरीदने हेतु विशेष राज सहायता देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है और इन किसानों को कितनी राज सहायता दी जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) हिमांचल प्रदेश राज्य में कई केन्द्रीय प्रायोजित फसल उत्पादन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को पावर टिलरों पर कोई राजसहायता अनुज्ञेय नहीं है । हिमांचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को विशेष राजसहायता देने के लिए हिमांचल प्रदेश सरकार से कोई सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देना

7874. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री लाईता उम्रे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं ।
(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अंगूर-उत्पादन में हानि

7875. डा. बसंत पवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष असामयिक वर्षा की वजह से अंगूर उत्पादन को, विशेष रूप से महाराष्ट्र में भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंगूर के कम उत्पादन की वजह से इसके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा किसानों को काफी ज्यादा हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी अप्रत्याशित हानि से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले वर्ष महाराष्ट्र में असमय वर्षा होने के कारण कोई भारी क्षति नहीं हुई । कुछ मामूली क्षति की सूचना मिली थी ।

(ख) अंगूर के निर्यात पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा ।

(ग) कोई भावी योजना तैयार नहीं की गई। वैसे निम्नानुसार सहायता प्रदान की गयी थी।

क्षति की प्रतिशतता	प्रदत्त सहायता
50 से 75 प्रतिशत	2500/- रुपए प्रति हैक्टेयर अधिकतम 5000 रु. की सीमा तक।
75 प्रतिशत से अधिक	5000 रु. प्रति हैक्टेयर अधिकतम 10,000 रु. की सीमा तक।

[हिन्दी]

लोकोमोटिव और कोच फैक्टरियां

7876. डा. अमृत लाल कालिदास पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में लोकोमोटिव और कोच फैक्टरियां लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध करा दी है और गुजरात के किन-किन शहरों में ये फैक्टरियां लगाई जायेंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र

7877. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में संशोधनों का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षक परिषद की सिफारिशों पर सरकार ने सुझावों की जांच करने तथा अपनी सिफारिशें देने के लिए एक कार्यदल गठित किया है।

(ग) सुझाव मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्षेत्र का विस्तार करने से संबंधित है ताकि उसे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिक कारगर बनाया जा सके।

(घ) इस समय इस बारे में कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

रेलवे स्टेशन

7878. श्री धर्मण्णा मॉडयूया सादुल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान मध्य रेलवे के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1995-96 के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(क) 15 लाख रुपए से कम लागत के कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख रुपयों में)

स्टेशन	कार्य का ब्यौरा	लागत
1	2	3
अहमदनगर	प्लेटफार्म 1 पर सायवान का विस्तार	7.87
अकुर्दी	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	7.80
	प्लेटफार्म 1 और 2 पर सायबान की व्यवस्था	6.28
बडनेरा	ऊपरी पैदल पुल का सुधार	9.80
भीमसेन	अप प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था	5.91
बम्बई वी.टी.	प्लेटफार्म 14/15 पर सुविधाओं की व्यवस्था	4.50
कॉटनग्रीन	प्लेटफार्म 1 और 2 पर सीढ़ियों की व्यवस्था	3.93
गदरवाड़ा	स्टेशन की इमारत में सुधार	9.45
गंजबासोदा	स्टेशन की इमारत को सुंदर बनाना	5.25
गोटेगांव	प्लेटफार्म सायबान का विस्तार	5.72
गोवंडी	इलेक्ट्रानिक संकेतकों की व्यवस्था	2.45
होशंगाबाद	ऊपरी पैदल पुल का विस्तार	9.45
ईसरवारा	अप और डाउन प्लेटफार्मों पर सायबान की व्यवस्था	7.85
जबलपुर	प्लेटफार्म पर घुलनीय एप्रन का विस्तार	9.03
खरबाऊ	प्लैटफार्म और उस पर सुविधाओं की व्यवस्था	7.01
किरकिया	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	8.66
कुर्दुवाडी	प्लेटफार्म 1/2 पर सायबान का विस्तार	7.15
ललितपुर	ऊपरी पैदल पुल का विस्तार	8.54
मुरैना	प्लेटफार्म 1,2 और 3 का विस्तार	8.08
मुलुंड	इलेक्ट्रानिक संकेतकों की व्यवस्था	8.36
नंदूरा	डाउन प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था	4.67
पलवल	प्लेटफार्म 4 और 5 को ऊंचा करना	6.76
रूचियाई	स्टेशन की इमारत में सुधार	5.09

1	2	3
सांची	अप प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था	5.54
सिंदी	डाउन प्लेटफार्म को ऊंचा करना	2.50
ठाकुर्ली	प्लेटफार्म 1 और 2 पर सायबान का विस्तार	4.05
जबलपुर/कटनी	बैटरी चार्जिंग सुविधा की व्यवस्था	7.28
वर्धा ईस्ट	प्लेटफार्म 2 और 3 पर सायबान का विस्तार	7.08
अझई/भूतेश्वर-शोलाकी/रूंधी	प्लेटफार्म को ऊचा करना	10.53

(ख) विवरण इस प्रकार है :-

(लागत लाख रुपयों में)

स्टेशन	कार्य का विवरण	लागत
1	2	3
अंवीवली	अप प्लेटफार्म पर सायबान का विस्तार	13.00
बडनेरा	अप और डाउन प्लेटफार्म पर सायबान का विस्तार	34.83
बल्हारशाह	प्लेटफार्म 2 पर घुलनीय एप्रन की व्यवस्था	44.17
बल्लबगढ़	प्लेटफार्म 4 और 5 पर सायबान का विस्तार	12.46
बानापुरा	ऊपरी पैदल पुल का विस्तार	10.90
बांदा	यात्री प्लेटफार्म पर खडंजा बिछाना	3.00
बेलापुर	प्लेटफार्म 2 पर सायबान की व्यवस्था	3.09
भांडूप	ऊपरी पैदल पुल का विस्तार	9.07
भोपाल	प्लेटफार्म 2 और 3 पर सायबान का विस्तार	13.00
	स्टेशन की पश्चिमी दिशा को सुंदर बनाना	15.00
बीना	प्लेटफार्म 3 और 4 पर सायबान का विस्तार	4.22
बम्बई वी.टी.	प्लेटफार्म 14 और 15 पर सायबान का विस्तार	9.95
	प्लेटफार्म 14 और 15 पर घुलनीय एप्रन	9.95
बुदनी	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	8.28
बूटी बोरी	निस्थंदन संयंत्र की व्यवस्था	5.50
भायखला	प्लेटफार्म 4 पर सायवान की विस्तार	12.69
चिंचपोकली	बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था	9.15
चित्रकूट धाम	मास्टर जल शीतकों की व्यवस्था	4.00
	प्रतीक्षा सुविधाओं की व्यवस्था	9.90
दमोह	प्लेटफार्म पर सायवान का विस्तार	7.78
दौंड	प्लेटफार्म 2 पर घुलनीय एप्रन की व्यवस्था	23.46
देहूरोड	प्लेटफार्म 1 और 2 पर सायवान का विस्तार	13.73
धोद्रामोहर	निस्थदन संयंत्र की व्यवस्था	5.50
डोंबीवली	प्लेटफार्म 2, 3 और 4 पर सायबान का विस्तार	24.13
दुधनी	प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था	4.36
फरीदाबाद	बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था	5.22
ग्वालियर	प्लेटफार्म पर सायबान का विस्तार आदि	7.84
हरदा	द्वीप प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था	11.50
हिंगनघाट	प्लेटफार्म 1 और 2 पर सायबान की व्यवस्था	6.70
इगतपुरी	मुख्य डाउन लाइन पर घुलनीय एप्रन की व्यवस्था	20.28
इटारसी	बैटरी चार्जिंग सुविधाओं की व्यवस्था	9.12
	प्लेटफार्म 5 पर घुलनीय एप्रन की व्यवस्था	20.70
जूचंद्रा	प्लेटफार्म और सुविधाओं की व्यवस्था	8.83
कलवा	पश्चिम दिशा में बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था	11.24
कमान	प्लेटफार्म और सुविधाओं की व्यवस्था	8.64
कामशेट	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	10.26
कटनी	प्लेटफार्म सं. 5 का विस्तार	4.85
खण्डवा	बैटरी चार्जिंग सुविधाओं की व्यवस्था	5.93
कोपरगांव	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	16.56
	प्लेटफार्म 1 पर सायबान का विस्तार	2.70
कुर्ला	प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था	9.73
	ऊपरी पैदल पुल का विस्तार	61.01
	अतिरिक्त पाइलट संकेतकों की व्यवस्था	22.21
मनमाड	बैटरी चार्जिंग सुविधाओं की व्यवस्था	7.66
	प्लेटफार्म 1 और 2 पर सायबान का विस्तार	11.18
मथुरा	बैटरी चार्जिंग सुविधा की व्यवस्था	6.28
	प्लेटफार्म 1 पर घुलनीय एप्रन की व्यवस्था	21.60
मुंबरा	प्लेटफार्म 1 पर सायबान का विस्तार	35.07
नांदुरा	अप और डाउन प्लेटफार्मों का विस्तार	9.91
ओबैदुल्लागंज	प्लेटफार्म को ऊंचा करना	3.86
पलवल	प्लेटफार्म 1 और 6 को ऊचा करना	9.71
पथरिया	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	13.17
पुणे	प्लेटफार्म 4 और 5 पर सायबान का विस्तार	11.38
रे रोड	बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था	3.00

1	2	3
	प्लेटफार्म 4 पर सायबान का विस्तार	23.28
रूठियाई	प्लेटफार्म को ऊंचा करना बुकिंग कार्यालय का सुधार,	8.00
सलामतपुर	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	7.61
सतना	बुकिंग कार्यालय के ढांचे में परिवर्तन	11.98
शाजापुर	जल सप्लाई में सुधार	12.91
शिवाजीनगर	प्लेटफार्म 1 पर सायवान की व्यवस्था	51.11
सिंदी	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	9.98
शोलापुर	प्लेटफार्म 3 पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था	24.97
	जल आपूर्ति में सुधार	4.00
आगरा/मथुरा	आधार रसोईघर का सुधार	8.26
तलेगांव	अप और डाउन प्लेटफार्म का विस्तार	8.27
	अप और डाउन प्लेटफार्मों पर सायबान का विस्तार	10.90
थाणे	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	17.70
तिलक नगर	प्लेटफार्म 1 और 2 पर सायबान की व्यवस्था	55.82
उरूली	प्लेटफार्म 1पर सायबान की व्यवस्था	3.07
वर्धा/आमला	मास्टर जल शीतकों की व्यवस्था	8.00
वासिंद	प्लेटफार्म 1 और 2 पर सायबान का विस्तार	17.98
विखरौली	प्लेटफार्म 4 पर सायबान का विस्तार	15.14
सतना/कटनी	बैटरी चार्जिंग सुविधाओं की व्यवस्था	5.10
विट्ठलवाडी	बुकिंग कार्यालय, पैदल ऊपरी पुल का विस्तार	7.50
वर्धा	प्लेटफार्म पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था	22.84
	जल आपूर्ति में सुधार	2.00
	इलेक्ट्रानिक संकेत पटल की व्यवस्था	8.50
वरोरा	प्लेटफार्म 2 और 3 पर सायवान की व्यवस्था	3.85
जबलपुर/कटनी	मास्टर जल शीतकों की व्यवस्था	8.00

युवा विकास केन्द्र

7879. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री लाल बाबू राय :
श्री छेदी पासवान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कुछ युवा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में स्थापना हेतु प्रस्तावित केन्द्रों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन केन्द्रों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां । सरकार नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जरिए युवा विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है जो प्रत्येक 10 गांवों के समूह में उपयुक्त ढंग से चुना गया युवा क्लब होगा ।

(ख) हालांकि, सरकार का 10 गांवों के एक समूह के लिए एक युवा विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है परंतु कोष की कमी के कारण वर्तमान में संपूर्ण देश में प्रत्येक 10 गांवों के समूहों के लिए एक युवा विकास केन्द्र खोलना संभव नहीं है, तथापि, प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सभी राज्यों में केन्द्र खोले जायेंगे ।

(ग) प्रस्तावों की प्राप्ति और स्वीकृति के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जाएगी । अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

एन.सी.डी.सी. परियोजना चरण-चार

7880. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.डी.सी. परियोजना चरण-चार चालू हो गया है ।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

(ग) एन.सी.डी.सी. परियोजना चरण-चार के कब तक चालू होने की संभावना है ;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने परियोजना के अंतर्गत कुछ चीनी कारखानों और कताई मिलों को चालू करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ड) यदि हां, तो कर्नाटक में इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले चीनी कारखानों और कताई मिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजना का चरण-4 अभी शुरू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इसे अगस्त 1990 में विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था लेकिन इसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है । विश्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त होते ही इस परियोजना को शुरू कर दिए जाने की संभावना है ।

(घ) और (ड) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजना चरण-4 के तहत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों तथा उपक्षेत्रों की पहचान विश्व बैंक द्वारा परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान की जाएगी । तथापि, कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत कताई मिलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसकी सूची नीचे दी गई है :-

(1) सहयाद्रि सहकारी कताई मिल लि. चन्नागिरि, जिला शिमोगा ।

(2) श्री सिद्धेश्वर सहकारी कताई मिल लि. चिक्कोडी जिला बेलगाम ।

(3) संजय सहकारी कपड़ा मिल लि. हुबली जिला धारवाड़ ।

सवारी डिब्बों की आपूर्ति

7881. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को सवारी डिब्बों की आपूर्ति अनेक देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम बताइये जिनके साथ रेलवे ने करार किए हैं ; और

(ग) क्या सरकार निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोच फैक्टरियों की क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रही हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) नेपाल को 6 सवारी डिब्बों की सप्लाई का एक क्रयादेश पहले ही निष्पादित किया जा चुका है ।

(2) वियतनाम नेशनल रेलवेज के साथ 15 मी.ला. सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ग) जी नहीं, देश में सवारी डिब्बा निर्माण की वर्तमान क्षमता घरेलू तथा निर्यात जैसी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कं अंतर्गत कापियां

7882. श्री मोहन रावले : क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली कापियां आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे के अन्तर्गत आती हैं ।

(ख) क्या इस मद को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है ;

(ग) क्या इन कापियों के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं ।

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) इन कापियों की छात्रों के लिए बाजार में उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ड) शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए तुरंत अध्ययन के अनुसार कापियों के मूल्यों में, जिनका गैर-सरकारी तौर पर उत्पादन किया जाता है कुछ वृद्धि देखी गई है ।

उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि कागज के मूल्य कोयले, पावर, कास्टिक सोडा, आयातित गूदा और अन्य कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ गए हैं । जुलाई 1994 में लेखन और मुद्रण के कागज का औसत मूल्य 19,500 रू. प्रति मी. टन था जबकि वर्तमान औसत मूल्य 26,000 रु. प्रति मी. टन है । कागज की कीमत पर, जो कि बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है । तथापि सरकार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए स्थिति पर नजर रख रही है ।

रेल परियोजनाएं

7883. श्री वीर सिंह महतों : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को किस तिथि को शुरू किया गया था और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) (क) और (ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

परियोजना का नाम	कार्य शुरू करने का वर्ष	पूरा करने की लक्ष्य/तिथि
1. नई लाइनें		
i) लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना		
47.5 कि.मी.)	1987-88	1996-97
ii) हावड़ा आमता-चाम्पाडांगा		
(73.5 कि.मी.)	1974-75	नवीं योजना के अंत तक
iii) तामलुक-दीघा (87.5 कि.मी.)	1984-85	नवीं योजना के अंत तक
iv) दुमका के रास्ते मंदारहिल से		
रामपुरहाट (130 कि.मी.)	1995-96	नवीं योजना के अंत तक
(14 कि.मी. पश्चिम बंगाल में		
और लाइन का शेष भाग बिहार		
में पड़ता है ।)		
v) दमदम-टालीगंज (मैट्रो रेलवे)	1971-72	1995
2. आमान परिवर्तन		
i) पुरूलिया-कोटशिला का आमान		
परिवर्तन चरण-प्रथम	1992-93	पूरा हो गया है
ii) पुरूलिया-कोटशिला का आमान		
परिवर्तन चरण-द्वितीय	1993-94	1996-97
3. दोहरीकरण		
i) दम दम और बारासात		
(20.23 कि.मी.)	1979-80	पूरा हो गया है
ii) दत्तापुकुर और हावरा		
(14.49 कि.मी.)	1990-91	इस वित्तीय वर्ष के दौरान
iii) खाना-झापटेरढाल चरण-प्रथम		
(5.63 कि.मी	1992-93	1996-97)
iv) झापटेरढाल-गुसकरा चरण-द्वितीय		
(15.21 कि.मी.)	1993-94	1996-97
v) चंदनपुर गुडुप (तीसरी लाइन)		
(17.24 कि.मी.)	1994-95	1997-98

नेहरू स्मारक संग्रहालय

7884. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसायटी की अवधि वर्ष 1992 में ही समाप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन आफ सोसायटी के किन नियमों उपनियमों के अन्तर्गत यह अभी भी चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां । नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसायटी के कुछ सदस्यों की अवधि वर्ष 1992 में समाप्त हो गई है ।

(ख) और (ग) यह मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन आफ सोसायटी के खण्ड 6 के अन्तर्गत जारी है । सोसायटी को जारी रखने संबंधी आदेश इसके मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन के खण्ड 6 के अंतर्गत सरकार में निहित शक्तियों के अधीन किया गया है, ताकि सोसायटी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके तथा इसका समुचित और प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके ।

(घ) सोसायटी के सदस्यों का नामांकन सरकार के विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

शीतागार

7885. डा. साक्षी जी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य में शीतागारों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि की सहायता मांगी है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार से शीतागार की स्थापना के लिए अब तक कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों का प्रदर्शन

7886 श्री मनोरंजन भक्त : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जिम्मेवारी सुनिश्चित नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय खेल संघ अपनी-अपनी खेल विधाओं की खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन हेतु मुख्यतः जिम्मेवार होते हैं और इसलिए वे प्रमुख उत्तरदायी होते हैं । सरकार खेल संघों के कार्यकरण में समग्र रूप से सुधार लाने और खेलों के प्रबंध में और अधिक व्यावसायिकता तथा निष्पक्षता लाने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी करती रहती हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मूंगफली

7887. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितनी मूंगफली का उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) सभी राज्यों से गर्मी की फसल से प्राप्त होने वाले मूंगफली के तेल का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ; और

(घ) वर्ष 1995 के दौरान देश में मूंगफली के तेल की कमी को किस हद तक पूरा किया जायेगा ?

अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1995-96 के लिए मूंगफली के उत्पादन का लक्ष्य 84 लाख मीटरी टन रखा गया है ।

(ग) मूंगफली के तेल के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है । 1995 की गर्मी के मौसम की मूंगफली का उत्पादन 22.3 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जिससे कुल 5 लाख मीटरी टन से थोड़ा अधिक तेल उत्पादन होने की संभावना है ।

(घ) तेल में होने वाली कमी का अनुमान के लिए अभी 1995-96 में मूंगफली के उत्पादन में संभावित कमी के बारे में संकेत देने का समय नहीं हुआ है ।

विवरण

1992-93 से 1994-95 तक के मूंगफली के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा ।

राज्य	मूंगफली का उत्पादन (हजार मीटरी टन)		
	1992-93	1993-94	1994-95 (अग्रिम अनुमान)
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	1964.8	2472.6	1857.0
2. बिहार	3.2	5.0	18.0
3. गोवा	1.7	2.0	--
4. गुजरात	2068.4	676.6	2369.0

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	1.3	1.7	2.0
6.	हिमांचल प्रदेश	0.4	0.4	2.0
7.	जम्मू और कश्मीर	0.9	0.9	1.0
8.	कर्नाटक	1142.3	1167.3	1009.0
9.	केरल	10.4	10.7	10.0
10.	मध्य प्रदेश	287.6	253.9	229.0
11.	महाराष्ट्र	755.1	769.2	669.0
12.	नागालैण्ड	1.2	0.5	----
13.	उड़ीसा	108.2	114.0	260.0
14.	पंजाब	12.0	8.0	8.0
15.	राजस्थान	271.7	208.6	258.0
16.	तमिलनाडु	1766.3	1911.7	1578.0
17.	त्रिपुरा	2.0	2.0	----
18.	उत्तर प्रदेश	139.2	130.8	100.0
19.	पश्चिम बंगाल	23.0	20.8	41.0
20.	पाण्डिचेरी	4.9	3.1	----
	अखिल भारत :	8564.6	7759.8	8416.0

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के मूल्य

7888. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेफेड" द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे चावल, दालों, मसालों और सूखा मेवा आदि के मूल्य सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) "नेफेड" द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों पर "नेफेड" ने कितने प्रतिशत लाभ कमाया ;

(घ) क्या सरकार को "नेफेड" द्वारा इन वस्तुओं की सप्लाई, बिक्री और खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में अनके शिकायतें मिली हैं ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ (नाफेड) मूल रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने तथा उसका विकास करने में लगा हुआ है। फिर भी, सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार के विपरीत, जिनके पास खुदरा बिक्री केन्द्रों की एक श्रृंखला मौजूद है, यह विभिन्न कृषि जिसों का थोक में निपटान करने तथा दिल्ली स्थित अपने 4 फुंटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आम तौर पर कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मध्यम स्तर पर उपभोक्ताओं में संवितरण करने की व्यवस्था में रत रहा है। नाफेड द्वारा बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं की बिक्री दर सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार द्वारा लागू बिक्री दर के या तो बराबर है या उससे भी कम है। लेकिन, कुछ वस्तुओं का मूल्य उनकी गुणवत्ता के कारण थोड़ा अधिक है।

(ग) नाफेड ने दिल्ली में खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना इसलिए की है कि वह उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सके। इन मदों पर मुश्किल से ही कही कुछ लाभ प्राप्त किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ड) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

झींगा मछली पालन

7889. **श्री गोपीनाथ गजपति :**
श्री अमल दत्त :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय क्षेत्रों में झींगा/मछली पालन के लिए विभिन्न कम्पनियों के अनुमानतः कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा इस संबंध में प्रत्येक राज्य का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या देश में व्यापारिक स्तर पर झींगा मछली के पालन हेतु सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई माइक्रोलेवल सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और खारे पानी में झींगा मछली पालन के लिए अनुमानतः कितना क्षेत्र उपलब्ध है तथा किन-किन स्थानों पर चार "हैचरीज" बनाए जाने का विचार है और व्यापारिक कार्यों के लिए क्या आदर्श बनाए गए हैं ;

(घ) क्या पूर्वी तटीय क्षेत्रों के झींगी पालकों ने केन्द्र से नाजुक पारिस्थितिकी की सुरक्षा हेतु संबंधित राज्य के परामर्श से सभी समुद्री राज्यों में तटीय विकास प्रबंध योजना बनाने का अनुरोध किया है ; और

(ड) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ड) उपलब्ध सूचना के अनुसार खारे जल में मछली पालने संबंधी जल क्षेत्र इस प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य	कवर किया गया जल क्षेत्र (हैक्टेयर) दिसम्बर 1994 तक
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	540
2.	गुजरात	797
3.	गोवा	128
4.	कर्नाटक	45

1	2	3
5.	केरल	863
6.	महाराष्ट्र	179
7.	उड़ीसा	11,495
8.	तमिलनाडु	203
9.	पश्चिम बंगाल	1,002
10.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
	कुल	15,252

झींगा मछली पालन फार्मों के लिए लागू होने वाले पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों से संबंधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाये गए हैं। दिशा-निदेशों को अंतिम रूप देने के बाद इन्हें अनुपालनार्थ राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को परिचालित किया जाएगा।

रेल लिंक

7890. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला को पिचखाल से जोड़ने के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) इंजीनियरी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट जुलाई, 1995 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

रेलवे पुल

7891. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर-दरभंगा सेक्शन पर 17 छोटे, 7 बड़े तथा 2 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पुलों को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर-दरभंगा खंड के सभी पुलों का बड़ी लाइन के अनुरूप यथा- अपेक्षित सुदृढ़ीकरण और पुनर्निमाण कार्य शुरू कर दिया है और यह पूरा होने के करीब है। इस लाइन को बड़ी लाइन के रूप में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण विश्वविद्यालय

7892. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने राज्य में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि जनवरी, 1995 में आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति आयोग के पास भेजी थी ताकि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा सकने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में आयोग की टिप्पणियों का पता लग सके। राज्य सरकार को आयोग ने सूचित कर दिया था कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को तब तक कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि यह राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा विधिवत स्थापित न हो जाए तथा इसे वि.अ.आ. अधिनियम के खण्ड 12 ख के अन्तर्गत निर्धारित विनियमों के अनुसार वि.अ.आ. से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित न कर दिया जाए।

क्रेच

7893. श्री अनादि चरण दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु स्तन पान को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत माताओं को निश्चित आयु तक के बच्चों हेतु कार्यलय परिसर में ही क्रेच खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1994-95 के दौरान ऐसे कितने क्रेच खोले जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) महिला कर्मियों के लाभार्थ शिशु देखभाल केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें गैर-सरकारी संगठन नियोक्ताओं को शिशुगृह सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नियोक्ताओं से यह सांविधिक अपेक्षा की गई है कि वे शिशुगृह सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान, शिशु देखभाल केन्द्र स्थापित करने का कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्मिक विभाग के अन्तर्गत गृह कल्याण केन्द्र 90 दिन से 7 वर्ष की आयु तक के बालकों तथा 90 दिन से 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए दिल्ली में कार्यालय परिसरों में तीन शिशुगृह केन्द्र चला रहा है।

[हिन्दी]

आयातित चीनी

7894. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि व्यापारियों द्वारा आयातित चीनी का चोरी छुपे निर्यात किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) खाद्य मंत्रालय को आयातित चीनी के गुप्त रूप से किए जाने वाले किसी भी निर्यात की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

[अनुवाद]

गोलकुण्डा किला

7895. श्री जे. चौका राव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के गोलकुण्डा किले की कीमती भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) संरक्षित क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर अनधिकार प्रवेश हो गया है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थानीय पुलिस को शिकायतें दर्ज कराई हैं तथा अनधिकार प्रवेश से बेदखली के मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है ।

चीनी का मूल्य

7896. श्री नवल किशोर राय :
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम घरेलू बाजारों में इसके मूल्य से अधिक रहे ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस अवधि के दौरान चीनी के निर्यात के कारण कितना वित्तीय घाटा हुआ ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं । अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य सामान्यतः घरेलू बाजार मूल्यों से कम होते हैं । अंतः चीनी निर्यात में घाटे होते हैं जो कि चीनी निर्यात वर्धन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार चीनी उद्योग द्वारा वहन किए जाते हैं ।

(ख) अधिसूचित निर्यात एजेन्सी अर्थात भारतीय चीनी एवं सामान्य उद्योग आयात निर्यात निगम लि. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात के परिणामस्वरूप हुए वित्तीय घाटे की सीमा निम्न प्रकार थी ।

वित्तीय वर्ष	अनुमानित घाटा (करोड़ रु. में)
1991-92	17.78
1992-93	10.34
1993-94	12.12

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा

7897. श्री लाल बाबू राय :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(घ) इस राशि में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास देश में शिक्षा के संपूर्ण विकास का ही एक भाग है और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अलग से आवंटन नहीं किया जाता है । प्राथमिक, माध्यमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के लाभों को प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है । वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए केंद्रीय योजनागत आवंटन क्रमशः 1310.00 करोड रु. 1541.46 करोड़ रु. तथा 1825.00 करोड़ रु. है । वर्ष 1994-95 के परिव्यय की तुलना में वर्ष 1995-96 में योजनागत परिव्यय में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

[अनुवाद]

शैक्षणिक संरचना आदि के पुनर्गठन के लिए सिनर्जी ग्रुप

7898. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षणिक संरचना का पुनर्गठन करने और देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० टी०) एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई० आई० एम०) सहित शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं की समस्याओं की जांच करने के लिए 'सिनर्जी ग्रुप' गठित करने का है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

(ग) उपरोक्त 'सिनर्जी ग्रुप' के सदस्यों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने हेतु प्रस्तावित मानदंड का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 'सिनर्जी ग्रुप' कब तक गठित कर दिए जाएंगे, इनके निदेश पद क्या हैं तथा सदस्यों के बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों के संबंध में सिनर्जी समूह के सदस्यों के बारे में ब्यौरे विचाराधीन हैं संरचना सदस्यों के चयन की प्रक्रिया विचारार्थ विषयों आदि के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

अतिरिक्त धनराशि

7899. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अतिरिक्त धनराशि के निवेश के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों

को केन्द्रीय सरकार के दिशा निर्देशों से नियंत्रित होकर भारतीय रेल वित्त निगम ने अपनी निवेश योग्य अतिरिक्त धनराशि लगाने हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव का सुझाव देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक कैप्स शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो निवेश योग्य अतिरिक्त धनराशि अनुमानतः कितनी है और यह रेलवे के योजनागत व्यय को आंशिक रूप से पूरा करने में कहां तक सहायक होगी;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक कैप्स ने इस समय क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अधिशेष धन के निवेश के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 14.12.94 को दिशा-निर्देश जारी किए जाने से पहले ही भारतीय रेल वित्त निगम ने एस.बी.आई कैपिटल मार्किट्स से अध्ययन करने और निगम के निवेश योग्य अधिशेष धनराशि के अधिकतम उपयोग के अर्थोपाय सुझाने का अनुरोध किया था उनकी अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

भारतीय रेल वित्त निगम के पास अस्थायी तौर से पड़ी यह फालतू धनराशि रेलवे के योजनागत खर्च हेतु अतिरिक्त संसाधन के रूप में नहीं है परन्तु इसका निवेश इस प्रकार से किया जा रहा है कि भा.रे.वि.नि. द्वारा बंध-पत्र धारकों की ऋण-योचन दाधिताओं को पूरा किया जा सके ।

रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य में शिकार

7900. श्री पी० कुमारासामी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "कन्सर्न ओवर पोचिंग इंसिडेंट इन टाइगर रिजर्वस" शीर्षक के अंतर्गत 12 मई, 1995 के "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य में 1994 और 1995 के दौरान हुई इस प्रकार की कितनी घटनाएं अभी तक सरकार के ध्यान में लाई गई हैं और ;

(घ) बाघ अभ्यारण्यों में विशेष रूप से रणथम्भौर बाघ अभ्यारण्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उद्यान के बाहरी क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई और पशुओं की अवैध चराई एवं ईंधन की लकड़ी एकत्र किए जाने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं यह भी सच है कि रणथम्भौर में बहुत अधिक पर्यटक आते हैं जिनके आवागमन पर हाल में नियंत्रण लगाया गया है ताकि उद्यान पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सके । तथापि 1994 के बाद से बाघों के चोरी-छिपे शिकार की कोई रिपोर्ट राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार है :-

1. मंत्रालय में एक बाघ संकट सैल खोला गया है ।

2. राज्य सरकारों को बाघ रिजर्वों के आसपास सतर्कता को सुदृढ़ करने और गश्त तेज करने की सलाह दी गई है ।

3. बाघ परियोजना क्षेत्रों में एक विशेष स्ट्राइक फोर्स स्थापित करने के लिए कदम उठाये गए हैं ।

4. रणथम्भौर बाघ रिजर्व में आगन्तुकों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उद्यान में पर्यटक आवागमन को विभिन्न अभिनिर्धारित मार्गों तक सीमित कर दिया गया है । केन्टर्स जैसे बड़े परिवहन वाहन शुरू करके सवारी ले जाने वाले वाहनों की संख्या कम कर दी गई है ।

राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि

7901. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्य को उन आपदाओं की स्थिति से निपटने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) राजस्थान सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 1994-95 के दौरान राज्य ओला वृष्टि तथा अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हुआ था । इन आपदाओं से हुई क्षति इस प्रकार है :-

प्रभावित फसल क्षेत्र	-3.33 लाख हैक्टेयर
क्षतिग्रस्त मकान (संख्या)	-9654
मृतकों की संख्या	-53
मृत पशु (संख्या)	-2030

(ख) और (ग) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में राहत उपाय करने के लिए 1994-95 के दौरान राजस्थान को आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 93.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी ।

खानपान यूनिट

7902. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च 1995 के "द स्टेटसमैन" में शरीफ्स फिएट आन बौम्बे कैटरिंग यूनिट्स स्पार्कस से" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या बंबई में उक्त तरह के अनिवार्य आवंटन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बंबई में बिना बारी के इस प्रकार के आवंटन की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएगें ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) खान-पान/बेंडिंग स्टालों के आवंटन के कारण बंबई सहित उपनगरीय खंडों के रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ से संबंधित मुद्दों की जाच के लिए रेल मंत्रालय संबंधी संसद सदस्यों की परामर्श समिति की एक उप-समिति का गठन किया गया है। पश्चिम और मध्य रेलों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि बंबई उपनगरीय स्टेशनों पर कोई और स्टाल आवंटित न किया जाए ।

रेलवे नेटवर्क

7903. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बिहार में रेलवे नेटवर्क के विकास की कोई योजना है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ब) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार राज्य में निम्नलिखित कार्य प्रगति पर है :-

पुनःस्थापन

1. बगहा-छितौनी रेल एवं सड़क पुल ।

आमान परिवर्तन

2. समस्तीपुर-दरभंगा

3. छपरा-औंडिहार

4. सगौली-नरकटियागंज

5. नरकटियागंज-वाल्मीकि नगर के आमान परिवर्तन की 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है ।

दोहरीकरण :

6. मुगलराय-सोननगर तीसरी लाइन

7. गरवा रोड-सोननगर (चरण-2)

8. अलुआबाड़ी किशनगंज न्यू जलपाईगुडी-आमबाड़ी फालाकाटा

सर्वेक्षण :

1. बरास्ता हजारीबाग रांची-गया के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण

2. राजगीर से हसुआ तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण

3. आर से सासाराम तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण

4. दरौंधा से महाराजगंज तक आमान परिवर्तन और महाराजगंज से मशरक तक नई बड़ी लाइन की व्यवस्था के लिए सर्वेक्षण

5. मान्सी-फारबिसगंज के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण

6. गंडक नदी पर दूसरे पुल के लिए सर्वेक्षण गिरिडीह और कोडरमा के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण और मानसी-सहरसा-वन-मंखी कटिहार के आमान परिवर्तन को 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है ।

विद्युतीकरण :

1. चांडिल तिरूलडीह और इल्लू-मुरी बरकाकाना (चांडिल-मुरी-बरकाकाना का भाग)

2. गुमिया-पतरातू और सोननगर-पतरातू का शेष भाग

3. चित्तरंजन-बाराकलां (सीताराम मुगलसराय का भाग)

4. जामादोबा-मोहुदा

5. बोकारो स्टील सिटी-पुन्दाग, मुरी-ओरगा, करमपाडा-किरिबुरू (बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-किरिबुरू/बरसुआन का भाग)

(ग) आवश्यकतानुसार रेलों को धन और सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है ।

बाह्य क्रिया कलाप (परिफेरल एक्टिविटिज)

7904. श्री एस. एम. ताहजान बाशा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों अथवा अन्य संस्थाओं के लिए रिहायशी कालोनियां क्लब, संस्थाएं आदि चलाने जैसे अनुषंगी और बाह्य क्रियाकलापों को बंद करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) रेलवे की ऐसे बाह्य क्रियाकलापों के संबंध में किस हद तक रूचि कम हुई है ; और

(घ) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में कोई यूनियन स्कूल और अन्य प्रतिष्ठान चलाने हेतु आगे आया है ; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रेलवे आवासीय तथा मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था कर्मचारी कल्याण के मामले के रूप में करती है बशर्ते कि संसाधन उपलबध हों इसं अन्यमनस्थता के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम के एकक

7905. डा. पी. बल्लल पेरूमान : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में किसी भी स्थान में स्थित भारतीय खाद्य निगम के एकक बेचने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

(ग) तमिलनाडु स्थित भारतीय खाद्य निगम के एककों की इस समय संख्या क्या है ;

(घ) क्या इन एककों की हालत खराब होती जा रही है ;

(ड़) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इन एककों की हालत में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने पांच राज्यों में स्थित 12 माडर्न राइस मिलों के प्लांट और मशीनरी तथा एक साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट बेचने का निर्णय लिया है क्योंकि इन्हें चलाना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो गया है । इन यूनिटों के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

राज्य	माडर्न राइस मिलों की संख्या	साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांटों की संख्या
तमिलनाडु	4	1
आंध्र प्रदेश	4	-
पंजाब	2	-
हरियाणा	1	-
उत्तर प्रदेश	1	-
जोड़	12	1

(ग) बारह माडर्न राइस मिलों में से चार मिल और एक साल्वेंट प्लांट तमिलनाडु में स्थित है ।

(घ) और (ड) तमिलनाडु में स्थित भारतीय खाद्य निगम की पांच यूनिटों का परिचालन कई घटकों के कारण आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया था । इन घटकों में मिलिंग योग्य धान उपलब्ध न होना, पुराने प्लांट और मशीनरी, अक्सर बिजली की कटौती होना और श्रम समस्या शामिल है ।

(च) प्लांट और मशीनरी की आवश्यक मरम्मत और नवीकरण करके इन मिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रयास किए गए थे । इनमें सफलता हासिल नहीं हुई खुले बाजार से धान की खरीदारी करके इन मिलों को वाणिज्यिक आधार पर चलाने के लिए भी अध्ययन किए गये थे । इस संबंध में किए गए तकनीकी-आर्थिक-अध्ययन के निष्कर्ष अधिक उत्साहवर्धक नहीं थे ।

एकीकरण

7906. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल डिवीजन के एककीकरण संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है ।

(ख) क्या मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित की थी ;

(ग) यदि हां, तो समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और पदनाम क्या-क्या हैं ; और

(घ) इस समिति की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय ने श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में भारतीय रेलों के संगठनात्मक ढांचे और प्रबंध प्रणाली का अध्ययन करने के लिए टंडन समिति नामक एक समिति का गठन किया था ताकि भारतीय रेलें व्यापारोन्मुखी उद्यम की भांति कार्य कर सकें । समिति की रिपोर्ट जो वैचारिक प्रकृति की है में संगठित रेल सेवाओं में एकीकृत भर्ती सहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में विचार करने हेतु विभिन्न समितियों / कृतिक बल गठित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं/गठित किए जाने हैं संगठन की पुनर्संरचना के संबंध में टंडन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु पद्धति सुझाने के लिए गुप्ता-नारायण समिति नामक एक समिति गठित की गई थी । समिति के अध्यक्ष श्री जे. पी. गुप्ता, भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और भूतपूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग थे । श्री प्रकाश नारायण भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड उपर्युक्त समिति के सदस्य थे ।

(घ) गुप्ता नारायण समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-1 प्रस्तुत कर दिया है और उनकी अंतिम रिपोर्ट का प्रतीक्षा की जा रही है ।

उत्प्रेरक परिवर्तक पर राजसहायता

7907. श्री तारा सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने सरकार को प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए दिल्ली में वाहनों के उत्प्रेरक परिवर्तक लगाने के लिए राजसहायता देने संबंधी प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

7908. श्री राम पाल सिंह :
डा. राम कृष्ण कुसमरिया :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक वर्ष 1995-96 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन कालेजों में ये पाठ्यक्रम शुरू किए जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय से परामर्श करके वर्ष 1994-95 के शैक्षिक सत्र से प्रथम डिग्री स्तर पर उनके वर्तमान बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. पाठ्यक्रमों के रूप में व्यावसायिक विषय आरंभ करने हेतु शिक्षा के व्यवसायीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के 16 संबंद्ध कालेजों की पहचान की थी । इनमें से केवल चार कालेजों ने ही इस सत्र से अनुमोदित व्यावसायिक विषय आरंभ किए तथा शेष 12 कालेजों से आशा की गयी है कि वे 1995-96 के शैक्षिक सत्र से ऐसे विषय आरंभ करेंगे । इन 12 कालेजों तथा उनके लिए अनुमोदित किए गए व्यावसायिक विषयों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

क्र.सं.	कालेज का नाम	अनुमोदित किए गए व्यावसायिक विषय
1	2	3
1.	मिरांडा हाउस	कार्यात्मक हिंदी
2.	शिवाजी कालेज	विदेश व्यापार पद्धति तथा प्रक्रिया
3.	लेडी श्री राम महिला कालेज	कम्प्यूटर अनुप्रयोग
4.	गार्गी कालेज	औद्योगिक सूक्ष्य जीव विज्ञान

1	2	3
5.	मैत्रेयी कालेज	- वही -
6.	श्री वेंकटेश्वर कालेज	पर्यटन तथा यात्रा प्रबंध
7.	सेंट स्टीफन कालेज	- वही -
8.	दयाल सिंह कालेज (सायंकालीन)	- वही -
9.	कालिन्दी कालेज	विज्ञापन विक्री सवर्धन तथा विक्री प्रबंध
10.	जानकी देवी महाविद्यालय	- वही -
11.	दिल्ली कला तथा वाणिज्य कालेज	- वही -
12.	कमला नेहरू कालेज	- वही -

सवारी और माल यातायात

7909. श्री दत्ता मेघे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवारी और माल यातायात में कोई वृद्धि हुई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सवारी और माल यातायात बढ़ जाने के बावजूद माल डिब्बों और सरकारी डिब्बों के उत्पादन में कमी आ रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड) माल डिब्बों और सवारी डिब्बों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री और माल यातायात का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	(आकड़े मिलियन में)		
	1992-93	1993-94	1994-95 (अनंतिम)
प्रारंभिक यात्रियों की संख्या	3749	3708	3955
प्रारंभिक टन भार	350.0.	358.72	364.96

(ग) से (ड) मालडिब्बों की आवश्यकता जरूरत और परिवहन आउट पुट तथा मालडिब्बों के कुशल उपयोग पर निर्भर करती है। सवारी डिब्बों की खरीद भी आवश्यकता आधारित है। यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सवारी डिब्बों और मालडिब्बों की खरीद की जा रही है ।

[अनुवाद]

मछुआरों के कल्याण संबंधी योजनाएं

7910. श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री एन. डेनिस :
श्री थाइल जान अन्जलोज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मछुआरों की आर्थिक स्थिति दयनीय है ।

(ख) यदि हां, तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों सहित मछुआरों के संरक्षण और कल्याण के लिए शुरू की गई/की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई ?

अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारत में मछुआरों की आर्थिक स्थिति प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है तथा एक ही राज्य के अन्दर उनकी स्थिति उनके साधनों पर निर्भर करती है तथा आम-तौर पर इसे दयनीय नहीं कहा जा सकता ।

(ख) मात्स्यिकी के विकास और मछुआरों के कल्याण हेतु इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं :-

1. तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी योजना का विकास।

(1) परंपरागत जलयानों का मोटरीकरण ।

इस योजना के अंतर्गत परंपरागत मछुआरों को अपने जलयानों को मोटरीकरण के लिए प्रति आउट बोर्ड मोटर 10,000 रुपए/प्रति इन बोर्ड मोटर 12,000 रुपए तथा साथ ही गीयर के प्रति यूनिट के लिए 6000/- रुपए की अधिकतम राजसहायता दी जाती है ।

(2) 20 मी. लम्बाई से कम के मशीनीकृत मत्स्यग्रहण जलयानों के लिए सप्लाई किए जाने वाले हाई स्पीड डीजल तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति

इस योजना के अंतर्गत मशीनीकृत मत्स्यग्रहण जलयान (20 मी. की लम्बाई से कम) के मालिकों को उन्हें आपूर्ति की जाने वाले एच.एस.डी. तेल पर 351.75 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रियायत दी जाती है ।

2. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

(1) सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक

इस घटक के अंतर्गत मृत्यु और स्थायी रूप से अपंगता की स्थिति में 25,000/- रुपए की राशि तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 12,500 रुपए की राशि का मछुआरों का बीमा किया जाता है । बीमा हेतु वार्षिक प्रीमियम केन्द्र और राज्यों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है ।

(2) मॉडल मछुआरा गांव का विकास

इस घटक के अंतर्गत मछुआरों के लिए चुने गये गांव में आवास, नलकूप और सामुदायिक भवन की व्यवस्था की जाती है तथा लागत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन की जाती है । बशर्ते यह 35,000/- रुपए प्रति घर 25,000/- रुपए प्रति नलकूप और 1,25,000/- रुपए प्रति सामुदायिक भवन की सीमा तक हो ।

(3) बचत - सह - राहत

इस घटक में मानसून/काम बंदी की अवधि के दौरान समुद्री मछुआरों हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था है । इस घटक के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति से एक वर्ष में 8 महीने तक प्रति महीने 45/- रुपए की दर से अंशदान इकट्ठा किया जाता है केन्द्र सरकार और राज्य सरकार समान अंशदान करती है । यह अंशदान मानसून/काम बंदी की अवधि के दौरान चार समान मासिक किस्तों में मछुआरों को वितरित किया जाता है।

3. समुद्री मत्स्यन विनियम अधिनियम और कृत्रिम चट्टान और समुद्री मात्स्यिकी

की परियोजना लागू करना ।

इस योजना के अंतर्गत उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जिन्होंने परंपरागत मछुआरों के हितों की रक्षा हेतु पेट्रोल नौका प्राप्त करने के लिए पूंजी लागत पर समुद्री मत्स्यग्रहण विनियम अधिनियमित किया है को सहायता अनुदान दिया जाता है ।

मात्स्यिकी के विकास तथा मछुआरों के कल्याण हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगे हूए मछुआरे भी सरकारी नीतियों के लाभानुभोगी हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं में प्रत्येक योजना के अंतर्गत दी गई राज्यवार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय में दिया गया है ।

विवरण - प्रथम

पिछले तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी योजना के विकास के अंतर्गत निर्मुक्त राज्यवार सहायता :-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-94	994-95
1.	आंध्र प्रदेश	35.00	--	39.00
2	गुजरात	173.60	233.00	361.76
3.	गोवा	4.70	5.45	3.00
4.	कर्नाटक	29.00	45.00	66.00
5.	केरल	26.75	24.12	26.00
6.	महाराष्ट्र	21.20	175.44	268.65
7.	उड़ीसा	59.95	74.54	60.00
8.	तमिलनाडु	50.00	42.00	231.00
9.	पश्चिम बंगाल	--	--	23.46
10.	पाण्डिचेरी	0.50	0.65	7.50
11.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.81	0.08	1.88
12.	लक्षद्वीप	0.50	0.80	0.40
13.	दमन और दीव	4.70	8.38	10.72
		409.71	609.46	1099.37

विवरण-द्वितीय

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत निर्मुक्त राज्यवार सहायता :-

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	50.00	25.00	150.00
2.	असम	6.00	--	19.95
3.	बिहार	--	12.00	--
4.	गुजरात	1.38	--	--
5.	हिमाचल प्रदेश	0.10	0.11	0.10
6.	जम्मू और कश्मीर	--	--	0.02
7.	कर्नाटक	28.60	82.08	79.40
8.	केरल	297.14	152.85	251.58
9.	मध्य प्रदेश	2.00	10.06	2.34
10.	मणिपुर	15.08	--	0.11
11.	उड़ीसा	22.94	20.08	46.82
12.	तमिलनाडु	346.93	578.44	519.28
13.	त्रिपुरा	--	6.31	10.48
14.	उत्तर प्रदेश	15.96	11.08	36.66
15.	पश्चिम बंगाल	6.00	7.00	38.00
16.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.27	1.00	0.88
17.	लक्षद्वीप	0.03	--	0.03
18.	पाण्डिचेरी	48.37	53.00	100.00
		840.80	959.01	1255.65

विवरण-तृतीय

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समुद्री मत्स्य ग्रहण विनियम अधिनियम के प्रवर्तन और कृत्रिम समुद्री चट्टान और समुद्री मात्स्यिकी लागू करने की परियोजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता :-

रु० लाख में

क्र. सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	--	--	100
2.	कर्नाटक	--	--	150
3.	केरल	--	330	300
4.	महाराष्ट्र	--	--	10
5.	उड़ीसा	--	90	10
6.	तमिलनाडु	--	180	225
		--	600	795

काजू का उत्पादन

7911. श्री एन. डेनिस :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू का उत्पादन करने वाले राज्यों के क्या नाम हैं और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान काजू के उत्पादन में विभिन्न राज्यों का क्या कार्य-निष्पादन रहा ;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना अवधि के दौरान काजू उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य से तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार द्वारा काजू की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करने हेतु किन किन स्थानों का चयन किया गया है ;

(ड़) गत दो वर्षों के दौरान काजू की खेती के लिए राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस उद्देश्य हेतु 1995-96 के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1992-93 से 1994-95 के दौरान हुए काजू के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्य	उत्पादन (मीटरी टन में)		
	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)
1. केरल	151600	140200	149000
2. कर्नाटक	31260	31540	33000
3. गोवा	33810	34590	37000
4. महाराष्ट्र	25590	28280	31200
5. तमिलनाडु	10100	19200	20000
6. आंध्र प्रदेश	44880	46570	50000
7. उड़ीसा	39060	43420	46500
8. पश्चिम बंगाल	3660	3990	4100
9. अन्य	340	360	370
योग :-	349390	348150	371170

(ख) जी, हां ।

(ग) आठवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय प्रायोजित समेकित काजू विकास योजना में काजू के पौध रोपण के अंतर्गत 427000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव है जिसके लिए 1860.17 लाख रुपए का परिव्यय नियत किया गया है ;

(घ) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित राज्यों के अलावा त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और मणिपुर को काजू की खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है ;

(ड़) काजू की खेती के लिए विशेषकर नए पौधे लगाना, पुनः पौधे लगाना/पुनरुद्धार कार्य पादप संरक्षण उपायों को अपनाने वृहद उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने माडल क्लोनल बागवानों के विकास और क्षेत्रीय नर्सरियों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत दो वर्षों में राज्य सरकारों को 1665.91 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई ।

(च) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित काजू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में काजू की खेती के लिए 1995-96 के लिए अनुमोदित सहायता की राज्यवार राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्य	1995-96 के लिए अनुमोदित सहायता की राशि (लाख रुपए में)
1. केरल	137.01
2. कर्नाटक	78.32
3. गोवा	127.97
4. महाराष्ट्र	343.25
5. तमिलनाडु	117.76
6. आंध्र प्रदेश	145.28
7. उड़ीसा	38.37
8. मध्य प्रदेश	21.92
9. पश्चिम बंगाल	14.16
10. मणिपुर	8.14
11. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.70
कुल :-	1033.88

सीसे से होने वाला प्रदूषण

7912. श्री राम कापसे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में सीसे द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर से "वायु गुणवत्ता की स्थिति, 1994," के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) इस रिपोर्ट में 1991 और 1992 के दौरान दस शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, मद्रास और नागपुर के संबंध में प्राप्त आंकड़ों का एक सार प्रस्तुत किया गया है । आंकड़ों से

संकेत मिलता है कि इन शहरों में सीसे का संकेन्द्रण 0.006 से 2.19 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की रेंज में हैं बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और कानपुर में सीसे का औसत संकेन्द्रण प्रति घनमीटर 0.15 माइक्रोग्राम से अधिक पाया गया। सर्दियों के दौरान बंबई में 2.19 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की सबसे अधिक सांद्रता पाई गई जबकि कानपुर और बाकी तीन महानगरों में सभी तीनों मौसमों में सीसे का स्तर अधिक पाया गया। इन शहरों में सीसे का पाया जाना मोटर वाहनों के उत्सर्जनों और सीसा आधारित उद्योगों से संबंध रखता है।

(ग) सीसे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

2. उद्योगों को समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का निर्देश किया गया है तथा दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

3. प्रदूषण नियंत्रण के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत पेट्रोल चालित और डीजल चालित दोनों प्रकार के वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत वाहनों के उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर मानक अधिसूचित किए गए हैं जो 1 अप्रैल 1996 से लागू होंगे।

4. मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत सभी वाहनों के लिए ठोस और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

5. बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास चार महानगरों में 1 अप्रैल 1995 से पेट्रोल से चलने वाले उत्प्रेरक परिवर्तक लगी कारों के लिए सीसा रहित पेट्रोल बेचा जा रहा है।

6. उद्योगों के स्थल चयन और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

7. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

8. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों की सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।

9. प्रदूषण के प्रभावों के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

7913. श्री पी.पी. कालिया पेरूमल : क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गये कुल राशन कार्डों मे से निर्धन और जरूरतमंद परिवारों को राज्य-वार कितने प्रतिशत राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

(ख) समाज के निर्धन और अत्यधिक जरूरतमंद वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) दिन-भर मजदूरी करने वाले कृषि श्रमिकों की उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंच आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) क्या "चलता-फिरता खुदार केन्द" की योजना तमिलनाडु में भी चालू है ; और

(ड़) यदि हां, तो तमिलनाडु में ऐसे कितने केंद्र कार्यरत हैं, और विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्ष-वार इन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केंद्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है और देश की सम्पूर्ण आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी जिसमें राशन कार्ड जारी करना शामिल है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। जारी किए गए राशन कार्डों का आय के आधार पर श्रेणीवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाने के लिए देश में 1775 पिछड़े ब्लाकों का पता लगाया है जहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली आबादी काफी बड़ी संख्या में रहती है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए अभिप्रेत खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषरूप से राजसहायता प्राप्त केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर दिए जाते है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य केंद्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50/- रु. प्रति क्विंटल कम है। केंद्रीय सरकार हर वर्ष 32 लाख मी. टन तक खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन करती है ताकि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों को आवंटन में वृद्धि कर सकें। अधिकांश राज्य सरकारों ने वस्तुओं के उचित वितरण पर निगरानी रखने के लिए उचित दर की दुकानों के स्तर पर निगरानी समितियां गठित किए जाने की सूचना दी है।

(घ) और (ड़) केंद्रीय सरकार चलती-फिरती उचित दर की दुकानों और/अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर की दुकानों के दरवाजे तक सुपुर्दगी करने के लिए वैनें/ट्रक खरीदने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है। गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार को वैनें खरीदने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	वैनों की संख्या	राशि
1991-92	--	--
1992-93	8	32.00 लाख रु.
1993-94	8	32.00 लाख रु.

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जब भी इन वैनों की खरीद करती हैं वे केंद्रीय सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती हैं।

बस सेवा हेतु प्रबंध

7914. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विभाग ने रेलवे स्टेशनों से पर्वतीय स्थलों के लिए यात्रियों को ले जाने हेतु बस सेवा का प्रबंध करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"स्वयंसेवी संगठन"

7915. डा. आर. मल्लू :

श्री ललित उराव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों के राज्यवार नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण वनरोपण और अन्य सामाजिक प्रयोजनों हेतु अनुदान प्रदान किया गया था ।

(ख) प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन को राज्यवार कितनी अनुदान राशि दी गई और उसे किस उद्देश्य के लिए दिया गया ;

(ग) क्या सरकार ने दी गई अनुदान राशि की उपयोगिता की जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ड़) जिन स्वैच्छिक संगठनों ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुदान प्राप्त किया है उनके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

चीनी का आयात

7916 श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) सरकार ने कितनी चीनी के आयात का ठेका किया था और 1994 के दौरान वास्तविक रूप से कितनी चीनी का आयात किया गया ;

(ख) क्या 1995 के दौरान इसी मूल्य पर इन ठेकों के अंतर्गत वितरित न की गयी शेष चीनी को वितरित किया जा सकता है ;

(ग) क्या इन ठेकों में 1995 के दौरान सप्लाई मूल्यों को निर्धारित करके अथवा इन्हें निर्धारित किए बिना ही इन ठेकों को रद्द करने अथवा इनकी अभिपुष्टि करने की व्यवस्था की गई थी ; और

(घ) क्या सरकार ने 1995 के दौरान इन ठेकों के अंतर्गत सप्लाई की जाने वाली शेष चीनी की डिलीवरी को स्वीकार करने का निर्णय किया है और यदि हां तो इसी चीनी की मात्रा और इसकी सी.आई.एफ. लागत कितनी है तथा इसके लिए किस एजेंसी का चयन किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.) तथा भारतीय खनिज एवं धातु निगम (एम.एम.टी.सी.) द्वारा भारत में आयात हेतु अनुबंधित चीनी की मात्रा और 1994 के दौरान पहुंची वास्तविक मात्रा निम्नानुसार है :-

(लाख टन में)

	अनुबंधित मात्रा	पहुंची मात्रा
(1) एस.टी.सी	4.97 ★	4.72
(2) एम.एम.टी.सी.	5.19	5.05
कुल:-	10.16	9.77

★ इसमें नान-आर.एस.ए. सप्लायर का 12,500 मी. टन के लिए ट्रायल आर्डर शामिल नहीं है जो कि पार्टी द्वारा पूरा नहीं किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) एम.एम.टी.सी. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 1995 के दौरान आपूर्ति के लिए मूल्य के पुनः निर्धारण हेतु अनुबंधों में कुछ उपलब्ध नहीं कराया । तथापि मामले की देरी में उचित देरी के दंड को लागू करने के लिए उपलबध कराए गए अनुबंध स्वीकार्य सीमा के अंदर थे । स्वीकार्य सीमाओं से अधिक देरी के मामले में यदि देरी दैवी आपदाओं के कारण न हो तो अनुबंध को रद्द करने के लिए एक प्रावधान था ।

एम.एम.टी.सी. के अनुसार 1995 वर्ष के दौरान 1994 के अनुबंधों में से आपूर्ति के लिए कुछ शेष नहीं था । जहां तक एस.टी.सी. के अनुबंधों का प्रश्न है, उन्होंने सूचित किया है कि 3 कारणों के संबंध में अपने अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने वाले दोषी सप्लायरों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है ।

पर्यावरण के लिए गैर-हानिकारक उत्पादों संबंधी योजना

7917. श्री बलराज पासी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पर्यावरण के लिए गैर-हानिकारक उत्पादों संबंधी योजना में स्वयं सेवी उपभोक्ता संगठनों द्वारा उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण की बात शामिल है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास लंबित तुलनात्मक परीक्षण संबंधी ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों को दी जाने वाली सरकारी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) 1991 में शुरू की गई पर्यावरण के अनुकूल उत्पादनों पर लेबल लगाने की स्कीम में उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण के लिए उपभोक्ता संगठनों को सहायता देने की परिकल्पना की गयी है। इस बारे में उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र (सी.ई.आर.सी.) उपभोक्ता शिक्षा के हितार्थ स्वैच्छिक संगठन (वी.ओ.आई.सी.ई.) तथा सुपर बाजार से तीन प्रस्ताव प्रत्येक से एक-एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं । तुलनात्मक परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु बजट में प्रति प्रस्ताव पांच लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स :

7918. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का कार्य-निष्पादन कैसा रहा ;

(ख) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को बंद किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चितरंजन रेल इंजन कारखाने का कार्य निष्पादन इस प्रकार है :-

1992-93	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3
बिजली रेल इंजन	120	125
डीजल रेल इंजन	30	30

1	2	3
1993-94		
बिजली रेल इंजन	135	140
1994-95		
बिजली रेल इंजन	150	150

(ख) जी नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर राज्यों को खाद्य राजसहायता

7919. डा० बसंत पवार :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों को खाद्य राजसहायता देने के लिए कुछ विशेष योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार निर्धारित की गई कुल राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसी योजना देश के अन्य भागों में भी कार्यान्वित की जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और इकनामिक लागत के बीच अंतर से उत्पन्न सामान्य खाद्य सब्सिडी के अलावा, केन्द्रीय सरकार "पहाड़ी परिवहन सब्सिडी" की योजना चला रही है । इस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार निकटतम भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उन कुछेक प्रमुख वितरण केन्द्रों तक ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति करती है जिनकी स्वीकृति राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है । उत्तर पूर्वी राज्यों को 1992-93 और 1993-94 के दौरान पहाड़ी परिवहन सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए दी गई धनराशि निम्नानुसार है

		रुपये/करोड़
	1992-93	1993-94
अरुणाचल प्रदेश	6.56	4.31
असम	0.07	0.62
मणिपुर	2.12	1.01
मेघालय	0.06	0.30
मिजोरम	7.76	8.35
नागालैण्ड	2.54	2.16
त्रिपुरा	2.45	1.80

(ग) पहाड़ी परिवहन सब्सिडी की योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी चालू है । अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में इस योजना का विस्तार करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

7920. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान गन्ने का उत्पादन इसकी मांग की तुलना में कम हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो देश में गन्ने की अनुपलब्धता के बावजूद भी नई चीनी मिलें स्थापित किए जाने का क्या औचित्य है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं 1993-94 में गन्ने का उत्पादन 150 दिनों की औसत अवधि को मानकर उस वर्ष के दौरान 824,931 टन गन्ना/दिन की संस्थापित क्षमता के लिए 1237.4 लाख टन गन्ने की आवश्यकता की तुलना में लगभग 2270.59 लाख टन अनुमानित किया गया है ।

[अनुवाद]

उपभोक्ता कानून

7921. श्री सत्येन्द्र नाथ ब्रह्मचौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उपभोक्ता कानून विश्वविद्यालयों पर भी लागू होंगे ।

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ;

(ग) क्या सरकार का उक्त कानून के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को लाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चीनी मिल

7922. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हासन में हेमावती सहकारी चीनी मिल की कोई विस्तार योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे मंजूरी दे दी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स हेमावती सहकारी साखरे कारखाने लि० श्रीनिवासपुरा जिला हासन (कर्नाटक) द्वारा 1250 टन प्रति दिन से 2500 टन प्रति दिन तक अपनी क्षमता बढ़ाने का एक प्रस्ताव औद्योगिक विकास, विभाग उद्योग मंत्रालय के माध्यम से 3.12.93 को प्राप्त हुआ था ।

वर्तमान में केन्द्र सरकार चीनी उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा कर रही है । नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने/वर्तमान यूनिट का विस्तार करने हेतु आशय पत्र प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों पर निर्णय इसके पश्चात् ही लिया जायेगा ।

[हिन्दी]

विमान

7923. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष उनके मंत्रालय का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) क्या इस विमान दुर्घटना में तीन व्यक्ति मारे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) विमान दुर्घटना में चार व्यक्ति मारे गये थे ।

(ग) और (घ) इस घटना की नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा जांच की जा रही है और इसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा है ।

रेलवे स्टेशन

7924. श्री एन.जे. राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में रेल यात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गयी हैं और कितने रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा उपरोक्त स्टेशनों के प्लेटफार्मों को समतल करने संबंधी कार्य किस चरण पर है ;

(ख) इन पर कितना खर्च किया गया है ;

(ग) अभी कितना कार्य पूरा किया जाना है ; और

(घ) ये सभी कार्य कब तक पूरे कर दिए जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपए में)

स्टेशन	कार्य का ब्यौरा	लागत	31.3.95 तक खर्च की गई राशि
1	2	3	4
माधी	प्लेटफार्म का विस्तार	9.20	9.20
गोधरा	रोशनी व्यवस्था में सुधार	2.10	1.60
दाहोद	स्टेशन की इमारत में पुनः तार लगाना	2.50	1.50
ऊधना-जलगांव	5 स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का विस्तार	3.40	3.40
ऊधना-जलगांव	प्रतीक्षालयों/शौचालयों में सुधार 2 स्टेशन	3.00	3.00
गोधरा-नागदा	8 स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का विस्तार	9.40	9.40
वाहोद	विश्राम कक्ष की व्यवस्था	2.20	2.20
दाहोद	रोशनी व्यवस्था में सुधार	3.00	1.00

ऊधना-जलगांव और गोधरा-नागदा खंडों और दाहोद में विश्राम कक्ष की व्यवस्था से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं और अन्य कार्यों का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

[अनुवाद]

चीनी मिलों को लाइसेंस

7925. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी मिल लगाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लाइसेंस देने की कोई नीति तैयार की है ;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके क्या परिणाम रहे ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) औद्योगिक लाइसेंस हेतु निर्धारित फार्म में इस तरह का कोई कालम नहीं है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग आदि जैसी श्रेणियां दी गई हों और इसीलिए इस तरह का रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

स्कूली बच्चों का उपचार

7926. श्री मोहन सवरे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साठ प्रतिशत भारतीय स्कूली बच्चों को गले का संक्रमण होता है जिससे बाद में हृदय की बीमारी हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार ने इन स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच तथा उपचार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर शुरू किए जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए 18 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से मेडिकल कालेजों के प्रतिनिधियों की एक

७०क बुलाई थी ताकि स्ट्रेप्टोकोकल सोर गले के संक्रमण का उपचार किया जा सके।

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

7927. श्री वीर सिंह महतो : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के स्वयंसेवी संगठनों से गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ।

(ख) अभी तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और कितने प्रस्ताव अभी भी लम्बित हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने मांगी गई सहायता राशि जारी कर दी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों पर नियंत्रण

7928. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए कोई पर्यावरण विकास कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर गत वर्ष के दौरान खर्च की गई धनराशि तथा 1995-96 के लिए इस कार्यक्रम हेतु निर्धारित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का नियंत्रण स्थानीय लोगों तथा स्थानीय संगठनों को सौंपने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस प्रस्ताव पर पर्यावरणविदों और अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार 1991-92 से 'बाघ रिजर्वों सहित सुरक्षित क्षेत्रों में और इनके आस-पास पारि-विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यानिवत कर रही है । जिसमें वन संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी है । इस स्कीम को 17 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें लगभग 65 सुरक्षित क्षेत्र आते है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि और वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित राशि इस प्रकार है :

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रूपयों में)
1992-93	296.434
1993-94	484.280
1994-95	346.150
1995-96	680.00 (निर्धारित)

(ग) इस स्कीम का उद्देश्य सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन वायोमास का सृजन, वर्तमान बायोमास उपभोग का विकल्प ढूढंना तथा सुरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में और उनके आस-पास रहने वाले समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है ताकि वास स्थलों पर दबाव कम करने के लिए उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जा सके । इससे सुरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण स्थिति में सुधार आयेगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ड) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

7929. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों की चीनी मिलों के लिए ऋण के नए आवेदन पत्रों पर विचार न करने का निर्णय किया है जहां गन्ना विकास की पुनर्अदायगी की वसूली 75 प्रतिशत से कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है ;

(ग) इस निर्णय से कौन-कौन से राज्यों के प्रभावित होने की सम्भावना है ;

(घ) क्या किसी विकल्प का सुझाव दिया गया है; और

(ड़) ऋणों को वसूल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां । यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकार की गारंटियों पर आधारित गन्ना विकास स्कीमों के लिए उन राज्यों की मिलों के नए ऋण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा जहां चीनी विकास निधि से लिए गए गन्ना विकास ऋण को वापस करने के प्रति वसूलियां 75 प्रतिशत से कम हैं ।

(ख) चीनी विकास निधि नियमों के अधीन राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है । तथापि, केन्द्रीय सरकार का निर्णय राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है ।

(ग) 31.3.1995 को वसूली स्थिति के आधार पर इस निर्णय से आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, विहार, पांडिचेरी और असम राज्य प्रभावित हुए हैं ।

(घ) जी, हां । चूककर्ता राज्यों में स्थित चीनी प्रतिष्ठान राज्य सरकार की गारंटी की बजाय प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत कर चीनी विकास निधि ऋण ले सकते हैं ।

(ड़) चूककर्ता चीनी मिलों को लेखा नियंत्रक (खाद्य) और इस मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे आवधिक नोटिसों के अलावा, समय से चीनी विकास निधि ऋण और उस पर ब्याज वापस करने से संबंधित मामला खाद्य मंत्रालय द्वारा चूककर्ता राज्य सरकारों के साथ उठाया गया था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपनी गारंटी को ध्यान में रखते हुए बकाया धनराशि का भुगतान करें अथवा चूककर्ता यूनिटों से उनका ऋण वापस करवाएं । चीनी विकास निधि की बकाया धनराशि की स्थिति की स्थायी समिति की बैठकों में भी समीक्षा की जा रही है । चीनी विकास निधि के ऋणों को शीघ्र वापस करने की दृष्टि में स्थायी समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि उन राज्यों के चीनी विकास निधि ऋण के नए आवेदनों पर विचार न किया जाए जहां चीनी विकास निधि ऋण की वसूली प्रतिशतता 75 प्रतिशत से कम है । इसके अलावा,

5.2.1994 और 6.5.1995 को हुए राज्य चीनी मंत्रियों के सम्मेलन में भी चीनी विकास निधि ऋणों को वापस करने की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया था ।

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

7930. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में 1995-96 के दौरान कितने और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में किसी केन्द्रीय विद्यालय को राज्य में ही किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1995-96 के दौरान कोई नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य

7931. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कार्यकलापों से हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच कराने तथा इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखने हेतु एक तन्त्र विकसित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) पर्यटन एवं जन प्रचार माध्यमों के विश्वव्यापी-करण के संदर्भ में संस्कृति का पुनरावलोकन करने तथा इन क्षेत्रों में संभावित अंतसंबंधो और विकासात्मक क्रियाकलापों की सिफारिश करने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति गठित की गई है जिसमें सचिव, संस्कृति विभाग, सचिव, पर्यटन मंत्रालय तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य

7932. श्री डा० वेंकटेश्वर राव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सर्वमत से एक संकल्प पारित किया जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार से आन्ध्र प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्गम मूल्य नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है तथा इसके क्या परिणाम रहे ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य विधान-मंडल ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि भविष्य में आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किए जाने वाले चावल की कीमत में वृद्धि न की जाए ।

(ख) उपर्युक्त संकल्प पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

अनिवार्य शिक्षा

7933. श्री मंजय लाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 8वीं अथवा 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यथा संशोधित 1992 में बताया गया है कि इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सन्तोषजनक कोटि की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सरकार का संकल्प है । इस नीति के अनुपालन में सरकार द्वारा आरंभ किए गए विशिष्ट साधनों का उल्लेख, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है ।

हस्तलिपियों की प्रदर्शनी

7934. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री बलराज पासी :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय के तत्वावधान में 1994-95 के दौरान ताशकन्द में पर्शियन हस्तलिपियों की कोई प्रदर्शनी आयोजित की जाने वाली थी,

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रदर्शनी आयोजित की गयी थी,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे,

(घ) यह कब आयोजित की जाएगी, और

(ड़) इस प्रदर्शनी पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ड़) प्रश्न नहीं उठते ।

खाद्यान्न भंडार

7935. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1995 के द हिन्दी बिजनेस लाइन, नई दिल्ली में "स्टेट्स कूल टू राइस लेवी ओपसन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) लेवी को वैकल्पिक बनाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है क्योंकि इससे खाद्यान्नों के भारी स्टाक होने और बफर स्टाक के परिवहन की बढ़ती हुई लागत के कारण पड़ रहे दबाव को कम किया जा सकता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खरीद में सामान्य कमी के क्या कारण हैं जिसकी वजह से भारी स्टाक जमा हो रहा है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ समाचार में यह सूचित किया गया है कि इस सुझाव, कि व्यापारियों और मिल-मालिकों के लिए चावल पर लेवी ऐच्छिक बनाया जाए, के बारे में राज्य सरकारों को प्रत्युत्तर निरुत्साहजनक है ।

देश में चावल की समूची स्टाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को मार्च, 1995 में अनुरोध किया गया था कि वर्तमान शेष खरीफ मौसम के लिए चावल मिल-मालिकों/व्यापारियों के लिए चावल पर लेवी को ऐच्छिक बनाया जाए यदि राज्य सरकारें ऐसा चाहती हैं । इसके प्रत्युत्तर में , पंजाब सरकार ने लेवी ऐच्छिक बनाने की बजाय वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान लेवी चावल की कोई और मात्रा स्वीकार न करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान लेवी चावल की आवक के लिए राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अभी भी पर्याप्त स्थान है इसलिए यह समय लेवी को ऐच्छिक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है । अन्य राज्यों ने अभी तक इस मामले पर निर्णय नहीं किया है ।

पहले, सितम्बर, 1994 में केन्द्रीय सरकार ने निर्यात के प्रयोजन के लिए उत्तम गैर-बासमती चावल को लेवी से छूट देने का भी निर्णय किया था । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ने इस निर्णय को लागू कर दिया है । उड़ीसा सरकार ने सूचित किया था कि राज्य में कोई चावल मिल निर्यात गतिविधियों में नहीं लगी हुई है । मिजोरम ने सूचित किया है कि राज्य से गैर-बासमती चावल का निर्यात नहीं किया जा रहा है । मणिपुर ने सूचित किया है कि राज्य में कोई लेवी आदेश विद्यमान नहीं है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये चावल और गेहूं के उठान मुख्यतया इसलिए कम हुआ है क्योंकि खुले बाजार में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और इनकी कीमतों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खुदरा कीमतों में अधिक अन्तर नहीं था ।

[हिन्दी]

आँगनवाड़ी केन्द्र

7936. श्री केसरी लाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महिलाओं और बच्चों के उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे आँगनवाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में आँगनवाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने धनराशि के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के सतत् कार्यान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त केन्द्रीय अनुदान की राशि दर्शाने वाला विवरण :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95 (रु लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3,209.68	3,319.26	3,410.630
2.	अरूणाचल प्रदेश	254.72	501.43	364.430
3.	असम	875.90	1,129.93	2,006.100
4.	बिहार	3,456.41	4,296.11	6,279.485
5.	गोवा	102.20	180.26	144.575
6.	गुजरात	1,496.87	2,270.17	1,986.580
7.	हरियाणा	597.30	829.86	703.745
8.	हिमांचल प्रदेश	471.48	587.34	519.900
9.	जम्मू और कश्मीर	572.17	710.25	708.325
10.	कर्नाटक	2,123.30	3,201.45	2,874.870
11.	केरल	839.39	1,259.01	1,252.60
12.	मध्य प्रदेश	3,406.00	3,506.69	7,388.095
13.	महाराष्ट्र	2,464.09	3,484.91	3,527.815
14.	मणिपुर	300.24	409.47	338.685
15.	मेघालय	334.21	462.88	333.720
16.	मिजोरम	206.53	315.19	280.415
17.	नागालैंड	304.76	316.38	467.620
18.	उड़ीसा	2,952.50	2,222.28	3,653.320

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	672.50	1,285.40	762.480
20.	राजस्थान	1,463.98	2,258.58	1,972.640
21.	सिक्किम	49.84	115.23	22.030
22.	तमिलनाडु	1,551.48	2,104.08	1,418.405
23.	त्रिपुरा	274.12	245.96	237.845
24.	उत्तर प्रदेश	4,721.76	6,977.27	7,287.725
25.	पश्चिम बंगाल	2,855.99	3,588.95	3,648.905
संघ राज्य क्षेत्र				
26.	दिल्ली	446.01	494.41	603.005
27.	पांडिचेरी	74.00	115.33	105.825
28.	अंडमान और निकोबार	51.84	53.07	59.54
29.	चण्डीगढ़	29.80	42.84	36.91
30.	दादर और नगर हवेली	15.62	17.24	16.29
31.	दमन और दीव	24.80	32.83	21.43
32.	लक्षद्वीप	14.90	14.70	18.19
33.	आर. के. मिशन	12.00	17.24	17.85
34.	विविध	13.41		
	कुल जोड़:-	36,259.80	46,366.00	52.470.00

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती

7937. श्री अनादि चरण दास : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के बावजूद भी विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने की पात्रता के लिए आरक्षण नीति को एक शर्त के रूप में अपनाने पर बल देगी , और

(घ) यदि नहीं, तो इन विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) जब कि 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण (योजनेतर) और विकास (योजनागत), दोनों अनुदान प्राप्त करते हैं, 184 अन्य विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति संबंधी घोषणाओं का अनुपालन अपेक्षित है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करने की सलाह दी है। चूंकि केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, स्वायत्त संगठन हैं अतः उनकी स्वयं की निर्णय-प्रणाली है। समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दोहराई गई आरक्षण नीति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अपेक्षित है कि वे दाखिलों, छात्रावासों और श्रेणी "क" के समकक्ष सरकारी पदों में भर्ती और पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत स्थानों/पदों का आरक्षण करें। राज्य विश्वविद्यालयों से अपेक्षित है कि वे राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशतताओं का अनुपालन करें ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान प्राप्त कर रहे संस्थान आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, किसी योजना के लिए अनुमोदन देते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी सरकार की नीति के कार्यान्वयन के संबंध में खण्ड को शामिल करता है ।

विश्वविद्यालय/कॉलेज, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण नीति के संबंध में भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी-संभव उपाय करेगा ।

एडवांस टैक्नीशियन

7938. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1980-81 से देश की चुनिंदा तकनीकी संस्थाओं में एडवांस टैक्नीशियन कोर्स शुरू किया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या विभाग को किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा उक्त योजना के कार्य निष्पादन की जानकारी दी गई थी और यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या विभाग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार इन योजनाओं के लिए पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराया है ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) प्रौन्नत तकनीशियन पाठ्यक्रम संबंधी योजना प्रारंभ में 1980-81 में डिप्लोमा स्तर की चुनी हुई तकनीकी संस्थाओं में लागू की गई थी। इस योजना के तहत निम्नलिखित संस्थाएं चुनी गई थीं ।

1. वाई. एम. सी. ए. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद ।
2. इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद ।
3. खैतान पालिटेक्निक, जयपुर
4. एस. बी. एम पालिटेक्निक, बंबई
5. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, खुरई
6. गवर्नमेंट पालिटेक्निक, पोरबंदर
7. सी. एम. कोठारी तकनीकी संस्थान, मद्रास
8. कमला नेहरू महिला तकनीकी संस्थान, हैदराबाद

9. जे. सी. घोष पालिटेक्निक, कलकत्ता

10. के. जी. इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट विष्णुपुर (प.ब.)

(ग) योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान क्षेत्रीय विशेषज्ञ समितियां गठित की गई थीं इन समितियों की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-

(1) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पद्धति पर प्रोन्नत तकनीशियन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा वृत्ति की व्यवस्था (2) जहां भी स्कीम चल रही है उसे जारी रखना (3) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पद्धति पर पाठ्यक्रम हेतु स्टाफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाना (4) वरिष्ठ सेवाओं के लिए पाठ्यक्रम को मान्यता देना और इस संबंध में नियोजक अभिकरणों को आवश्यक निदेश देना (5) औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाठ्यचर्चा को समय-समय पर अद्यतन बनाना (6) उद्योग द्वारा प्रयोजन की शर्त को हटाना क्योंकि उद्योग के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने स्टाफ को दो वर्षों के लिए प्रयोजित कर सकें ।

(घ) और (ड) ए.टी.सी. पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए 1992-93 तक संबंधित संस्थाओं को अनुदान मुक्त किए गए हैं । बाद के अनुदानों का प्रश्न बढ़े हुए कार्यक्षेत्र तथा कवरेज के साथ योजना को जारी रखने से जुड़ा है ।

नवयुग स्कूलों के अध्यापक

7939. श्री शशि प्रकाश : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अन्तर्गत अनेक नवयुग स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया गया है । और साथ-साथ इन स्कूलों में कार्यरत् अध्यापकों को प्रधानाचार्य उपप्रधानाचार्य के रूप में प्रोन्नत भी कर दिया गया है यद्यपि ये अध्यापक ऐसे ही स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों से कनिष्ठ हैं ;

(ख) क्या इससे नवयुग स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता में विसंगति पैदा हो गई है क्योंकि अन्य स्कूलों में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों की अभी प्रोन्नति होनी है ;

(ग) क्या नवयुग स्कूलों में कार्यरत अध्यापक पिछले बीस वर्षों से एक ही वेतनमान में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन अध्यापकों की वरिष्ठता और वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार नवयुग स्कूल शैक्षिक सोसायटी द्वारा शासित छः स्कूलों में से चार स्कूलों का स्तरोन्नयन किया गया था । उपप्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर एक वरिष्ठतम मुख्याध्यापिका को दी गई है इस प्रकार वरिष्ठताक्रम में कोई उलटफेर नहीं हुआ है ।

नवयुग विद्यालयों के शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका समिति के स्कूलों के शिक्षकों पर लागू सीनियर स्केल के समतुल्य वेतनमान विहित किए गए हैं । तथापि वेतनमान का मामला न्यायाधीन है क्योंकि कुछ शिक्षकों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है ।

[हिन्दी]

आंगनबाड़ी केन्द्र

7940. श्री केशरी लाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आँगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मेड्स/हेड मेड्स के चयन के लिए मुख्य रूप से कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेवार हैं ।

(ख) क्या सरकार ने इनके चयन के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निर्देशों का अनुपालन किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है ;

(घ) क्या सरकार को हाल ही में उत्तर प्रदेश में "हेडमेड्स" के चयन में बड़े पैमाने पर धांधली के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रो में मेड्स अथवा हैडमेडस कार्यरत नहीं है ।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

7941. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में किन-किन केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान अथवा 1995-96 के बजट में 10 लाख रुपए से कम धनराशि का आवंटन किया गया है ;

(ख) इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था ;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना पर 31 मार्च 1995 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई थी ;

(घ) इनमें से प्रत्येक योजना से कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ; और

(ड़) क्या सरकार का विचार ऐसी लघु योजनाओं जिनका सारे देश पर बहुत कम प्रभाव है की पुनरीक्षा करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) और (ड) ये अलग-अलग लाभग्राही उन्मुख योजनाएं नहीं हैं बल्कि आवश्यक सहायता देने वाले कार्यक्रम हैं और उनकी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

विवरण

(रू. लाखों में)

	योजना स्कीम का नाम	8वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय			
			92-93	93-94	94-95	95-96
	1	2	3	4	5	6
1	उच्च शिक्षा में प्रशासनिक अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	32.00	5.00	5.00	5.00	1.00
2	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद	50.00	5.00	5.00	5.00	1.00
3	विश्वविद्यालय प्रशासक प्रशिक्षण	175.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4	उर्दू विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	1.00	1.00	शून्य
5	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	50.00	5.00	5.00	25.00	25.00
6	वैदिक कविता पाठ की मौखिक परम्परा का संरक्षण	35.00	7.00	7.00	शून्य	13.00
7	राष्ट्रीय संस्कृत एवं श्रेण्य भाषा आयोग	100.00	शून्य	25.00	25.00	5.00
8	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00
9	पुस्तक प्रोत्साहन संबधी कार्यकलाप और स्वैच्छिक एजेंसियां	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00
10	लेखकों की राष्ट्रीय सोसाइटी स्थापना	15.00	2.00	2.00	2.00	2.00
11	वाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करना	25.00	3.00	3.00	5.00	5.00
12	एजूकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00
13	केन्द्रीयकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली	117.00	5.00	7.00	7.00	7.00

[हिन्दी]

दलहन और तिलहन की नई किस्में

7942. डा० चिन्ता मोहन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा दलहनों और तिलहनों के उत्पादन के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान और प्रयोगों का पूरी तरह से लाभ उठाया है ।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ।

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कई उन्नत किस्म के दलहन और तिलहन विकसित किए गए है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे किस्मों के नाम क्या हैं और इन किस्मों की उत्पादन दर कितनी है ;

(ड़) क्या इन किस्मों की उत्पादन दर की तुलना में दलहनों और तिलहनों के क्षेत्र में उत्पादन का राष्ट्रीय औसत दर काफी कम है ;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) किसानों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान और प्रयोग कार्य का पूरी तरह से उपयोग न कर पाने के क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) किसान कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा दालों और तिलहनों के उत्पादन के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान परिणामों से धीरे-धीरे लाभ उठा रहे हैं ।

(ख) अनुसंधान के परिणामों के धीरे-धीरे उपयोग के ये कारण है :-

1. सीमान्त और उपसीमान्त भूमि पर खेती ;

2. पौधों की जीवन रक्षक सिंचाई न होने के साथ बारानी कृषि ।

3. निवेश और मजदूरी के खर्च में बढ़ोतरी ।

4. जटिल कीट व्याधि लक्षण ।

5. प्राकृतिक संसाधन आधार आदि की निरन्तर अवनति ।

(ग) और (घ) जी, हां । पिछले तीन सालों के दौरान दालों और तिलहनों की उत्कृष्ट विकसित किस्मों की सूची पैदावार की दर और औसत वास्तविक राष्ट्रीय फसल पैदावार के साथ संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ड) से (छ) जी, हां । पैदावार में अन्तर के लिए जिम्मेवार प्राथमिक मुद्दे ये हैं :-

1. विशेष स्थान/परिस्थिति/मौसम के लिए अनुशंसित फसल और किस्म का चयन ।

2. सिफारिश की गई मात्रा में अच्छी किस्म के बीच का प्रयोग और प्रौद्योगिकी (टैक्नोलाजी) को एक मुश्त रूप में अपनाना ।

3. फसल की वृद्धि/रोग संक्रमण की नाजुक स्थिति में उर्वरक और पौध संरक्षण उपायों को लागू करना ।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

पिछले तीन सालों के दौरान दलहनी फसलों की विकसित सुधरी किस्मों की सूची।

फसल	किस्म	पैदावार क्षमता है.	राष्ट्रीय औसत पैदावार (है.)
1	2	3	4
		दालें	
चन्ना	वीजी-372	25-30	
	साडा वहार	25-30	
	आईसीसीवी-10	20-21	
	उदय (केपीजी-59)	22-25	6.75
	एच 86-18	20-21	
	जीएफ 89-36	20-21	
	के डब्ल्यू आर आई-08	19-20	
अरहर	आईसीपीएल -87119	20-25	
	पारस	25-26	6.65
मूंग	बीएम-4	10-11	
	एमयूएम-2	12-13	4.71
	एमएच 88-111	12-13	
उड़द	टीपीयू-4	9-11	
	एलबीजी-402	9.11	5.60
	डब्ल्यू बीयू-108	9-10	
मटर	जे.पी-885	20-25	
	के एफ पी-103	18-20	9.03
मसूर	पंत मसूर-4	16-18	
	शिवालिक	14-15	6.47
	केआई 133	13-15	
राजमा	एचपीआर-35	14-15	
		तिलहन	
मूंगफली	आईसीजीवी-86590	17-19	
	आर एस एच वाई -1	24-26	
	सोमनाथ	18-20	
	जे (ई) 2 (जी.जी.3)	14-16	
	सी एस एम जी 84-1	26-28	
	सी जी-20 (वी वी)	19-21	
	सी जी-12	13-15	9.26
	तिरूपती-2	20-22 (के)	
		34-36 (आर)	
	वी ए यू 13	21-23	
	डी आर जी - 12	17-19	
	आई सीजीवी-86325	13-15	
सोयाबीन	जे एस 71-85	20-24 (के)	
		13-20 (आर)	
	जे एस 80-21	23-24	
	एमएसीएस 5057	26 (एस) 30 (के)	
	जे एस 335	25-30	10.89
	पी के 564	30-35	
	एमएसीएस 124	25-30	
	एन आर सी - 2	25-30	
तोरिया	पूसा बहार	17-19	
सरसों	सुबिनाय (वाई एसबी-90)	9-11	
	आर एच - 813	11-13	
	आर एच 781	18-20	8.56
	टी एम - 68	16-18	
	पी सी आर - 7	18-20	
	बी आई ओ - 902	18-20	
सूरजमुखी	केबीएसएच-1	13-15	
	पीएसी-36	12-14	
	पीएससीएल-5015	11-13	
	पीकेवीएसएच-27	13-15	5.21
	जीएयू-एसयूएफ-15	9-11	
	टीएनएयू-एसयूएफ-7	11-13	
तिल	ओ एम टी 11-6-3	5-7	
	आर टी-54	7-9	
	आर टी-103	7-9	

	आर टी-125	7-9	
	गुजरात तिल-2	6-8	2.60
	वाई एल एम-11	7-9	
	टी एल एम-17	7-9	
	एम वी पी आर-1	6-8	
अरंडी	डीसीएस-9	9-11	
	एस के आई 73	20-22	9.34
अलसी	आर एल सी - 29	11-13	
	त्रिवेणी	10-12	3.53

[अनुवाद]

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहित संगठन

7943. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत बहुत से संगठन बिना मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हा, तो ऐसे प्रत्येक संगठन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ये पद कब से रिक्त हैं ; और

(घ) इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[हिन्दी]

जहरीली गैस का रिसाव

7944. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भोपाल के गोविन्दपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक बीयर फैक्टरी से हाल ही में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मैसर्स लीला सन्स ब्रेवरीज लिमिटेड, गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल मध्य प्रदेश के प्रशीतन संयंत्र के तेल पृथक्करण टैंक में अनुरक्षण के दौरान 24 मार्च, 1995 को अमोनिया गैस रिसाव की एक घटना हुई थी। अमोनिया लगभग 15 मिनट तक निकली थी । किसी की मृत्यु होने या घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के उपबन्धों के तहत इकाई के खिलाफ कार्यवाही आरंभ कर दी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मानवाधिकार संबंधी पाठ्यक्रम

7945. श्री गुरूदास कामत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कालेजों में मानवाधिकार संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय सांविधिक स्वायत्त संगठन है तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न विषयों में विविध पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के संबंध में निर्णय इन संस्थाओं द्वारा स्वयं लिया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्य उत्पादक कारखानों से होने वाला प्रदूषण

7946. श्री दत्ता मेघे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार मद्य उत्पादक कारखानों (डिस्टिलरीज) को ऐसे छूट देने पर विचार कर रही है। जिससे उनसे निकले अपशिष्ट पदार्थ का दूसरी बार शोधन करना उनके लिए बाध्यकारी नहीं रहेगा :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) मद्य उत्पादक कारखानों से हो रहे प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मद्यनिर्माणशालाओं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. मद्य निर्माणशालाओं के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गये हैं ।

2. मद्य निर्माणशालाओं से एक समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ।

3. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाली मद्यनिर्माणशालाओं को भीड़ भाड वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

4. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है ।

5. उद्योगों के स्थल-निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश

विकसित किये गये हैं ।

विश्वविद्यालय परिसर में लड़कियों से छेड़छाड़

7947. डा० बसंत पवार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहरी लोगों द्वारा छेड़छाड की अत्यधिक घटनाएं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय/जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए ; और

(ग) इन विश्वविद्यालय परिसरों की गरिमा बनाये रखने और लड़कियों का उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शिक्षा पर सेमीनार

7948. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अखिल भारतीय अनुसंधान वैज्ञानिक संघ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में राजधानी के वित्तीय और शिक्षा विशेषज्ञों का एक सेमीनार आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सेमीनार में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या टिप्पणियां की गई ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्पत्ति को किराए पर लेना

7949. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम लीज डीड की समाप्ति के पश्चात् चौदह वर्षों तक किसी आवास को अपने पास रख सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो सम्पत्तियों को अब तक खाली नहीं किए जाने के क्या कारण है ;

(घ) चौदह वर्षों तक की पूरी अवधि के लिए हासिल किये गये किराए और बाजार किराये के बीच के अंतर के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मालिकों को बाजार दर पर आवश्यक वित्तीय राहत पहुंचाने के संबंध में सरकारी नीति क्या है; और

(ड) इस नीति का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सामान्यतया भारतीय खाद्य निगम पट्टा विलेख समाप्त हो जाने के उपरांत भवन पर अधिकार नहीं बनाये रखता । तथापि परिचालन संबंधी अत्यावश्यकताओं के कारण उन्हें पट्टा विलेख समाप्त हो जाने के पश्चात भी एफ-40 और डी-74 ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली स्थित आवासों को अपने अधिकार में रखने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने सुविचारित निर्णय लिया है कि किराए के भवन खाली करने के लिए अपने स्वयं का आवास तैयार किया जाए । गुडगांव में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान काम्पलैक्स पूरा होने पर किराए पर लिए गए ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली स्थित भवन को खाली करने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा ।

(घ) और (ड) भारतीय खाद्य निगम ने किराया बढ़ाने के लिए संबंधित भू-स्वामियों के साथ समझौता करने और दीर्घकालिक पट्टा विलेख-करार पर सहमति देने के लिए विचार-विमर्श हेतु एक समिति बनायी है । समिति ने 1.6.92 से वर्तमान दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की पेशकश की थी । यह पेशकश दिनांक 7.1.94, 9.2.94, 15.4.94 और 14.12.94 को दोहरायी गयी थी । परन्तु आवास संख्या एफ-40 ईस्ट आफ कैलाश के मालिक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, मकान नम्बर डी-74 ईस्ट आफ कैलाश के मालिक ने आवास खाली करने की मांग की है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ

7950. श्री शंकरबार दे. काले :
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को हाल ही के वर्षों में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ड़) घाटे के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) हानि होने के मुख्य कारण हैं पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध न होना वितरण के लिए नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध न होना जिसके परिणाम स्वरूप कुल बिक्री में गिरावट आयी ऊपरी खर्चों में अनुपातहीन वृद्धि होना और व्यापार कार्यों में धन लगाने के लिए निधि हेतु कर्ज पर निर्भर होना ।

(ग) सरकार द्वारा इस मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ का (1985 में) निरीक्षण किया गया था ।

(घ) और (ड) सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक ने अक्टूबर 1987 में जांच रिपोर्ट के अनुसार निष्क्रियत के विभिन्न कारण दर्शाते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के बोर्ड को अधिक्रमिता कर दिया था तथापि अगस्त 1990 में इसका प्रबन्ध निदेशक मंडल को पुनः वापस कर दिया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने गत वर्षों के दौरान सतर्कता तथा प्रशासनिक जांचों के माध्यम से कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अभिलेखागार

7951. श्री राम निहोर राय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अभिलेखागार के तत्वावधान में "स्वतंत्रता की ओर परियोजना" किन उद्देश्यों के साथ आरंभ की गई थी और इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य किस वर्ष में आरंभ किया गया था ;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है और इसके कार्यकाल में कितनी बार वृद्धि की गई थी ;

(ग) क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार की इस परियोजना के कार्य के लिए नियुक्त किए गए विशेष कार्य अधिकारी का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है ; और,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) "स्वतंत्रता की ओर परियोजना" विभिन्न अभिलेखागारों एवं अन्य स्थानों में उपलब्ध स्रोत सामग्री के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1937-1947) का इतिहास लिखने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में शुरू की गई थी।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा दिनांक 31 मार्च 1992 तक परियोजना के लिए 199.22 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी, जिसके बाद सरकारी वित्तीय सहायता रोक दी गई। परियोजना की अवधि तीन बार अर्थात् दिसम्बर 1979 जनवरी 1989 और जनवरी 1991 तक बढ़ायी गई।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार विभिन्न अभिलेखगारों से प्राप्त आंकड़ों की पूर्ति भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को अभी भी कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में विशेष कार्य अधिकारी की पदावधि इस उद्देश्य के लिए दिनांक 29 फरवरी 1996 तक बढ़ा दी गई है।

पोस्टर आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध

7952. श्री राम कृपाल यादव : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महापुरूषों ईश्वर और धार्मिक चिन्हों वाले पोस्टर लेबल और जिल्द की बिक्री करने प्रचार करने और वाणिज्यक वस्तुओं के विज्ञापन हेतु प्रयोग किए जाने पर प्रबंध लगाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है जिसे लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) संप्रतीक तथा नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 के उपबंधों के तहत किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका या व्यवसाय के प्रयोजन से अथवा किसी पेटेंट के नाम में अथवा किसी व्यापार चिन्ह या डिजाइन में केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध प्राधिकृत ऐसे अधिकारी अथवा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम या सप्रतीक के प्रयोग अथवा निरन्तर प्रयोग की अनुमति नहीं है अनुसूची में निषिद्ध वस्तुओं, नामों आदि की श्रेणी शामिल की गयी है जो कि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुसूची

1. संयुक्त राष्ट्र संगठन का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम, संप्रतीक अथवा आधिकारिक मुहर।

3. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज।

4. भारत सरकार अथवा किसी राज्य का नाम 'संप्रतीक' अथवा आधिकारिक मुहर या कोई अन्य अधिकार चिन्ह अथवा ऐसी किसी सरकार या ऐसी किसी सरकार के विभाग द्वारा प्रयुक्त शस्त्र के ऊपर का कोट।

5. सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) तथा सेंट जान एम्बुलेंस ब्रिगेड (इंडिया) का संप्रतीक, जिसमें चार मुख्य कोणों में आभूषित आठ नोक वाला एक श्वेत क्रास का आकार है। तथा जिसके वृत्तपाद पर एकान्तर पर दक्षिणोन्मुख सिंह तथा एक दक्षिणोन्मुख अरण्याश्व है चाहें उक्त आकार संकेन्द्रित वृत्तों अथवा अन्य सजावटों या अक्षरांकनों से आवृत्त हो या न हो, शामिल है।

6. राष्ट्रपति, राज्यपाल (सदरे रियासत) अथवा भारतीय गणतंत्र या भारतीय संघ का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।

7. कोई नाम जिससे निम्नांकित संकेत मिलता हो या संकेत परिकलित किया जा सकता हो :-

1. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का संरक्षण अथवा

2. तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत सरकार द्वारा गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम अथवा निकाय से संबंध हो।

8. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।

9. राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, राजभवन का नाम अथवा उनका चित्रमय निरूपण।

9 (क) महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी या भारत के प्रधानमंत्री का नाम या चित्रमय निरूपण अथवा "गांधी" "नेहरू" या "शिवाजी" शब्द केवल कलेन्डरों में उनके चित्रमय प्रयोग के सिवाय जहां केवल कलेन्डरों के विनिर्माताओं व मुद्रकों का नाम दिया जाता है और कलेन्डरों का प्रयोग वस्तुओं के विज्ञापन के लिए नहीं किया जाता है। (अधिसूचना संख्या का.आ. 1503 तारीख 8 अप्रैल 1970 द्वारा निविष्ट)

10. सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित पदक, बिल्ले या अलंकरण अथवा ऐसे पदकों, बिल्लों या अलंकरणों के लघु रूप या प्रतिकृति (या ऐसे पदकों बिल्लों या अलंकरणों के नाम अथवा उनके लघुरूप या प्रतिकृति)

11. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।

12. "इंटरपोल" शब्द जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों हेतु पुलिस संगठन का एक अभिन्न अंग है ।

13. विश्व मौसम-विज्ञान संगठन का नाम, संप्रतीक अथवा आधिकारिक मुहर ।

14. ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया का नाम व संप्रतीक ।

15. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी का नाम, संप्रतीक व आधिकारिक मुहर ।

16. "अशोक चक्र" या "धर्म चक्र" का नाम अथवा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी विभाग की आधिकारिक मुहर या संप्रतीक में प्रयुक्त अशोक चक्र का चित्रमय निरूपण ।

17. संसद अथवा किसी राज्य की विधान सभा अथवा उच्चतम न्यायालय अथवा किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा केन्द्रीय सचिवालय, अथवा किसी राज्य सरकार के सचिवालय अथवा किसी अन्य सरकारी कार्यालय का नाम अथवा उपर्युक्त किन्हीं भी संस्थानों द्वारा अधिकृत किसी भवन का चित्रमय निरूपण ।

18. रामकृष्ण मठ और मिशन का नाम और संप्रतीक, जिसमें पानी पर तैरता हुआ हंस, जिसके सामने की ओर कमल का फूल है और पृष्ठभूमि में निकलता हुआ सूर्य है । जो कि सम्पूर्णतः वन्य सर्प द्वारा घिरा हुआ है तथा "तन्नों हरा प्रचोदयात" शब्द निचले भाग में अध्यारोपित है ।
(दिनांक 4 अगस्त 1973 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2356 द्वारा निविष्ट) ।

19. श्री शारदा मठ और राम कृष्ण शारदा मिशन, जिसमें पानी पर तैरता हुआ एक हंस (दाहिनी ओर उन्मुख) जिसमें सामने की ओर कमल का एक फूल और पृष्ठभूमि में उभरता हुआ सूर्य है तथा जो सम्पूर्णतः वन्य सर्प (जिसके दाहिनी ओर निचले हिस्से की ओर तन्नों हरा प्रचोदयात शब्द अध्यारोपित है ।)
(दिनांक 11 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना सं. का.आ. द्वारा निविष्ट)

20. भारत "स्काउटस और गाइडस" का नाम संप्रतीक सहित ।
(दिनांक 10 जुलाई, 1974 की अधिसूचना सं. का.आ. द्वारा निविष्ट)

21. अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का संप्रतीक सहित नाम जो कि पांच आपस में गुंधे हुए छल्ले हैं ।
(18 अगस्त 1978 की अधिसूचना सं. का.आ. 2457 द्वारा निविष्ट)

22. राष्ट्रीय युवा संप्रतीक का नाम और संप्रतीक जो कि काले और सफेद रंग में हैं और जिसमें एक घेरे के अंदर सामने की ओर देखते हुए युवाओं-पुरुष तथा महिला के पार्श्व चित्र हैं । दोनों चेहरे दाईं ओर मुड़े हुए हैं और पुरुष के चेहरे का पार्श्व चित्र काला है तथा स्त्री के चेहरे के पीछे की ओर स्थित है । स्त्री के पार्श्व चित्र का पीछे का हिस्सा विपरीत दिशा में उड़ते हुए एक कपोत जिसका पिछला भाग घेरे से बाहर है और जो पत्ती के साथ एक टहनी लिए हुए है की पूंछ और पंख बनाता है । कपोत का पार्श्व चित्र सफेद रंग में है और महिला के पार्श्व चित्र का बकाया स्थान क्षैतिज काली रेखाओं से ढका हुआ है । पुरुष चेहरे के काले पार्श्व चित्र तथा घेरे के बीच का स्थान भी काली क्षैतिज रेखाओं से ढका हुआ है । कपोत के पार्श्व चित्र तथा कपोत के बाईं ओर के घेरे के बीच स्थान भी काला है । पत्ती और टहनी हरा है । कपोत की एक आंख एक बिन्दु की तरह दिखाई गई है ।
(23 जून 1986 की अधिसूचना संख्या का.आ. 373 (अ) द्वारा निविष्ट) ।

गेंहूं की बिक्री

7953. श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं की बिक्री करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए केन्द्रीय पुल से निर्मुक्तियों के लिए गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य सरकार द्वारा किसानों को अदा किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य वसूली प्रासंगिक खर्चे, वितरण लागत और बाजार मूल्य जैसे संगत तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित किया जाता है ।

तथापि सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली/समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों के लिए गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य की तुलना में 50 रुपए प्रति क्विंटल कम निर्धारित किया जाता है ।

इक्नामिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अन्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है ।

[अनुवाद]

पेयजल का आर्सेनिक प्रदूषण

7954. श्री चित्त बसु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के कतिपय जिलों में पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ) सरकार ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में पेयजल के आर्सेनिक संदूषण की समस्या से संबंधित रिपोर्ट की एक प्रति मानव अधिकार उपयोग को दी है ।

(घ) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है :-

1. पेयजल स्रोतों से आर्सेनिक हटाने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमों के बारे में सूचना ।

2. 1991-92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थित के बारे में किए गए अध्ययनों के बारे में सूचना ।

3. पेयजल स्रोतों से आर्सेनिक दूर करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं और अध्ययनों के बारे में सूचना ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्र माफिया

7955. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कोई छात्र माफिया सक्रिय है,

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में विश्वविद्यालय परिसर में कुछ छात्रों पर घातक हमला किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए क्या कदम उठा रहा है तथा पीडित छात्रों को दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है,

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ड) सरकार द्वारा भविष्य में विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उटाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सुपर बाजार

7956. श्री अमर राय प्रधान : क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सुपर बाजार में कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है;

(ख) सुपर बाजार से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों, जिसमें स्वच्छिक सेवा निवृत्ति वाले लोग शामिल हैं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सुपर बाजार के विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं, और ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सुपर बाजार में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना लागू नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गुड़ पर नियंत्रण

7957. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गुड पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधान लाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस प्रतिबंध के कारण राजस्व की हानि को पूरा करने और गुड़ उद्योगों के बेरोजगार मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नही ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नेहरू युवा केन्द्र की नियमित योजना

7958. श्री अमर पाल सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के लिए नेहरू युवा केन्द्र की नियमित योजना संबंधी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) 1995-96 के दौरान लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) वर्ष 94-95 के लिए विभिन्न नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है ।

(ख) 31.12.94 तक की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाये गये है :-

1. अनुमोदित बजट को ध्यान में रखते हुए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ।
2. बजट का कार्यक्रम वार और योजना वार योक्तिकीकरण ।
3. क्षेत्रीय कार्यालयों को धनराशि की प्रथम किश्त को समय पर जारी करना ।

विवरण

वर्ष 1994-95 के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन की कार्य निष्पादन रिपोर्ट-

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	1994-95 वास्तविक निर्धारित लक्ष्य	31-12-94 तक निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त किया गया लक्ष्य	प्राप्त किए गए लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	स्वरोजगार परियोजना में प्रशिक्षण	1860	1100	972	88%
2	युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	1860	1000	790	79%
3	कार्य शिविर	1860	1000	832	83%
4	खेल (ब्लाक स्तर और जिला स्तर) एवं उपस्करों की खरीद	1860	1000	999	99%
5	व्यवसायिक प्रशिक्षण तकनीकी और गैर-तकनीकी	1860	1860	1860	100%
6	ब्लाक स्तरीय अभियान	1860	1100	1016	92%
7	युवा जागरूकता अभियान	1860	900	474	52%
8	अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह मनाना	2400	2400	2076	87%

1	2	3	4	5	6
9	राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह पुरस्कार	450	450	408	90%
10	सामाजिक अभियान*	---	---	593	---
11	पंचायती राज प्रशिक्षण	450	450	328	72%
12	सांस्कृतिक (ब्लाक स्तरीय)	---	---	699*	---
13	युवा महोत्सव	01	01	01	100%
14	व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं खेल उपस्करों की खरीद	450	450	450	100%

★ यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर है अर्थात् कोई धनराशि अंतर्ग्रस्त नहीं है।

महिला साक्षरता

7959. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने महिला साक्षरता के संबंध में कोई अध्ययन किया है।

(ख) यदि हां, तो कुल साक्षरता दर का राज्यवार क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या ग्रामीण बालिकाओं के लिए सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए कुछ सिफारिशें की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) शैक्षिक आंकडों के संबंध में "भारत में ग्रामीण बालिकाओं की सार्व-भौम प्राथमिक शिक्षा" नामक अध्ययन अधिकांशतः V अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, 1986 के आधार पर है यह महिला साक्षरता और सामाजिक आर्थिक संकेतकों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। V अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1986 सहित सभी उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" 1986 और इसकी कार्य योजना (पी ओ ए) की वर्ष 1992 में समीक्षा की गई थी। महिलाओं की समानता के लिए महिलाओं की शिक्षा संबंधी कार्यनीतियों को कार्य-योजना 1992 में विशिष्ट रूप से निरूपित किया गया है। अद्यतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसकी कार्य-योजना को क्रमशः 7.5.92 तथा 19.8.92 को लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में भी इस अध्ययन को दृष्टिगत रखा गया था।

तटवर्ती विनियमन जोन

7960. डा. आर. मल्लू : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती विनियमन जोन के अंतर्गत उन परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य है जिनमें तटवर्ती क्षेत्रों के विशेष रूप से पश्च जल (बैक वाटर्स) में भूमि-उद्धार का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा प्राप्त किये गये उन परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती क्षेत्रों के समानांतर भूमि उसे उद्धार परियोजनाओं को स्वीकृति देने की मांग की गई है ;

(घ) क्या ऐसी कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गयी है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)

(क) और (ख) जी, हां। तटीय क्षेत्रों में भूमि सुधार से संबंधित प्रस्तावों के लिए इस मंत्रालय से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित तटीय क्षेत्र विनियमावली के तहत पर्यावरणीय मंजूरी लेनी अपेक्षित है।

(ग) से (ड) इस मंत्रालय को पत्तन प्राधिकारियों और अन्य एजेंसियों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें इस तरह की पर्यावरणीय मंजूरी मांगी गई है। 1990-91 से लेकर इस तरह प्राप्त/मंजूर परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। प्रत्येक प्रस्ताव की उसके गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है और यदि उसे पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है तो यह मंजूरी विभिन्न सुरक्षा उपायों के अधीन दी गई है।

विवरण

1990-91 से प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा जिनमें तटीय क्षेत्रों के साथ की भूमि के सुधार की परिकल्पना की गई है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह :	
1.	हाडू पोर्ट ब्लेयर में वर्थ संख्या 3 और 4 का निर्माण	मंजूर
2.	पोर्ट ब्लेयर अवरदीन जैटी में ढाल का निर्माण	मंजूर
3.	पोर्ट ब्लेयर में दो ट्रांजिट गोदामों का निर्माण और चाथम काजवे रूट में क्षेत्र का विकास	मंजूर
	आंध्र प्रदेश	
4.	विशाखापत्तनम पत्तन में भीतरी बन्दरगाह में बहुउद्देशीय वर्थ का निर्माण	मंजूर
5.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के बाहरी बन्दरगाह में बहुउद्देशीय बर्थ का निर्माण	मंजूर
6.	विशाखापत्तन पोर्ट ट्रस्ट के बाहरी बन्दरगाह में एलपीजी हैंडलिंग जैटी का निर्माण	मंजूर
7.	चिप्पाडा विशाखापत्तनम में खीवाटर मैगनोशिया प्रोजेक्ट	मंजूर
	गोवा	
8.	मोरमुगावो पत्तन में एक अतिरिक्त सामान्य कारगो बर्थ का निर्माण	मंजूर
9.	मोरमुगावो पत्तन के लिए चिकलियम खाड़ी में फिशिंग जैटी का निर्माण	विचाराधीन

1	2	3
	गुजरात	
10.	कांडलापत्तन में पूर्ण कन्टेनर हैडलिंग सुविधाओं का विकास	मंजूर
11.	मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लि. की सीमेंट परियोजना के लिए ग्राम कोवाया, राजुका तालुका, अमरेली में कैप्टिव वर्थ	विचाराधीन
12.	मंगलौर फिशिंग बन्दरगाह चरण-2 का विस्तार	विचाराधीन
13.	द्रव्य हाइड्रोकार्बन और अन्य रसायनों के हैंडलिंग के लिए काम्बे की खाड़ी में दहेज में पत्तन टर्मिनल का निर्माण- मैसर्स इंडियन पेट्रोकैमिकल कार्पोरेशन लि. का प्रस्ताव	विचाराधीन
14.	लखीयाम में ताम्बा प्रमालग संयंत्र के लिए इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि. द्वारा डट्टेज पत्तन के पास कैप्टिव जैटी का निर्माण	विचाराधीन
15.	जखाउ कच्छ जिले में फिशरी हार्बर का निर्माण	विचाराधीन
16.	कांडला पत्तन में चौथी तेल जैटी का निर्माण	विचाराधीन
	कर्नाटक	
17.	नए मंगलौर पत्तन में कच्चे पीओएल पदार्थों की हैंडलिंग के लिए पत्तन सुविधाएं	मंजूर
	केरल	
18	केरल के कन्नानौर जिले में मोलपा खाड़ी में फिशिंग हार्बर का निर्माण	मंजूर
19.	केरल के कालीकट जिले के क्विलैंडी में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण	मंजूर
20.	केरल के पोनानी मालापुरम जिले में फिशिंग हार्बर का निर्माण	मंजूर
21	कुट्टूर-पोलाथाई केरल में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण	मंजूर
22.	केरल के आरथुंगल में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण	मंजूर
23.	केरल के थम्बोल में फिशिंग हार्बर का निर्माण	मंजूर
24.	थट्टापलाई, केरल में ब्रेक वाटर वर्थिंग और लैडिंग सुविधाओं का निर्माण	मंजूर
25.	मालपे फिशिंग हार्बर में दूसरे चरण की फिशलैंडिंग सुविधाओं का निर्माण	मंजूर
26.	पुन्नापरा, केरल में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण	मंजूर
27.	कोचीन, केरल में फिशरीज हार्बर चरण-2 का विकास	विचाराधीन
28.	क्विलोन जिले में थांगासरी फिशरी हार्बर का विकास	विचाराधीन
29.	कोचीन में समेकित द्वीप समूह विकास गीश्री द्वीप समूह विकास प्राधिकरण कोचीन केरल, का प्रस्ताव	मंजूर
	महाराष्ट्र	
30.	एलीफेन्टा द्वीप में नए और सदाबहार जैटी का निर्माण	मंजूर
31.	बंबई पोर्ट ट्रस्ट हार्बर में ससून डाक में तटीय सुविधाओं का निर्माण	मंजूर
32.	जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में एप्रोच/पुल का निर्माण	मंजूर
33.	बंबई मलजल व्ययन परियोजना	मंजूर
34.	बंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा फ्रीरी वेसिन का भूमि सुधार	मंजूर
35.	मै. निपोन डेनरी इस्पात लि. द्वारा तहसील पेन, रायगढ़ में स्पोनेज लौह परियोजना के लिए कैप्टिव जैटी हेतु पर्यावरणीय मंजूरी (महाराष्ट्र राज्य)	मंजूर
36.	बंबई में वार्ली - बान्द्रा सम्पर्क मार्ग का निर्माण	विचाराधीन
	उड़ीसा	
37.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में बहुद्देशीय कारगो वर्थ का निर्माण	मंजूर
	तमिलनाडु	
38.	मद्रास के एन्नौर उत्तर में एक नए उपग्रह पत्तन की स्थापना	मंजूर
39.	मद्रास फिशिंग हार्बर चरण - 2	मंजूर
40.	तूतीकोदिव पोर्ट ट्रस्ट (तमिलनाडु राज्य) द्वारा एक्सटेंशन पोर्ट में ब्लाक वर्क पायर सहित आर सी सी जैटी को बदलना	मंजूर
41.	मद्रास पत्तन में दक्षिण क्वे - 3 का विस्तार और पूर्वी क्वे बर्थों का आधुनिकीकरण	अस्वीकृत
42.	मद्रास पत्तन में भारती डाक में कन्टेनर टर्मिनल का विस्तार	अस्वीकृत
	पश्चिम बंगाल	
43.	वोट कैनाल क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का विकास	अस्वीकृत
44.	स्ट्राड क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट भूमि का विकास	अस्वीकृत

मंत्री द्वारा वक्तव्य

12.03 म. प.

[अनुवाद]

रामगंगा नदी में भारी प्रदूषण के कारण पेयजल की कमी

प्रर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : राम गंगा नदी में भारी प्रदुषण के कारण पेयजल की कमी के बारे में माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मामले के बारे मे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछताछ की गई थी । इस संबंध में यह सूचित किया गया है कि 27 उद्योगों. जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रामगंगा नदी में अपशिष्ट जल का विसर्जन करते हैं, में से 20 उद्योग उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं ।

निम्नलिखित इकाइयां औद्योगिक बहिस्रावों के उत्सर्जनों के निर्धारित मानको का पालन नही कर रही हैं और इन इकाइयों के विरुद्ध मामले उच्चतम न्यायालय के निर्णयाधीन हैं :-

1. मैसर्स आईटीआरसीओ लि., बरेली (पद्यनिर्माणशाला)

2. मैसर्स केसर इन्टरप्राइजेज, बरेली -वही-

3. सिथेटिक्स एंड कैमिकल्स लि., बरेली -वही-

4. मैसर्स अजूधा डिस्टिलरी, मुरादाबाद -वही-

5. मैसर्स बाजपुर को-आपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि., नैनीताल -वही-

6. मैसर्स धर्मपुर, शूगर मिल्स लि., बिजनौर -वही-

7. मैसर्स अपर गेंजिज शूगर एंड इन्डस्ट्रीज लि., बिजनौर -वही-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण के लिए रामगंगा बेसिन की लगातार निगरानी कर रहा है और सभी उद्योगों को निदेश दिया है कि वे निर्धारित मानकों का पालन करें। बोर्ड, कन्नौज में नदी जल गुणवत्ता की भी लगातार निगरानी कर रहा है। इस क्षेत्र में पेयजल गुणवता की मुख्य समस्या गर्मी के महीनों के दौरान पानी के कम दबाव के कारण है। औद्योगिक अपशिष्टों से नदी को प्रदूषण होने से बचाने के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय किए गए हैं और 7 दोषी इकाइयों के संबंध में मामले भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। तथापि, पेयजल की आपूर्ति का मामला इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। .(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, में एक सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे बाद में मिल लिजिए।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्र अब समाप्ति की ओर है, लेकिन अनेक प्रश्न है, जो अनुत्तरित पड़े है। इनमें एक प्रश्न काशीनाथ सेठ बैंक के बारे में है। अनेक सदस्य यह मामला उठा चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। यह बैंक 1948 में प्रारम्भ हुआ था और 1985 तक यह बैंक ठीक चलता रहा और प्रदेश भर में इसकी शाखाऐं खुली। लगभग 600 कर्मचारी उनमें काम करते हैं। ग्राहकों की संख्या दो लाख 68 हजार है। लेकिन आज ग्राहक तथा कर्मचारी सभी गहरे संकट में फंसे हैं। वित्तीय अनियमितताओं के कारण जिनके लिए बैंक के प्रबन्धक तथा रिजर्व बैंक के निरीक्षक दोनों दोषी हैं, जो इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार है, बैंक बन्द हो गया है। बैंक में 70 करोड़ की डिपाजिट और 49 करोड़ का एडवांस है, जिसमें से 20 करोड़ का एडवांस इसके मालिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों में बांटा गया है।

प्रश्न यह है कि जब प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक द्वारा सभी प्राइवेट बैंको का निरीक्षण कराया जाता है तब काशीनाथ सेठ बैंक में होने वाली अनुचित कार्रवाइयों की ओर रिजर्व बैंक का ध्यान क्यों नहीं गया ? धांधलियां 1985 से चल रही है, किन्तु रिजर्व बैंक ने 14 सितम्बर, 1993 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा के अन्तर्गत प्रत्येक धन जमा करने वाले को केवल 5000 रु. का भुगतान करने का निर्देश दिया। इससे जमाकर्ताओं में दहशत फैल गई। वे बैंक से अपना-अपना धन निकालने की होड़ में फंस गए। नतीजा यह हुआ कि बैंक और गहरे गढ्ढे में गिर गया।

आज स्थिति यह है कि बैंक का कार्यभर रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत बोर्ड देख रहा है। 1993 से ही बैंक के बोर्ड पर रिजर्व बैंक के निदेशक काम कर रहे हैं, किन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बैंक कर्मचारियों के आन्दोलन के फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने 1994 में गुजरात के टोरेण्ट ग्रुप को बैंक सौंप जाने की सूचना दी। किन्तु मामला आगे नहीं बढ़ा। बैंक का कामकाज आज भी प्रतिबंधित है। कर्मचारी बेकार है। डिपाजिट जमाकर्ता मारे-मारे फिर रहे हैं।

कर्मचारियों की मांग है कि काशीनाथ सेठ बैंक को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विलान करके पिछले लगभग दो साल से जो संकट चला आ रहा है, उसका निवारण किया जाए। बैंक के विफल होने के लिए प्रबंधकों के साथ-साथ रिजर्व बैंक भी दोषी है, जिसके निरीक्षकों ने गोलमाल पर गर्दा डालने में हाथ बंटा कर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। सवाल यह है कि प्रबंधको-निरीक्षकों के अपराध की सजा छोटे-छोटे डिपाजिटर तथा कर्मचारी क्यों भुगते ? मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें।

एक ओर सरकार नए प्राइवेट बैंकों के लिए लाइसेंस जारी कर रही है और दूसरी ओर इस निजी बैंक में हुए घोटाले में कार्रवाई करने से इन्कार कर रही है। यह स्थिति असहनीय है।....(व्यवधान)

श्री संतोश कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, यह बैंक मेरे क्षेत्र में है और इससे छोटे-छोटे जमाकर्ताओं को बहुत तकलीफे हैं। जानकारी में आया है कि 31 तारीख से यह बैंक बन्द कर दिया जाएगा। 70-80 करोड़ रु. की जिम्मेदारी किसी पर नहीं डाली जा रही है। कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया है हम माननीय मंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इतने अच्छे ढंग से पुट-अप हो गया है। विरोधी पक्ष के नेता ने इस प्रश्न को उठाया है, तो इसके ऊपर सरकार जरूर ध्यान देगी।

श्री संतोश कुमार गंगवार : महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार इस संदर्भ में ध्यान दे और हमारी आप से मांग है कि आप ऐसा निर्देश जारी करें।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी देश के रक्षा मंत्री भी हैं, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान भारत की सुरक्षा सेनाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी थल सेना से जो राशन मिलता है, अभी यहां पर पी.डी.एस. की बात चल रही थी, जैसे पी.डी.एस. में राशन मिलता है, उसी प्रकार से तीनों सेनाओ-थल सेना, नौसेना, वायु सेना- में मिलता है। इनके लिए भी पी.डी.एस. की तरह से अलग से राशन कार्ड बनते हैं।

आज तक यह सिस्टम चलता रहा है कि जिन भावों पर और जितनी क्वांटिटी में पी.डी.एस. में मिलता था उसी में सब फौज के लोगों और उनके परिवारों को मिलता था। अभी 1-2 महीने पहले रक्षा मंत्रालय ने दो निर्णय लिए है इससे जो सोल्जर्स अभी सेवा में हैं और जो भूतपूर्व सैनिक है उनमें बहुत असंतोष पैदा हो गया है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि भाव बढ़ा दिये गए है। आज यहां पर चीनी की बात हो रही थी कि पी.डी.एस. में चीनी 9 रुपए 5 पैसे किलो मिलती है लेकिन फौज के लोगों को 12 रुपए किलों से अधिक रेट पर चीनी मिल रही है। इसमें उनका अपना जो सिस्टम होता है वह यह है कि उनके कार्ड बनते हैं। राशन की दुकानों पर 12 रुपए से अधिक रेट पर चीनी मिल रही है; 3 रुपए से अधिक प्रतिकिलो में हरेक व्यक्ति को देना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जितनी क्वांटिटी मिलती है, जैसे मान लीजिए 9 सौ ग्राम चीनी प्रति यूनिट मिलती है तो उनको करीब आधी मिल रही है। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार के आदेश दिए हैं। उन्होंने धन में कटौती की है और खरीदने के लिए जो एडवांस पैसा देना पड़ता है उतना पैसा भी नहीं है। जितना राशन आर्मी हैड क्वार्टर और नेवल हैड क्वार्टर और एयर हैड क्वार्टर ले सकते हैं उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए भारी असंतोष पैदा हो गया है, जोकि बिल्कुल जायज असंतोष है। यहां पर रक्षा राज्य मंत्री जी बैठे हैं, कृपया निवेदन है कि आप प्रधानमंत्री जी को यह बात बताएं, क्योंकि शायद उनको मालूम नहीं है और आपको भी मालूम नहीं है कि बहुत असंतोष और अन्याय हो रहा है। इस सिस्टम को तुरंत ठीक करना चाहिए और जैसे

पी.डी.एस. में चीनी मिल रही है उनको भी उसी भाव पर और उतनी क्वांटिटी में मिलनी चाहिए।

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं आज ही सुबह इस सिलसिले में चीफ और दूसरे अधिकारियों से बात कर रहा था। हम कुछ करने का प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं सदन का ध्यान एक बड़ी ही गम्भीर बात की ओर दिलाना चाहता हूं। देश में अनेक आपत्तिजनक बातें हो रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते है। विभिन्न संवैधानिक अधिकारी एक दूसरे का आपस में सम्मान नहीं करते, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। प्रत्येक संवैधानिक अधिकारी को अपने व्यवहार से एक मिशाल कायम करनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति आदर बढ़े। परन्तु 'इंडिया टुडे' के वर्तमान अंक में एक उच्च संवैधानिक अधिकारी की भेंट कर्ता में मैनें जो देखा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझे उस भेंटवार्त्ता के कुछ अंश बाते। मुझे भी इसकी जानकारी होनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं वह दे चुका हूं। मैंने आपको एक सूचना दी है ओर उसके साथ सब कुछ संलग्न किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 10.00 म.पू. पर सूचना दी होगी। मैंने उसे कैसे देख सकता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने उसके साथ संलग्न किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना कब दी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने सूचना 10.00 म.पू. से पहले दी थी।

अध्यक्ष महोदयः आप आशा करते हैं कि मैं उसे पढ़ूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपके लिए मैं उसे पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सही नहीं है। फिर आप मेरी ओर से सभा की कार्यवाही भी चलाएं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बड़ा ही गंभीर मामला है। यह एक व्यक्ति को अपमानित करने की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसे देखने दें। आप क्या कहना चाहते हैं वह मुझे मालूम होना चाहिए। यदि आप उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की बात करते हैं तो मुझे भी बहुत सावधान रहना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं व्यक्तिओं की बात नहीं कर रहा हूं।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति देने से पहले मुझे यह ज्ञात होना चाहिए कि आप क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं। यदि आपने 10.00 म.पू. पर सूचना दी है, तो मुझे उसे देखने दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने उन अधिकारी का नाम नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है, मैं यह मानता हूं कि आज आप इसे देख लेंगे। और कल मुझे अनुमति दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं कोई वायदा नहीं करता। मुझे उसे देखने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) ★ : क्या सभा के लिए यह गम्भीर मामला नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उस पर निर्णय करने से पहले क्या मुझे यह जानना नहीं चाहिए कि आप किसकी बात कर रहें हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

अध्यक्ष महोदय : ये सब बातें कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जा रही है।

(व्यवधान) ★

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात ठीक हो सकती है, परन्तु मुझे उसे देख तो लेने दें।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसकी इस तरह अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक बात की कोई सीमा होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मुझे उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको जानने का अधिकार है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी। आप अनावश्यकरूप से हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्योंकि मामला बहुत गम्भीर है। अन्यथा मैं हस्तक्षेप नहीं करता

अध्यक्ष महोदय : यदि यह गम्भीर मामला है तो इसे गम्भीरता से लीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है, मैं यह मानता हूं कि आप कल मुझे अनुमति देंगे।.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित मुद्दे उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में तहसील किनवट, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जंगल का एरिया है। इस क्षेत्र का विकास न के बराबर हुआ है।

इस क्षेत्र के बोधड़ी एरिया के पारड़ी-बोधड़ी के जंगल को उद्योग मंत्रालय के द्वारा 15 वर्ष पूर्व एक सर्वे के दौरान यह पाया गया है कि यहां सीमेंट बनाने का पत्थर उपलब्ध है व उस पर एक प्रकल्प-अहवाल भी तैयार हुआ था, परन्तु बाद में उसके आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः यहां एक मध्यम सीमेंट प्रकल्प शीघ्र स्थापित किया जाये, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तथा गरीबी दूर होगी। केन्द्रीय सरकार

★ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को इसमें रूचि लेकर आगे आकर इस प्रकल्प को शीघ्र हाथ में लेने की आवश्यकता है, यही मेरा निवेदन है ।

[अनुवाद]

श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज) : असम में मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज में हैलाकोडी जिला एक पिछड़ा क्षेत्र है । वहां साक्षरता का प्रतिशत विशेषकर आदिमजातियों में बहुत कम है । इस क्षेत्र की पांच लाख से अधिक जनसंख्या को देखते हुए प्राइमरी और हाई स्कूल बहुत ही कम है । इसलिए शिक्षा के प्रसार के विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में, लिए वहां एक नवोदय स्कूल खोला जाना चाहिए ।

इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह वहां एक नवोदय स्कूल की स्थापना शीघ्र करे ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, विकलांग कल्याण निदेशालय नामक संस्थान दिल्ली में है, जिसके तहत विकलांगों को इंजीनियरिंग और मेडिकल का प्रशिक्षण दिया जाता है । 2 फरवरी को इस संस्थान में हड़ताल की गई और पहले भी हड़तालें और भूख-हड़तालें होती रही हैं और मांगे रखी जाती रही हैं, लेकिन निदेशक द्वारा इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और डेलीगेशन के सदस्यों को हमेशा होस्टल से निकालने की धमकी दी जाती रही है ।

12.16 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इन लोंगों कि प्रमुख मांग है कि विकलांग कल्याण के लिए इस तरह की जितनी संस्थाए देश में हैं, उनके द्वारा डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि विकलांग छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें । इस बारे में मैंने भी पहले पत्र लिख कर सरकार से निवेदन किया है । आज मैं पुनः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विकलांग छात्रों की मांगो पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और निदेशक द्वारा छात्रों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। इसी तरह से निदेशक की बहाली पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से उसको नामीनेट किया जाए, ताकि छात्रों का हासमेंट रूक सके । मेरा निवेदन है कि इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाए ।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मसले की ओर दिलाना चाहता हूं । उदारीकरण नीती की घोषणा के तहत खाना पकाने की गैस वितरित करने के लिए बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज ने काम करना शुरू कर दिया है तथा बहुत से डीलर्स तथा एजेंट्स नियुक्त करके गैस कनेक्शन देने के नाम पर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया गया है । करोड़ों रुपया देश की जनता से लूटा गया है । कस्बों और जिला मुख्यालयों में एजेंट्स नियुक्त कर दिए गए, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में पैसा वसूल करने के बाद अब कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं । कुछ एजेंसीज के अपने बाटलिंग प्लांटस हैं, लेकिन वे भी अपनी क्षमता से अधिक गैस कनेक्शन वितरित कर रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप पहली बार तो उपभोक्ता को गैस कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन इसके बाद रीफिलिंग की समस्या आती है, एजेंसीज अधिक पैसे के लालच में अधिक गैस कनेक्शंस वितरित कर रही है । सरकार इस मामले में कोई रुचि नहीं ले रही है और आम जनता का पैसा फसा हुआ है । जिन लोगों को कनेक्शंस दे दिए गए हैं, उनको रीफिलिंग उपलब्ध नहीं हो रही है । इस तरह से आम जनता को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा रहा है ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि निजी क्षेत्र के जितने डिलर्स हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए जाएं । वे पहली बार तो उपभोक्ता को सिलेंडर दे देते हैं लेकिन रि-फिलिंग नहीं कर रहे हैं जिसके कारण जो उपभोक्ता है वह परेशानी में फंसे हुए हैं । इस मामले में केन्द्रीय सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैंने कई बार मांग की है कि सामान्य श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए जिसमें गरीब लोग सफर करते हैं । उनमें सफाई का अभाव है, पानी की सुविधा नहीं हैं, वह सुविधा दी जाए । कलकत्ता से मुगल-सराय तक सामान्य गाड़ियां बढ़ाई जाएं जिनमें आरक्षण न हो और सामान्य लोग आराम से यात्रा कर सकें । उनमें खाने-पीने की भी अच्छी सुविधा नहीं हैं । साथ ही साथ टिकट में प्राइवेट एजेन्सीज का दखल बढ़ गया है । मैं चाहता हूं कि रेल-मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और सामान्य गाड़ियों का प्रचलन बढ़ाएं ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने इस विषय को सदन में कई बार उठाया है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद मैं इस विषय को उठाऊंगा नहीं । अध्यक्ष जी 17 मई को एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए मैंने मांग की थी कि हिन्दी और अंग्रेजी में मुंबई को मुबंई कहना चाहिए । मैंने मुंबई हाईकोर्ट का अक्टूबर 94 को संदर्भ भी दिया था । अध्यक्ष जी ने भी गृह-मंत्री को पूछा था कि यह बिल सुप्रीम-कोर्ट में किसने दाखिल किया है तो उन्होंने यह जानकारी नहीं दी । सदन को यह जानकारी लेने का अधिकार होते हुए भी

[अनुवाद]

उन्होनें इसे छिपाया ।

[अनुवाद]

जानकारी को छिपाना और गोपनीयता का कारण न होते हुए भी महत्वपूर्ण जानकारी न देना विशषाधिकार का उल्लंघन है ।

[हिन्दी]

अब मुझे यह पता चला है कि यह जो सुप्रीम-कोर्ट में स्पेशल लीव-पैटीशन किया गया है वह केन्द्रीय सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी, शिव-सेना की महाराष्ट्र में सरकार आने के बाद 30 मार्च को यह किया है । रैवेन्यू-कोर्ट के अंदर नाम परिवर्तन का अधिकार राज्य-सरकार का है । केरल सरकार ने वर्ष 90 में इसी प्रकार से 23 शहरों के नाम बदल दिये । महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है । अब 22 मई को महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कि यह शहर आगे चलकर मुंबई के नाम से ही पुकारा जाएगा । मुरली देवड़ा जी और शरद दीघे जी यहां हैं । मुंबई के महापीर भी यहां आये थे । उन्होंने स्टेटमैंट दिया है कि वह प्रधानमंत्री जी से मिले और प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा माना है । अब मेरा सवाल यह है कि जब गृहमंत्री जी यह कहते हैं कि हम इसे करेंगे नहीं और मुरली देवड़ा जी व शरद दीघे जी बाहर स्टेटमेंट देते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसे माना है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री जी की बात चलती है या गृहमंत्री जी की बात चलती है, हमें इसका पता नहीं चलता है । मैं तीन मांगे कर रहा हूं । पहली मांग यह है कि सर्वोच्च न्यायलय में भारत सरकार ने जो अपील दाखिल की है उसे वापिस लेना चाहिए ।

दूसरा मेरा यह अनुरोध है कि इस सत्र की समाप्ति से पहले केन्द्र सरकार को नाम परिवर्तन की मंजूरी देनी चाहिए । साथ ही साथ इसके सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है, इसके बारे में गृहमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए और जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है वह समाप्त करना चाहिए मैं चाहता हूं कि मुरली देवड़ा जी भी इसका समर्थन करें ।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवड़ा (बम्बई-दक्षिण) : मैं अपने बम्बई के मित्र श्री राम नाइक का पूरा समर्थन करता हूँ **(व्यवधान)** इसकी सूचना सरकारी तौर पर आने दीजिए और तब मैं भी सबके साथ रहूंगा ।

बम्बई नगर निगम ने सर्वसम्भाति से इस सम्बन्ध में एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया है । बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई करने में कोई बुराई नहीं है । जब पीकिंग को बदलकर बीजिंग कर दिया गया तथा विश्व में अनेक शहरों के नामों को बदलकर उनके मूल नाम कर दिए गए तब बम्बई और महाराष्ट्र की जनता इस नाम-परिवर्तन का स्वागत करेगी ।

श्री रामनाइक ने प्रधानमंत्री से हुई हमारी भेंट की जानकारी भी सदन को दी है । जब हम बम्बई के महापौर के साथ प्रधानमंत्री से मिले थे, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वह इसके खिलाफ नहीं हैं । वे इससे सहमत थे ।

माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि गृह मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है । परन्तु मुझे गृह सचिव ने बताया है कि यह अपील गृह मंत्रालय के माना विभाग की ओर से की गई है । इसका नाम बदले जाने से कोई सम्बंध नहीं है । यह कुछ भी है । मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि यदि नाम बदलने के खिलाफ अपील है तो वे उसे वापिस लें लें और महाराष्ट्र और बम्बई की जनता की इच्छाओं को पूरा करें ।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य): मैं भी बंबई का नाम बदल कर मुम्बई रखने की मांग का समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में श्री रामनाइक ने जो कहा, हम उसका समर्थन करते हैं । बम्बई की जनता की सर्वसम्मत मांग है कि बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई रखा जाए । जहां तक इस मसले का संबंध है हमने श्री मुरली दवेड़ा और बंबई के महापौर के साथ प्रधान मंत्री जी से अपनी भेंट के समय भी बंबई की जनता की इस भावना से उन्हें अवगत कराया गया था । हमें यह विश्वास है कि उनकी इस सम्बंध में अनुकूल प्रतिक्रिया थी तथा यह मामला मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा । प्रधान मंत्री जी से हमारी भेंट के समय हमने ऐसा महसूस किया ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, पर सामान्य चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री भोगेन्द्र झा : केवल इस मुद्दे पर, महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । आपको बाद में अवसर मिलेगा । मेरा कहना यह है कि अन्य अनेक सदस्यों के मामले रह जाते हैं । प्रति-दिन ऐसा ही होता है । वे सदन से आक्रोश के साथ जाते हैं । कृपया मुझे क्षमा करें ।

श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार (चिंगलपट्टु) : मैं पांचवे वेतन आयोग का प्रतिवेदन आने तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अन्तरिम राहत न दिया जाने का मामला उठाना चाहता हूं बजट में आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य चीजों का मूल्य बढ जाने के कारण इन लोगों को भारी बोझ उठाना पड़ रहा है । वेतन आयोग की सिफारिशों में देरी के कारण उनमें बड़ा क्षोभ है । मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं । कि वे कर्मचारियों और विशेषकर पेंशन भोगियों को अन्तरिम सहायता दिए जाने की जानकारी सभा को दें ।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिन्दु मुन्नानी के मद्रास स्थित कार्यलयों पर बम आदि के घातक हमले हुए हैं । एक लोकप्रिय मुन्नानी नेता मारा भी गया हैं हमारे नेता श्री आडवाणी उन कार्यालयों में मौके पर गए भी थे । वहां उन्होंने लोगों की भावनाओं को अनुभव किया । निःसन्देह तमिलनाडु सरकार ने वहां और आस-पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उपाय किए हैं । परन्तु फिर भी उस क्षेत्र में रहने वालों लोगों के मन में भय बना हुआ है कि इन कार्यालयों में अथवा उस क्षेत्र अथवा आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में फिर से हमला हो सकता है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तमिलनाडु सरकार को फिर कहे कि वह सुरक्षा को कड़ा करें ताकि वे लोग विना भय के शान्ति से रह सकें । मेरा माननीय मंत्री श्री मुकुल वासनिक से अनुरोध है कि वे तमिलनाडु सरकार के लोगों की इन भावनाओं से अवगत कराए ताकि सुरक्षा कड़ी हो सके ।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : महोदय कल गोडवाना एक्सप्रेस और महाकौशल एक्सप्रैस से सैकड़ों लोग मध्य रेलवे का जोनल कार्यालय जबलपुर में स्थापित किए जाने के समर्थन में शान्ति पूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली आए हैं । ऐसी भंयकर गर्मी में भी वे रेलवे स्टेशन पर पड़े हैं ।

80 के दशक में रेलवे बोर्ड द्वारा गठित सरीन समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि दसवां जोनल रेलवे मुख्यालय जबलपुर में स्थापित किया जाए । हाल ही में रेल बोर्ड ने फिर एक समिति इसकी जांच करने के लिए नियुक्त की तथा विशेषज्ञ समिति ने भी पुनः यही कहा कि जबल पुर सबसे उपयुक्त स्थान है । पर कुछ निहित स्वार्थ समिति के फैसले का पता लगने के बाद सरकार के निर्णय में विलम्ब पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । महाकौशल प्रदेश की जनता इस कारण बड़ी उत्तेजित है । उन्होंने महाकौशल प्रदेश में रेल रोको आन्दोलन भी किया है और धरने दिए हैं अब सैकड़ों लोग यहां आए हैं । मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उनसे मिलें और उनकी उचित मांग को सुनें और जबलपुर में दसवां जोनल रेलवे मुख्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा करें ।

महोदय, इस सम्बन्ध में छः संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया । उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया था कि वे रेल मंत्री के साथ इस पर विचार करेंगे । संसद सदस्य अनेक बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं । मुझे आशा है रेल मंत्री इन प्रदेशकारियों से अवश्य मिलेंगे और शीघ्र निर्णय लेंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची की रेलवे संबंधी असुविधा के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । रांची एक औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन रांची से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है । एक ट्रेन आती है जो 36-40 घंटे में दिल्ली पहुंचती है । इस संबंध में चैम्बर्स ऑफ कामर्स और नागरिक समिति द्वारा धरना दिया गया और वहां के सांसदों ने इस मामले को रेल मंत्री के सामने उठाया लेकिन दुख की बात है कि आश्वासन दिये जाने के बाद भी कोई सुपर फास्ट ट्रेन रांची से दिल्ली के लिये नहीं चलाई गई है । इससे उस क्षेत्र में भारी असुविधा हो रही है । रांची, हजारीबाग और पलामू की जनता को कठिनाई हो रही है । इसलिये हम सरकार से मांग करते हैं कि रांची से दिल्ली के लिये कोई सुपर फास्ट ट्रेन शीघ्र देने की व्यवस्था करें अन्यथा वहां के लोग आन्दोलित हो रहे हैं ।

डा० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुआ है, उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है । इस प्रक्रिया का प्रारम्भिक चरण फोटो पहचान पत्र है लेकिन राज्य सरकारें इस फोटो पहचान पत्र की प्रक्रिया को मुस्तैदी से नहीं ले रही हैं । या तो वे उदासीन हैं या उसका राजनीतीकरण कर रही हैं । मैं इस प्रसंग में अपने राज्य राजस्थान और विशेषकर अपने क्षेत्र का उदाहरण

देना चाह रही हूं। जहां तक मुझे याद है और दूसरे स्थानों का दौरा किया है, वहां पर 2-2 बार फोटो पहचान पत्र की प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन उसके बावजूद 30-40 प्रतिशत लोग इससे लाभान्वित हो सके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 48 साल बाद भी लोगों में वोट के प्रति जागरुकता नहीं आयी है। जो लोग अपनी मर्जी से वोट देने नहीं जा सकते हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि बिना सूचना, बिना पर्ची और बिना किसी और बात के वे लोग घंटों पंक्ति में खड़े रहें और उसके बाद उनसे दिया जाये कि आज फोटो पहचान पत्र नहीं ले पा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि वे राज्य सरकारों को यहां से निर्देशित करवाएं कि वे इस संबंध में जागरूकता बरतें।

कल माननीय आडवाणी जी ने कहा था कि कुछ भी हो, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जितनी अच्छी आज तक हो पाई, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आपने दूसरा सुझाव भी दिया था कि राज्य सरकारों की पूरी तरह से निष्क्रियता के कारण या उनकी निष्पक्षता न होने के कारण राष्ट्रपति शासन पहले लगा दिया जाए तो भी उसका स्वागत करेंगे। मुझे पता नहीं वे अपनी बात में कितने सीरियस हैं. लेकिन हम लोग जो भुक्तभोगी हैं. जहां पर दूसरी सरकारें हैं, वे किस प्रकार का राजनीतिकरण कर रही हैं, वह मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं।

महोदय, पटवारी या दूसरे नीचे तबके के जो अधिकारी हैं, वे उन इलाकों में सूचना देते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक्स हैं (व्यवधान) जहां दूसरी पार्टियों के वोट बैंक्स हैं. वहां पर इसकी सूचना नहीं पहुंचती है। खासकर जहां महिलाओं की लम्बी पंक्ति लगती है, वहां पर पूरे दिन की कवायत के बाद कह दिया जाता है कि आज आपका फोटो पहचान पत्र नहीं बनेगा। उसके बाद कब होगा उसकी कोई सूचना नहीं देता है।

मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और आपकी इसमें तरजीह चाहूंगी कि वह कहें कि जब तक कम से कम 80 प्रतिशत लोगों के फोटो पहचान-पत्र नहीं बन जाते हैं, तब तक वहां इस प्रक्रिया को जारी रखें। मेरा ख्याल है कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा और आज यदि हम देखें तो कई इलाकों में 30-35 प्रतिशत ही फोटो पहचान पत्र बने हैं। कल वे लोग तहसील हैडक्वार्टर पर कैसे पहुंचेंगे ? जब चुनाव सुधार प्रक्रिया का पहला कदम ही गलत हो जाता है तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि प्रजातंत्र का ढांचा बना रहेगा और आजादी के लिए अनवरत संघर्ष के बाद हम लोगों को जो वोट का अधिकार मिला है, वह पूरी तरह से सटीक होगा। आप कल का ही उदाहरण लें तो कल दिल्ली के पेपर्स में था कि एक मां की आयु 30 वर्ष और उसके बेटे की आयु 19 वर्ष फोटो पहचान पत्र में लिखी है। यह गंभीर समस्या है और इलेक्शन कमीशन को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बटायूं और कासगंज के बीच में कचड़ा ग्राम पर गंगा नदी पर पुल है। उसकी अवस्था जर्जर हो गई है। उसी से रेल गुजरती है, उसी से सड़क परिवहन गुजरता है और उसी से पैदल यात्री जाते हैं। वहां यातायात जाम रहता है और घण्टों लाइन लगी रहती है। जब तक कोई दूसरा नया पुल वहां नहीं बनेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं भूतल परिवहन मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वे रोड के लिए अलग पुल बनाएं और रेल मंत्री से कहना चाहता हूं कि किसी भंयकर दुर्घटना से बचने के लिए उस रेल पुल का पुनर्निर्माण होना चाहिए क्योंकि वह रेल पुल कब गिर जाएगा और कब कोई ट्रेन नदी में गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। उस पुल की स्थिति बहुत खराब है। इस समय भी आप वहां जाएं तो घण्टों में धीरे-धीरे यातायात वहां से निकाला जाता है। पांच-छह घण्टे बस के यात्रियों को उस नदी के ऊपर भीषण गर्मी में लू सहनी पड़ती है। वहां बहुत दुर्व्यवस्था है। पीने का पानी नहीं है जिससे लोगों को बहुत कठिनाई होती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर तुरन्त ध्यान दे और पुल बनाने की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है, यदि सभी सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें तो सभी को मौका मिल सकेगा। हम एक बजे तक बैठेंगे। कृपया प्रत्येक सदस्य एक मिनट में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह से मैं लगातार नोटिस दे रहा हूं। उसके बाद भी हमें टाइम नहीं दिया जाता है-- न प्रश्नकाल में और न शून्य काल में। क्षेत्र से चुनकर इसलिए नहीं आया हूं कि मूकदर्शक बनकर यहां बैठा रहूं। इसलिए 2 तारीख तक यह जो सत्र है, मैं इस सत्र का बहिष्कार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको चान्स मिलेगा।

[अनुवाद]

आपको आज मौका मिलेगा। आप बाहर क्यों जा रहे हैं ? कुछ सदस्य जा कर उन्हें समझाएं।

12.40 म. प.

तत्पश्चात श्री केशरी लाल सभा भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के बारे में अभी जो बात माननीय सदस्या ने कही, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि राजस्थान में मतदाता परिचय पत्र बनाने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप कुछ न कहें। प्रो. रासा सिंह रावत आप जानते है, आपको क्या कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : राजस्थान में कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर हमारे देश में जो अंधे लोग हैं, जो नेत्रहीन हैं, जो दृष्टि-दोष से ग्रसित हैं मैं उनकी समस्या उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रक्रिया हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपेक्षा से अधिक उत्साहित हैं । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

[व्यवधान]

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, इस समय देश की कुल आबादी के 5 प्रतिशत लोगा किसी न किसी दृष्टि-दोष से पीड़ित हैं । देश में नेत्रहीनों की संख्या 12 मिलियन है और सरकार पूरा प्रयास करें तो इनमें से 80 प्रतिशत का इलाज हो सकता है । लेकिन यदि अंधता की यही रफ्तार रही तो परिणाम यह होगा कि सन् 2000 तक नेत्रहीनों की संख्या 40 मिलियन होने की संभावना है । अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए संसाधन जुटाये जाये ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । देहरादून में राष्ट्रीय नेत्र संस्थान है । वहां के 50 नेत्रहीन व्यक्तियों को यहां जन्तर-मन्तर पर धरना देना पड़ रहा है । उस संस्था का वार्षिक बजट 4 करोड़ है, लेकिन उसका एक तिहाई पैसा भी उन पर खर्च नहीं होता है । उन्होंने अनेक बार मांग रखी लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया । परिणामस्वरूप आज उनको धरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ।

पिछले दिनों नेशनल फैडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स ने भी कार्मिक मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया था । जन-कल्याणकारी शासन के सामने अगर नेत्रहीनों को प्रदर्शन करना पड़े तो यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं हैं मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि राज्यों में विशेष भर्ती अभियान चलाकर नेत्रहीनों के लिए जो आरक्षित स्थान हैं उनको पूरी तरह से भरा जाए । उनको छात्रवृत्ति प्रदान करें तथा विश्वविद्यालयों में व्याख्याता पदों पर यू.जी.सी. द्वारा जो बैन लगाया गया है कि अंधों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा, उस प्रवेश परीक्षा से उनको मुक्ति दिलायें । इसके साथ-साथ कल्याणकारी पुनर्वास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें ताकि वे राष्ट्र के उपयोगी नागरिक बनकर राष्ट्र की सेवा कर सकें ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सबका सहयोग हो तो हम एक बजे तक बैठ सकते हैं तब मैं सबको बुला सकता हूं । यह आपके सहयोग पर निर्भर करता है ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में .....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू, कृपया मेरी बात सुनें ।

पेयजल की कमी की समस्या राज्य सरकार का विषय है । इसे उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम है । केन्द्र का इससे क्या लेना देना । इसका उत्तर यहां कौन देगा ? क्या सभा में आप सभी बातों के उत्तर चाहते हैं ? यह केन्द्र का विषय नही है ।

[व्यवधान]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : यह बड़ी गम्भीर समस्या है ।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : क्या वे सभी मामले उठा सकते हैं । यह क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय पेयजल राज्य का विषय है । सभी नगर पालिकाओं और गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । इसलिए केन्द्र का इससे क्या सम्बन्ध ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लें । चूंकि वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं अतः हैदराबाद की समस्याओं को जानते हैं । पहले भी प्रधान मंत्रियों ने राजस्थान की पेयजल की समस्या को विशेष प्राथमिकता दी थी ।

श्री राजीव गांधी ने भी बंबई के ही एक जयन्ती समारोह में ...

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से पानी की कमी के कारण उन शहरों में उसे पूरा करने को कह रहें है जहां राज्य सरकार लोगों की मांग पूरा करने में असमर्थ है ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : हमारे राज्य के पास धन की कमी है । बहुत से लोग, विशेष कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिकन्दराबाद और हैदराबाद में लोग पिछले सात वर्ष से लगातार पानी की कमी का सामना कर रहे हैं । हैदराबाद में वर्षा भी नहीं हो रही है । निजाम के जमाने में 1930 में बने तालाब ही वहां पानी का स्रोत है । उसमान सागर और हिमायत सागर पूरी तरह सूख गए हैं मंजीरा नदी से भी पानी की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है । एक मात्र विकल्प, कृष्णा नदी के पानी को दोनों शहरों में पहुचाना हैं इसके लिए केन्द्र ने सभी मामलों में हरी झण्डी दे दी है, राज्य सरकार का भी कहना है कि वे केन्द्र सरकार अथवा विश्व बैंक से बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं चूंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने कहा था कि वे विश्व बैंक की सहायता पर निर्भर है अत में प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस अत्याधिक गंभीर समस्या पर विचार करें ताकि इसका समाधान किया जा सकें । **[व्यवधान]**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय, और भी सदस्य बोलना चाहते है । आप तो भाषण दे रहे हैं । आपसे अनुरोध हैं कि संक्षेप में कहें । बार-बार एक बात मत दोहराइए

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं समाप्त कर रहा हूं । आंध्र प्रदेश के अनेक गांवों और आदिमजाति क्षेत्रों में लोग बड़ी समस्या का सामना कर रहे है । मैं शहरी विकास मंत्रा से मांग करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए मंजूर करे

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : भार्गव जी बहुत थोड़ा बोलना है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं बहुत कम बोलूंगा और आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । मेरा निवेदन है कि भारत सरकार का दूर संचार विभाग प्रतिवर्ष हर स्टेट में टेलीफोन एडवाईजरी कमेटी गठित करता है । इस वर्ष राजस्थान स्टेट में जो टेलीफोन एडवाईजरी कमेटी दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित की गई है उसमें राजस्थान स्टेट के किसी लोक सभा या राज्य सभा के सदस्य को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है । यह बहुत गंभीर प्रश्न है । मैं समझता हूं कि राजस्थान के सांसदों को इस कमेटी में शामिल न किया जाना, लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों के सदस्यों का अपमान है । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के दूर संचार विभाग से मांग करता हूं कि राजस्थान के चुने हुये लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को टेलीफोन एडवाईजरी कमेटी में मैम्बर बनाया जाये । यदि आप किसी ऐरे गैरे मोटे आदमी को सदस्य बना देते है तो उससे काम नहीं चलेगा । राजस्थान के सांसदो को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यही मेरी सरकार से मांग हैं **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : क्या आपको उसमें मैम्बर बनाना था ? आप यहां लोक सभा और राज्य सभा में रहिये **(व्यवधान)** क्या आप लोग सभी जगह रहना चाहते

हैं ? मैं अपनी बात कह रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि छोटे मोटे किसी आदमी को उसमें नहीं लिया गया है, जिनको भी उस कमेटी में लिया गया है वे छोटे मोटे नहीं हैं **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : यह पूरे राष्ट्र का सवाल है **(व्यवधान)**

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्व के सवाल को यहां उठाना चाहता हूं **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं ? क्या मैं श्री राव राय से अपना स्थान ग्रहण करने को कहूं ताकि आप अपना भाषण जारी रख सकें ?

[हिन्दी]

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष जी, आज सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे तो इन्द्रजीत बाबू ने किसी प्रौस्पैक्टिव शुगर स्कैम की बात कही थी । मैं आपके समक्ष और सदन के समक्ष एक बहुत महत्व के सवाल को उठा रहा हूं । जिस तरह देश में कुछ असैन्श्यल कमोडिटीज और अखबारों के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ लोगों का कहना है कि आगे चलकर यहां कोई पेपर स्कैम होने वाला है । आप देखें कि पिछले दो सालों के दरम्यान पेपर के दाम 120 परसेंट बढ़े हैं और किताबों में सबसे बड़ा अनुपट लगभग 75 परसेंट पेपर होता है । आज पेपर की आवश्यकता बच्चों को है, पेरेन्ट्स को है, औथर्स को है, पब्लीशर्स को है, प्रिन्टर्स को है और मुझे लगता है कि बौद्धिक जगत में इसके कारण आज एक रेगिस्तान जैसी स्थिति नजर आ रही है ।

मैं उपाध्यक्ष जी, आपके जरिए कहना चाहता हूं कि पेपर की दर जनवरी, 1994 में 26 रुपये 50 पैसे प्रति किलो थी, एक साल के बाद आज उसकी दर 42 रुपये प्रति किलो हो गई है । मैं आपके समक्ष इस सवाल को इसलिये उठा रहा हूं कि इसके चलते हमारी नेशनल एजुकेशनल पौलिसी जो 1986 की है, उसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

'पुस्तकों की कम कीमत पर उपलब्धता जनशिक्षा के लिए आवश्यक है । ऐसे प्रयत्न किए जाएंगे जिससे सभी वर्ग के लोग पुस्तकें आसानी से पा सकें । पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार करने, पढ़ने प्रति रूचि बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए जाएंगे ।

[हिन्दी]

जब 1986 की हमारी नेशनल एजूकेशनल पौलिसी में ऐसा कहा गया था तो क्या वह सिर्फ दिखाने के लिये कहा गया था । सवाल यह है कि हम सांसद लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, किताबें खरीदते रहते हैं लेकिन इसी तरह यदि पेपर की कीमतें बढ़ती रहीं तो आगे चलकर हम किताबे भी नहीं खरीद पायेंगे, अपने बच्चों को किताबें नहीं दे पायेंगे और सरकार ने जो लिटरेसी कैम्पेन चलाया हैं, वह खत्म हो जायेगा ।

इसलिये सारे देश के जनमत को जागरूक बनाने के लिये फेडेरेशन आफ इंडियन पब्लिशर्स, आल इंडिया प्रिन्टर्स एसोसिएशन, दिल्ली प्रिन्टर्स एसोसियेशन, उर्दू एसोसिएशन आथर्स गिल्ड, लेखिका संघ, पेरेट टीचर्स एसोसियेशन, अखिल भारतीय हिन्दी प्रचारक संघ, नेशनल बुक ट्रस्ट और स्टेट लेवल एसोसियेशन आफॅ पब्लिशर्स ऑफ वेरियस लैग्वेजेज ने मांग की है कि सरकार इस तरह की जो असैन्श्यल कमोडिटीज है, बौद्धिक सम्पदा के लिये जिनकी जरूरत है, सरकार उसे लोगों को उपलब्ध कराए । यदि पेपर की कीमतें हर साल 20 परसेंट की दर से बढ़ती जायेंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चलकर हमारे देश का कितना बौद्धिक विकास हो पायेगा । सरकार ने अतीत में पेपर प्राईस कंट्रोल आर्डर लागू किया था । जब सरकार समझती है कि बाजार में पेपर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो सरकार को चाहिये कि वह पेपर के दाम कंट्रोल करने के बारे में सोचे । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । पेपर की बढ़ती हुई कीमतों को काबू में रखने के लिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह तुरन्त पेपर प्राईस कंट्रोल आर्डर लागू करे ताकि आगे चलकर देश में पेपर की कीमतें न बढ़े । उन पर रोक लगाने के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिये ।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : माननीय रविराय जी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । हमारे देश के सामने शिक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा है । यद्यपि सबको शिक्षा उपलब्ध करने के लक्ष्य की हमने घोषणा की है, पर हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों की एक बड़ी समस्या हमारे सामने है । हमारे यहां कागज की कमी है तथा जो कुछ हम उत्पादन करने हैं उसके एक भाग को निर्यात करने की अनुमति है । जैसा कि आप सब जानते हैं विश्व भर में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक मैत्रीपूर्ण आर्थिक प्रगति की भावना मौजूद है । यह भावना पेड़ काटने पर रोक लगाती है । विकसित पश्चिमी देश कागज के लिए अन्य देशों द्वारा निर्मित तथा उन देशों को इसके निर्यात पर निर्भर है ।

हमारे देश में प्रकाशन उद्योग विभिन्न वर्ग के छात्रों को 80 प्रतिशत पाठ पुस्तकें उपलब्ध कराता है । पुस्तकें इतनी महंगी हो गई हैं कि छात्र तो छात्र उन्हें व्यवसायिक लोग भी नहीं खरीद पाते । इसलिए प्रकाशकों ने कुछ मांगे रखी है । पहली तो यह कि कागज का निर्यात बन्द किया जाए । भारतीय कागज के निर्यात की अनुमति न दी जाए ।

दूसरे कागज के आयात पर 68-69 प्रतिशत आयात कर लगाया जाता है, इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें बिना किसी कर के पुस्तकों का आयात करने की अनुमति दी जाए । उनका कहना है कि इसे देश की आर्थिक के विकास और शिक्षा की उन्नति के लिए आवश्यक समझा जाए और इसलिए इसे कर से पूरी छूट दी जाए ।

सरकार उनसे इस सम्बंध में बातचीत करे और उनकी समस्याओं को सुने ताकि शिक्षा और देश के हित में इसका कोई हल निकाला जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामविलास पासवान की बारी है । पासवान जी हमारे पास केवल 6-7 मिनट बाकी हैं तथा इसी समय में दो या तीन और सदस्यों को बोलना हैं यह मैं आपसे ही नहीं वरन् समूचे सदन से कह रहा हूं ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण की नीति चली है और उसके तहत हमने जो बार-बार सरकार का ध्यान खींचा है, अब उस सम्बन्ध में तो मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि वह तो सरकार की नीति है और उससे तो पूरा देश त्रस्त है, लेकिन अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है जिसके तहत कि 'पैप्सी फूड्स लिमिटेड' के माध्यम से 60 रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है और उनमें से 30 "पिज्जा हट" के लिए और शेष 30 "केंटकी फ्राइड चिकन" के लिए हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हम लोगों की जो नीति है-

'यावत जीवेत, सुखं जीवेत ।
ऋणं कृत्वा, घृतं पीवेत् ।।'

यानी जब तक जीओ खुशी से जिओ, चाहे ऋण लेकर ही घी पीना पड़े, लेकिन खुश रहो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो ये रिपोर्ट आ रही हैं उनके अनुसार इस प्रकार के रेस्टारेंट खोले जाने देश के लिए बहुत ही खतरनाक हैं । जो हम लोगों के पास आंकड़े आए हैं, हैल्थ के पाइंट आफ व्यू से, उनके मुताबिक 80 मिलियन अमरीकन लोग ऐसे हैं, जिनको इस केंटकी फ्राइड चिकन के कारण या तो हृदयरोग हो रहा है या वे कैंसर से पीड़ित हैं और इसके कारण वहां के लोग बहुत परेशान हैं । तो क्या इन सारी चीजों की जिनको यहां खोलने की अनुमति सरकार दे रही है, उनको हैल्थ के पाइंट आफ व्यू से देखने का काम किया है ? पहले कहा गया था कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे रोजगार के दरवाजे खुलेंगे । जो रिपोर्ट है, उसके तहत यह बेरोजगारी को बढ़ाने वाला है । यदि हम सारा काम मशीन से करेंगे तो गरीब लोग बेरोजगार हो जायेंगे । सब ढाबे, चाय की दुकाने बंद हो जायेंगी (**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल : यह बात सही नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : अगर सही बात नहीं है तो वहां सरकार बतलायेगी । यहां जाखड़ साहब बैठे हैं । आप क्यों कहते हैं किसी सही नहीं है (व्यवधान)

हमारे देश में जहां 56 प्रकार का खाना बनता था वहां अब हालत यह हो गई है कि हम एक चिकन के लिए, बाहर की कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं जितना बढ़िया चिकन का टेस्ट यहां होता है उतना पूरे संसार में कहीं नहीं है । विदेशों में लोग यहां की मार्किट के लिए लालायित रहते हैं । आप अपने ढाबे और अपना चिकन बंद कराकर पता नहीं कौन सा केंटेकी चिकन मंगा रहे हैं ? इससे लोगों में कैंसर तथा दिल की बीमारी होगी, इससे प्रदुषण की समस्या उत्पन्न होगी, एनवाथरनमेंटल प्राब्लम होगी । (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, हमें हैल्थ प्वाइंट पर एक रिप्लाई चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तथा सदन से आग्रह करूंगा कि यह कोई मामूली चीज नहीं है । हम लोग इसकी रिपोर्ट चाहते हैं । आप पेप्सी फूड लिमिटेड को किन टर्म्स एंड कंडीशन्स पर लाये हैं ? टर्म्स एंड कंडीशन्स के बारे में हमें जो जानकारी हैं, उसमें और उसके कार्य करने में जमीन-आसमान का फर्क है । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको यहां इस प्रकार के रेस्तरां खोलने की अनुमति नहीं दी जाये । हैल्थ प्वाइंट ऑफ व्यू से, रोजगार के प्वाइंट ऑफ व्यू से, प्रदूषण के प्वाइंट ऑफ व्यू से, हर दृष्टिकोण से यह कहना है कि आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं । आपने नेशन के साथ खिलवाड़ किया है, इक्नोमी के साथ खिलवाड़ किया है, आने वाली जनरेशन और यूथ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको इस देश की जनता कभी भी वर्दाश्त नहीं करेगी ।

आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में पूरी रिपोर्ट सदन को देने का काम कीजिये ।

श्री केशरी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर देहात के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मांग काफी समय से चली आ रही है । इस संबंध में सरकार ने कार्यवाही करने का आश्वासन भी दे रख था परन्तु सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जबकि अनेक छोटी जगहों पर ये केन्द्र खोले जा चुके हैं । कानपुर देहात नया जिला खोला गया है । डीग में कृषि फार्म है । यहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए जमीन भी उपलब्ध है । वहां पर आप किसानों को उनकी आशा के अनुरूप खेती के लिए तकनीकी व अन्य सुविधायें उपलब्ध करायें ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कानपुर देहात स्थित डीग में शीघ्र ही एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाये जिससे वहां के किसानों की लम्बी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके तथा वहां कृषि की उन्नति के लिए सार्थक प्रयास किये जा सकें । कानपुर जनपद देहात, उत्तर प्रदेश का एक नया जिला बना है, जो देहात के नाम से जाना जाता है । यह बुन्देलखंड से जुड़ा हुआ है । अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां शीघ्र ही कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाये ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव । यदि आप संक्षेप में कहेंगे तो शास्त्री जी को भी मौका मिल जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों में व देहाती इलाकों में जो जन-वितरण प्रणाली है, वह पूर्णतः विफल साबित हो रही है । देहाती इलाकों में राशन बहुत कम जाता है जबकि शहरी इलाकों में ज्यादा जाता है । मेरा आपसे यह कहना है कि इस देश के 40-50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष व्यवस्था लागू करनी चाहिए । उन लोगों को दो रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से या कम से कम मूल्य पर चावल उपलब्ध कराना चाहिए । यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गरीब लोगों की क्रय शक्ति घटती जा रही है । यह संकट उत्पन्न हो रहा है कि गरीब लोग अपनी सामान्य उम्र तक नहीं बिता पा रहे हैं । रिक्शा वाले, ठेला चलाने वाले, खेतिहर मजदूर, मेहनतकश लोग अपनी सामान्य उम्र से पहले ही इस दुनिया से चले जा रहे हैं यह एक राष्ट्रीय सवाल है क्योंकि गरीबों के लिए सस्ते गल्ले की दुकान भी लाभदायक नहीं हो पा रही है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि निश्चित रूप से किसी भी कल्याणकारी सरकार की यह प्रथम जिम्मेदारी है कि वे इंसान को भूखमरी से नहीं मरने दें । जो सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य है, चाहे उत्तर में हो या बिहार में हो, जब तक इंसान भूखा रहेगा तब तक धरती पर तूफान रहेगा ।

1.00 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली को वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री कमलनाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

2 उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी 7779/95)

भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मार्च, 1994 को समाप्त हुए होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन, और जम्मू कश्मीर सरकार के वर्ष 1993-94 के लिए वित्त लेखे और विनिर्मान लेखे वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चौथी) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (जम्मू-कश्मीर सरकार) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल.टी. 7780/95)

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चौथी) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) जम्मू-कश्मीर सरकार के वर्ष 1993-94 के वित्त लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल.टी. 7781/95)

(दो) जम्मू-कश्मीर सरकार के वर्ष 1993-94 के विनियोग लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल.टी. 7782/95)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद का वर्ष 1995-94 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे और कार्यकारण की समीक्षा तथा इन पत्रों के सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री एस.कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए ।देखिए संख्या एल.टी. 7783/95)

राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल.टी. 7784/95)

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं श्रीमती बासवा राजेश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993'94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7785/95)

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन ओर कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़ वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल.टी. 7786/95)

(3) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।तथा लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल.टी 7787/95)

(5) (एक) राष्ट्रीय खुला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय खुला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 7788/95)

(7) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसुचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (नई तकनीकी संस्थाएं प्रारम्भ करने हेतु अनुमति देना पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम प्रारम्भ करना तथा पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या का अनुमोदन) विनियम, 1994 जो 23 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.-304-4/सी.सी.एफ./आर.ई.जी./94 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियों का गठन और कृत्य) विनियम, 1995 जो 4 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 63 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (पाठ्य बोर्डों का गठन और कृत्य) विनियम, 1995 जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 81 में प्रकाशित हुए थे

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 7789/95)

(8) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 7790/95)

(10) (एक) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7791/95)

(12) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7792/95)

(14) (एक) ओरुविल्ले फाउंडेशन, ओरुविल्ले के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) ओरुविल्ले फाउंडेशन, ओरुविल्ले के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) ओरुविल्ले फाउंडेशन, ओरुविल्ले के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 7793/95)

(16) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह लद्दाख के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1987 88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7794/95)

(18) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह लद्दाख के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह लद्दाख के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7795/95)

(20) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7796/95)

(22) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7797-95)

(24) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7798/95)

(26) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7799/95)

1-05 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिवः महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा की 29 मई, 1995 को हुई बैठक में पारित किए गए दिल्ली किराया विधेयक, 1995 की एक प्रति संलग्न करने का निवेश हुआ है"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के अनुसरण में मुझे राज्य सभा की 29 मई, 1995 को हुई बैठक में पारित किए गए असम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है"

1.05 म.प.

राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं दिल्ली किराया विधेयक, 1995 और असम विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 1995 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूँ।

1.06 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिलासपुर मध्य प्रदेश में बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगडे (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, म.प्र. का बिलासपुर रेलवे प्रबंधक कार्यालय पूरे देश के रेलवे प्रबंधक कार्यालयों से अधिक आय कमाने वाला कार्यालय है। वहां पर सुविधाएं काफी कम हैं। अगर सुविधाएं और दी जाएं तो आय और अधिक हो सकती है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, इसका विस्तार किया जाए। बिलासपुर स्टेशन के बाहर जो दुकानें हैं, उन्हें उचित जगह देकर स्थानान्तरित किया जाए और बिलासपुर के पास ही उसूलापुर रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनाया जाए तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर हो रहे दवाव को कम

किया जा सकता है। दिल्ली की ओर एवं रायपुर से आने वाली गाड़ियों को, जो कटनी रेलवे लाइन पर चलती हैं, उसूलापुर में ही रोका जाए तो सुविधाजनक होगा। विलासपुर रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने के कार्यों में काफी अड़चन आ रही है जिसके दो चरण पूरे हो गए हैं और तीसरा चरण पूरा नहीं हो पा रहा है। संबंधित पक्षों से बातचीत कर उसको दूसरे स्थान पर भेजा जाए जिससे तीसरा चरण पूरा किया जा सके।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यह कार्य जनहित में है और इन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(दो) बेरोजगार युवाओं से नौकरी के लिए आवेदन करते समय लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क को समाप्त किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अत्यधिक बेरोजगारी और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए लिखित अथवा मौखिक परीक्षा में बैठने की फीस देना बेरोजगार युवकों के लिए अक्सर कठिन होता है। इस कारण कभी-कभी गरीब परिवार का उम्मीदवार तो नौकरी के लिए आवेदन करने से भी रह जाता है। खाली स्थानों के अनुपात में आवेदकों की संख्या के अत्यधिक होने को देखते हुए कभी-कभी फीस लगाना अनुचित और अनुपयुक्त लगता है।

जब सरकार सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दे सकती, तब यह जरूरी हो जाता है कि कम-से-कम किसी प्रकार की फीस न ली जाए। ऐसे उम्मीदवारों को रेल किराए में रियायत देने का सरकार का हाल का निर्णय सराहनीय है परन्तु युवकों में व्याप्त असंतोष को कम करने के लिए बहुत कुछ करना शेष है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नौकरियों के उम्मीदवारों से फीस न लेने की तुरन्त घोषणा करें।

(तीन) राजस्थान में कोलायत और गजनेर लिफ्ट परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राशि स्वीकृत की जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर बीकानेर जिले से गुजर रही है। इसमें से कोलायत और गजनेर लिफ्ट योजनाऐ कई वर्षों से राजस्थान सरकार ने मंजूर कर रखी हैं। इसकी खुदाई का काम ज्यादातर अकाल राहत कार्यों में से हुआ है। केन्द्र के योजना आयोग ने इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से बार-बार इन दोनों लिफ्ट योजनाओं के लिए धन मांगा है, लेकिन योजना आयोग ने धन की स्वीकृति अभी तक नही दी है।

कोलायत और गजनेर लिफ्ट योजनाऐं लगभग चार लाख एकड़ भूमि को सिंचित करेगी। इस इलाके के अन्तर्गत आने वाली जमीन समतल और बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र में पशुधन भी बहुत अधिक है। इसी क्षेत्र से बहुत अधिक मात्रा में दूध की सप्लाई भी दिल्ली तक आती है।

कोलायत और गजनेर लिफ्ट योजनाओं का पानी बीकानेर और नागौर जिले तक जायेगा, जिससे बड़ी भारी पैदावार होगी, जिससे वास्तव में बहुत बड़े एरिया का विकास होगा।

इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि योजना आयोग से इसकी शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर पर्याप्त मात्रा में धन की उपलब्धि करायें।

(चार) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के जांजगीर अथवा चम्पा में एक कम शक्तिवाला दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री भवानी लाल वर्मा (जांजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश के अन्तर्गत दो नगर, जांजगीर-नैला और चम्पा हैं, जो दस किलोमीटर के वृत के अन्दर स्थित हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 30-30 हजार के ऊपर है और अंचल के प्रमुख व्यापारिक, औद्योगिक केन्द्र हैं। यहां कई केन्द्रीय एवं प्रादेशिक शासकीय कार्यालय, रेलवे जंक्शन, शिक्षण संस्थाऐं कार्यरत हैं। दोनों नगरों से कम शक्ति के दूरदर्शन स्थापित करने की मांग अनेक वर्षों से की जा रही है। उक्त नगरों से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर में रिले केन्द्र स्थापित है, लेकिन उससे जिले की 40 लाख जनसंख्या को पूरा लाभ नही मिल पा रहा है।

अतःएव केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दोनों नगरों में से किसी एक नगर में कम शक्ति वाला दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(पांच) दिल्ली और लखनऊ के बीच बरास्ता बुलन्दशहर नई रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

डा. छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र बुलन्दशहर देश का ऐसा क्षेत्र है, जहां के निवासियों को समुचित रेल सेवा उपलब्ध नही है। इस क्षेत्र में रेल सेवा का अत्यन्त अभाव है। यहां से न तो दिल्ली के लिए कोई सीधी रेल सेवा है और न प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए कोई सीधी रेल सेवा है जबकि यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र है तथा कृषि प्रधान जनपद है।

अतः मेरा रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि बुलन्दशहर से होते हुए लखनऊ तथा दिल्ली के लिए नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि क्षेत्र की जनता की मांग पूरी हो सके।

(छह) 3307/3308 किसान एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कांठ रेलवे स्टेशन पर ठहराए जाने की आवश्यकता

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, कांठ नगर मुरादाबाद जनपद का एक बड़ा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 40 हजार है। कांठ एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और सहारनपुर से कलकत्ता जाने वाली मुख्य लाइन पर स्थित है। यहां पर एक बड़ी सीमेण्ट फैक्टरी है, चीनी मिल है और खांडसारी, चीनी एवम् गुड़ का बहुत बड़ा केन्द्र है।

बहुत समय से यहां पर गाड़ी संख्या 3307 तथा 3308 किसान एक्सप्रेस को रुकवाने की मांग की जा रही है। सायं छह बजे से लेकर अगले दिन दस बजे तक कोई आने-जाने वाली गाड़ी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है। कुछ गाड़ियां यहां पर रुकती है, परन्तु वह केवल दिन में ही रुकती हैं और संध्या को कोई भी गाड़ी यहां पर नहीं है, जिस कारण से मुरादाबाद व सहारनपुर की ओर से आने-जाने वाले यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाई होती है।

इस सम्बन्ध में मैं कई बार पत्र रेल मंत्री और रेलवे अधिकारियों को लिख चुका हूं।

सायं को कोई भी गाड़ी न होने के कारण से जो लोग मुरादाबाद नौकरी एवम्

व्यवसाय के लिए जाते हैं, उनको लौट कर आने में काफी परेशानी होती है। ट्रेन न होने के कारण से उनको बसों और टैम्पुओं से आना पड़ता है, जिसमें धन और समय दोनों का बहुत ज्यादा खर्च होता है।

अतः मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि कृपया गाड़ी संख्या 3307 और 3308 किसान एक्सप्रैस को कांठ रेलवे स्टेशन जनपद मुरादाबाद पर रुकवाने हेतु आदेश प्रदान करें, जिससे कि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

(सात) कोडरमा (बिहार) के अनुसूचित/जनजाति बहुल क्षेत्र में सूखे की स्थिति को रोकने के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : जहां तक दक्षिण बिहार का सम्बन्ध है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं न होने के कारण जमीन सूखी पड़ी है। यह क्षेत्र पूर्णतः मानसून पर निर्भर है यदि मानसून की वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है यदि ऐसी नहीं होता तो फसल भी खराब होती है और लोगों को भूख का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र पर अक्सर सूखा और अकाल की छाया मंडराती रहती है।

कोडरमा क्षेत्र हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडिह तीन जिलों में फैला है। सिंचाई के लिए पानी की बड़ी कमी है तथा लोग सामान्यतः सिंचाई के लिए तालाबों कुओं आदि का ही इस्तेमाल करते हैं, जो नितान्त अपर्याप्त है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त और स्थायी व्यवस्था करें। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं।

(आठ) तमिलनाडु के पेरियार जिले के इरोड में उद्योगपतियों को मिट्टी का तेल और मोम आबंटित करने के लिए कोटा प्रणाली पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम (तिरुचेंगोड़): महोदय तमिलनाडु में पेरियार जिले के इरोड में बाटिक और स्क्रीन प्रिन्टिंग उद्योग में 2000 कर्मचारी काम करते हैं।

वर्ष 1994 तक उन्हें कोटा पद्धति के आधार पर मिट्टी का तेल और मोम मिल रहा था। परन्तु 1995 से यह पद्धति बन्द कर दी गई और मिट्टी का तेल और मोम देना रोक दिया गया। इस सिलसिले में तमिलनाडु के उद्योग निदेशक से बातचीत की। परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि अब कोटा पद्धति नहीं रहेगी। अतः अब उन्हें ये दोनों चीजें खुले बाजार से खरीदनी पड़ती है जहां मूल्य बहुत अधिक है। इनका कोई मानक मूल्य नहीं है, इसलिए निर्माताओं को भारी हानि हो रही है।

मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करें और कोटा पद्धति को फिर से शीघ्र शुरू करें या खुले बाजार में मिट्टी के तेल और मोम का मूल्य निश्चित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के बाद 2.15 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.12 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.22 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2.22 म. प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि सरकार को कानून के अन्तर्गत प्रधान अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति का समय बढ़ाने का अवसर या अनुमति मिलती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस विषय को लेकर अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु मुझे सरकार और उसकी नीतियों से शिकायत है। मुझे लगता है कि सरकार बड़ी मात्रा में बैंक ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण के खराब कार्य उत्पादन के लिए इसी कमी को एक कारण मानती है। मुझे नहीं पता कि सरकार को समस्या की गंभीरता की जानकारी है अथवा नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार 35,000 करोड़ रूपए का ऋण है और भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र जारी करके सुझाव अथवा या कहें कि निर्देश दिए हैं कि कोई भी बैंक अदायगी न करने वालों को और ऋण न दे।

इस सदन के एक माननीय सदस्य तथा मंत्रिमण्डल में मंत्री ने इस सदन में यह आरोप लगाया था कि उन लोगों को जो ऋण की अदायगी न करने के दोषी है, 30,000 करोड़ से भी अधिक रुपए के ऋण दिए गए हैं। इस प्रकार दोनों को मिला कर यह 75,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। मैं सरकार के एक साथी द्वारा लगाए गए इस आरोप के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि बैंकिंग उद्योग की बिगड़ी हुई स्थिति के लिए न्यायाधिकरण की अकुशलता जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए अन्य कारण, कमियां और मुद्दे भी जिम्मेदार हैं आपकी अनुमति से मैं उन कुछ कमियों की ओर सरकार और विशेषकर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। समय की कमी के कारण मैं कुछ कमियों तक ही अपने को सीमित रखूँगा।

बैंकों का एक प्रमुख काम है सरकार के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाना। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर.डी.पी.) गरीबी दूर करने के साधनों में से एक है। बैंकों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं को लागू करने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैं आपके माध्यम से सरकार को लोक लेखा समिति के 95 वें प्रतिवेदन की जानकारी देना चाहता हूं। उसमें कहा गया कि आई.आर.डी.पी. गरीबी दूर करने की दिशा में पूर्णतः असफल रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1980-81 से आई.आर. डी.पी. के अन्तर्गत 4 करोड़ 40 लाख परिवारों को सहायता दी गई लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों में कहा गया है कि केवल 14.81 प्रतिशत ऋण प्राप्त कर्ता ही गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके। अतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिन लोगों को ऋण दिया गया उनमें से केवल 14 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके इसका एकमात्र कारण बैंकिंग उद्योग और बैंक शाखाओं की खराब कार्य निष्पादन है।

एक और बात जो मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं वह यह है कि हाल के वर्षों में आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या कम हुई है। उदाहरणस्वरूप 1980-81 में 27.27 लाख लोगों को ऋण मिला 1991-92

में यह संख्या घट कर 25.37 लाख रह गई, वर्ष 1992-93 में यह सख्या और कम होकर 20.69 लाख रह गई, वर्ष 1993-94 में इसमें और कमी आई और घट कर 25.39 लाख रह गई तथा 1994 में केवल 21.15 लाख का लक्ष्य रखा गया है। **(व्यवधान)** यह कह कर सरकार की पैरवी नहीं कीजिए कि यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि गरीबी कम हो गई है। यह सही नहीं है मेरा आरोप यह है कि ऐसा सरकार की नीति और आई.आर.डी.पी. ऋण देने में बैंकों की अकर्मण्यता और अकुशलता के कारण हुआ। इसलिए ऋण पाने वालों की संख्या बढने के बजाय निरन्तर घट रही है क्योंकि देश की 30 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। अत, बैंकों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। उन्होंने वह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, जो उन्हें निभानी चाहिए थी। यह मेरी एक बड़ी शिकायत है। यदि सरकार यह तर्क देती है कि धन की वसूली न्यायाधिकरणों और प्रधान अधिकारियों के कम होने के कारण नही हो पायी, तो ऐसा कहना सरकार को अपनी असफलता को छिपाने के प्रयत्न से अधिक से कुछ नहीं होगा।

मैं एक ओर बात यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने घाटे अन्याय किया है। उदाहरण के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 1993-94 में स्वरोजगार के लिए 4,585 युवकों और युवतियों को आर्थिक सहायता दी जानी थी। राज्य सरकार ने ऐसे 5,448 युवाओं को छांटा, जबकि बैंकों ने केवल 671 लोगों को ही ऋण दिया। ऐसी स्थिति केवल एक वर्ष की ही नहीं है। वर्ष 1994-95 में राज्य सरकार ऐसे 22,900 युवक-युवतियों को सहायता देना चाहती थी। राज्य सरकार ने 34,586 व्यक्तियों की पहचान की बैंकों ने 6,871 लोगों को ऋण देने की स्वीकृति दी, जबकि वास्तव में ऋण दिया गया केवल 426 व्यक्तियों को जहां तक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का संबंध हैं, बैंकों का कार्य, निष्पादन ऐसा रहा है। यदि सरकार ने इन कमियों को राष्ट्रहित में यथाशीघ्र दूर करने के लिए संशोधन पेश किया होता तों मुझे बहुत खुशी होती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने, मैं समझता हूं मंत्री महोदय को भी इसकी जानकारी है, हड़ताल का नोटिस दिया हैं वे 6 जून से हड़ताल पर जा रहे है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : क्या आपकी उनके प्रति सहानुभूति है।

श्री चित्त बसु : यह एक अलग मुद्दा है। हां, मेरी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : ग्राहकों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं नही है।

श्री चित्त बसु : मैं ग्राहक नहीं हूं। मैं श्रमिक संघ का सदस्य हूं मेरे पास बैंकों में रखने के लिए पैसा नही है। उनके हड़ताल पर जाने के क्या कारण हैं अधिकारियों का कहना है कि उनकी एसोसिएशन और भारतीय बैंक एसोसिएशन के बीच हुए समझौते को लागू नही किया जा रहा है। इस द्विपक्षी समझोते को लागू किए जाने की मांग के पक्ष में वे 6 जून से हड़ताल पर जा रहे हैं। समझौता लागू न करना गलत बात है। सभी बैंक कर्मचारियों ने भी 6 जून को अधिकारियों की हड़ताल की सहानुभूति में काम न करने का फैसला किया हैं उन्होंने भी 16 जून से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर मैं बहस नहीं करना चाहता परन्तु बैंकों में वास्तविक स्थिति यह है। श्री शहाबुद्दीन मेरा समर्थन करें या नही, यह अलग बात है, परन्तु बैंक उद्योग इस तरह से गड़बड़ी कर रहा है इस बारे में यदि सरकार को जानकारी दी जाती तो वह बेहतर काम कर सकती है।

अन्त में मैं ऋण और जमा राशि के अनुपात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं श्री शहाबुद्दीन इस मसले को उठाएंगे। इस बारे में बिहार का मामला बहुत ही खेदपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हैं पश्चिम बगाल में यह अनुपात 46.6 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 60 प्रतिशत है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरा किसी राज्य से बैर नहीं है, परन्तु ऐसे राज्य हैं जहां अनुपात 80 प्रतिशत से भी अधिक है। यदि मैं यहां उड़ीसा का जिक्र न करूँ तो यह वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा। उड़ीसा में भी यह अनुपात बहुत कम है। क्या सरकार इस अनुपात के असन्तुलन को समाप्त करने या कम से कम न्यूनतम करने के लिए उपाय करेगी ?

मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि यदि सरकार यह अनुभव करती है कि वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती तो वसूली में सुधार हो सकता है और सेवा निवृति की आयु में वृद्धि की जा सकती है, इस विधेयक को लेकर मेरा कड़ा विरोध नही हैं मैं इसका समर्थन करने को तैयार हूं, पर मैं इन कुछ भूलों के लिए सरकार को माफ नही कर सकता, जो मैंने यहां बताई हैं मुझे विश्वास है कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाएगा, विशेष कर गरीबी दूर करने की ओर क्योकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है तथा राष्ट्रहित में है। युवको और युवतियों में व्याप्त असंतोष के कारण देश एक ज्वालामुखी पर बैठा है इन सब बातों पर ध्यान देते हुए सरकार जो सम्भव होगा वह करेगी। इसके साथ ही मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, आज समूचा देश यह अनुभव करता है कि बैंकिंग उद्योग रूग्ण हो चुका है मैं नही कहता कि इसकी हालत बहुत खराब है, परन्तु इतने अधिक घोटालों, इतना अधिक बिना वसूला ऋण, बट्टे खाते में डाली गई बड़ी राशि तथा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश को देखते हुए लगता है कि बैंकिंग उद्योग अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है जो हमने इसे राष्ट्रीयकरण के समय सौंपी थी।

पहली बात मैं गोपनीयता को लेकर कहना चाहता हूं। हाल ही में समाचार पत्रों में छपा था मंत्री जी ने भी अवश्य देखा होगा, कि रिजर्व बैंक ने ऐसे बड़े लोगों की एक सूची तैयार की है, जिन पर बैंकिंग उद्योग की 10 लाख रूपए से अधिक की देनदारी है। इस सूची में 5000 से अधिक नाम है तथा कुल राशि है 30,000 करोड़ रुपए।

श्री चित्त बसु : कुछ लोगों का कहना है कि यह राशि 45,000 करोड़ रुपए है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : रिपोर्ट में यह राशि 30,000 करोड़ बताई गई है। यह कहा जा रहा है कि सम्भवतः उन्ही लोगों को बिना किसी हिचक के अन्य बैंकों से रुपया दिया जाता रहा है, जिन्होंने अदायगी नहीं की है क्योंकि बैंकों को यह नहीं पता चल पाता कि कौन ऋण अदा न करने का दोषी है।

मैंने सभा में बार-बार कहा है कि तीन प्रकार के मामले हैं एक ऐसे ऋणों के मामले, जिनके भुगतान पर बातचीत चल रही है; दूसरे वे ऋण, जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया है। तथा तीसरे ऐसे ऋण जिन्हें कानूनी फैसले के लिए न्यायाधिकरण को सौंपा गया हैं कम से कम जब आप वसूली की आशा खो चुके हैं और जब आपने उस ऋण को बट्टे खाते डाल दिया है। तो आपकों उन लोगों के नाम छापने चाहिए जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया है तथा जनता का पैसा खाया है। कम से कम उस समय उन्हें सामाजिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पहली या दूसरी किश्त की अदायगी न करने पर ही उनके नाम प्रकाशित कर देने चाहिए, किन्तु जब आपके उनके साथ हुई सारी बातचीत बेकार हो जाती है या आपको धनराशि बट्टे खाते में डालने अथवा न्यायिक अधिकरण में जाने पर मजबूर होना पड़ता है उस परिस्थिति में उनके नाम जनसाधारण के सामने प्रकट किए जाने

चाहिए, ताकि उन पर कुछ सामाजिक दबाव डाला जा सके ।

महोदय मेरा कहना है कि ये बैंक कुछ उदारता से काम लेते हैं तथा अक्सर उनकी इन बड़े लोगों के साथ साठ-गांठ होती है । कुछ व्यक्तिगत सम्पर्कों के कारण ऋण के बाद ऋण इन लोगों को देते हैं यदि आप इन लोगों के नाम छाप देंगे तो उन्हें जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करने से कुछ भय लगेगा ।

इसलिए मेरा पहला अनुरोध यह है कि यदि आवश्यक वे तो दोषी लोगों के नाम छापने और उन्हें जन साधारण में प्रकट करने के लिए कानून में संशोधन किया जाए ।

दूसरे भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से दोषी व्यक्तियों के नामों की सूची इकट्ठा कर सभी बैंकों की सूचियों को एक जगह प्रकाशित कर उन्हें नियमित रूप से बैंकों में प्रचालित करें तथा इन लोगों को ऋण देने वाले बैंक अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करे । यदि फिर भी बैंक अधिकारी इस सूची का उल्लंघन करते हैं अथवा उसे अच्छी तरह नहीं जांचते तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा ।

तीसरे बैंको को प्रतिवर्ष हानि हो ही है । प्रबन्ध लागत के बारे में कुछ किया जाना चाहिए । हमारे बैंक यदि देश के एक कोने है पर उसकी शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं इससे निश्चित है कि ऊपरी खर्चे बढ़ते हैं फिर ऐसी स्थिति में बैंक प्रणाली का पुनर्गठन क्यों न किया जाए ? भारत एक बड़ा देश है । प्रत्येक बैंक का एक परम्परागत आधार है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि बैंक प्रणाली का पुनर्गठन किया जाए तथा प्रत्येक बैंक का एक निश्चित कार्यक्षेत्र बनाया जाए । यह एक राज्य अथवा एक दूसरे से लगने वाले दो या तीन राज्यों में कारोबार करें ताकि एक राज्य को दर्जनों बैंकों से सम्बन्ध न रखना पड़े : प्रत्येक बैंक का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और किसी भी एक राज्य सरकार को विभिन्न बैंकों से कारोबार करना असम्भव है । यदि एक या दो बैंक ही होंगे तो में समझता हूं सरकारों के लिए अधिक आसानी होगी । मैं यह शर्त स्टेट बैंक के बारे में नहीं लगा रहा हूं । मैं यह शर्त विशिष्ट बैंकों के सम्बन्ध में भी नहीं लगा रहा रहा हूं । परन्तु सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों का कार्य क्षेत्र निश्चित होना चाहिए, प्रत्येक बैंक की सीमा एक या दो राज्य तथा प्रत्येक राज्य की सीमा एक या दो बैंक होनी चाहिए । इससे कम से कम, जांच का काम अधिक आसान हो जाएगा ।

मैं जनसंख्या के अनुपात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मुझे बताया गया है कि प्रत्येक बैंक के पीछे औसतन 10,000 जनसंख्या है । परन्तु मेरे राज्य में 20,000 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक शाखा है और मेरा विश्वास है कि इससे भी अधिक औसत वाले राज्य होंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि बैंकों की पहुंच बहुत कम लोगों तक सीमित है उन्हें बैंकों तक पहुंचने के लिए नदियों और पहाड़ों को पार करना होता है तथा इस प्रकार बैंक सेवा का महत्व ही समाप्त हो जाता है तथा इस कारण बैंकों को अपनी अलाभप्रद शाखाओं को बन्द करना पड़ता है और इस प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकों का अनुपात गिर रहा है तथा वह शहरी क्षेत्रों की ओर झुक रहा है । परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र बैंक सेवा के लाभ से वंचित हो रहे हैं यह केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुपात का ही प्रश्न नहीं है वरन् जैसा कि मेरे मित्र श्री चित्र बसु ने कहा यह एक राज्य और दूसरे राज्य तथा एक राज्य में एक जिले और दूसरे जिले के बीच भेदभाव का प्रश्न है । इसलिए मैं फिर दोहराता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंक व्यवस्था का एक सामाजिक कार्य जन साधारण को बैंक सुविधा प्रदान करना है इसलिए 10,000 के अनुपात को देश भर में बनाए रखा जाए तथा जिस बैंक का कोई कार्यक्षेत्र हो उस क्षेत्र, में वह बैंक राज्य सरकार की सलाह से जितनी आवश्यक हों उतनी बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोलें ।

मैं ऋण और जमा राशि के अनुपात की बात पुनः नहीं दोहराऊंगा । हम जानते हैं कि यह अनुपात बहुत ही खराब स्थिति में है । मेरा विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है । परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा कि वित्त मंत्री जी ने तीन वर्ष पहले मेरे राज्य का दौरा करने के समय वायदा किया था कि बिहार में यह अनुपात सुधरेगा, पर दुर्भाग्य से पिछले तीन वर्षों में यह अनुपात और गिरा है और 25 प्रतिशत तक पहुंच गया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया कहां जा रहा है क्या यह पैसा उन बड़े लोगों के पास जा रहा है जो बैंक प्रणाली को धोखा दे रहे हैं क्या रुपया बड़े औद्योगिक शहरों और महानगरों के विकास के लिए जा रहा है । मैं महाराष्ट्र के विरूद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं, पर यदि कुछ राज्य समूची विदेशी मुद्रा को हड़प जाते हैं तो वे देश भर के लोगों के धन से खिलवाड़ करते हैं दो-तीन महानगर सारा धन ले लेते हैं और फिर वे समान है तथा और अधिक रुपये को आकर्षित कर सकते हैं ।

अन्त में मैं एक और बात कहना चाहता हूं । सरकार प्राथमिक क्षेत्र के लिए विभेदक ब्याज दर की बात कह रही है । और इस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों समेत अनेक सामाजिक वर्गों का जिक्र किया गया है । परन्तु पिछले चार वर्षों के दौरान अपने सर्वाधिक प्रयत्न के बावजूद मैं वित्तमंत्री से स्पष्टतः यह नहीं जान पाया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से अल्पसंख्यकों को कितना ऋण मिलेगा । वे अल्पसंख्यकों के लिए आसूं बहाते हैं तथा सहानुभूति दिखाते हैं उनका कहना है कि उन्होंने अल्पसंख्यक बहुत जिलों का पता लगा लिया है । उनमें कुल अल्पसंख्यकों के 35 प्रतिशत अल्पसंख्यक की रहते है । पर मैं उन जिलों की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो समस्त देश की बात कर रहा हूं मैं प्राथमिक क्षेत्र के ऋण की बात भी नहीं कर रहा हूं । मैं कुल बैंक ऋण की बात कर रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का सार्वजनिक ऋण प्रणाली में कितना हिस्सा है । यही बात मैं अनुसूचित जातियों, जनजातियों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के बारे में भी जानना चाहता हूं ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी ये आंकड़े इकट्ठा करने के लिए समय निकालेंगे और रटा-रटाया यह उत्तर नहीं देंगे कि हमारी सूचना प्रणाली में यह जानकारी देने की व्यवस्था नहीं है यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्या उसमें वह व्यवस्था की नहीं जा सकती है, ताकि उन राजनीतिक प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें जो हमारें उस समाज की इस जटिल रचना में उठ सकते हैं यह अनुचित इच्छा नहीं है । प्रत्येक समुदाय की यह उचित मांग है कि उसे राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में उचित मांग मिले ।

मैं यह जानता हूं कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में बैंक बड़ी कड़ाई से काम ले रहे हैं । अपने जिले में पिछले वर्ष का सर्वेक्षण करने पर मैंने पाया कि पंचायतों के समूहों के सम्बन्ध में बैंकों की संख्या या धनराशि की लक्ष्य प्राप्त 25 से 35 प्रतिशत रही । कुछ बैंकों में यह 70 प्रतिशत भी रहा, परन्तु अधिकतर केवल 25 से 30 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्ति कर सके । मेरा सुझाव है कि मंत्री जी उन बैंकों को अपनी कार्यक्षमता में सुधार करने को लिखें । यदि एक जिले का यह हाल है तो अन्य जिलों का भी इससे भिन्न नहीं हो सकता । ये छोटे-छोटे ऋण प्राप्त कर्ता औसतन 2000 रूपए से 4000 रुपये का ऋण पाते हैं यदि वे उनका भुगतान नहीं करते तो बैंक उस राशि की वसूली के लिए सभी उपाय करने है । परन्तु यदि बड़े पेट वाले जनता का 30,000 करोड़ रुपए हड़प जाते हैं, तो उन पर उंगली भी नहीं उठाई जाती । यह सर्वथा अन्यायपूर्ण हैं बैंक व्यवस्था अपनी साख खोती जा रही है और उसकी सामाजिक छवि घूमिल हो रही है। यह निजी स्वार्थो के हाथ की कटपुतली बन गई है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की जन साधारण की सेवा करने की मूल विशेषता फिर से कायम की जा सके ।

मुझे विधेयक के विरूद्ध कुछ नहीं कहना । यह एक तकनीकी विधेयक है । मैं केवल यह आशा ही कर सकता हूं कि सरकार अपने प्रयत्न में सफल होगी और जब हम विधेयक पास कर देंगे तो इन न्यायाधिकरणों की शीघ्र स्थापना करेगी ताकि वे मामले जो न्यायनिर्णय के लिए सौदे गए हैं शीघ्र निपट जाएं और कम से कम कुछ रुपया वसूल किया जा सकेगा, जिसे कमजोर वर्गों और उन क्षेत्रों को दिया जा सकेगा जो विकास के लिए आवश्यक इस धन से वंचित रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी जो विल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बहुत सी बातें इसमें कही गई हैं बहुत सा रुपया अभी वसूल करने को बाकी है । मैं समझता हूं कि जहां तक रुपए की वसूली का ताल्लुक है, अगर सब राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो कई सौ करोड़ रुपया बनता है । जो गरीब आदमी हैं वह तो सरकार को अदा करते ही रहते हैं चाहे वह बैंक द्वारा लिया जाए या किसी कार्पोरेशन द्वारा लिया जाए । उसमें वह अपनी तरफ से ढील नहीं देते, लेकिन जो बड़े पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने बैंकों को अपना ही समझ रखा है, उनकी तरफ हमें तवज्जह देनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो लोग रूपए की अदायगी नहीं करते हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए । यह कहा गया है कि इसके लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को काम सौंपा जाएगा । इस संबंध में सबने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस तरफ भी तवज्जोह दें । आप कुछ पुराने आदमियों को रख सकते हैं लेकिन जो नौजवान अफसर हैं, जो इस कार्यवाही को कर सकते हैं वे भी रिकवरी में माहिर हो सकते हैं । पुराने लोग हैं वे पुराने ढंग से काम करते है और केसेज को बहुत लम्बे समय तक खींच ले जाते हैं वे वसूली करने या रियायत बरतने में बहुत ढील करते हैं इसलिए आप जो नौजवान व्यक्ति हैं उनको रखें ताकि यह काम अच्छी तरह से चल सके ।

मैंने यह देखा है कि वर्षों तक कोर्टों में मुकदमा चलता रहता है । लोग निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं इससे सरकार का पैसा वसूल नहीं हो पाता है । जिनकी राशि बकाया होती है वे सब यह प्रैक्टिस जानते हैं कि किस तरह से सरकार को पैसा न दें ।

आपने देखा होगा कि ट्रको के लिए ऋण दिया गया था । बिहार, यू.पी. व अन्य राज्यों में दिया है । लेकिन जितने ट्रकों के लिए ऋण दिया है वे सब डिफाल्टर हो गए हैं फोर्ड गाड़ी के लिए विज्ञापन निकला था कि वह गाड़ी बहुत माल उठा सकती है और सारे राष्ट्र को इससे फायदा हो सकता है । लेकिन वह गाड़ी बिलकुल नहीं चली । मैं हिमाचल प्रदेश की बात बताता हूं कि वहां जिन लोगों ने वह गाड़ी ली उनमें से किसी ने सरकार को एक भी पैसा नहीं दिया ।

कई लोगों ने कारखाने लगाने के लिए पैसे लिए हैं । हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यू.पी. के पहाड़ी क्षेत्रों व अन्य राज्यों में स्कीम्स बनाकर पैसे लिए गए हैं । जिनको भी पैसा एडवांस दिया गया है उनसे यह पैसा वसूल नहीं हो पाया । इसमें भी यह होता है कि अगर दिल्ली में कोई इण्डस्ट्री लगानी होगी तो वहां से पैसा ले लेंगे । जब वे वह पैसा देने के काबिल नहीं होगे तो हरियाणा में जाकर दूसरी फैक्टरी के नाम से पैसा ले लेंगे । वहां भी नहीं दे पायेंगे तो हिमाचल में जाकर ले लेंगें । इसलिए मंत्री जी आपको इस पर सोचना होगा । राष्ट्र का पैसा वसूल होना चाहिए ।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी सरकार ने 10 हजार रुपए के ऋण माफ किए थे । उस वक्त हम तो सरकार में थे नहीं, मिली-जुली सरकार थी उसने माफ किए थे । 10 हजार रुपए ऐसे लोगों के माफ किए थे जो वापस नहीं देने वाले थे । लेकिन जो ऋण चुकाने वाले लोग थे उनको अप्रेसिएट नहीं किया गया । ऐसे फैसले राष्ट्रहित में नहीं होते हैं अब सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, अच्छा विल लाई है । इस बिल को अच्छी तरह से इम्पलीमेंट करने के लिए मेरा सुझाव है कि जो यंग वकील हैं, जो 7 साल के बाद सेशन जज बन सकते हैं, 15 साल के बाद हाई कोर्ट के जज बन सकते है उनको इसमें शामिल किया जाय । जो एस.सी. व एस.टी. के लोग हैं उनको भी शामिल करें ताकि देश में ज्युडिशियरी का काम ठीक ढंग से चले । आज स्थिति यह है कि उन्होंने कितने केस डिसपोजल किए, ऐसी उनकी रैस्पोंसिबिलिटी नहीं तय की जाती । उनका तो यह काम है कि फलां तारीख को आ जाना, उस तारीख को यह सबूत लाना । इस प्रकार फैसले में देर होती रहती है और जो उधार देने वाले इंस्टीट्यूसंस हैं वे ही पार्टी से मिल जाते हैं । मैं समझता हूं कि सरकार का पैसा मिलना चाहिए और उसका प्रयोग राष्ट्र हित में होना चाहिए ।

मैं यह सुझाव देकर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । सरकार को मजबूत करने के लिए मंत्रीजी यह बिल लाये हैं, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं लेकिन मेरा सुझाव है कि नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र का काम ठीक ढंग से हो सके ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी 27 अगस्त, 1993 को इस सदन में शोध्य ऋण वसूली अधिनियम लाये थे जिसका उद्देश्य यह था कि बैंकों और बैंकिंग संस्थाओं का पैसा शीघ्र और तेजी से वसूल किया जा सके । उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि देश भर में वसूली के लिये 10 न्यायाधिकरणों की स्थापना की जायेगी । जहां सरकार की मंशा एक ओर तेजी से ऋण की वसूली करने की थी लेकिन उन 10 न्यायाधिकरणों के स्थान पर अभी तक आप केवल मात्र 5 न्यायाधिकरण ही स्थापित कर पाये है, जिसका मतलब है कि आपकी मंशा कभी तेज गति से कम करने की नहीं रही तभी आप हाफ गति से काम करते हुए केवल 5 न्यायाधिकरण ही अब तक स्थापित कर पाये हैं ।

19 जुलाई, 1959 को सरकार ने देश के 14 सार्वजनिक बैंको का और उसके बाद अप्रैल, 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया । राष्ट्रीयकरण करते समय कहा गया था कि इन बैंको का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है बल्कि लोगों को लाभ देना है लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों की न केवल ग्राहक सेवा के स्तर में गिरावट आयी बल्कि उनका पैसा भी डूबता चला गया । मेरा आरोप है कि आज इन बैंकों का 30 हजार करोड़ रुपया डूबने वाले खाते में है, जिसकी वसूली नहीं हुई और इस 30 हजार करोड़ रुपये में से 90 प्रतिशत राशि बड़े उद्योगों की तरफ बकाया है । यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपकी ही पार्टी के एक माननीय सदस्य कुमारमंगलम जी ने इसी सदन में शून्य काल के दौरान अपना वक्तव्य देते हुये ऐसा कहा था, उनके कथन के आधार पर मैं कह रहा हूं कि सरकारी बैंको का 30 हजार करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगो और ब्रोकर्स पर बकाया है । चूंकि आपने उनके वक्तव्य का खंडन नहीं किया है, इसलिये मैं समझता हूं कि उनका कथन सत्य है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 10 के स्थान पर केवल 5 न्यायाधिकरण क्यों बनाये जबकि आपने मूल बिल में 10 न्यायाधिकरण बनाने की बात कही थी । आपका कहना है कि इन न्यायाधिकरणों के लिये निर्धारित आयु सीमा के अंतगत आपको उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उपयुक्त व्यक्ति आप किन्हें मानते हैं । क्या उपयुक्त व्यक्ति का अर्थ आप यह लगा रहे हैं कि जिसकी आयु 60 वर्ष की हो गई हो वह 62 वर्ष तक इन ट्रिब्यूनल्स में काम करे और जिसकी आयु 62 वर्ष की हो गई हो वह 65 वर्ष तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में काम करे । इसका मतलब

है कि आपको जवानों से कोई मतलब नहीं, आपको उसकी क्वालिफिकेशन से भी कोई मतलब नहीं, बल्कि आपका मतलब यह है कि जो व्यक्ति ज्यूडीशियरी सेवा से सेवा निवृत होने वाला हो, उसे ही लाभ आप देना चाहते हैं ।

अभी जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि जो अधिवक्ता 15 वर्ष तक किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत कर लेता है और यदि वह अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत एनरोल्ड हो तो वह डिस्ट्रिक्ट जज बनने का हकदार है । इसके बावजूद, जो व्यक्ति 60 साल का हो जाये, उसी को 62 साल तक आप क्यों रखना चाहते हैं और जो व्यक्ति 62 साल का हो जाये, उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल में 65 साल तक क्यों रखना चाहते है । इसका मतलब है कि आपको वृद्ध जज चाहिये । आप इन ट्रिब्यूनल्स में वृद्ध जजों को क्यों नियुक्त करना चाहते हैं, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया । इन ट्रिब्यूनल्स में जहां ईमानदारी होनी चाहिये, वहां ईमान खरीदने के नाते आप इस मामूली काम के लिये, लोगों को दिये गये कर्जे की वसूली के लिये, जो काम एक अनुभवी जज को करना चाहिये, उसके स्थान पर आप 60 साल और 62 साल की आयु प्राप्त जज को ही क्यों आगे कन्टीन्यू रखना चाहते हैं वृद्ध जजों के स्थान पर जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्वालिफाइड हो जाये, उसे इन ट्रिब्यूनल्स में क्यों नही लेना चाहते । पहले दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं थी लेकिन मैं समझता हूं कि वर्तमान व्यवस्था को आप कुछ चुनिन्दा लोगों के लिये करने जा रहे हैं वे चुनिन्दा व्यक्ति कौन हैं, जिनकी 60 साल से ज्यादा आयु हो गई, उन्हीं को आप इन ट्रिब्यूनल्स में लायेंगे, 62 साल के जो जज हो गए , उन्हीं को आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में लायेगे मैं समझता हूं कि इस प्रावधान के जरिये आपकी मंशा वृद्ध न्यायाधीशों को एक प्रकार से खरीदने की है, उन्हें एक प्रकार से प्रलोभन देने की है, जिसे मैं उचित नहीं मानता । यदि सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है, वास्तव में कर्जे की वसूली करना चाहती है तो आपको क्वालिफिकेशन के आधार पर जजों की नियुक्ति करनी चाहिये । जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजो के रूप में आ जाते हैं, उनको ही इन ट्रिब्यूनल्स में और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में नियुक्त करना चाहिये, तभी आप पैसे की वसूली ठीक प्रकार से कर पायेंगे वर्ना आपके पैसे वसूल होने वाले नहीं हैं ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान प्रावधान के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, न ट्रिब्यूनल बनाने के बारे में स्पष्ट है क्योंकि अभी तक आपने 10 के स्थान पर केवल 5 ट्रिब्यूनल ही बनाये हैं और न जजों के संबंध में है, क्योंकि उन्हीं को आयु के आधार पर आप बनाये रखना चाहते हैं ।

3.00 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार सरकार धोखा दे रही है । सरकार पैसा वसूल नहीं करना चाहती है क्योंकि यह पैसा उन व्यक्तियों के हित की सुरक्षा में है जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं से भारी कर्ज ले रखा है । उन लोगों को आप लाभ देना चाहते हैं । यदि आज किसानों से आपको वसूली करनी हो, तो आप उसका हल जब्त कर लेते हैं, उसका खेत जब्त कर लेते हैं और यदि आपको किसी लघु उद्योग से वसूली करनी हो, तो आप उसके औजार जब्त कर लेते हैं, लेकिन बड़े-बड़े लोग जिनको आप लाभ देना चाहते हैं, उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं । हुआ भी यही है । वे लोग हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला कर दिया और अब आपने उच्चतम न्यायालय में अनुमति प्राप्त करने के लिए अपील दायर की है । मेरा कहना यह है कि आप इस पर विचार करें । आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ गाइडलाइन हैं । वे बैंक अपनी दैनिक डायरी भरती है । साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और अर्धवार्षिक डायरी भरती हैं और जब इंटरनल और आउटर चैकिंग होती है, जब इस प्रकार को लेखाजोखा होता है, तो इतने बड़े-बड़े लोगों पर आखिर इतना पैसा बकाया कैसे रह गया ? क्या उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की गाइड लाइनों का पालन नहीं किया ? इसके सम्बन्ध में आप गम्भीरता से विचार करें और उसके बाद सरकार न्यायाधिकरण की स्थापना करे ।

3.02 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, इसमें कहा गया है कि छः माह के भीतर ट्रिब्यूनल को अपना फैसला करना अनिवार्य हो जाएगा । दिनांक 1-8-94 को 10 लाख या उससे ऊपर के 10,595 केसेस आपके पास पड़े हुए हैं । अब आप कर्जा उगाही के नाम पर दो लाख करोड़ रुपया मार्च 1996 तक वसूल करना चाहते हैं और तीन करोड़ का अमाउंट उस हिसाब से बनता है । इस प्रकार से सभापति महोदय, जो घोटाले हुए, हर्षद मेहता के जो घोटाले हुए और जिन लोगों के ऊपर रकम बकाया है, उसको आप किस प्रकार से वसूल करेंगे ? अब आपने कर्जा उगाही की मुहीम छेड़ी है और जिसकी आपने घोषणा की है कि जो आर्थिक अपराधी होगा, उसकी केस हिस्ट्री बनेगी, राष्ट्रीयकृत बैंकों में उसकी सूची होगी और आवेदन करने वाले व्यक्ति का केस पहले ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा । ट्रिब्यूनल चार प्रकार के उद्योगों की सूची बनाएगा कि उद्योग उसने नहीं लगाया है, या नही के बराबर लगाया है, वह उसकी एप्लीकेशन पर विचार करेगा, उसके बाद कर्जे की राशि अत्यधिक है या कम है या कर्जा थोड़ा है या ज्यादा है, या कर्जे की राशि उसने दे दी है, लेकिन उद्योग जो है रुग्ण पड़ा हुआ है, उस सम्बन्ध में भी आप विचार करेंगे ।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि बीमार उद्योग, लघु उद्योग, रुग्ण उद्योगों पर 3 हजार 1 सौ करोड़ रुपया और मध्यम बीमार उद्योगो पर 5,586 करोड़ रुपया बकाया है । मीडियम बड़े उद्योगों पर 2 हजार 6 सौ करोड़ रुपया बकाया है । कुल मिलाकर 11,533 करोड़ रूपया बकाया है । अब आप राज्य सरकारों की भी आलोचना करते हैं । राजस्थान सरकार ने यदि कहीं पर घोषणा कर दी कि किसानों के 10 हजार रुपए तक के कर्जे माफ होंगे, तो आपने उस पर भी आपत्ति की । जबकि राजस्थान सरकार ने अपने वायदे को पूरा करने के लिए उसको क्रियान्वित किया है । मैं समझता हूं कि जो आपके राजनेता है वे चुनाव के अवसर पर कर्जे की माफी की घोषणा करते हैं, उस पर भी आप विचार करें । इस प्रकार से जो गबनकर्ता व्यक्ति हैं, उनके नाम सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाने चाहिए । जो राशि बट्टों में चली जाती है उसं सम्बन्ध में विचार करें । मेरा कहना यह है कि जानकीरमण कमेटी, नरसिंह कमेटी और गोइपुरिया समिति की जो रिपोर्ट हैं, उनमें जो सिफारिशें है ।. उन पर भी आप विचार करें ।

सभापति महोदय, मेरा आपसे यहां पर कहना यह है कि जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज वाले आपसे कर्ज लेते हैं और उद्योग लगाते हैं और उद्योग लगाने के बाद जब वे पैसा ठीक समय पर वापस नहीं कर पाते है । तो आप उन फैक्ट्रीज को कुर्क कर लेते है । और कुर्क करने के बाद, जितना पैसा उस फैक्ट्री को देना है, उसको बेचकर आप उससे दुगुना पैसा वसूल कर लेते हैं और उस रुग्ण उद्योग को बेचकर जो आपने ज्यादा पैसा लिया है, उसको उस उद्योगपति को जब देने की बारी आती है, तो आप उसको वापस नहीं करते हैं जिससे वह उद्योगपति जो अपना दूसरा काम करना चाहता है, वह भी वह नहीं कर पाता है । इसलिए मेरा कहना है कि एक साफ नीयत से सरकार यहां पर आए पांच की जगह पर भले ही दस ट्रिब्यूनल बनाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । जज के बारे में जो आपने धारा रखकर 60 से 62 और 62 से 65 उम्र करने की बात कही है, उस आयुसीमा के बन्धन को छोड़कर जो कुशल वकील हैं, जो क्वालीफाइड लोग हैं, उनको इसमें रखिए । देश का जो पैसा बड़े-बड़े उद्योगों में अटका हुआ है, जिससे आप प्रभावित है ।, आप केवल जनता की वाहवाही वसूल करने के नाते यह बिल लेकर आये हैं । आप ईमानदारी से पैसा वसूल करना चाहते

हैं लेकिन यह ट्रिब्यूनल नही बनी । उसका दोष आप पर है कि इन जजेस की नियुक्ति नही हुई । इसलिए आप ईमानदारी से बैंक की कार्यकुशलता बढ़ाते हुए, बैंक में जो डूबा हुआ पैसा है, बड़े-बड़े लोगों में जो पैसा डूबा हुआ है, उस सारे पैसे को आप वसूल करेंगे ।

अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ईमानदारी से इस बिल को लायें । चुनाव होने वाला है, अब जा तो रहे हैं, इसलिए न लायें । इस सरकार ने बड़े-बड़े लोगों को लाभ दिया है । यह कहने के लिए हम बिल लाये थे कि हम तो पैसा वसूल करना चाहते थे, हमने पार्लियामेंट में बिल पास करा दिया है ।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वाह-वाही के नाते इस बिल को न लायें । आप ईमानदारी से काम करें ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विधेयक के लिए आबंटित समय समाप्त हो गया है । अब मैं मंत्री महोदय को बोलने के लिए कहता हूं । अच्छा, मंत्री महोदय ।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुज्ञा) : कल हमारे नाम की घोषणा की गई थी । कल चार नाम पुकारे गए थे, उनमें दूसरा नाम मेरा था । मैं केवल तीन मिनट लूंगा ।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहें ।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मेरा नाम भी था ।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर काफी सदस्य बोल चुके हैं हमें इस चर्चा को 3.30 म.प. तक समाप्त करना है । अब भी थामस आप बोले । आप केवल तीन मिनट ही ले सकते हैं ।

श्री पी.सी. थापस ; मैं इस विधेयक, जिसमें केवल सम्बन्धित अधिकारियों की सेवा निवृति की आयु बढ़ाने की बात कही गई है, का समर्थन करता हूं ।

मैं ऋणों की वसूली के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आंकड़ों के अनुसार 30.9.1990 को एक करोड़ 50 लाख मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे तथा 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर को देय है । इनमें 391 करोड़ रूपए वित्तीय संस्थाओं के है । अतारांकित प्रश्न (25 अप्रैल, 1995 के प्रश्न संख्या 3305) के दिए गए उत्तर से पता चलता है कि इन मामलों से अप्रैल 1995 तक 5,691.09 करोड़ रुपये, यह राशि बिलकुल ठीक है 18 सरकारी बैंकों की ओर बकाया थी । इन मामलों को या तो न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है अथवा नए न्यायाधिकरणों को सौंपें जाने का प्रस्ताव है ।

महोदय स्थापित किए जाने वाले 10 न्यायाधिकरणों में से पांच स्थापित किए जा चुके हैं और वे अपना काम शुरू करने वाले हैं कुछ में काम शुरू हो गया है, कुछ में अभी किन्ही कारणों से शुरू नहीं हो पाया है । उदाहरणतः बंगलों में स्थापित किए गए न्यायाधिकरण का काम इसलिए शुरू नहीं हो सका कि न्यायिक अधिकारी नियुक्त कर दिए गए थे पर रजिस्ट्रार की नियुक्ति नही की गई । यह बहुत मामूली सी बातें हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है । सरकार की इस विधेयक को पेश करने और इस पहलु को विधेयक में शामिल करने के पीछे क्या निहित उद्देश्य है इसे स्पष्ट करने के लिए न्यायाधिकरण के मूल स्वरूप पर विचार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । यह तभी हो सकता हैं जब इसके मूलभूत ढांचे को सही आकार दिया जाए और समय पर दिया जाए ।

अब मैं एक बात वकीलों के बारे में कहना चाहता हूं बहुत से नए कानूनों के

अंतर्गत वकीलों को पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति नहीं है । मैं ऐसा नहीं समझता कि विधेयक में व्यवस्था करने के बाद वकीलों को अधिनियम के अनुसार नियुक्ति का उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा । मैं समझता हूं कि कुछ अच्छे वकील हैं जो न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के योग्य हैं उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए और न्यायाधिकरणों को न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति का इंतजार किए बिना अपना काम शुरू कर देना चाहिए ।

मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका के क्षेत्र में युवाओं को लाना चाहिए । कल भी एक सदस्य ने यह बात कही थी । न्यायाधिकरणों में हमें नए युवक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने चाहिए । मैं भारतीय न्यायिक सेवा का गठन बिना विलम्ब किए जाने का समर्थन करता हूं ।

अब मैं बकाया ऋणों पर आता हूं । उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि ऋण उच्च स्तर के लोगों को दिए गए हैं मैं इन्हें उच्च स्तर का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें इस स्तर का दर्जा भी इस समय प्राप्त है । इनका पता लगा कर वसूली में तेजी लाई जानी चाहिए । सामाजिक और कृषि कार्यों के लिए अधिक ऋण दिए जाए तथा लोगों में उनका भुगतान करने की आदत भी डाली जाए । यह आदत जोर जबर्दस्ती से नहीं वरन् इसके लिए प्रचार किया जाए ताकि लोग स्वेच्छा से ऋण की अदायगी करें । यह प्रचार कार्य सरकार या सामाजिक संगठनों को करना चाहिए ताकि बैंकों द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उनकी वसूली भी हो सके । यह आदत छोटे ऋण प्राप्त कर्ताओं में आसानी से डाली जा सकती है । परन्तु बड़े लोगों में यह करना बड़ा कठिन हैं इसलिए उनको काबू में लाने के लिए कानून कड़े किए जाए ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दें ।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : आप अनेक विधेयकों पर बोलते रहे हैं ।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मुझे केवल दो मिनट चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं आपको तृतीय वाचन के समय बोलने का अवसर दूंगा।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने और अपने बहुमूल्य सुझाव, जिन्हें नोट किया गया है, देने वाले सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

प्रो० रासा सिंह रावत : कृपया मुझे अनुमति दीजिए, ताकि मंत्री महोदय उत्तर दे सकें ।

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा ।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : सभापति महोदय, मैंने सभा में मामूली से परिवर्तनों का सुझाव रखा है । 1993 के इस अधिनियम पर संसद के दोनों सदनों में बारीकी से चर्चा हुई हैं अनेक सदस्य इस विधेयक पर बोले हैं । वे इस पर पहले हुई चर्चा के समय भी बोले थे और उन्होंने मूल्यवान सुझाव दिए हैं । मैं चाहता हूं समूचा सदन सर्व सम्मति से इस विधेयक का समर्थन करें ।

महोदय हमने प्रधान अधिकारियों की सेवा निवृति की आयु को बढ़ाने के लिए केवल दो मामूली से परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है एक प्रस्ताव के अनुसार ऋण वसूली न्यायाधिकरण के प्रधान अधिकारयों की आयु सीमा को 62 से बढ़ा कर 65 वर्ष करने तथा दूसरे में अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रधान अधिकारी की आयु भी 62 से बढ़ा कर 65 करने का प्रस्ताव है । ये मामूली से परिवर्तन हैं, जिनका हमने प्रस्ताव रखा है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने, जिनमें चर्चा शुरू करने वाली श्री धनंजय कुमार और न्यायमूर्ति गुमान मल लोढा शामिल हैं कहा कि हमने योग्य व्यक्तियों को लेने का प्रयास नहीं किया है। पर उनका यह कथन सही नहीं है। आवेदन पत्र मांगे गये थे। मुख्य सचिवों, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को सूचित किया गया था परन्तु योग्य व्यक्तियों के बहुत कम प्रार्थना पत्र मिले। हम सभी यह मानते हैं कि सेवारत न्यायाधीशों को नियुक्त किए जाने से न्यायाधिकरणों की साख बढ़ती है। अनेक सदस्यों ने कहा कि सेवा निवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष क्यों की जा रही हैं अधिकतर न्यायाधिकरणों में यही व्यवस्था है। ए. आई. एफ. आर. और बी. ए. एफ. आर. न्यायाधिकरिणों में भी आयु सीमा 65 वर्ष ही हे। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में भी यह 65 वर्ष है।

महोदय अनेक सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं तथा कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए हैं।

वसूली न्यायाधिकरणों के पास केवल फरमान जारी करने का ही नहीं वरन् वसूली का भी अधिकार है। आदेशों के पालन के लिए न्यायाधिकरणों में वसूली अधिकारी नियुक्त हैं कुर्की करने और गिरफ्तारी करने के अधिकार भी न्यायाधिकरण को है। इसी कारण हम आयु सीमा बढ़ा रहे हैं ताकि बाद के सदस्यों और सेवारत न्यायाधीशों जैसे योग्य व्यक्तियों को भी आकर्षित किया जा सके।

माननीय सदस्य श्री चार्ल्स इस समय उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुख अपील तब ही दायर करने दी जाए जबकि न्यायाधिकरण की डिग्री की राशि का 75 प्रतिशत जमा करा दिया जाये। मैं स्पष्ट कर दूं 75 प्रतिशत राशि अधिकतम राशि है जिसे जमा कराना है। परन्तु अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर इस राशि को समाप्त या कम कर सकता है।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती और श्री सैयद शहाबुद्दीन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 5000 दोषी व्यक्तियों की सूची जारी की हैं यह सही है कि रिजर्व बैंक ने यह सूची सभी सरकारी बैंकों को भेजी है। यह एक गुप्त सूचना हैं रिजर्व बैंक ने इसे संबंधित बैंकों को भेजा है ताकि वे विचाराधीन प्रार्थना पत्रों को निपटा सके। ऋण देने का निर्णय पूरी तरह संबंधित बैंक का काम है।

हमने सभा को यह भी सूचित किया है। कि भारतीय रिजर्व बैंक एक करोड़ या उससे अधिक के दायर किए गए मामलों की सूची प्रति छः महीने में प्रकाशित करेगां पहली सूची प्रकाशित हो चुकी है तथा इन मामलों की वसूली का काम वसूली न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाएगा।

श्री चित्त बसु ने 6 जून को बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की जानकारी दी। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारियों के संगठन से बातचीत कर रहा है ताकि राशि इस प्रकार तय की जा सके जो कर्मचारियों के साथ पहले ही किए गए समझौते को प्रभावित ना करें तथा यह भी सुनिश्चित हो कि यह उनके द्वारा किसी कार्रवाई का कारण न बनें।

अनेक सदस्यों ने बैंकों के कार्यकलापों में सुधार के सुझाव दिये हैं। उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने की ओर भी ध्यान दिलाया है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि औसतन सभी बैंकों ने प्राथमिक क्षेत्र के ऋणों के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। 1994-95 में अब तक वे 37 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं।

कुछ सदस्य सी० डी० आर० की स्थिति के बारे में चिन्तित हैं मैं उनके सुझावों पर विचार करूंगा सरकार कुछ राज्यों के संबंध में इस स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि वे विधेयक का समर्थन करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाँए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनो"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड दिए गए ।

खण्ड -1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया

पृष्ट 1 पक्ति 4

"1994" के स्थान पर "1995" पढ़ा जाए। (2)

(श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1 पंक्ति 1

"पैंतालिस" के स्थान पर "छियालिस" पढ़िए (1)

(श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिया गया ।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ।

कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री जी से केवल तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं इस बिल का समर्थन तो पूरा सदन कर रहा है और बिल को पास भी कर रहा है मेरा पहला प्रश्न है बैंक के घोटाले से संबंधित एक जांच समिति, जे. पी.सी. बनी थी । इस समिति ने जिन लोगों के नाम दिये हैं उनके बारे में सरकार ने कह दिया कि ये रिटायर हो चुके हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नही की जा सकती हैं । एक तरफ तो सरकार भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्याकांड के समय सेवा के अंदर थे और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनसे इन्क्वायरी कर रही है और दूसरी तरफ जे.पी.सी. ने जिन लोगों को बैंक के प्रतिभूति घोटाले के अंदर दोषी पाया है वे चाहें सेवा-निवृत्त हो गये हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है ? दूसरा प्रश्न है बैंक सर्विस चार्ज बहुत बढ़ा दिए गए हैं इसके बढ़ाने से आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है न्यूनतम राशि जितनी होनी चाहिए उतनी न होने मे एक आम उपभोक्ता को या एक गरीब किसान को बैंक का खाता खोलने मे परेशानी हो रही है । मिनिमम राशि जितनी होनी चाहिए इसको उचित नही कहा जा सकता है तीसरा प्रश्न है नरसिंमम समेटी जानकी कमेटी और गोईपोरिया कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उनकी सिफारिशों पर जल्दी अमल करायें इसके अलावा जो आप जांच ट्रिब्युनल्स बना रहे हैं एपैलेबोड्र्स बना रहे हैं उनके जजों को अच्छा रिम्युनरेटिव दें तथा इनकी जो शाखायें बना रहे हैं वे किन स्थानों पर बना रहे हैं इसके बारे में बताने का कष्ट करें। **व्यवधान ।**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने उन्हें अपवाद स्वरूप तृतीय वाचन के समय बोलने का समय दिया था।

श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति : बहुत से मामलों में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने कार्रवाई की है तथा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया है । जहां तक सेवा प्रभार का संबंध है उसके बारे में निर्णय बैंकों के संगठन को लेना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.25 म.प.

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 13- राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 1995 पर चर्चा करेगी। (श्री जगदीश टाइटलर)

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में और संधोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 1995 पर विचार किए जाने और अनुमोदन हेतु पेश किए जाने से पहले मैं आपकी अनुमति से कुछ शब्द कहना चाहूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा उससे सबंधित मामलों का निपटारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) के अन्तर्गत किया जाता है । देश में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 34,058 कि.मी. है यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देश की सड़कों का कुल 2 प्रतिशत है परन्तु सभी प्रकार की सड़कों से गुजरने वाले मोटर वाहनों आदि में से 40 प्रतिशत इन्ही राजमार्गों से गुजरते हैं बजट संशोधनों की कमी और राजमार्गों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित विकास और रख-रखाव के लिए बजट से अलग संसाधनों को जुटाना आवश्यक है इस संबंध में तथा वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के माहौल की पृष्ट भूमि में मंत्रालय ने राजमार्गों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारिता की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय किये हैं इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं जैसे सड़क क्षेत्र को उद्योग घोषित करना एकाधिकार एवं प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों में छूट देना है सड़क क्षेत्र को मूलभूत ढांचा घोषित करना तथा सड़कों के निर्माण में काम आने वाले उपकरणों का आयात शुल्क घटाना आदि है। सड़क क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने संबंधी सरकार के प्रस्ताव पर विदेशी निवेशकों समेत अनेक निजी निवेशकों ने भी रूचि दिखायी है। परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में निजी निवेशकों की भागीदारी की अनुमति की व्यवस्था न होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका है।

अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उनका उचित रख रखाव केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास अथवा रखरखाव से संबंधित कार्य को राज्य सरकार अथवा किसी अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार के अधीनस्थ प्राधिकरण को भी सौंप सकती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार को यह कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का अधिकार नही है । इसी प्रकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार नौका सेवा, स्थायी पुलों, राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ भागों आदि के उपयोग के लिए कर लगा सकती है। यह आवश्यक है कि एक निजी फर्म को, इस प्रकार की सेवाऐं देने पर फीस लेने की अनुमति दी जाए। यह भी आवश्यक है कि उनके द्वारा विकसित सुविधाओं के उपयोग के सम्बन्ध में वाहनों के आवागमन को नियमित करने का अधिकार भी उन्हें दिया जाये। यह भी आवश्यक है कि केन्द्र सरकार द्वारा उचित कानून बनाकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैद्य कब्जे और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए कारगर उपाय किये जाये तथा जो व्यक्ति इन अपराधों के दोषी पाये जायें उन्हें दण्ड दिया जाये।

अब अधिनियम की धारा 8 के बाद उप धारा 8 क और 8 ख जो कब्जे का प्रस्ताव है, जो सरकार को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनायेगी :-

(एक) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भाग या समूचे राजमार्ग के विकास और रख-रखाव के लिए किसी भी व्यक्ति से समझौता करने का अधिकार।

(दो) शुल्क लगाने तथा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा उसके किसी भाग का विकास किया है, यह शुल्क इक्ट्ठा करने का अधिकार देना।

(तीन) ऐसे व्यक्ति को इस राजमार्ग पर वाहनों के आने जाने को नियमित करने का अधिकार देना और

(चार) इन राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान पहुंचाने पर दण्ड की व्यवस्था करने का अधिकार।

इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, यह सही है कि सड़कों पर वाहनों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। जहां गाड़ियों की संख्या सन् 1951 में 3 लाख थी वहां आज 1994 में 2 करोड़ 50 लाख से अधिक वाहन सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम जब छोटे थे तब जोर से नारा लगाते थे। यहां पर हमारे बंधु उत्तमभाई पटेल जी लाल टोपी लगा कर बैठे हैं। हम तो तब राजनीति में नये-नये आए थे, बच्चे थे, लेकिन मेरे राजस्थान में सोशलिस्ट पार्टी का एक जनाधार था। वे यह नारा लगाते थे, "रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान।" यह सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता तो पूरी कर ही नहीं सकी। आज भी लोग भूख से तड़प-तड़प कर मरते हैं। आज पूरी दुनिया में केवल हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां गर्मी में लू के कारण सिर पर छाया न होने से लोग मर जाते है। जहां लोग ठंड में ठिठुर करके मकान न होने के कारण फुटपाथ पर सोते हुए अपनी जान दे देते हैं। लेकिन यह नकारा एवं निष्क्रिय सरकार किसी भी प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत भी इस देश के लोगों के लिए पूरी नहीं कर सकी।

दूसरी जो सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य की है, वह है सड़क, बिजली और पानी की। जीवन जीने के लिए सड़क, बिजली और पानी ये तीनों चीजें एकदम आवश्यक है। यह सही है कि सड़कें विकास का मापदण्ड हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

3.30/½ म. प.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार रोकने के उपायों के बारे में संकल्प

सभापति महोदय: अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे। हम श्री सत्यदेव सिंह द्वारा 16 दिसम्बर 1994 को पेश किये गये संकल्प पर चर्चा करेंगे।

श्री राजबीर सिंह अपना भाषण शुरू कर सकते है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति जी, मान्यवर सत्य देव सिंह जी ने जो संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में और इस समय विशेषकर उत्तर प्रदेश महिलाओं और गरीबों पर आक्रमण और अपमान का चरागाह बना हुआ है। हालत इतनी खराब हो गई है कि महिलाओं को सम्मान के साथ इधर से उधर जाने में भी कठिनाई होने लगी है। उत्तर प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्षों में हरिजन महिलाओं, अनुसूचित जाति की महिलाओं का जिस तरह से अपमान हुआ है, चाहे इलाहाबाद की घटना हो या हमीरपुर, फतेहपुर की, जहां पर महिलाओं को नंगा करके राजनीतिक लोगों ने घुमाया, अपमानित किया और वहां की सरकार ने इन कामों का समर्थन किया।

सभापति जी, अन्याय की पराकाष्ठा तब हो गई जब मुजफ्फर नगर के रामपुर चौराहे पर उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं का जत्था जो दिल्ली अपनी बात कहने के लिए आ रहा था, पहले गुंडों के नेतृत्व में जो काम होता था, वही काम पुलिस अधिकारी के हुक्म से पुलिस के सिपाहियों ने किया। बीच चौराहे पर महिलाओं की बसों को रोक लिया गया तथा महिलाओं को निकाल कर बगल के गन्ने के खेत में ले जाया गया तथा उनके साथ बलात्कार किया गया। महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए तथा लाठी चार्ज किया गया। वहां पर दर्जनों लोग घायल हो गए।

इस घटना की जांच के लिए सरकार ने सीबीआई को कहा। पी एम सईद साहब यहां बैठे हैं, जांच रिपोर्ट में आरोप सत्य पाए गए कि महिलाओं के साथ बलात्कार तथा व्याभिचार किया गया है, महिलाओं को सताया गया है और पुरुषों पर लाठी चार्ज किया गया तथा गोली चलाई गई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह हमारे कानून में बहुत बड़ी खामी है। महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटना पाप और अपराध की बात है।

अभी पंचायती राज़ एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया और महिलाओं को पंचायतों में भागीदारी का सुनहरा मौका मिला। उसका परिणाम यह हुआ कि कई स्थानों पर महिलाओं को अपमानित किया गया। अभी समाचारों में आपने पढ़ा होगा कि लखनऊ जिला परिषद के अध्यक्ष पद की महिला उम्मीदवार का अपहरण कर लिया गया, एक मंत्री के घर ले जाकर उसको अपमानित किया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और मंत्री जी फरमाते हैं कि कोई बात नहीं, नई साड़ी खरीद देंगे। वह मंत्री आज भी सरकार में है। उत्तर प्रदेश की यह हालत है।

सभापति जी, उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव पड़ोसी जिले गाजियाबाद मे हुआ। उमलेश चौहान नाम की एक महिला मतदाता थी। उसको हाईकोर्ट ने वोट डालने की इजाजत दे दी थी। बारह बजे वोटिंग का अंतिम समय था इसलिए वह बारह बजे से पहले पहुंचना चाहती थी लेकिन महिला को पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने उठाकर बाहर फैंक दिया और वोट डालने नहीं दिया। क्या यही पंचायती राज है जिसमें महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया जाएगा उनकी बेइज्जती की जाएगी। आखिर यह देश कहां जाएगा ? एक तरफ तो हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिलाएं असहाय होती जा रही है। वह बिना अपने पति, भाई या पारिवारिक व्यक्ति के कहीं जा नहीं सकती। यहां तक कि विदेशी महिलाओं तक के साथ बलात्कार की घटनाएं देखने में आ रही है। लेकिन यह सरकार कान बंद करके बैठी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। हिन्दुस्तान में कब तक यह जंगल राज चलेगा।

सभापति जी, सरकार को इस पर कोई कानून बनाना पड़ेगा। इस बिल को पास कीजिए और इस तरह के जो लोग हैं उनको कड़े से कड़ा दंड दीजिए। महिलाओं की हालत बहुत दयनीय और दुरुह होती जा रही है। हम गंभीरता से इस पर विचार

नही करते हैं। आज जो गरीब तबके की महिलाएं हैं जो खेतों और कारखानों में काम करती हैं वहां उनके साथ बलात्कार की घटनाएं होती है। अभी हमने अखबार में पढ़ा कि एक पिता ने ही अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया है और वह कोई मामूली आदमी नही है बल्कि एक सरकारी अधिकारी है। आखिर यह कैसी तरक्की का दौर चल रहा है ? क्यों नही ऐसी चीजों पर रोक लगाई जा रही है। हमें आजादी मिले 50 वर्ष हो चुके हैं हमने अपने देश में बहुत ऊंचे मानदंड और परम्पराएं कायम की हैं। जिस देश में मातृवत दारेशू कहा गया है। हमने पराई स्त्री को माता के रूप में देखा है। मातृवत दारेशू कहने वाले इस देश में अपनी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। आज स्त्री को भोग्या मान लिया गया है। आखिर इसके लिए कोई तो सोचेगा, कहीं को कोई कानून बनेगा। उसके लिए हमें सामाजिक ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। हमारे समाज में कहीं न कहीं कुरीतियां आ रही है। मै सदन से और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास कराएं और एक ऐसा कानून बनाएं जिस कानून के मातहत इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों को ऐसा दंड मिले कि वे उसे जीवन भर याद रखें। कुछ राज्य सरकारें अपने राजनैतिक स्वार्थो की पूर्ति से लिए उन लोगों पर कार्रवाई नही करती है। जो इन मामलों में लिप्त होते हैं। जब इस प्रकार के केसेज दर्ज होते हैं तो वे लोग लखनऊ या पटना चले जाते हैं और राजधानी में उनको प्रश्रय मिल जाता है व इंक्वारी ट्रांसफर कर दी जाती है। सीआईडी जांच करेगी। नतीजा यह है कि साल-दो साल के लिए मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर न गवाह मिलता है।, गवाह बदल दिए जाते हैं, गवाहों पर प्रेशर पड़ जाता है और मर्डरर, बलात्कारी खुले आम दनदनाते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है।

सभापति जी, मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा, सरकार के बैठे हुए प्रतिनिधियों से कि सत्यदेव सिंह जी के इस संकल्प को पूर्ण रूप से समर्थन दें और इसका कानून बनाएं और कानून बनाकर इस प्रकार के अन्यायी और अत्याचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पर अधिक न बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग कमजोर वर्गों में सबसे कमजोर हैं। इन लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाये जाने चाहिए और लागू किये जाने चाहिए। उन्हें सताया जाता है, शोषण किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है तथा उन पर अत्याचार किये जाते हैं। ऐसा उनके साथ पग-पग पर होता है। सरकार का कर्तव्य है कि वह इन शोषित वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा करे। यदि देश की जनता का एक बड़ा भाग पिछड़ा हुआ और उपेक्षित है तो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए समाज के सभी वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के बहुमुखी विकास में उन्नति के अवसर दिये जायें।

देश में इन लोगों की, विशेषकर महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इनमें भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलायें अधिक कष्ट में है। सरकार को महिलाओं और विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास और उनके समान अधिकारों की रक्षा के लिए और योजनाएं बनानी चाहिए।

इन समुदायों के एक वर्ग को अभी तक भी परम्परागत गन्दगी की सफाई के काम से मुक्ति नहीं मिली है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए और गावों तथा कस्बों में अधिक संख्या में सुलभ शौचालय बनाये जाने चाहिए, ताकि इन्हें इस प्रथा से छुटकारा मिल सके। शहरी क्षेत्रों में मैले की सफाई का यन्त्रीकरण किया जाना चाहिए तथा सफाई कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन मानों आदि साहित 'ग' वर्ग के कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए।

अस्पृश्यता मानने वालों को कड़ा दण्ड दिया जाये ताकि अन्य लोगों को इससे सबक मिले। हमें समाज के इस वर्ग को अन्य लोगों के बराबर लाने के महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना चाहिए।

मैं यह भी चाहता हूं कि गांधी जी के "भूमि उसकी जो जोते" स्वप्न को पूरा करने के लिए शहरों ओर गांव में भूमि विकास नीति को लागू करना चाहिए। सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों के 1,20,000 पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करना चाहिए तथा जो अधिकारी किसी बहाने से इन पदों को नहीं भर रहे है उन्हें दण्ड देने के आदेश जारी करने चाहिए। यदि सरकार इन कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई नीतियों को लागू करने में असफल रहती है तो यह उसके लिए शर्म की बात होगी।

इन जातियों के कष्टों का तब तक अन्त नहीं होगा जब तक अधिक से अधिक संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वरिष्ठ और अधिकार सम्पन्न पदों पर नियुक्त न किया जाये। ये पद हैं: राज्यपाल उच्चायुक्त, राजदूत, वाणिज्य अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक लोक सेवा आयोग के सदस्य, वित्तीय और बैंकिंग संगठनों के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष तथा महत्वपूर्ण विभागों के सचिव, अतिरिक्त सचिव आदि।

मेरी यह भी मांग है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों का निर्माण अन्य लोगों के घरों के साथ ही किया जाये, गांव और शहरों के बाहर नहीं। यह खेद की बात है कि इन जातियों के आर्थिक विकास के लिए सरकार के वचनबद्ध होने के बावजूद स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी इनकी दशा में अधिक सुधार नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में इन जातियों पर अनेक अत्याचार हुए हैं जो कि वास्तव में चिंता की बात है। मेरे राज्य उड़ीसा में विशेष रूप से फुलबनी, कोरापट, कालाहांडी, बोलनगीर, मयूरभंज, क्योंझर, गजपति और गंजाम जिलों में भी ऐसी ही स्थिति है। मैं चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्सों जैसे रामगिरी, मोहाना, रामगिरी, गोपालपुर और छत्तरपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति की ओर ध्यान दिया जाये। उनकी बड़ी उपेक्षा की गई है। सरकार की ओर से उन्हें आजीविका के मूल साधन भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। उड़ीसा के गंजाम जिले के तटीय क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों का आजीविका का साधन मछली पकड़ना है। परन्तु बड़े औद्योगिक घरानों के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये औद्योगिक घराने गहरे समुद्र में यन्त्र चालित नौकाओं से व्यापारिक आधार पर मछलियां पकड़ते है। एक छोटा मछुआरा अपनी देशी नौका के सहारे इन बड़े उद्योगपत्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए उसे अपनी आजीविका के लाले पड़े रहते है।

इन पिछड़े वर्गों और मछुआरों को अछूत माना जाता है और इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उन्हें अभी भी होटलों, स्कूलों, दुकानों, नदियों, कुओं आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बेइज्जत किया जाता है। उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा नौकरियां, बिजली, पानी और अन्य सामाजिक सुविधाऐं भी उपलब्ध नहीं करायी जाती। उन्हें समानता और सामाजिक न्याय भी नहीं मिलता आज भी वे भूमिहीन हैं और बंधुआ मजदूर है। तथा इसके परिणामस्वरूप उनकी आशाऐं आकांक्षाऐं, कुशलताऐं, क्षमताऐं समाप्त हो गई है।

भारतीय स्वदेशी आदिवासी परिसंघ ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह आदिवासियों और अर्द्ध आदिवासियों तथा देशी लोगों की रक्षा और विकास के लिए 1957 के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौते को स्वीकृति प्रदान करें ।

7 मई, 1995 को नई दिल्ली में भारतीय स्वदेशी आदिवासी परिसंघ की बैठक में पास किये गये अनेक प्रस्तावों में परिसंघ ने सरकार से अपने विचारों के बीच भिन्नता को दूर करने का अनुरोध किया था, तथा कहा था कि अनुसूचित जनजातियों को बिना और विलम्ब किये देश के मूलवासियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए ।

यह बैठक 1995-2004 दशक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी दशक का उद्घाटन करने के लिए बुलाई गई थी ।

परिसंघ ने सभी आदिवासियों के लिए आदिवासी नीति बनाने की मांग की थी । आदिवासियों को राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति के लिए अपनी पद्धति का चुनाव करने के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाये ।

बैठक में आदिवासी भाषाओं और संस्कृति को मान्यता देने पर बल दिया गया ।

अन्त में मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अक्सर होने वाले अत्याचारों से उनको पर्याप्त रक्षा प्रदान करने का राज्य और केन्द्र सरकारों से अनुरोध करता हूं इन पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शीघ्र ही व्यापक राष्ट्रीय योजना बनाई जाये ।

मैं अपने मित्र सत्यदेव सिंह जी द्वारा पेश किये गये इस संकल्प की भावना की प्रंशसा करता हूं ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, अपने साथियों के साथ मैं भी श्री सत्यदेव सिंह द्वारा पेश किए गए इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के बारे में इस सभा में नियमितरूप से चर्चा होती रहती है । आज फिर एक बार हमें इस पर बहस का अवसर मिला है ।

इस समस्या के अनेक पहलुओं को उजागर किया गया है तथा सुझाव भी दिए गए हैं । परन्तु मैं इस समस्या के दूसरे पहलू की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं और यही पहलू समस्या का मूल कारण है ।

आप जानते हैं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां जातिवाद का शिकार है । जातिवाद मानवता के प्रति सबसे बड़ा अपराध है । यद्यपि हम भारतीय इस बात पर बड़ा गर्व करते हैं कि हम प्राचीनतम सभ्य देखों में से एक हैं, पर उसके साथ ही हम इस बात पर शर्म महसूस करते हैं कि हम अपने समाज में आज भी जातिवाद के सबसे पुराने अपराध को बनाए हुए हैं । यह अपराध धर्म की आड़ में भी चल रहा है । हमने देखा है कि मानवता के विरुद्ध अधिकतर अपराध धर्म के नाम पर किए गए हैं क्योंकि अपराधी अपने संकीर्ण हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं । वे ऐसा जन-साधारण पर अपनी वर्ग-सत्ता स्थापित करने और प्रमुख बनाए रखने के लिए करते हैं । हम इस जातिवाद को रंगभेद कह सकते हैं । हम दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद के लिए निन्दा करते हैं पर हम इस रंगभेद की निन्दा नहीं करते। हम अभी भी उस जातिवाद को अपनाए हुए हैं जो मानवता और सभ्यता के प्रति अपराध है । अभी ऐसे लोग है । जिन्हें जातिवाद और अपनी जाति पर गर्व है । हम सभी मानव है और हमें इस विश्व में समान अधिकार प्राप्त है । जातिवाद मानवता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सभ्यता के खिलाफ है । इसलिए, यदि हम बहुत ही मजबूत सामाजिक आन्दोलन नहीं करते और ऐसे पिछड़े और दकियानूसी विचार के खिलाफ लोगों को जागृत नहीं करते तो जातिवाद की जड़े बनी रहेंगी और गरीबों पर जुल्म होते रहेंगे ।

महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कौन सी है ? सामाजिक रूप से उन्हें धर्म और जाति की आड़ में निम्न स्तर का समझा जाता है तथा आर्थिक रूप में वे अत्यन्त दबाए हुए हैं ये अधिकतर भूमिहीन है । और कृषि मजदूर हैं वे ईटों के भट्टों पर काम करते हैं और मैला साफ करने का काम करते हैं । हमारी ऊँची जातियों के लोगों ने हमारे इन बहुसंख्यक कमजोर वर्गों के कंधों पर इसका भार डाल रखा है । इसलिए यह सबसे बड़ा अपराध है । प्राचीन इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में हमारी ख्याति होने के बावजूद हम आज अपने समाज से इस अपराध को समाप्त करने की स्थिति में नहीं है । इसलिए मेरी सदन से अपील है कि वह इस जुल्म के खिलाफ कमर कसें । जब तक यह जातिवाद की भावना समाज में विद्यमान है हम हर सत्र में, हर बैठक में और गली चौराहे पर मगरमच्छी आसूं बहाते रहेंगें । और मंत्रियों की पत्नियों और अधिकारियों आर्थिक सहायता देने हेतु शिविर आयोजित किये जाते रहेंगे ताकि टेलीविजन में अपना चेहरा दिखाते रहें । ऐसा करके वे देश के हजारों लोगों के दुःख को दरकिनार कर मात्र अपना संकीर्ण स्वार्थ ही सिद्ध करेंगे । इसलिए मैं इस बुराई के मूल के खिलाफ लड़ाई छेड़ना चाहता हूं । सबसे पहले हमें इस सामाजिक बुराई का सामना करने के लिए स्वयं को समर्वित करना है और तब हमें इस बुराई के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है ।

दूसरे ये लोग आर्थिक दृष्टि से उत्पीड़ित है । यदि उनका आर्थिक आधार मजबूत होगा तो उनका उत्पीड़न कम होगा । इसलिए इस पहलु पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए । मेरा सुझाव है कि भूमि सुधार का कार्य किया जायें । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भूमि सुधार का ढोल पीटते रहने के बावजूद देश के अधिकतर हिस्सों में भूमि सुधार नहीं किये गये है । भूमि सुधार के बिना गांव के गरीबों के लिए आर्थिक आधार नहीं बनाया जा सकता । इनमें से अधिकतर लोग अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के हैं । जब तक उनका अपना आर्थिक आधार नहीं होगा तब तक वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते और स्वयं को समाज का एक अंग भी नहीं बना सकते । अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सामाजिक उत्पीड़न से ग्रस्त रहती है । और उनकी औरतों पर भी अत्याचार की घटनाएं बड़ी आम बात है । इन्हें इन्सान नहीं समझा जाता तथा कथित ऊंची जाति के लोग शिकारी कुत्ते की तरह इन पर अत्याचार कर गायब हो जाते हैं तथा समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करते हैं । क्योंकि उन्हें धर्म अथवा अन्य किसी और से संरक्षण प्राप्त होता है । वे हमेशा जुल्म का शिकार होते हैं । संबंधित अधिकारियों तथा देश की जागरूक जनता को सर्वप्रथम जातिवाद के खिलाफ सामाजिक सुधारों का कार्य शुरू करना चाहिए ।

4.00 म. प.

दूसरे हमें भूमि सुधार के काम को गम्भीरता से लेना चाहिए ।

तीसरे हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए । तथा उनके शैक्षिक सांस्कृतिक जीवन के स्तर को सुधारने के लिए उचित योजना बनानी चाहिए ताकि वे अपने आप को इंसान समझ सकें और ये जाने कि वे भी समाज का एक अंग हैं तथा हर पहलू से सबके समान है ।

यह पहला काम है जो किया जाना चाहिए इसके साथ ही जैसा कि मेरे मित्रों ने सुझाव दिया है, वे कदम उठायें जाने चाहिए । आरक्षण के मामले को हमने उठाया है परन्तु इसका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है । हमने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है । पिछले 50 वर्षों में इस आरक्षण का लाभ उन्हें कितना मिल पाया है ? इसका

लाभ बहुत कम लोगों को मिला है तथा बहुसंख्यक इस लाभ से वंचित रहे हैं। इसका कारण सरकार की इच्छा शक्ति का न होना है। वे हमेंशा कहते हैं। कि इन जातियों के लिए आरक्षित स्थानों को भरा जायेगा। परन्तु यह देखा गया है कि इन पदों के लिए उन्हें योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते। योग्य उम्मीदवार न मिलने की आड़ में अधिकतर अवसरों पर उन्हें वे पद पाने से वंचित किया जाता है। हमें आरक्षण को अच्छी प्रकार से लागू करना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि मात्र आरक्षण से ही समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि 22 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या के लिए सभी कुछ आरक्षित कर उन्हें ऊपर नहीं ला सकते। आप को इस समस्या को पूर्णरूप में लेना होगा, और ये देखना होगा कि उन्हें किस प्रकार भूमि तथा अन्य आर्थिक लाभ मिल सकते हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश की उत्पादन प्रक्रिया का अंग बन सकें और उत्पादन में सहभागी हो सकें। तभी उन्हें सम्पन्न बनाया जा सकता है। और तभी वे आगे बढ़ सकेंगे। इसके साथ हमें संगठित होना पड़ेगा क्योंकि जो संगठित नहीं है वे ही सब जगह शिकार बनते हैं। यदि यह कमजोर वर्ग संगठित हो जाए, अपने अधिकारों को जान जाए, अपने दुश्मन को पहचान जाए, उसकी चाल समझ जाए। तो वह दमन के खिलाफ सिर उठा सकेगा और तब यह दमन चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसमें संसद और उन लोगों को जो सामाजिक सुधारों में विश्वास करते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और संगठित हो जाना चाहिए। और यदि अत्याचार हों तो उन्हें उसकी प्रतिक्रिया करनी होगी और यह दिखाना होगा कि ऐसे किसी व्यक्ति, कमजोर वर्ग पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यदि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर संगठित प्रयास करते हैं तो हम समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करने में सक्षम हो सकते है।

मैं आशा करता हूं कि अपनी इस चर्चा के द्वारा हम अपने उन करोड़ों भाइयों को जो समुद्र के किनारों, जंगलों, नदी के तटों पर रह रहें है। और कष्ट उठा रहे हैं, संगठित होने का संदेश भेजेंगे। हम उनके साथ है। यह उन पर दया नहीं है, वरन् यह हमारा कर्तव्य है। यदि हम उनकी दशा में सुधार नहीं करते तो हम देश का विकास नहीं कर सकते। यदि हम उन्हें पीछे धकेलते हैं तो समूचा देश पीछे चला जाएगा। इस भावना से हमें सामाजिक आन्दोलन में आगे बढ़ना चाहिए तथा इन जातियों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। केवल ऐसा करने पर ही इनका वास्तविक उत्थान हो सकता है।

अनुसूचित जाति के लोग कामकाजी लोग हैं वे शहरों और गावों में सर्वहारा लोग हैं। यदि हम उन्हें संगठित करते हैं। केवल तब ही जाति बन्धन समाप्त हो सकते है। वे संगठित होकर ही अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, और अपनी उन्नति कर सकते हैं। इसलिए हमें संगठित होना चाहिए और दमन का सामना करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं तथा बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : अब हमें इस संकल्प पर चर्चा का समय बढ़ाना होगा, क्योंकि आंबटित समय समाप्त हो गया है। क्या इसे एक घण्टा और बढ़ा दे ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, इसके बाद मेरा भी प्रस्ताव है। इसमें अब केवल 28 मिनट बाकी है। अगर इसी प्रकार से समय बढ़ता रहा, तो फिर मेरा प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत होगा ? इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसको निर्धारित समय में ही पूरा करें जिससे मेरा प्रस्ताव जो लोकपाल विधेयक के सम्बन्ध में है, वह यहां प्रस्तुत करने का समय मुझे मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, उस समय सिर्फ 58 मिनट इसके लिए बाकी थे। मेरा निवेदन है कि आप इस चर्चा को आबंटित समय के अंदर ही पूरी करवाएं। ताकि मेरे लोकपाल विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव को मुझे यहां प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे खेद है। इस संकल्प का समय अभी बाकी है। अभी 53 मिनट शेष है और हमने यह चर्चा 3.30 म.प. पर शुरू की थी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हां, वह टाइम पूरा कर लीजिए, लेकिन मुझे अपने विधेयक को यहां प्रस्तुत करने का अवसर अवश्य दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम इस पर उस समय विचार करेंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं श्री सत्यदेव सिंह द्वारा पेश किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प का समर्थन करती हूं। परन्तु अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं।

इस संकल्प में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हत्या और उन पर अत्याचार किए जाने के लिए दो राज्यों, बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया है। इससे लगता है कि इन दो राज्यों को छोड़ कर देश के अन्य भागों में जहां तक इन घटनाओं का सम्बन्ध है स्थिति बेहतर है। मैं इससे सहमत नहीं। मैं समझती हूं कि बहुत कम राज्य है जो इस प्रकार की घटनाओं से बरी है। उदाहरण के लिए नागपुर में पुलिस की गोलीबारी की घटना बिहार या उत्तर प्रदेश में न हो कर महाराष्ट्र मे हुई है। अनुसूचित जाति की महिला श्रीमती प्रकाश कौर की बर्बर हत्या श्री गंगा नगर में हुई जो राजस्थान में है, बिहार या उत्तर प्रदेश में नहीं। इस मामले में उसके पुत्र पर चोरी के छोटे से अपराध के कारण प्रकाश कौर को बालों से गली में घसीटा गया, उसके गुप्तांगों में मिट्टी का तेल डाल कर लोगों की भीड़ ने उसे मार डाला। इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से जिक्र करना समस्या को बहुत कम आंकना है, जबकि यह समस्या देश भर में है।

दूसरे हमें केन्द्र द्वारा किए जाने वाले उपायों का सुझाव देते समय, अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। कभी-कभी हम देखते हैं कि केन्द्र सरकार यह कहती है कि यह घटना राज्य सरकार का विषय है, केन्द्र तो राज्य सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने को ही कह सकता है परन्तु मैं समझती हूं कि केन्द्र सरकार संविधान में निहित उपबन्धों के अन्तर्गत उपचारात्मक उपाय करके हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए केन्द्र सरकार कुछ न कुछ अवश्य कर सकती है तथा कुछ ऐसे उपाय है जो केन्द्र सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं किए हैं। इन सब बातों का संकल्प में कोई जिक्र नहीं है।

जिन लोगों का हम यहां जिक्र कर रहे हैं उनका कभी-कभी समाज के कमजोर वर्ग के रूप में उल्लेख किया जाता है पर मैं समझती हूं कि वे कमजोर वर्ग के लोग नहीं है, वे कहीं अधिक मजबूत वर्ग के लोग है। जहां तक हमारे देश के कृषि उत्पादकों

का सम्बन्ध है ये शक्तिशाली वर्ग में आते हैं । ये वे लोग है जो हमारे वातावरण को साफ रखते हैं । जो कड़ी मेहनत वे जीवन भर करते हैं वह उनकी कमजोरी नही दर्शाता, यह तो उनकी ताकत का प्रमाण है ।

दूसरे वे अधिक शक्तिशाली हैं क्योंकि औपनिवेशिक काल में बाबू लोगों ने जब ब्रिट्रेन के शासकों के साथ कमोवेश समझौता कर लिया था और उनके सामने झुक गये थे, तब यही अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, संथाल, मुण्डा और चमार ही थे, जिन्होंने ब्रिट्रेन के शासकों का मजबूती से सामना किया, क्योंकि इसका सम्बन्ध उनके अस्तित्व से था.।

तीसरे वे इसलिए कमजोर नहीं है क्योंकि उनकी सांस्कृतिक परम्परायें आज भी मजबूत है । इन लोगों ने जिन्हें दिन से कड़ी मेहनत के बावजूद एक वक्त का ही खाना मिल पाता है, अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को कायम रखा है । ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सांस्कृतिक परम्पराऐं शिक्षित लोगों के कारण जीवित नही हैं । वरन् वे इन्ही गरीब लोगो के कारण आज भी कायम है इस प्रकार अपनी उपेक्षा और दमन के बावजूद उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को बनाये रखा है । और इसीलिए वे कहीं अधिक शक्तिशाली है ।

इस सब के बावजूद वे कमजोर भी हैं । वे कमजोर हैं क्योंकि उनके पास सत्ता नही है । राजनीति की दृष्टि से वे कमजोर हैं क्योंकि समाज के बुर्जुवा लोगों ने उनके काम को निम्न कोटि का काम माना । यद्यपि उनका यह काम जैसे खेती और सफाई का काम अत्यन्त आवश्यक है जिनके बिना कोई भी समाज नहीं चल सकता, पर उसे एक निचले दर्जे का काम समझा गया । वे हमारे समाज का सबसे जरूरी काम कर रहे हैं तथापि उनके काम को निम्न कोटि का माना गया और चूंकि उनका काम निम्न कोटि का है इसलिए उन्हें भी निम्न कोटि के अर्न्तगत रखा गया । इस प्रकार श्रम के विभाजन के कारण इन लोगों को सबसे कठिन कार्य करना पड़ता है पर इसके साथ ही उन्हे राष्ट्रीय सम्पत्ति का सबसे कम हिस्सा मिलता है।

जबकि सामन्ती समाज का अन्त हो रहा है और देश में पूंजीवाद पनप रहा है इन जातियों के खिलाफ सामंती दमन अब भी चालू है । हरित क्रान्ति के इस युग में अब भी बंधुआ मजदूर है जो कि अधिकतर अनुसूचित जाति के है । विकास के कामों में वे भाग नहीं ले सकते वे तो केवल विकास के शिकार ही हुए है इससे वह सामाजिक ढांचा बिखर गया है जिसमें वह अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं और समाज के इस प्रकार टूटने से वे बड़ी ही दयनीय स्थिति में रह गये हैं । इस कारण जब भी वे इस दमन के खिलाफ सिर उठाते हैं उन्हें और कड़ाई से कुचल दिया जाता है । उन पर दमन और बढ जाता है ! यही कारण है कि हिंसा बढ़ रही है । दमन बढ़ रहा है । दमन के खिलाफ उनका प्रतिरोध बढ़ रहा है पर साथ ही दमन चक्र भी और बढ़ गया है ।

जहां तक आदिवासी का सम्बन्ध है वर्तमान विकासशील गतिविधियों के अन्तर्गत उन्हें जमीनों से बेदखल किया जा रहा है । इन जमीनों पर उनका अनंत काल से अधिकार था । नर्मदा घाटी प्ररियोजना के मामले में इन आदिवासियों के गांव जलमग्न हो गये और वहां से आदिवासियों को बिना उचित पुनर्वास के हटा दिया गया । जहां कहीं भी ऐसी विकास परियोजनाऐं शुरू की गई आदिवासियों को उनकी जमीनों से हटाया गया और उन्हें समाप्त कर दिया गया । मेरा कहना यह नहीं है कि हम विकास के खिलाफ है परन्तु मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस विकास की दिशा में हम चल रहे हैं उससे हमारे लोगों के एक बड़े वर्ग, जो समाज का सबसे गरीब तबका है । उसे कोई लाभ नही हो रहा है ।

इसी प्रकार उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में बड़ी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा झींगा मछली फार्म बनाऐं जाने के कारण कृषि भूमि क्षारीय मरूस्थल में बदलती जा रही है । क़ावेरी डेल्टा के सिरकाली जिले में पिछड़ी जातियों और अनुसुचित जातियों के 30 हजार परिवारों के सामने उन्हें वहां से हटाये जाने का खतरा मंडरा रहा है । गांधीवादी नेता श्री एस.जगन्नाथन उनके लिए संघर्ष कर रहें है । परन्तु सरकार की प्रतिक्रिया यह रही है कि उसने पहले तो उन्हें गिरफ्तार किया फिर जब छूटने के बाद उन्होंने अनिश्चित कालीन अनशन शुरू किया तो भी राज्य सरकार ने उन लोगों की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया ।

महोदय में यह बता रही थी कि किस पृष्ठ भूमि में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ हिंसा होती है । अब जब बीसवी सदी समाप्त होने को है हम 21 वीं सदी में जाने को है, हम देखते हैं कि आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के खिलाफ दमन बढ़ रहा है । यह निश्चय ही एक चिंता की बात है । इन लोगों को पिछड़ा हुआ रखा जाने के कारण इनमें महिलाओं को चुड़ैल समझकर मारे जाने की घटनाऐं होती रही है । उनके पुराने समाज में ऐसे परिवर्तन नही किये जा रहे हैं जो उनके लिए लाभदायक हों । इससे समस्या और बढ़ रही है ।

अन्त में मैं यह बताना चाहती हूं कि वे कौन से उपाय है जिनके किये जाने से इन घटनाओं को रोका जा सकता है ।

यह सही है कि संविधान में उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है । परन्तु हम देखते हैं कि उनको लागू किये जाने के बजाय उनका उल्लंघन अधिक होता है । आरक्षण के बारे में मेरे मित्र श्री हन्नान मोल्लाह पहले ही बोल चुके हैं । यह सही है कि आरक्षण से कुछ लाभ हुआ है परन्तु वह पर्याप्त नही हैं इससे अत्याधिक गरीब लोगों की लाभ नहीं मिला है । वहां भी निहित स्वार्थ वाले लोगों का बोलबाला है । हजार में से एक आदिवासी को यह लाभ मिलने से वह समुदाय से अलग हो जाता है । इसलिए आरक्षण के उचित रूप में लागू किया जाये तथा इसे निहित स्वार्थ वालों का अखाड़ा न बनने दिया जाये । और नही इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जाये ।

जैसा कि मैंने कहा कि विकास के नाम पर इन समुदायों के लोगों को उजाड़ा जा रहा है । इसके लिए उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए आदिवासियों अथवा अनुसूचित जातियों के लोगों को उन स्थानों से न हटाया जाये जहां वे पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं ।

हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा और संस्कृति में सजातीयता विद्यमान है ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं समाप्त कर रही हूं ।

आदिवासी स्कूल नही जाना चाहते वे बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं ऐसा क्यों होता हैं ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कूलों में मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था नही है । इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति और उनकी भाषा की उपेक्षा हो रही है । तथा सजातीयता की भावना को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप यह समस्या बढ़ रही है । इसलिए यदि आवश्यक हो तो भाषा, संस्कृति और सामाजिक जीवन के विकास के लिए स्वायत्तशासी जिला परिषदें अथवा पर्वतीय परिषदें स्थापित की जायें । इसके साथ ही केन्द्रीय भूमि अधिनियम में संशोधन करना होगा और पंचायत राज्य का लाभ इन वर्गों को पहुंचाना होगा । जहां कहीं भी भूमि सुधारों को लागू किया गया है और वास्तव में भूमिहीनों को भूमि दी गई है । तथा जहां पंचायत व्यवस्था कारगर ढंग से काम कर रही है वहां हम देखते हैं कि इन जातियों की समस्याऐं उस सीमा तक कम हो गई है । पश्चिमी बंगाल में हमारा अनुभव यही रहा है ।

महोदय आर्थिक उपेक्षा और जातिया दमन के बीच कुछ सम्बन्ध अवश्य है। आमतौर पर ये निचली जाति के लोग गरीब भी है। तथा सामान्यतः गरीबों को समाज में सम्मान नही दिया जाता। इन लोगों पर सबसे अधिक हिंसात्मक हमले होते हैं। इसलिए सामाजिक लाभों के समान वितरण के द्वारा ही उन्हें मानवीय सम्मान दिया जा सकता है। यदि केन्द्र सरकार समानता और सामाजिक न्याय में रूचि रखती है तो वह यहां हस्तक्षेप कर सकती है।

सभापति महोदय : आबंटित समय समाप्त हो गया है। अभी भी चार या पांच सदस्य बोलने के इच्छुक हैं फिर उत्तर भी देना होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसलिए मैं सभा के सामने इस संकल्प के लिए एक घण्टे का समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस विषय के लिए आबंटित समय समाप्त हो गया है। परन्तु कुछ और सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

इसलिए यह अब सभा का अधिकार है कि वह एक घण्टे तक का समय बढ़ा दे, ताकि वे बोल सकें और मंत्री महोदय भी उत्तर दे सके ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, आप एक घण्टे का समय बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : अतः समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, इस रेजोल्यूशन के लिए केवल 57 मिनट का समय शेष रह गया था वह पूरा हो गया है। इस रेजोल्यूशन के मूवर श्री सत्यदेव सिंह जी भी अनुपस्थित हैं इसलिए मंत्री जी इसका उत्तर दें और अगले वाला रेजोल्यूशन, जिसमें पहले से चर्चा हो रही थी और जो अधूरी रह गई थी उसके लिए केवल 28 मिनट का समय जो शेष रह गया है उसे पूरा कर दिया जाए। उसके बाद लोकपाल वाला रेजोल्यूशन, जो मेरे नाम पर है उसे मुझे सदन में रखने का अवसर दिया जाए। चाहे इस रेजोल्यूशन को मुझे पौने 6 बजे रखने का मौका दिया जाए। **(व्यवधान)** आप इस तरह से इसके लिए टाइम नहीं बढ़ा सकते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा ने समय बढ़ा दिया है। आप इस प्रकार आपत्ति नहीं उठा सकते। श्री बालयोगी, कृपया अपना भाषण जारी करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शान्त रहिए। आपस में तर्क-वितर्क न करें। मैं श्री बालयोगी का नाम पुकार चुका हूं और वे बोलने के लिए खड़े है। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम्) : इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी मातृभाषा तेलुगू में बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलोर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घण्टी बज रही है।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति हैं श्री बालयोगी आप अपना भाषण जारी करें।

4.30 म. प.

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

(व्यवधान)

★ **श्री जी. एम. सी. बालयोगी** : यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के 47 वर्ष बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं यदि इन्हें और कुछ समय तक चलने दिया तो उसका हमारे देश के सम्मान और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारी आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समाज को देश की 27 प्रतिशत जनता पर होने वाले इन अत्याचारों पर चिन्तित होना चाहिए। यह समस्या कुछ थोड़े से लोगों तक सीमित है तो यह कहना गलत है। समाज और सरकार को इस समस्या को एक बड़ी समस्या मानना चाहिए जो राष्ट्र भर पर हावी है। इसे एक बड़ी सामाजिक बुराई मान कर यथाशीघ्र इसे समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहिए। सरकार कड़े उपाय करें ताकि इन जातियों पर होने वाले अत्याचार समाप्त हों।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मेरे लोकपाल संकल्प के बारे में क्या फैसला हुआ ? अभी 57 मिनट इस रेजोल्यूशन के बाकी हैं, 27 मिनट दूसरे रेजोल्यूशन के बाकी हैं। आप पौने 6 बजे लोकपाल संकल्प इंट्रोड्यूज करवा दीजिए, फिर वह अगले सत्र में कंटीन्यू रहेगा।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदया, यह एक उचित अनुरोध है। माननीय सदस्य का कहना है कि दूसरी बार बढ़ाया गया समय चल रहा है और जब समय समाप्त हो तो उन्हें संकल्प पेश करने की अनुमति दी जाए। आप शाम सवा छः बजे तक चर्चा को बढ़ा सकते है, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु उसके बाद आप उन्हें संकल्प पेश करने के लिए 15 मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : समय सभा की अनुमति से बढ़ाया गया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : माननीय सदस्य असीमित समय वृद्धि पर आपत्ति कर रहा हैं।

सभापति महोदय : असीमित समय वृद्धि नही की गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदया, जिस तरह से वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ऐसी स्थिति में लोकपाल संकल्प का पेश न होना देश की जनता के साथ अन्याय होगा **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

[अनुवाद]

सभा पहले ही यह फैसला कर चुकी है कि जिस संकल्प पर चर्चा चल रही है

उसका समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए। उसके बाद भी श्री गिरिधारी लाल व्यास का संकल्प कार्य सूची में नहीं आता है। उसके बाद भी श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा होगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदया, यदि इसी तरह से दूसरे संकल्प का समय भी बढ़ा दिया गया तो फिर लोकपाल संकल्प नहीं आ सकेगा **(व्यवधान)** सभापति महोदया, मुझे यह बताएं कि लोकपाल संकल्प का क्या होगा। मुझे लोकपाल संकल्प प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा या नहीं। अभी आप समय बढ़ा दीजिए, लेकिन पौने 6 बजे लोकपाल संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दे दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें नियमों और सभा की सहमति के अनुसार चलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : रूल्स के मुताबिक तो जितना समय चर्चा के लिए निर्धारित था, उतने समय तक इस पर चर्चा हो चुकी है। रूल्स के हिसाब से तो चर्चा अब समाप्त हो जानी चाहिए।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री गिरिधारी लाल व्यास का यह प्रश्न तब उठेगा जब कार्यसूची की वह मद सभा के सामने आती है..... **(व्यवधान)**

जब हम सभा में चल रहे काम को समाप्त करते हैं **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

ऐसी कोई बात नहीं है कि यह सबजेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या दूसरा सबजेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है।

[अनुवाद]

जब तक हम अपने सम्मुख जो विषय है उसे निपटाते नहीं तब तक दूसरा प्रश्न नहीं उठता। उस समय तक माननीय सदस्य के उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे वक्ताओं से केवल एक बात कहनी है कि वे अपना भाषण संक्षिप्त करे तथा सीधे सुझाव दें।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी : ठीक है, परन्तु इस प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदया, मद संख्या -2 के लिए आबंटित समय में से केवल 28 मिनट बाकी रहे हैं। उसके बाद क्या मद संख्या-3 को लेना सम्भव है। हम केवल इसकी पुष्टि चाहते हैं।

सभापति महोदय : जी हां, निश्चय ही।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : फिर क्या होगा। आपने कैसे एक घंटा इसका समय बढ़ा दिया। वह 28 मिनट में पूरा होगा कैसे ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया चर्चा चलने दें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : किसी भी प्रकार से लोकपाल संकल्प आज न आए यही सरकार चाहती है। आज छः बजे लोकपाल बिल को मैं प्रस्तुत करूंगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : भार्गव जी, आपकी बारी आने पर आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : टाइम आ गया। आपने समय क्यों बढ़ाया। 28 मिनट पूरा करने के बाद **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाए। मैंने आपको सब स्पष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लोकपाल संकल्प का जब मेरा समय आया पिछले वाले एजेंडा में वह नम्बर दो पर था लेकिन नम्बर तीन पर कर दिया गया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप यह सुन चुके है कि आपकी मद आने पर आपको मौका मिलेगा। तब तक कृपया प्रतीक्षा करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एजेंडा कब होगा ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : कभी नहीं होगा। **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : छः बजे मैं यहां पर लोकपाल संकल्प को पेश करूंगा। पहले आप फैसला कीजिए। क्या लोकपाल बिल नहीं आयेगा ? आप न्याय कीजिए। मैं कुर्सी से न्याय चाहता हूं। आप कुर्सी पर बैठी हैं। माननीय सभापति जी, आप न्याय कीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

★ **श्री जी. एम. सी. बालयोगी** : इस सम्बन्ध मैं आपको राष्ट्रपिता और संविधान निर्माता के उस कथन की याद दिलाता हूं जो उन्होंने इन असहाय लोगों के बारे में कहा था। **(व्यवधान)**

महोदया यह क्या हो रहा है **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम पहले ही 15 मिनट खराब कर चुके हैं। यदि यह 15 मिनट बेकार न होते तो आपको अपना मामला उठाने का अवसर मिल जाता। कृपया बैठ जाए।

(व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : बेकार गए यह 15 मिनट इस संकल्प पर चर्चा के दिए जाए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हां, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : जब सदन की सहमति मिल गई तो आप जिद क्यों कर रहे हैं। सदन सभी की सहमति से चलेगा। आपका नियमन हो गया। अब एक घंटे के लिए सदन बढ़ाया जा सकता है **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा भी नियमन हो गया है श्रीमन् **(व्यवधान)**

श्री सुदर्शन राय चौधरी : सभापति महोदया, आधा घण्टा से यही सब चल रहा है। सभा ने इस संकल्प के लिए एक घण्टे का समय बढ़ा दिया है। 20 से 30 मिनट तक का समय बेकार चला गया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प के समय को पूरा किया जाए **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : क्या सरकार जानबूझ कर लोकपाल संकल्प से बचना चाहती है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इस चर्चा की अनुमति नहीं दे रही हूं। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नही किया जा रहा है।

(व्यवधान) *

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं बोल रही हूं। श्री भार्गव, क्या आप मेरी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति महोदया, मेरा राईट है। आप फैसला करिए कि मैं पौने छः बजे पेश करूंगा। सरकार लोकपाल संकल्प से बचना चाहती है।

★ मूल तेलुगू में दिए गए के अंग्रेजी अनुवाद भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : सभापति महोदया, जो श्री भार्गव कह रहे हैं, मुझे उस पर सख्त आपत्ति हैं वे चाहते हैं कि उनकी यह बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल की जाए कि सरकार सभा में चर्चा से बचना चाहती है। **(व्यवधान)** उन्हें हमारी बात सुननी होगी। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। वह यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार चर्चा करना नहीं चाहती। यह सच नहीं है।

सभापति महोदय : श्री वासनिक कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जो समय पहले तय किया है उसके बाद मेरा संकल्प दूसरे नम्बर पर था जिसे आज के अजेंडा में नम्बर तीन पर रख दिया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सदस्य चाहें तो किसी विशेष चर्चा के समय को बढ़ाया जा सकता हैं पहले मामले में चर्चा का समय बढ़ाया गया है। यह निर्णय सभा ने लिया है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मेरा आपसे एक अनुरोध है। एक घण्टे के बाद इस संकल्प पर भी चर्चा शुरू की जाए।

सभापति महोदय : एक घण्टे बाद यदि कार्य सूची की यह मद आती है तो आपको समय मिलेगा, उससे पहले नहीं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा बिलकुल आप पर आरोप है। मेरा नं. बोलने का है लेकिन सरकार इस संकल्प से बचना चाहती है और यदि बचना नहीं चाहती है तो निर्धारित समय पर कार्यवाही करे।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदया, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। जितना समय इन संकल्पों के लिये निर्धारित था, उतना समय पूरा हो जाने के बाद जब बी. ए.सी. ने तय किया था या गैर-सरकारी संकल्पों की समिति ने जितना समय निर्धारित किया था, वह समय पूरा हो गया तो उस डिस्कशन को पूरा करके दूसरा विषय लिया जाना चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि नं. तीन पर जो संकल्प है, उसको इंट्रोड्यूस करें। इसका टाईम एक्सटेंड न करें। अतः आप व्यवस्था दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभी से मैंने यथा सम्भव संक्षेप में बोलने को कहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपने एक घंटा बढ़ा दिया और 28 मिनट बेकार चले गये। इससे तो दूसरा संकल्प आ जाता लेकिन यह लोकपाल संकल्प तो नहीं आ पायेगा। आप इस बारे में निर्णय दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भिर्जापुर) : सभापति महोदया, आप इस तरह की व्यवस्था दें कि इसका समय बढ़ाकर भी लोकपाल संकल्प लाया जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 28 मिनट शोर-शराबे में खराब चले गए। आप यह जानते है ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक घंटा हो गया, फिर 28 मिनट बेकार हो गये हैं। क्या और समय बढ़ा देंगे ? ऐसा न हो कि छः बज जाये और यह संकल्प न आये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह आपको शोभा नहीं देता। यह क्या है। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदया, मैं आपकी आज्ञा से बैठ रहा हूं। आप खड़ी हैं तो मैं बैठ रहा हूं। मैं आसन की कद्र करता हूं लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाए। हम मौजूदा नियमों को भंग नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, आपका निर्णय मेरे साथ अन्याय है। लोकपाल बिल सदन में मुझे पेश नहीं करने दिया जा रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। चेयर पर मेरी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ है **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : इससे यह सिद्ध हो गया कि सरकार लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत नहीं करने देना चाहती है **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : ये भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं और लोकपाल बिल को पेश नहीं करने देना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ संसदीय प्रक्रियाएं होती है, जिनके अनुसार हमें चलना होता है। कृपया यह समझें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, आपने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया है। मुझे समय नहीं दिया है, इसलिए मेरे मन को ठेस लगी है। हमारे साथ बैठने वाले दूसरी पार्टी के लोग भी सत्ता पक्ष के साथ मिले हुए हैं। मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

1.46 म. प.

तत्पश्चात श्री गिरधारी लाल भार्गव सभा भवन से बाहर चले गए

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : इससे यह सिद्ध हो गया कि आप लोग भी सत्ता पक्ष के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप क्या कर रहे है ? कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सभा में गड़बड़ी न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : हमारे मित्र इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री मुकुल वासनिक : महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभा में इस प्रकार की चर्चा को अनुमति दी जाएगी बेहूदे आरोप लगाए जा रहे हैं और गैर-जिम्मेदाराना बाते कही जा रही है। मेरा अनुरोध है कि इस समय जो कहा जा रहा हैं उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : आप तो बिल्कुल निरर्थक बातें कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो लोकपाल बिल यहां प्रस्तुत करने दीजिए **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाए। मैं ऐसा और अधिक नहीं होने दे सकती।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री यादव कृपया बैठ जाएं। मैं ऐसा और नहीं चाहती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो रिमार्क्स आ रहे हैं, वह बहुत गलत आ रहे है। हरिजन और आदिवासियों पर बहस हो रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है इससे इनकी मानसिकता झलक रही है कि हरिजन और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं ये उस पर चर्चा नहीं करना चाहते **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रही हूं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत कुछ कहा जा चुका है । श्री बालयोगी, कृपया अपना भाषण शुरू करें ।

★ **श्री जी. एम. सी. बालयोगी :** सभापति महोदया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अब भी अत्याचार जारी रहने का एक कारण है, कि समाज के इन वर्गों के उत्थान और सर्वमुखी विकास के लिए संविधान में उपबन्धित निदेशों को लागू करने में सरकार का असफल रहना । इस सम्बन्ध में मैं, राष्ट्रपिता और संविधान के निर्माता डा. बाबा साहिब अम्बेडकर ने इन असहाय वर्गों के लिए जो कहा था और किया था, उसकी याद दिलाना चाहता हूं । उनका कहना था यदि देश में आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक असमानताऐं रहती हैं तो इनका हमारी निष्ठा तथा सामाजिक और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसलिए इन वर्गों की सहायता करने से सम्बन्धित नीतियां और कार्यक्रम वैसे ही हों जैसे की शेष समाज के लिए है । सरकार की नीति असमानता को दूर करने की होनी चाहिए फिर चाहे वह कैसी भी हो और कही भी विद्यमान हो । जब तक असमानता है अत्याचार होते रहेंगे । सरकार को इस तरह के अपराध करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए । ऐसा करते समय उसे कोई हिचक नहीं होनी चाहिए फिर भले ही वे लोग राजनीतिज्ञ हों या अधिकारीगण सरकार को इस बुराई को पूरी तरह समाप्त करने के लिए त्रुटिहीन प्रक्रिया अपनानी चाहिए ।

डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में इन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है पर इस नीति को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है । मुझे खेद है कि आरक्षण की यह नीति चपरासियों आदि के श्रेणी के पदों में भर्ती तक ही सीमित है । श्रेणी एक दो और तीन के पदों के सम्बन्ध में इसकी पूरी तरह अनदेखी की गई है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध हैं कि वह आरक्षण की नीति को प्रत्येक श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में लागू करे ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर होने वाले अत्याचार इन वर्गों की राजनीतिक प्रगति होने पर ही कम हो सकते हैं । इन वर्गों की उन्नति उन्हें और अधिक रोजगार देकर की जा सकती हैं इनके लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाने चाहिए ।

यदि सरकार वास्तव में इन लोगों का भला चाहती है तो सरकार को भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करना चाहिए । यदि ये सुधार सही रूप से लागू किये जाते है । जो इन लोगों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी । इन लोगों की आर्थिक दशा में भी उल्लेखनीय सुधार होगा । इन वर्गों के जीवन में सर्वांगीण परिवर्तन आयेगा । इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए । इन लोगों को आर्थिक स्वतन्त्रता मिलते ही इन पर अत्याचार स्वतः कम हो जायेगे ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के त्वरित और सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को भी पर्याप्त मात्रा में धन आबंटित करना चाहिए । इस समय इन जातियों की आर्थिक सम्पन्नता के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अनेक योजनाऐं चला रही है । परन्तु धन की कमी के कारण ये योजनाऐं सफलता पूर्वक नहीं चल रही हैं । विकास का लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिन्हें मिलना चाहिए । इसलिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं को तेजी और कारगर ढंग से लागू करने के लिए सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए । ऐसा करने से इन जातियों पर अत्याचार निश्चित ही कम होंगें ।

स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और अत्याचारों पर नियन्त्रण के उपाय करने के लिए जिला स्तर पर समितियां होनी चाहिए, जिनमें जनप्रतिनिधि जैसे विधायक सांसद तथा गैर राजनैतिक और सरकारी अधिकारी जैसे जिला-मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक आदि शामिल होने चाहिए । इन समितियों के गठन से अत्याचारों पर ही रोक नहीं लगेगी वरन दोषी व्यक्तियों को दण्ड भी दिया जा सकेगा । इस प्रकार के बर्बर अत्याचारों के दोषी व्यक्तियों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए । समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने के लिए समितियां बनाई जानी चाहिए ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अत्यधिक अशिक्षा है । यदि हम उन्हें शिक्षित करने में सफल होते हैं तभी उन्हें अपने अधिकारों का पता चलेगा तथा वे अन्याय के खिलाफ लड़ सकेंगे । वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता व मदद का बेहतर लाभ उठाने की स्थिति में होंगे । उनमें 60 प्रतिशत तक लोग अशिक्षित हैं । जब तक उनकी इस अशिक्षा को दूर नहीं किया जाता तब तक वे आर्थिक रूप में स्वतन्त्र नहीं हो सकते इसलिए सरकार को इन्हें शिक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए । इसके लिए पर्याप्त धन आबन्टित करना चाहिए । इन जातियों के बालक-बालिकायों के लिए आवासीय स्कूल और कालेज और अधिक संख्या में खोले जाने चाहिए । शिक्षा से इन पर होने वाले अत्याचारों में उल्लेखनीय कमी होगी ।

कुछ राज्य सरकारें और विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए केन्द्र द्वारा दिए जा रहे धन का दुरूपयोग कर रहे हैं । उसका उपयोग अन्य कामों में किया जा रहा है ।यह भी एक कारण है कि इन जातियों के लिए अनेक योजनाएं शुरू होने के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं । केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और विभागों को ऐसे कारगर दिशा निर्देश दे कि वे उन जातियों के उत्थान के लिए आबंटित धन का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न करें । इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करें । सरकार को विभिन्न लाभकारी योजनाओं की प्रगति पर नजर रखनी चाहिए । इससे अत्याचार कम होंगे ।

विभिन्न सरकारी विभाग भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण नीति को पूरी तरह लागू नहीं कर रहे हैं । इस कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं । इन जातियों के उम्मीदवारो को संविधान में दिये गये आरक्षण के अधिकार से वंचित किया जा रहा है । हाल ही की जनगणना के अनुसार इन जातियों की 70 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें और इन जातियों को न्याय दिलाये ।

आर्थिक उदारीकरण के नाम पर सभी सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है । निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति लागू नहीं है । इस प्रकार जो रोजगार सरकारी उपक्रमों में आरक्षण नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिल सकते थे, निजी क्षेत्र में उन्हें उनसे वंचित किया जा रहा है । निजी क्षेत्र को आरक्षण नीति लागू करने के प्रति कोई रूचि नहीं है । इस प्रकार संविधान के अर्न्तगत उपलब्ध आरक्षण की सुविधा को उनसे छीना जा रहा है । तथा इन पिछड़ों अवस्था वाले लोगों को और पिछड़ा बनाया जा रहा है । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह संविधान में दी गई इस आरक्षण सुविधा को निजी क्षेत्र में भी लागू करें । निजी क्षेत्र में इन लोगों को आवश्यक आरक्षण देने से सरकार समाज के इन असहाय वर्गों को

★ मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

आर्थिक असमानता से बचा सकती है ।

देश के विभिन्न न्यायालयों में पदों के आरक्षण के बहुत से मामले विचाराधीन है । कुछ अधिकारी निहित स्वार्थों से मिले हुए हैं और वे चाहते हैं कि आरक्षण नीति लागू न हो । ऐसे अधिकारियों का पता लगाया जाए और उन्हें दण्डित किया जाए । ऐसा किए जाने पर आरक्षण नीति लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । अधिक रोजगार का अर्थ है अधिक आर्थिक प्रगति और कम अत्याचार । अनेक सरकारी और गैर-सरकारी संगठन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उन्नति के कार्यों में लगी है । परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि सभी के पास धन की कमी है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन संगठनों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराए ताकि वे और कारगर ढ़ग से इस कार्य को कर सकें ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं पर शेष लोगों की अपेक्षा अधिक अत्याचार होते है । देश भर के थानों में इन जातियों के पुरुषों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के अनेक मामले दर्ज हैं इनको देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक सकता है । सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने वालों को कठोर दण्ड देने के लिए 'टाडा- से भी अधिक कठोर कानून बनाना चाहिए । यह करना समय की प्रकार है । इससे उन पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी ।

राष्ट्र की उन्नति समाज के सभी वर्गों के बीच सहअस्तित्व से ओत-प्रोत शान्ति पर निर्भर है । वही समाज उन्नति कर सकता है । जहां इस प्रकार के अत्याचार न होते हों, उसके सम्मान को कोई खतरा नहीं हो सकता । गांधी जी और डा. अम्बेडकर जैसे नेताओं के स्वप्न भी तभी साकार हो सकते हैं मैं आज्ञा करता हूं कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को कम करने और इन वर्गों के त्वरित एवं सर्वांगीण विकास हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगी ।

मैं इस संकल्प के पेश करने वाले सदस्य महोदय को बधाई देता हूं, जिससे इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का अवसर मिला ।

महोदया मैं एक बार फिर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, सदन में जिस संकल्प पर चर्चा हो रही है, उसके प्रस्तावक माननीय सांसद बहुत बेचैन दिखाई पड़ते हैं । उन्हें इतनी बेचैनी है कि सारा हिन्दुस्तान उनको दिखाई नहीं पड़ा बल्कि हरिजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं पर विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाली एट्रौसिटीज ही दिखाई पड़ी **(व्यवधान)** मैं ठीक कह रहा हूं ।

प्रो. रासा सिंह रावत : अच्छी बात है, सच्चाई को आप स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : यह सच्चाई नहीं है, मैं जानता हूं पुरानी बातों को छोड़कर, जब से बिहार में सामाजिक न्याय का आन्दोलन शुरू हुआ है ।**(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य के ऐसा कहने पर मुझे आपत्ति है । इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली एट्रोसिटीज के लिये ही यह संकल्प यहां लाया गया है ....**(व्यवधान)**

श्री कमला मिश्र मधुकर : आपने विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम लिया है ....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है । आप जब बोलेंगे तो आपको अपनी बात कहने का मौका मिल जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, इनकी ही पार्टी के ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं । यह कोई तरीका नहीं है ।कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें ।

(व्यवधान)

श्री कमला मिश्र मधुकर : आपकी बेचैनी से मुझे भी बेचैनी है, माननीय सदस्य की बेचैनी से मैं भी बेचैन हूं । मैं कहना चाहता हूं कि जब से बिहार में जागरण की लड़ाई चली है खेत-मजदूरों को लड़ाई, गरीब किसानों की लड़ाई और आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई है, तब से बात दूसरी है अभी बिहार में चुनाव हुये हैं, उन चुनावों में सामन्ती लोग जिस तरह कमर कसकर लालू जी को उलट पलट देना चाहते थे, लेकिन वहां की अनुसूचित जाति की महिलाओं ने, आदिवासी और जनजाति के लोगों ने वहां सामन्ती लोगों का मुकाबला करके, उनकी हिम्मत को परास्त कर दिया है । दूसरी तरफ मीडिया के लोगों ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी लेकिन बिहार में उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी । मीडिया के लोगों का क्या विश्वास किया जाये क्योंकि सब लोगों ने फोरकास्ट कर दिया था कि लालू जी चुनावों में हार जायेंगे, बिहार में मिश्रित सरकार बनेगी, हंग असैम्बली आयेगी, ऐसी भविष्यवाणियां हमारे मीडिया के लोगों ने की थी लेकिन वे सारी भविष्यवाणियां झूटी साबित हुई । इसीलिये मैंने कहा कि वहां अत्याचार की बात ऐसी नहीं है ।

यहां मालिनी भट्टाचार्य जी ने जिन बातों का उल्लेख किया, मैं उनका समर्थन करता हूं क्योंकि आदिवासियो पर, शूद्रों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारा समाज, वर्ग और वर्ण-व्यवस्था पर आधारित है, वर्णाश्रम पर आधारित है ।

5.00 म.प.

सभापति महोदया, यह वर्ग और वर्ण में, आदिम समाज से, जब से हिन्दुस्तान का इतिहास है, उसके गौरवमय पहलू को ले लीजिए, तो इतिहास यह है कि देश के अल्पमत लोगों ने, जो सारे इकट्ठे होकर काम करके उत्पादन का कार्य करते थे, उनको शूद्र बना दिया गया । उनको अनपढ़ बना दिया गया । उन्हें नीची जाति का बना दिया गया । आप जरा सोचिए, तो आपको मालूम होगा कि जो लुहार पुराने जमाने में गांव में रहता था और गांव के तमाम किसानों के खुपी और हंसिया को ठोक-पीट कर उन्हें सही करता था, वह कौन था, वह ऊंचा काम करता था, लेकिन उसे नीची जाति का बना दिया और उसे लुहार कहा जाने लगा । धुनिया जो रुई धुनता था, उसे धुनेया बना दिया गया । हज्जाम जो लोगों के बाल काटता था, उसे नीची जाति का बना दिया गया । इस प्रकार से यह जो तमाम उत्पादन की शक्तियां थी, जो समाज की बहुसंख्य जनता थी, उसको वर्णाश्रम धर्म के अन्तर्गत नीचा बना कर, जनता के मुट्ठीभर सवर्ण लोगों ने, इस हिन्दुस्तान में इस जातिप्रथा को रचा है ।

महोदया, यह लड़ाई तब से हुई, जब अनेकों महान् पुरुषों ने, अम्बेडकर का नाम लिया गया, डा. फुले का नाम लिया गया, महात्मा गांधी का नाम लिया गया, इन लोगों ने और दूसरे लोगों ने और खास कर के वामपंथी लोगों ने इसको शुरू से ही लिया है । मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वही पश्चिम बंगाल है, वही केरल है, वही बिहार है, जो समाज है, उसके ऊपर ऐसे अत्याचार सिर्फ अखबारों में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि सबसे पहले ऐसा समाचार अखबार में ही आएगा कि कहां बलात्कार

हुआ है और वहां महिला पर अत्याचार हुआ है। यह भी यथार्थ है। यह एक पहलू है समाज का और इस बात पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। केवल कानून बना देने से इस पर पार नहीं पा सकते हैं। कानून तो बहुत बनते हैं। हम देहात के आदमी हैं। देहात से आते हैं। हर गांव में हम देखते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और चरणामृत ग्रहण करने के बाद लोग घर चले जाते हैं सब भूल जाते हैं फिर सुबह से वहीं पुराना काम चालू हो जाता है ऐसे प्रवचनों की जरूरत नहीं है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो शूद्र कहे जाते हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके आर्थिक अधिकारों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाइए।

सभापति महोदया, भले ही केन्द्र सरकार ने कहा हो कि भूमि सुधार कानूनों को प्रदेशों में लागू किया जाएगा। कहां-कहां लागू हुआ है, बताइए ? मंत्री जी हमें बताइए तो किन-किन राज्यों में लागू हुआ है ? बहुत कम राज्यों में लागू हुआ है। जहां हुआ है उनमें भी इतनी लूपहोल हैं, इतने छिद्र हैं जिनके जरिये जमींदारों ने अपनी जमीन को बचा लिया है और जो रीयल अर्थ में मजदूर हैं, जो कमाने वाले हैं, उनको सीलिंग से फाजिल जमीन नहीं मिली हैं आज भी वामपंथी आंदोलन चाहे वह बिहार में हो चल रहा है। हमारे यहां चम्पारण जिले में भी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस शोषण की बुनियाद को मिटाने के लिए, जब तक यह मिट नहीं जाता है, तब तक हम दम लेने वाले नहीं हैं इस भावना से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छे समाज के सपने को साकार करें और भूमि-सुधार के कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू कर के खेत मजदूरों में, अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में जमीन का प्रभावकारी ढंग से बंटबारा किया जाए।

उसके बाद उनकी मजदूरी का कानून बना हुआ है। वहां यह जांच करने के लिए इंसपेक्टर घूमते रहते हैं कि जमींदार खेत मजदूर को समुचित मजदूरी देता है या नहीं। वहां जो मुकदमे होते है उनका क्या रिजल्ट निकलता है ? रिजल्ट अधिकतर जमींदार के पक्ष में जाता है। यह आज का प्रशासनिक दृष्टिकोण है। प्रशासन में सामंती वर्ग के लोग नीचे से ऊपर की इकाइयों में भरे हुए हैं उनका मन नहीं चाहता कि जो शोषित वर्ग है, उनका सुधार हो। किसी भी पार्टी की बात हो, खासकर कांग्रेस के लोगों को तो कहना ही बेकार है। उन्होंने आज तक गरीबों का उद्धार नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको भूमि सुधार करना चाहिए। खेत मजदूरों को मजदूरी देने का जो कानून है, उसको सख्ती के साथ लागू करें। यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इसे लागू किया जाये। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिये कि हम इसे लागू करेंगे।

आजकल पिछड़ी जाति में शिक्षा का अभाव है। कई ऐसी जातियां हैं जहां शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। यह हमेशा कहा जाता है कि उनमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए लेकिन शिक्षा उनको कैसे दी जाये, किन परिस्थितियों को लागू करें जिससे उन्हें शिक्षा दी जा सके। खेत मजदूर का लड़का, चाहे वह दस बरस का हो या 15 बरस का, खेत में काम करने जाता है। आप कहते हैं कि वह स्कूल जाये लेकिन जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं हैं, रोजगार नहीं है तो कैसे वह शिक्षा प्राप्त करेगा ? आप चाहे कुछ भी करिये लेकिन वह पढ़ाई नहीं करेगा। शिक्षा में गरीब मजदूरों को लाने के लिए, खेत मजदूरों को शिक्षा देने के लिए उनके माता-पिता को साल भर मजदूरी मिलनी चाहिए। दूसरा उनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। खाने की व्यवस्था के विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ कानून बनाये गये हैं लेकिन राज्य सरकारें उसे लागू नहीं करती। लालू प्रसाद जी ने कहा था कि हम खेत मजदूरों को पढ़ाई के लिए एक रुपया प्रतिदिन देंगे। दूसरी चीज यह है कि रिजर्वेशन के कानून को और व्यापक बनाना पड़ेगा, उसे और आगे ले जाना होगा। यह नहीं कि रिजर्वेशन के कानून से एक नयी किस्म की जाति पैदा हो जाये और वही लाभान्वित हो, शेष बाकी रह जायें। मैंने जो अनुभव किया है, उसके आधार पर कहता हूं कि समाज के विभिन्न वर्गों में,

विभिन्न जातियों में आरक्षण के कानून को बहुत गहराई और व्यापकता के साथ लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि आप राज्य सरकारों के अधिकार को खत्म कर केन्द्र सरकार के हाथ में दे दें। स्टेट पावर को बढ़ाने की बात चल रही है, उसको भी पसंद करना चाहिए।

.इसी प्रकार जो सांस्कृतिक बातें हैं आजकल सिनेमा की बड़ी चकाचौंध है। विदेशी कम्पनियों की फिल्में आ रही है जिससे हमारे नौजवान सोशल जस्टिस नहीं सीखते। उनकी चकाचौंध देखकर वह कहता है कि सेक्स औब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार न हो, इस पर सरकार की निगाह जायेगी या नहीं। इसलिए सर्वांगीण विकास की जरूरत है। उनके आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि तमाम पहलुओं पर विचार करना चाहिए। उन्हें सत्ता में भागीदार बनाना चाहिए। यह तो क्लास स्ट्रगल है। इस क्लास स्ट्रगल को और तेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस हाउस में अपील कर रहा हूं कि यदि हम दिल से चाहते हैं कि शोषित व पीड़ित जनता पर अत्याचार न हो, महिलाओं पर अत्याचार न हो तो हमें पार्टी की धारा से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ेगा, तभी यह काम हो सकता है।

मेरा आपसे आग्रह है, आप जो प्रस्ताव लाये है। सुनने में बहुत अच्छी बात है लेकिन कृपा करके बिहार और उत्तर प्रदेश पर ही अपनी उंगली न उठायें, राजस्थान व अन्य राज्यों की ओर भी देखें। यह पूरे हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय समस्या पर आप अच्छा दृष्टिकोण अपनायें। सामाजिक जीवन का उत्थान करने के लिये यह आवश्यक है कि शोषित, पीड़ित जनता जो आज तबाह है, बरबाद है जिन्हें भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, रहने के लिये घर नहीं मिलता है, झोंपड़ी नहीं मिलती है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाये।

आपने इन्दिरा आवास योजना बनायी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को इसके द्वारा लाभ हुआ ? इस योजना के लिये अधिक धनराशि रखी जाये। यह चुनावी वर्ष है। मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। इससे गरीबों को घर मिलेगा। इस दिशा में आप काम कीजिये तब प्रस्ताव का मायने होगा। प्रस्ताव में रखी गई सामान्य बातों का मैं समर्थन करता हूं ; प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम लेकर जो बातें कही गई हैं, वे गलत हैं। तमाम देश का ध्यान रख कर प्रस्ताव लाना चाहिये था, तब पूरा सदन इसका समर्थन करता।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदया, हम प्रस्ताव पर बहुत अच्छी तरह से विचार कर रहे हैं हमारे बस में विचार करना ही है और सरकार के बस में उसको लागू करने का उपाय होना चाहिये। यूं भी दुनिया में कमजोर पर जुल्म करने की पुरानी आदत है। शोषित, पीड़ित, दलित की दर्द भरी दास्तान और त्रासदी की कहानी बहुत पुरानी है। हम प्रगति और समृद्धि की बात करते है। और दूसरी ओर अन्याय, अत्याचार और शोषण की कहानी गढ़ते हैं आखिर हम मनुष्य और मानवता को प्रगति के नाम पर क्या दे रहे हैं ? ऐसा लगता है कि प्रगति के नाम पर जो विकास होना चाहिये और मानसिकता का निर्माण होना चाहिये, वह नहीं हो रहा हैं हमने संविधान में प्रावधान किया हुआ है। विधि-विधान बनाया हुआ है। इन सब के रहते हुए भी अनुसूचित जातियों, जन जातियों और महिलाओं पर जुल्म और ज्यादतियां जारी हैं। स्वतंत्र देश में हमारी कैसी बेबसी और लाचारी है ? हमें चाहिये कि हम इन सारी बातों को देखें। आखिर यह कोन-सी बातें हैं जो ध्यान में आ गई ? जब अनुसूचित जातियों और जन जातियों पर अन्याय और अत्याचार होते हैं तो जाति की बात सामने रहती है। जाति में ऊचा और नीचा रहता हूं, अस्पृश्यता रहती है, इसको नहीं छूना, इससे और अपराध बढ़े। देश की आजादी के रहते हुए हमने सब कानून बनाये, संविधान में प्रावधान किये, इसके बाद भी हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इन सारे प्रावधानों को लागू न करना हमारी कमजोरी है। अगर

कोई भी सरकार इसको लागू नहीं करती है, देश के लोगों के साथ अन्याय करती है और उन लोगों के साथ अन्याय करती है जो कि इस देश के स्वतंत्र नागरिक होने के अधिकारी है, तो उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

ऋण व्यवस्था के चलते हुए भी ये अत्याचार होते हैं । आर्थिक विपन्नता और आर्थिक कमजोरी के कारण भी उन परिवारों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं । जमीन के झगड़ों को लेकर भी ये बातें सामने आती हैं । पीने का पानी मुहैय्या करके के लिये अलग-अलग बातें आती हैं । हिन्दुस्तान की आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी पीने का पानी का स्थान एक नहीं है । यदि गांव में हैंडपंप लगा हुआ है तो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग उस हैंडपंप से पानी नही भर सकते हैं । उनकी बस्तियां आज भी गांवों से बाहर दूर खेड़े में जहां अच्छी जमीन नहीं है, असुविधायें हैं, नाला है, ऐसी जगह उनकी बसाहट की जाती है । अगर इनके ऊपर कोई कष्ट आ जाता है तो उनकी सहायता करने के लिये कोई तैयार नहीं होता है । मानसिकता आज भी ऐसी बनी हुई है और स्थितियां बरकरार हैं । इसलिये इन सारी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

गांवों और शहरों में अभी भी ऐसे स्थान बने हुए हैं जहां चाय और अल्पाहार के लिये कोई जायेगा तो उसकी जाति देखेंगे ....(**व्यवधान**) जो झाड़ू लगाने वाला मेहतर है, हर गांव में 10 हजार की आबादी के नीचे चले जायें, वहां उसके लिये अलग कप और गिलास देखने को मिलेगा । वह खुद ही उसको धोता है और उसमें चाय पीता है । अब उनको चाय दे दी जाती है, इतनी प्रगति अवश्य हुई है । अब ऊपर से ऐसा करके देते हैं और वह उसको झेल लेता है और लगता है कि अस्पृश्यता का वातावरण बना हुआ है ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : यही है, आंखों देखा हाल ।

डा. सत्यनारायण जटिया : जब उत्सव करने का मौका आएगा, कही रविदास जयन्ती मनाएगा, कबीर जयन्ती मनाएगा और वह शानदार तरीके से निकलती है, तो इर्ष्या हो जाती है । पवित्र घाट पर कुछ करना शुरू कर दे, तो लोगों को परेशानी होने लग जाती है । आजादी के इतने वर्षो के बाद भी लगातार यह चल रही है । इसका मतलब है कि आजाद देश की आजाद मानसिकता बनाने में हमने कुछ काम नहीं किया है । इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए । मनुष्य जन्म लेता है, लेकिन अन्त्येष्टि शमशान में ही होती है और मृत्यु के बाद भी उस स्थान पर पहुंचने के अन्दर लोगों को कष्ट होता है । ये सारी परिस्थितियां हैं, जिसके अन्दर ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं के लिए मान लिया गया है कि वह अबला है, उसको मानसिक त्रासदी मिलती है और सामाजिक गैर-बराबरी उसको भुगतनी पड़ती है । उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है । परित्यक्ता है, तो त्याज्य है और वह शोषित हो जाएगी, पीड़ित हो जाएगी और उसको सामान्य व्यवहार में जीना नहीं होगा । शादी-ब्याह के मौके पर उसकी उपस्थिति को ठीक नहीं माना जाता है । आखिर, ये जो सारी मानसिकता है, उसको दूर करने के लिए उपाय करने वाला कौन है । यदि सामाजिक संरचना में सुधार करना चाहते हैं, संस्कार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी जो मानसिकतायें बनी हुई हैं, महिलाओं के बारे में, स्त्री के बारे, नारी के बारे में, उसको बदलने की जरूरत है । उनकी निर्भरता, आर्थिक निर्भरता भी परिवार के मुखिया पर निर्भर करती है । इसलिए स्वतन्त्र देश में इस पर विचार करने के लिए कोई अवसर नही रहता है । ऐसी स्थिति में हम इस देश के बारे में क्या कहें ।

हमने बहुत सारे कानून और नियम बना दिए है । अभी जो दपोती पूरा गांव की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक हरिजन की हत्या की गई और इस जिले की अध्यक्ष एक महिला है और वह भी एक अनुसूचित जाति की है, इनको कोई

अधिकार क्लैक्टर ने नहीं दिया है और जब कलैक्टर ने कोई अधिकार नहीं दिया है और वे कुछ काम करती है, तो उसका उल्टा होता है । मैं कहता हूं कि सरकार की मशीनरी के लिए सजा का क्या उपाय किया गया है आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है । इसी प्रकार राजगढ़ जिले में एक महिला को खम्बे के साथ बांध कर उसके साथ अन्याय और अत्याचार किया गया, इससे लगता है कि कुछ भी करने के लिए आजादी मिलती है । इसलिए मैं कहता हूं -

कैसे हैं वे लोग ?
जिनने काल के प्रवाह में
ढकेल दिया जिनको,
बहने डूबने और मर जाने को ।
अरे! कस्तियां,
जिसकी उसने बनाई ।
मांझी बनकर
पतवार चलाई ।
बस्तियां जलाकर
चिल्ला रहे हैं
बचाओ! बचाओ !
इस प्रकार हल्ला करने से उनकी सुरक्षा का उपाय होने वाला नहीं है ।
बेगार में
जिनसे निर्माण करायें
छेनी हथोड़ा पसीना बहाएं
पत्थर तराशे आकार पायें
धकेलकर बाहर
चिल्ला रहे हैं
बचाओ! बचाओ!

किसको बचाना चाहते हैं ? जिसको बचाना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे । इससे ऐसा लगता है कि हम इन्सान नहीं है, हम पत्थर हो गए हैं । पत्थरों को भी ठीक मान सकते है ।

पत्थर से
पत्थरों का
रिश्ता कोई होता नहीं है ।
पत्थरों के दर्द पर
पत्थर कोई रोता नहीं है ।
पत्थर से
पत्थरों का
होता नहीं कोई वास्ता,
पत्थरों ने
कब बताया
पत्थरों को रास्ता ।

तब भी,

पत्थरों के राज को

जानता है पत्थर ।

और

पत्थर को पत्थर मानता है

पत्थर ।

इसीलिए

पत्थरों से बने सीमेंट से

जुड़कर पत्थर हो जाता है पत्थर ।

यह आदमी ही है कि

आदमियत से जुड़ता नही है ।

पत्थर से अधिक पथरीला

हो गया है आदमी ।

ऐसा लगता है कि पत्थरों से भी पथरीला हो गया है आदमी । मानवता को जिस प्रकार से हमें सरलता के साथ, सौम्यता के साथ, संस्कार के साथ जोड़ना चाहिए, उसको हम नहीं जोड़ पा रहे हैं । जिस प्रकार से संविधान के अनुसार उनको सजा देनी चाहिए, वह नहीं दे पा रहे हैं । और जो हम मानवता की बात करते है , तो

मानव-मानवता में भेद नहीं

कर्म धर्म महान है,

सामाजिक समता मनुष्य का

जन्मसिद्ध अधिकार है ।

देश के अन्दर वह सामाजिक समता नहीं आती है, इसलिए स्वाधीनता की बात करना हमारे लिए बेमानी हो जाती है ।

प्रतिबन्ध लगे हो जीने पर

समता का अधिकार नहीं,

उसका जीना भी क्या जीना

जिसको मानव अधिकार नहीं ।

शोषण मुक्त समाज रचना को

प्रतिबन्ध हमें स्वीकार नहीं,

मनुष्य विभेद को विवश करें

ऐसे बंधन स्वीकार नहीं ।

अस्पर्ण, दलित, शोषित, अकिंचन

स्वतन्त्रता के यह अर्थ नहीं,

व्यक्ति-व्यक्ति सम्बद्ध न हो तो

गणतन्त्र का कोई अर्थ नहीं ।

न्याय स्वतन्त्रता समता बंदुता

सबको समानता का अधिकार,

इससे काम में समझोता कैसा

स्वर्ग मोक्ष से भी इंकार ।

मनुष्य की सेवा करने के लिए जब यह धारणा बनती है, तो मनुष्य में समानता के लिए परिवर्तन करने की जरूरत है । जब हम यह ला पायेंगे, तब ही हम एक स्वतन्त्र देश कहलाने के अधिकारी हो सकेंगें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चे इन सबको सुरक्षा देने का दायित्व हम सब का है । हम संरक्षण और सम्मान दें, तो निश्चित रूप से हम स्वतन्त्र देश कहलाने के अधिकारी बनेंगे। इसलिए आज की परिस्थिति में यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रस्ताव को एक मत से सदन को पारित करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदया, इस पर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है । मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि सत्यदेव सिंह जी यह प्रस्ताव लाए हैं । मुझे खुशी है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं पर जो राष्ट्र के अंदर अत्याचार हो रहे हैं । उस पर प्रकाश डालने का हमें मौका मिला है । इनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं । यहां पर बिहार और यू.पी. के बारे में जिक्र किया गया है । मेरा जो चुनाव क्षेत्र है वह भी पहाड़ से लगता है । यू.पी. के पहाड़ी क्षेत्र में एक आन्दोलन शुरू हुआ । जब से वहां गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने और पिछली गवर्नमेंट ने हरिजनों पर ज्यादती की और हरिजन उनके खिलाफ हो गए । उन्होंने एक ऐसे नेता को चुन लिया है जो कास्ट पर आधारित समाज को संगठित करना चाहता है । वहां पर वह जीते हैं । और इस सदन के माननीय सदस्य है । मैं समझता हूं कि उनका अगर हरिजनों के साथ प्यार होता, जिन्होंने यह प्रस्ताव लाया है तो हरिजन कभी भी इतनी बगावत पर न आते । उन्होंने वहां पर इस तरह का काम किया है इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पर बगावत करने का मौका मिला । आज वहां पर जो ज्यादती हो रही है, खास करके इन लोगों के साथ जो ज्यादती की गई है यह हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है । इसकी जो इंक्वायरी सी.बी.आई. के जरिए हुई है और वहां पर हमारी जो बहनों, माताओं पर अत्याचार हुआ है, मैं समझता हूं कि यह वहां पर बहुत बड़ा अपराध हुआ है ।

हमारी सरकार ने तो वहां दखलअंदाजी करने के लिए काफी कोशिश की है । यहां से सी.बी.आई. की जांच हुई और उसकी रिपोर्ट आई । यह नहीं वहां हमारे जो न्यायालय है । उनमें भी उन्होंने प्रोटेस्ट करके जजों की भी अवमानना की है । ये जो सारी बाते हैं । यह उत्तर प्रदेश में हुई हैं । उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में हुई हैं । जैसे अभी यहां, पर कईयों ने कहा ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संकल्प के आबंटित अतिरिक्त एक घण्टे का समय समाप्त हो गया है । छः सदस्य अभी शेष है जो बोलना चाहते हैं । यदि सभा सहमत हो तो हम एक घण्टे का समय और बढ़ा सकते हैं । क्या सभा इस संकल्प के लिए समय बढ़ाना चाहती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं उत्तर प्रदेश और सारे हिन्दुस्तान का जिक्र कर रहा था । पूरे हिन्दुस्तान के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं हैं । दिल्ली में जो सांध्यकाल पेपर निकलता है उसमें आता है कि यहां पर जितनी बस्तियां हैं वहां पर सारी हरिजन लड़कियों के ऊपर अन्याय होता है । उनको किडनेप कर लिया जाता है । उनकी शादियां भी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होने दी जाती है । इस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है । अभी आपने कहा कि गंगा नगर में ऐसा

हुआ । राजस्थान में हुआ, राजस्थान में तो हमेशा ही औरतों को जिन्दा जला दिया जाता है । उनके ऊपर अत्याचार का जुल्म हो रहा है । वहां पर अनुसूचित जाति की महिलाओं पर बलात्कार के केस होते हैं, वहां दूसरी जाति के लोगों की महिलाओं को जला दिया जाता है । उसको पति के साथ जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है । इस तरह से हमने कर्नाटक में देखा । वहां पर मन्दिर में ले जाया जाता है । अल्वर में एक मंदिर है उसमें महिलाओं को भेंट कर दिया जाता है और वह लड़की फिर ऐसी नाजुक स्थिति में होती है, कि वह कहां जाए । वह ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाती है जो बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, जो इस देश को बर्बाद करने के लिए तुले होते हैं । ऐसे लोगो के हाथ में चला जाता है और अपमान देश को सहना पड़ता है । इस तरह की चीजों को समाप्त किया जाना चाहिए ।

कानून का जहां तक सवाल है तो हरिजनों की रक्षा करने के लिए कानून पर्याप्त हैं । कानून में प्रावधान है कि हरिजनों पर अत्याचार की एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी और ऐसे केसेस में जमानत नही होगी । लेकिन स्थिति यह है कि एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं की जाती है और गरीब हरिजन थाने जाने से भी डरता है । उसको विश्वास नही है कि वहां पर उसको न्याय मिलेगा । आज पंचायतों में भी हरिजनों और महिलाओं की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, लेकिन अधिकार कितने दिए गए हैं, यह देखना आवश्यक है । थाने में दरोगा भी अपनी मर्जी से कानून चलाता है, रिपोर्ट दर्ज नही की जाती है । यही स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और लगभग सभी राज्यों की है । सरकार के ऊपर दोषारोपण किया जाता है । कानून बनाए गए हैं, लेकिन हर स्थान पर चीफ मिनिस्टर जाकर तो कानून लागू नहीं करवा सकता । जो सरकारी मशीनरी है, वही अमन ला सकती है । सजा देने के लिए अदालतें बनी हुई हैं, जहां पर केस की जांच होती है और दोषियों को सजा दी जाती है । इसलिए सरकार पर दोषारोपण करना ठीक नही है ।

यहां पर उत्तर प्रदेश की बहुत बात की जा रही है, लेकिन मुझे दुख है कि पहले जो सरकार वहां पर थी, उसकी वहां पर देनदारी है, बी जे पी की देनदारी है । उस जमाने में वहां पर हरिजनों के साथ ज्यादतियां की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग इकट्ठे हो गए और मिलकर लड़ाई लड़ने लगे । मैं समझता हूं कि यही तरीका हर जगह चल रहा है । हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में भी पहले जो सरकार थी, उस जमाने में रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं किया गया । मास्टरों की भर्ती में अपने अपने लोगों को रख लिया गया, अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं को भी इगनोर कर दिया गया । अब जो सरकार आई है, वह उन कामों में सुधार कर रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा ।

जहां पर भी अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों पर, महिलाओं पर, माताओं, बहनों पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं , उन घटनाओं में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इन अत्याचारों को समाप्त किया जाना चाहिए । इस काम को करने के लिए सबसे पहले सभी जगहों पर महिलाओं को समान भागीदारी देनी होगी । कारखाना हो, खेत हो या दूसरी जगहें हों, महिलाओं को पूरी भागीदारी देनी होगी । आरक्षण के बैकलाग को पूरा करना होगा । अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिए जो संसदीय समिति बनी है, उसने अपनी सभी रिपोर्ट्स में जो सिफारिशें की हैं, उन पर कितनी कार्यवाही की गई, इसको देखने की आवश्यकता है । इसी तरह से लोकसभा के प्रतिनिधियों के लिए तो एस.सी.एस.टीज. कोटा है, लेकिन राज्यसभा के प्रतिनिधियों के लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं है । मेरा निवेदन है कि राज्य सभा में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए । अभी जम्मू कश्मीर में भी जो 6 राज्य सभा सीटें बढ़ाई गई हैं, उनमें भी एस.सी.एस.टीज. की कोई सीट नहीं है । इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । हमें हमेशा न्याय की बात करनी चाहिए । जब तक अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों और महिलाओं का उत्थान नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है । आज हम देखते हैं कि पहले की तरह छुआछूत का वातावरण नही है । आज हमारे यहां कोई छुआछूत नही है ।

लेकिन जो लोग अपने आपको गंदे रखते हैं चाहे वे किसी भी जाति के हों, लोग उनसे नफरत करते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात है । आर्थिक स्थिति तभी मजबूत होगी जब आप स्त्री और पुरूष दोनों को समान रखेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि दोनों के लिए एक जैसा स्कैल होना चाहिए । पुरूष और स्त्री में कोई अंतर नही है । महिलाएं पुरूषों से बहुत ज्यादा काम करती है चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का वे पुरूषों से ज्यादा काम करती हैं हमारे सभी सदस्यों ने एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री के साथ बलात्कार का मामला उठाया है । यह पिता के द्वारा बहुत बड़ा अन्याय है । इसी तरह से भोजनगर में एक आठ साल की लड़की के साथ उसके चाचा ने बलात्कार किया । इसी तरह से एक 14 साल की हरिजन लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है । मैंने उनकी दारूण कथा सुनी थी । यह हरिजन लड़की के साथ अन्याय किया गया है । तो आज हमारा समाज कहां खड़ा है ? यह एक जगह की बात नहीं है । आप पंजाब में जाएं चाहे हिमाचल में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं या किसी और प्रदेश में जाएं, सभी जगह औरतों पर जुल्म होते हैं । सत्यदेव जी को मैं यह कहना चाहता हूं कि भावना उनकी बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने केवल यू.पी. और बिहार का जिक्र किया हैं यह तो सारे देश में महिलाओं के साथ हो रहा हैं । महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो गुजरात में भी कम नहीं हो रहा है । गुजरात में सौ से अधिक छोटी-छोटी दुकाने और झोंपड़ियां जला दी गई हैं । इसी तरह से पूना से सरदार सरोवर जब हम ट्राइब्ज एरियाज में जाते हैं तो वहां जो पुल पड़ता है वह टूट गया है और ट्राइबल एरिया में कोई आदमी जा नहीं सकता है रेलवे विभाग वहां पूल नहीं बनाता है क्योंकि वह ट्राइबल एरिया में है । मैं कहना चाहता हूं कि जो उनका हक बनता है चाहे रेलवे में उनका बैकलॉग है चाहे पुलिस में है, चाहे एयर इंडिया में है वह उनको मिलना चाहिए । केवल स्टेटमैंट देने से काम नही चलेगा न ही यह कहने से कि हम कर रहे हैं या हो जाएगा । मैं अपने मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस-जिस विभाग की यह जिम्मेदारी है वह इसे पूरा करे और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का बैकलॉग है उसे हमें पूरा करना ही होगा यह अहसास भी उनको होना चाहिए ।

विधान में तो कहा गया है 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बैकलॉग है इसको भी पूरा किया जाए और इसको टाइम-बाउंड किया जाए ताकि यह पूरा हो सके । आज शैडयूल्ड-कास्ट और शैडयूल्ड-ट्राइब्ज के अंदर नयी-नयी जातियां शामिल हो रही हैं । बुद्धिष्ट भी इनमें आ गये हैं इसलिए इनके आरक्षण का कोटा बढ़ना चाहिए । जैसाकि और का बढ़ा है, उनका भी बढ़ना चाहिये । मैं दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये तथा उनकी रक्षा के लिये हमारा समाज कल्याण विभाग इसको कर सकता है और वह करे । खासकर इस बात का ध्यान रखे कि जो गरीब आदमी हैं, उनके लिये सरकार कृत संकल्प है । सरकार ने इस संकल्प को भी दोहराया है कि जो कमियां हैं, वे दूर की जायेंगी और इस दिशा में आगे भी बढ़ी है ।

सभापति महोदया, मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव जिस सदस्य द्वारा पेश किया गया है, वे वापस लेंगे क्योंकि सरकार इस दिशा में बहुत कुछ कर रही है । आप भी सारे देश को दृष्टि में रखें न कि बिहार और उत्तर प्रदेश को । मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा एक प्रस्ताव सारे देश के लिये आना चाहिये ताकि सारे देश का कल्याण हो सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय सभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के बढ़ने से चिन्तित है । ये अत्याचार महिलाओं पर अधिक बढ़े हैं । तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है । इन जातियों को शिक्षा, रोजगार और पदोन्नति के न्यायोचित अधिकारों से वंचित किया गया है ।

महोदय, इससे इन जातियों के युवा वर्ग में व्यापक असंतोष और आक्रोश पैदा हुआ है । इससे पहले उनमें ऐसी भावना नहीं थी । परन्तु अब युवा वर्ग में जागरूकता आ गई है तथा उन्हें अब अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं की अधिक जानकारी है । इसलिए अब इन उपेक्षित जातियों के युवा जागरूक हो गए हैं तथा वे आन्दोलन की राह पर चल पड़े हैं ताकि उनकी उचित और न्यायपूर्ण मांगों को पूरा किया जा सके ।

दुर्भाग्य वश इन उपेक्षित वर्गों की आशाओं और आंकाक्षाओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं । मध्य बिहार में, जहां हिंसा की राजनीति अत्यधिक उभरी है, जो उग्रवाद आज देखने को मिलता है उसके कारण बिहार तथा अन्य राज्यों में लोगों की लोकतान्त्रिक प्रगति को खतरा पैदा हो गया है ।

इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन जातियों की समस्याओं के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाऐं और उनकी न्यायोंचित शिकायतों को हल करने के लिए रचनात्मक सिफारिशें करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं । वे नियमित रूप से इनकी समस्याओं का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन देते हैं । इस बारे में कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं और वे सरकार के विभिन्न विभागों में धूल-चाट रहे हैं । आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करना तो दूर रहा उन पर विचार भी नहीं किया जाता । ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां इन सिफारिशों को गम्भीरता से लागू नहीं किया गया है । इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है । मैंने कांग्रेस के शासन वाले दो राज्यों का जिक्र किया है परन्तु ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी होगी ।

हमें समस्या को गहराई से देखना होगा इन जातियों को इनके अधिकारों से वंचित किये जाने का मूल कारण क्या है तथा कौन उन्हें इनसे वंचित करता है ? इसके लिए सामन्तशाही और निहित स्वार्थों की लगातार बढ़ती हुई साठगांठ जिम्मेदार है । बिहार इसका एक अदभुत उदाहरण है वहां इन जातियों के लोग उग्रवाद की राजनीति का इसलिए शिकार हुए हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित किया गया हैं और उन्हें सामाजिक न्याय नहीं दिया गया है । इसलिए जब तक इस समस्या का व्यापक आधार पर हल नहीं निकाला जायेगा और इस ओर गहराई से ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल सकता । इसका मुख्य कारण है सामन्त वाद जो भूमि लगान प्रणाली में तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य प्रयासों मे विद्यमान है तथा यह कृषि मजदूरों, गरीब किसानों तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों के विरूद्ध है । हमारे देश में उपेक्षित लोगों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है । इसलिए इसका राजनैतिक हल सोचना होगा । सामन्त वाद को पूरी तरह समाप्त करना होगा । और ऐसा भूमि सुधारों के द्वारा ही किया जा सकता है । देश के जिस किसी भी हिस्से में भूमिसुधार कारगर ढंग से लागू किये गये हैं वहां इन जातियों पर अत्याचार की घटनाऐं नहीं हुई । इसलिए हमें भूमि सुधारों पर अधिक बल देना चाहिए ।

मण्डल आयोग ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक कारगर भूमि सुधार लागू नहीं किये जाते यह जाति संघर्ष समाप्त नही होगा इसलिए सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे और हमारे समाज के उपेक्षित वर्ग की दशा सुधारने के लिए कारगर कदम उठाये । हमें इस सभा में मांग करते रहे हैं कि कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाये । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उपेक्षा तथा कृषि मजदूरों की उपेक्षा के बीच गहरा सम्बन्ध हैं क्योंकि कृषि मजदूरों की बड़ी संख्या इन्ही जातियों से सम्बन्धित है । कुछ समितियां बनाई गई, सिफारिशें की गई और यहां तक की विधेयक भी तैयार किये गये परन्तु सरकार ने आज तक कृषि मजदूरों के अधिकारों से सम्बन्धित सिफारिश को लागू नहीं किया । इसलिए मैं आज फिर सरकार का ध्यान कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए केन्द्र के स्तर पर विधेयक लाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि इन उपेक्षित लोगों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल सके ।

महोदया आप जानती है कि जब तक इन उपेक्षित वर्गों को आर्थिक मजबूती नही दी जायेगी तब तक सामाजिक न्याय देना सम्भव नहीं । सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करना होगा ।

मैं सरकार, विषेशकर मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय से यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि अनुसूचित जातियों की पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाएंगे । सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्हें कानूनी और संविधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि समाज के इस वर्ग के लोगों को पिछले कई दशक से प्राप्त कानूनी अधिकार से वंचित न किया जा सके ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के अधिकार की सुरक्षा के लिए सरकार संविधान में संशोधन करने के लिए का कदम उठाने जा रही है । पहले यह वायदा किया गया था, कि संविधान में संशोधन करने के लिए यथाशीघ्र एक विधेयक सदन में पेश किया जाएगा । मैं भी उस सर्वदलीय बैठक में शामिल था, जिसमें यह वायदा किया गया था । बैठक की अध्यक्षता कल्याण मंत्री ने की थी । लेकिन वह यथाशीघ्र अभी तक नहीं आया है ।

महोदया, यह वजट सूत्र 2 जून, 1995 को समाप्त होने वाला है । क्या आप यह कहना चाहती हैं कि इस सत्र में भी वह संशोधन विधेयक पास नहीं किया जाएगा ? ऐसा होगा तो, असंतोष और बढ़ेगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्या यह विधेयक या सम्बन्धित अन्य आवश्यक विधेयक चालू सत्र में पेश किए जाएंगे, ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग यह महसूस कर सके कि संसद उनके न्यायपूर्ण हितों की रक्षा के प्रति सक्रिय और जागरूक है ।

ऐसी कुछ शिकायतें हैं कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को न्यायोचित संख्या में रोजगार नहीं दिया जा रहा है । रोजगार में उनकी कमी चली आ रही है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस पिछली कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ।

मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें उनमें पृथकता की भावना पैदा करेंगी और असंतोष फैलेगा जब तक इस वर्ग के लोग यह महसूस नहीं करेंगे कि वे भी समाज का अंग है, जब तक वे यह महसूस नहीं करते कि संसद उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए है और उनके साथ न्याय होगा, असंतोष बढ़ेगा तथा उसके परिणाम देश के सामाजिक तानेबाने के लिए बड़े भंयकर होंगे । इसलिए इस सम्बन्ध में विलम्ब नहीं होना चाहिए ।

महोदया, मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, आपने मुझे पहले बुलाया था जबकि

मैं अपने समय पर उपस्थित नहीं था। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन शिकायतों को दूर करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए तथा इन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार उचित कदम उठाए जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लगे कि उनकी न्यायोचित और उचित मांगों की रक्षा के लिए संसद, सांसद और लोकतांत्रिक ताकतें हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री सत्यदेव सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : सभापति जी, सदन में प्रस्तुत संकल्प पर कई बार चर्चा हो चुकी है और बहुत से माननीय सदस्य इस विषय में अपने विचार प्रकट कर चुके हैं मैं यहां आंकड़ों में जाना नही चाहता क्योंकि बहुत से आंकड़े पहले ही दिये जा चुके हैं। यह विषय इतना गम्भीर है कि बारबार अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं पर बलात्कार की चर्चा करके या कुछ घटनाओं का नाम लेकर, उन घटनाओं में सम्मिलित महिलाओं का नाम लेकर, कई बार ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें अपमानित कर रहे हैं।

मैं यहां पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं और मैं अपने आप को इस मामले में भाग्यशाली मानता हूं क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं न के बराबर होती हैं जबकि हमारे क्षेत्र में भी उसी अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग रहते हैं, जिस अनुपात में मैदानी भागों में रहते हैं किन्तु पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह इन लोगों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वह हम सबके लिए बहुत चिन्ता का विषय है।

अभी सुलतानपुरी जी कह रहे थे कि श्री सत्यदेव सिंह जी को यह संकल्प वापस ले लेना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई ठोस योजना है या सरकार इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेने वाली है ? सरकार इस बारे में कितनी गम्भीर है, वह इसी से मालूम हो जाता है, जैसा अभी शहाबुद्दीन साहब कह रहे थे, अभी जब मेरी उनसे बात हो रही थी कि इस बारे में 1990 में आयोग बनाया गया और उसकी पहली रिपोर्ट 1994 में आयी। मैं समझ नहीं पाया कि वे किस आधार पर कह रहे थे कि इस संकल्प को वापस लेना चाहिये हालांकि मैं जानता हूं कि इस संकल्प की क्या स्थिति होने वाली है लेकिन सदन में इस विषय पर कितने घंटे चर्चा हुई है, कम से कम उस चर्चा के बाद हम लोग सामुहिक रूप से किसी परिणाम पर तो पहुंचे। राजनैतिक विषय तो ऐसे बहुत से हैं जिन पर बहस हो सकती है और जिन पर हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस विषय पर हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं है।

यहां दो प्रांतों के बारे में बताया गया, बिहार और उत्तर प्रदेश की चर्चा की गयी और वास्तव में यह बहुत चिन्ता की बात है कि दोनों ही प्रदेशों में स्थिति बहुत खराब है। वहां जिस तरह हरिजन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं वे इतने शर्मनाक हैं कि उनका यहां वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि उत्तर प्रदेश का ही एकमात्र उदाहरण आप लें और देखे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की स्थिति क्या होगी जबकि एक सामान्य महिला का भी घर से निकलना दूभर है। पिछले वर्ष का मुजफ्फरनगर कांड किससे छिपा है। इस हाउस में हमने उस विषय की गम्भीरता से उठाने की कोशिश की थी। हमने कहा कि वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और उस बलात्कार में किसी राजपरिवार या सामन्तशाही व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग शामिल नहीं थे बल्कि उस बलात्कार में उत्तर प्रदेश की पुलिस के अधिकारी और सिपाही शामिल थे और उन्हें शह देने वाले वहां के जिलाधिकारी शामिल थे। उस कांड के बाद उनका जो बयान सामने आया, वह सब अखबारों में छपा है जो हम सबके लिये बेहद शर्मनाक है। उस घटना के बारे में वहां के जिलाधिकारी महोदय का कहना था कि अगर महिलाएं अकेली जंगल में जायेंगी तो उनके साथ बलात्कार नहीं होगा तो क्या होगा। क्या एक जिम्मेदार जिलाधिकारी को ऐसा बयान देना चाहिये। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां रात को 12 बजे भी अगर कोई महिला अकेली बाहर निकल जाये तो उसकी तरफ टेढ़ी निगाह उठाकर देखने की भी हिम्मत कोई नहीं करेगा और दूसरी तरफ हमारे ही प्रदेश के एक जिलाधिकारी ऐसा बयान देते हैं।

हमारा देश कृषि पर आधारित है और महिलाओं का रात में जंगल में जाना, खेत पर जाना, खेतों की रखवाली करना, खेतों की व्यवस्था देखना साधारण बात है लेकिन हमारे देश के एक जिलाधिकारी ऐसा बयान देने लग जायें कि अगर महिलायें अकेली खेतों में जायेंगी, जंगल में जायेंगी तो उनके साथ बलात्कार नहीं होगा तो क्या होगा, वह हम सबके लिये कितने शर्म की बात है।

उस कांड की जब सी.बी.आई. द्वारा जांच की गयी और उन्होंने हाई कोर्ट को अपनी पहली रिपोर्ट पेश की तो उससे स्पष्ट हो चुका था कि वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। उस बलात्कार को रोकने के लिये जितने नौजवान गये, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। उन महिलाओं में अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलायें थीं, पर्वतीय क्षेत्रों की महिलायें थीं, उनका क्या दोष था, क्या उनके पास कोई हथियार था या वे किसी संघर्ष के लिये निकली थीं। वे सिर्फ अपनी कुछ मांगों को केन्द्र सरकार के सामने रखना चाहती थीं लेकिन उनके साथ जो कुकृत्य हुआ वह बेहद शर्मनाक वाकया है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसी गम्भीर निर्णय की उम्मीद नहीं रखता जबकि उन्होंने उस समय कहा था कि अगर किसी के साथ बलात्कार की घटना घटी होगी तो मैं पूरे देश से माफी मांगूंगा।

सभापति महोदया, और क्या हुआ, आज सी. बी. आई. की रिपोर्ट में साबित हो गया कि वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद पुलिस ने वहां पर क्या षडयंत्र किया ? पुलिस ने कहा कि इन महिलाओं के पास हथियार थे। उन्होंने गोलियां चलाई, जिससे पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और उनके शरीर में छर्रे घूस गए। मैंने पिछले सप्ताह भी इस विषय को उठाते हुए कहा था कि यहां से अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान, सफदरजंग और गुरू तेगबहादुर अस्पताल के डाक्टरों का एक पैनल बनाकर सी. बी. आई. ने वहां भेजा। डाक्टरों के इस पैनल ने जब जांच की, तो इसने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार पुलिस कर्मचारियों ने जिस दिन यह घटना हुई, उससे अगले दिन अधिकारियों से मिलकर, पुलिस कर्मचारियों को एक प्राइवेट नरसिंगहोम में ले जाकर औपरेशन करवा कर उनके शरीर के हिस्सों में छर्रे फिट करवाए। डाक्टरों के पैनल ने यह बात अपनी रिपोर्ट में कही है। ऐसा शर्मनाक वाकया हुआ है। हम किसके पास जाकर दुहाई दें ?

सभापति महोदया, इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश का नाम विशेषकर इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए वहां के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं, वहां पर स्थिति ज्यादा गम्भीर है क्योंकि वहां का जो प्रशासन है, वहां पर जो शासन करने वाले लोग हैं, वे ही ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बसपा के लोगों का है। वे कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई आंकड़े हैं कि जिनसे वे बताएं कि उत्तर प्रदेश में उनके शासन में आने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार कम हुए हैं ? आज जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वे बयान देते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बलात्कार होता है, तो लोगों में आक्रोष पैदा होगा और आक्रोष पैदा होगा, तो हमारी

पार्टी की विचारधारा के साथ लोग जुड़ेंगे । उत्तर प्रदेश के शासन में जो लोग बैठे हैं उनकी ऐसी निम्न कोटि की विचारधारा है । यह आज बहुत चिन्ता का विषय है ।

सभापति महोदया, अभी सुलतानपुरी जी ने कहा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों वापस ले लें ? अगर आपने एक बार इसकी भाषा पढ़ ली होती, तो आपको पता लगता कि इसमें कोई बुराई नहीं है । इसमें कहा गया है :-

"कि यह सभा विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हत्याओं तथा इन समुदायों की महिलाओं के साथ बलात्कार, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाये ।"

इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं । आपको तो यह कहना चाहिए कि जब तक इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाएगा तब तक हम नहीं बैठेंगे । आप इस पर क्यों अपना निर्णय नहीं देना चाहते हैं ? आपको तो इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था । जब आपने अपना भाषण शुरू किया तो इसका समर्थन किया, लेकिन आपने अन्त में कह दिया कि सत्यदेव सिंह जी इसको वापस ले लें । यह तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई ।

सभापति महोदया, मैं कहता हूं कि इस प्रस्ताव पर विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हों या सामान्य जाति की महिलाएं हों, उनके ऊपर बलात्कार या इस प्रकार के अत्याचारों की चर्चा निश्चितरूप से इस सदन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह एक नया मजाक बन कर रह जाती है । मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार को पहल कर के सारे राजनीतिक दलों के सारे प्रतिनिधियों को बुलाकर, इस सदन से बाहर बैठकर, इस मामले पर एक निर्णय लेना चाहिए और एक भूमिका तय होनी चाहिए कि इस देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार, चाहे वे किसी भी वर्ग की हों, चाहे वे सामान्य वर्ग की हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की हों, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा । इसके लिए चाहे फिर हमें कितना ही सख्त कानून क्यों न बनाना पड़े ।

सभापति महोदया, मुझे विश्वास है कि इस विषय पर सरकार ऐसा कोई गम्भीर निर्णय लेगी ।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संकल्प विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में न होकर भारत भर के लिए होना चाहिए था । इसलिए लगता है श्री सत्यदेव सिंह ने यह संकल्प किसी उद्देश्य से पेश किया है । यह एक सामाजिक समस्या है इसलिए संकल्प भारत भर के बारे में होना चाहिए । सरकार द्वारा मात्र कुछ कार्यवाई किया जाना और पुलिस आदि भेजने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा । मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है । ये लोग इतने गरीब और पिछड़े हैं कि वे अपनी कठिनाईयां भी नहीं बता पाते । हमारे देश के कृषि मजदूर अधिकतर अनुसूचित जातियों के हैं ।

6.00 म. प.

जिन लोगों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के के कल्याण में रुचि है, उन्हें दूरस्थ गांवों में जाना चाहिए, जहां से अधिकतर रहते हैं । हम यह सोचते हैं कि शहरों में रहने वाले इन जातियों के लोग इतने गरीब और सामाजिक रूप में पिछड़े नहीं है । हम यह सब दूरस्थ गांवों में जाने पर ही जान सकते हैं ।

सरकार को शिक्षा और संस्कृति के सम्बन्ध में पथप्रदर्शक परियोजनाएं बनानी चाहिए ।

दूसरे अधिकतर कृषि मजदूर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के होते हैं बंगाल, केरल, और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकतर राज्यों में भूमि सुधार नहीं किए गए हैं । महाराष्ट्र में भी इन जातियों के 85 प्रतिशत लोग सवर्णों के घरों में नहीं जा सकते । ऐसा लम्बे समय से चलता आ रहा है । डा.बी.आर. अम्बेडकर ने इन सभी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध, विशेष रूप से मंदिरों में अनुसूचित जातियों के प्रवेश, तालाबों के उपयोग आदि के लिए महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ी । वे इन जातियों से भूमि का लगान वसूल किए जाने के लिए भी लड़े ।

इस प्रकार से समस्याए लम्बे समय से चली आ रही हैं । पर अब देश स्वतंत्र है और यहां लोकतंत्र है । तथापि पिछले 48 वर्ष से ये बातें चल रही है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : डा. असीम बाला आप अभी कितने समय बोलेंगे ?

डा. असीम बाला : मैं दो या तीन मिनट लूंगा ।

सभापति महोदय : तब आप आज अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं । वे कहते हैं कि वे आज अपना कथन समाप्त करना चाहते है । उन्हें समाप्त करने दीजिए ।

(व्यवधान)

डा. असीम बाला : महोदया, मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार कक्षा एक से लेकर कक्षा दस तक 80 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते । बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का प्रतिशत बहुत अधिक है । गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते । उन्हें काम करने भेज दिया जाता है । यदि हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूकावटों को समाप्त कर दें तो यह समस्या हल हो सकती है ।

देश में इन जातियों की यह दशा है । इस समस्या के हल के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने होंगे । आर्थिक असमानता को समाप्त किए बिना इस समस्या को समाप्त करना बहुत कठिन है । इसलिए सरकार को अधिक मजबूत कदम उठाने चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

6.04 ¼ म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री पीटर जी. मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : सभा कल 11.00 म.पू. तक के लिए स्थगित होती है ।

6.05 म. प.

तत्पश्चात लोक-सभा बुधवार, 31 मई, 1995/10 ज्येष्ठ, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।